दशम माला

26 अगस्त, 1991
श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 26 अगस्त, 1991/4 भाद्र, 1913 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (iii)	3	श्री सैयद शहाबुद्दीन के स्थान पर "श्री सैयद शाहाबुद्दीन पढ़िये ।
25	नीचे से 8	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के पश्चात् , अंत: स्थापित कीजिए ।
31	2	563 से पहले x लगाइये ।
37	12	श्री भागए गोवर्धन के स्थान पर "श्री भाग्ये गोवर्धन" पढ़िये ।
75	1	बगलोर के स्थान पर "बंगलोर" पढ़िये ।
77	11	केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के स्थान पर केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश पढ़िये ।
85	नीचे से पंक्ति 2	यमुना पार के स्थान पर "यमुना-पार" पढ़िये ।
152	19	संस्थान के स्थान पर "संस्थानों" पढ़िये ।
154	नीचे से 8	सांस्कृतिक के पश्चात् धरोहर जोड़िए ।
154	10	फलाई एश कन्वर्जन प्लांट्स के स्थान पर "फ्लाई एश कन्वर्जन प्लांट्स" पढ़िये ।

218	9	क्रियेलाडियो के स्थान पर "कियोलाडियो" पढ़िये ।
230	8	अनुसूचित जायियों के स्थान पर "जातियों" पढ़िये ।
233	3	श्री के स्थान पर श्रीमती पढ़िये ।
293	16	केरल के पश्चात के कृषकों अंतः स्थापित कीजिए
331	11	श्री सैयद शहाबुद्दीन के स्थान पर श्री सैयद शाहाबुद्दीन पढ़िये ।

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 4, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 32, सोमवार, 26 अगस्त, 1991/4 भाद्र, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 549, 550, 552, 554, 555 और 562	1—24
ों के लिखित उत्तर	24—279
तारांकित प्रश्न संख्या : 551, 553, 556 से 561 और 563 से 568	24—37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4283 से 4309, 4311 से 4318, 4320 से 4368, 4370 से 4372, 4374 से 4394, 4396 से 4400, 4402 से 4487 और 4489 से 4514	37—279
सभा पटल पर रखे गए पत्र	279—281
पंजाब बजट, 1991-92—प्रस्तुत	281
जम्मू-कश्मीर बजट, 1991-92—प्रस्तुत	281
विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक	282—293
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जार्ज फर्नान्डीज	282
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	288
श्री राम विलास पासवान	288
श्री सोमनाथ चटर्जी	289
श्री जसवन्त सिंह	290
श्री शरद दिघे	291
श्री एस० बी० चव्हाण	292

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	293—296
(एक) केरल के कृषकों को उनकी सम्पत्तियों के "हक विलेख" वितरित करने की आवश्यकता	
श्री पी० सी० चाक्को	293
(दो) उड़ीसा के कोरापुट जिले में नौरंगपुर में दूरदर्शन केन्द्र खोलने की आवश्यकता	
श्री के० प्रधानी	293
(तीन) ट्रैक्टर (वितरण और बिक्री) नियन्त्रण आदेश, 1991 की समीक्षा करने और उसे पुनः लागू करने की आवश्यकता	
श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर	293
(चार) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड के अन्तर्गत दुर्गापुर में सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्र को शीघ्र सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता	
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक	294
(पांच) विद्युत और उद्योग के क्षेत्र में उपयोग करने के लिए बम्बई हाई से गैस दक्षिणी राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु को भेजने की आवश्यकता	
डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम	294
(छः) 1984 के दंगा-पीड़ितों को दिए गए ऋण माफ करने की आवश्यकता	
श्री मदन लाल खुराना	295
(सात) भारतीय स्टेट बैंक, विदेश विभाग, कलकत्ता का "ग्राहक केन्द्र" खोलने की नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता	
श्री हन्नान मोल्लाह	295
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92	296—320
उद्योग मन्त्रालय	
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	296
श्री पी० वी० नरसिंह राव	302
जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को और अधिक अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	320—368
श्री एस० बी० चव्हाण	320—323 और 363—368

विषय	पृष्ठ

प्रो० प्रेम धूमल	323
श्री दिग्विजय सिंह	327
श्री सैयद शहाबुद्दीन	331
डा० सुधीर राय	333
श्री मदन लाल खुराना	334
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	338
श्री जार्ज फर्नान्डीज	342
श्री मणि शंकर अय्यर	350
श्री इन्द्रजीत गुप्त	354
श्री चित्त बसु	354
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92	368—371
कृषि मन्त्रालय खाद्य मन्त्रालय और ग्रामीण विकास मन्त्रालय	368
कुमारी उमा भारती	370

लोक सभा

सोमवार, 26 अगस्त, 1991/4 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जंगली पशुओं को चोरी-छिपे शिकार करना

[अनुवाद]

*549. श्री भगवान शंकर रावत :
श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंगली पशुओं का चोरी-छिपे शिकार करने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चोरी-छिपे शिकार किए जाने की कितनी घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ग) क्या संघ सरकार का विचार चोरी-छिपे शिकार करने वालों को उचित दण्ड देने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार है; और

(ङ.) यदि हां, तो कब ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ.) 10-1-1991 को राज्य सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आगरा में सिकन्दरा एक

पुरातत्व के महत्व का स्थल है। वहां पर अनेक हिरण पले हुए थे। अब उन हिरणों की हत्या की जा रही है। लोग वहां जाकर शिकार करते हैं और केवल इतना ही नहीं, उन हिरणों के खाने एवं पलने के लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, यानी उनकी मैंटिनेन्स की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं है, तो क्या शासन का ध्यान इस ओर है और अगर है, तो इसमें क्या कार्रवाई की गई है ? इस सम्बन्ध में अनेकों बार शिकायत भी भेजी गई है ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में पोचिंग हो रही है, यह जानकारी हमारे मंत्रालय को है और जो नया वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल राज्य सभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, उस आधार पर इसमें सख्ती से और शक्ति से सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। मुझे विश्वास है कि जब यह बिल इस हाउस में, इसी सैशन में, मुझे उम्मीद है, आएगा, इस पर जरूर कोई कंट्रोल होगा।

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह और जानना चाहूंगा कि यह तो आगे की योजना बता दी, इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन वर्तमान में जो वन्य संरक्षण अधिनियम है, उसके अन्तर्गत पिछले एक वर्ष में कितने लोगों का चालान किया गया जिन्होंने वन्य जीवों की हत्या की है और कितने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है ? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इसके कारण जो बड़े-बड़े लोग हैं, वे ही इसमें ज्यादा गड़बड़ी कर रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों का प्रॉसीक्यूशन किया गया है पिछले एक वर्ष के अन्दर, यह बताया जाए ?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : मयोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चोरी छिपे शिकार की घटनाएं बढ़ गई हैं जैसाकि मैंने अभी कहा है। जानवरों की संख्या सम्बन्धी, आंकड़े मेरे पास हैं विशेषकर हिरणों के सम्बन्ध में। ये विस्तृत आंकड़े हैं और या तो मैं इन्हें सभा पटल पर रखूंगा या माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : कई अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में हिरणों और चीतलों की संख्या इस हद तक बढ़ गई है कि उन राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में चारे की कमी हो रही है। मैं यह विशिष्ट मुद्दा उठाना चाहता हूं कि शिवपुरी के पास भारतीय सारस क्रीड़ा अभ्यारण्य में काले मृग की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उससे ग्रामवासियों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। क्या माननीय मंत्री ऐसे जानवरों की संख्या कम करने पर विचार करेंगे और क्या जनता को इन क्षेत्रों या खंडों में और इनके आस-पास शिकार करने की अनुमति देंगे ?

श्री कमल नाथ : महोदय, ऐसी छंटाई जल्दी ही हत्या में बदल जाएगी। मैं शिवपुरी की विशिष्ट समस्या की जांच करूंगा। हमारे पास एक योजना है जो उस वर्ष से ही शुरू की जा रही है, वह योजना है राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के आसपास पर्यावरण विकास और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना विशेष रूप से ऐसी समस्याओं का समाधान करें।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाए गए रुख की प्रशंसा करते हुए मैं यह कहूंगा कि आंध्र प्रदेश में, जंगली सुअरों का खतरा बहुत अधिक

बढ़ गया है। ये जंगली अधिकांश फसलें नष्ट कर रहे हैं। जंगली सुअर, जंगली प्राणियों की सूची में हैं जिससे उन्हें संरक्षण मिला हुआ है। अगर किसान उन्हें मार दें तो उनके द्वारा फसल नष्ट किए जाने पर भी वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या सरकार इसकी जांच करेगी और जंगली सुअरों को वन्य प्राणियों की सूची में से निकाल देगी ताकि फसलों की सुरक्षा की जा सकें। इस कारण से लगभग 1.7 लाख एकड़ भूमि में फसलें नष्ट हो रही हैं।

श्री कमल नाथ : बेशक कुछ मामलों में, जंगली सुअर एक खतरा है। किन्तु, इन्हें सूची में से हटाना सम्भव नहीं है। संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम में यह प्रावधान है कि जान माल की सुरक्षा के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत जानवरों को सूची से हटाने और धारा 12 के तहत शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुमति दी जा सकती है किन्तु कुछ शर्तों पर ही। इसलिए, यदि जंगली सुअर जान माल के नुकसान को बचाने की श्रेणी में आते हैं, तो इसकी अनुमति दी जाएगी।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, सरकार ने चोरी छिपे शिकार करने वालों को उचित दण्ड देने के लिए सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है मैं जानना चाहूंगा कि उचित दण्ड देने के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे।

दूसरे, चोरी छिपे शिकार की घटनाओं का एक कारण यह है कि, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों की इनसे मिलीभगत है। मेरे प्रश्न का द्वितीय खण्ड यह है कि उन सरकारी कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों को उचित दण्ड देने का क्या प्रावधान है जो वन्य जीवों का संरक्षण करने में असफल रहते हैं, क्योंकि उन दोनों की असफलता से ही चोरी छिपे शिकार की घटनाएं होती हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर अधिनियम में इसकी व्यवस्था हो तो क्या आप प्रश्न पूछेंगे? आप इसे अधिनियम में पढ़ सकते हैं। यह एक विधेयक है और ऐसे प्रश्न को सामान्यतः अनुमति नहीं मिलती।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : मैं माननीया मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को कुछ वन्य जीव अभ्यारण्यों में चोरी-छिपे शिकार की बढ़ती हुई घटनाओं की जानकारी है, और क्या है कि यह सब सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा है।

क्या यह अभ्यारण्यों में और उनके आसपास स्थित कुछ राजस्व गांवों के कारण है। इससे भी ऐसे अभ्यारण्यों में चोरी-छिपे शिकार की घटनाएं बढ़ रही हैं।

अगर ऐसा है तो, इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाना चाहेगी।

श्री कमल नाथ : 1,38,000 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में 70 उद्यान और 411 अभ्यारण्य हैं। कुछ अभ्यारण्यों में गांवों की बन्दोबस्ती नहीं की गयी है। यह सत्य है।

हम राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि वे बन्दोबस्ती प्रकिया को पूरा करें। ऐसे राजस्व गांवों में जिनमें बन्दोबस्ती नहीं हुई है, यदि चोरी छिपे शिकार की कोई विशिष्ट घटना सदस्य के ध्यान में आए तो मैं उनका आभारी होऊंगा कि वे इसे मेरे ध्यान में लाएं।

समय-समय पर, हमें इस बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। इन पर शीघ्रता से कार्यवाही होती है।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : वन्य जीवों की चोरी छिपे शिकार की घटनाओं के खिलाफ, विशेष कर लुप्त प्राय: जीवों के शिकार के जो उपाय किए गए हैं उनमें से जन-चेतना को जाग्रत करने और ऐसे जीवों के निवास के आसपास रहने वाले लोगों को प्रेरित करने के उपाय सबसे अधिक प्रभावी रहे हैं। क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, जैसे कि क्षेत्रीय भाषाओं में उपयोगी जानकारी देने और लोकप्रिय साहित्य छापने और संरक्षण की आवश्यकता पर क्षेत्रीय बोलियों में फिल्म प्रदर्शन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित "रेड बुक" की तरह विभिन्न लुप्तप्राय जातियों के बारे में कोई पुस्तक निकालने पर विचार कर रही है ?

श्री कमल नाथ : मेरे मन्त्रालय ने एक जागरण कार्यक्रम बनाया है। इस जागरण कार्यक्रम को दृढ़ बनाया जा रहा है। आगामी हफ्तों में इसे पुन: तेजी से लागू किया जाएगा। हम उनके द्वारा पुस्तिका निकालने के सुझाव पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह एक आश्वासन है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और बिहार के पश्चिमी जिलों में इन दिनों नील गायों का बहुत बड़ा आतंक हो गया है, बराबर इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वन्य पशु अधिनियम, 1972 के मुताबिक नील गायों को खत्म नहीं किया जा सकता, उनको पकड़ा नहीं जा सकता, छेड़ा नहीं जा सकता। मैं जानना चाहता हूं कि जो हजारों एकड़ फसल प्रतिवर्ष बर्बाद हो रही है और करोड़ों रुपये की हानि हो रही है; नील गयों से, तो माननीय मन्त्री जी इन नील गायों के लिए कोई व्यवस्था करेंगे ताकि फसलें इस नुकसानी से बच सकें ?

श्री कमल नाथ : नील गाय के लिए मैं तो कोई व्यवस्था कर नहीं सकता पर कानून में जो प्रोवीजन है, जिसके आधार पर जो लॉस, जो नुकसान प्रापर्टी और लाइफ का होता है, उसके अन्तर्गत कुछ छूट दी गई है। उसके अनुसार अगर यह उसमें आये तो हम जरूर इसमें छूट देंगे ? (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मुआवजा भी प्रदान करेंगे क्या ?

श्री पीयूष तीरकी : उत्तरी बंगाल में बहुत सारे जंगली हाथी हैं, उनको जंगल में खाना उपलब्ध नहीं है इसलिए चाय बागानों में और मजदूरों की बस्ती में, जहां केले की गांठें उपलब्ध हैं, वह दिन में और रात में आ जाते है और वहां उन्होंने बहुत से औरतों को, बच्चों को और मजदूरों को मार डाला है तो जंगली हाथियों को जंगल में जो पहले खाने को था, उसके लिए मन्त्री जी कोई व्यवस्था करेंगे ताकि काफी खाना उनको मिले, जंगल में ही और वह जंगल के बाहर बस्ती में न आ सकें ?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : यह प्रश्न चोरी-छिपे शिकार की घटनाओं के सम्बन्ध में है। अब हम जंगली

हाथियों की बात कर रहे हैं कि क्या हम हाथियों के खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं यही कह सकता हूं कि मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री स्वरूप उपाध्याय : महोदय, हाथियों की बढ़ती संख्या से खड़ी हुई फसलों और मानव जीवन दोनों को हानि पहुंची है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में असम राज्य में हाथियों का खतरा एक स्थायी बात हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए, क्या माननीय मन्त्री हाथियों को सीमित संख्या में पकड़ने और बेचने पर विचार करेंगी या अनुमति देंगी, जिससे कि इस खतरे को कम किया जा सके, विशेषकर असम में।

श्री कमल नाथ : नहीं महोदय, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। किन्तु मैंने माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया है आगे मैं इस पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय क्या यह सही है, इन सारे अभ्यारण्यों में तेजी से होने वाले शिकार को देखते हुए आज तक आपने वन रक्षकों को कोई शस्त्र प्रोवाइड नहीं किए हैं ? आज 21वीं शताब्दी के बावजूद आप डंडे के आधार पर वन्य जीवों की रक्षा कर रहे हैं। क्या आप उनको शस्त्र प्रोवाइड कर रहे हैं ? मेरा दूसरा निवेदन है कि सभी अभ्यारण्यों में आपने वायर-लैस सैट प्रोवाइड कर दिए हैं, ताकि शिकारियों की एक जगह से दूसरी जगह जल्दी रिपोर्टिंग हो सके। क्या ऐसी व्यवस्था आपने कर दी है ? यदि नहीं की है, तो क्यों नहीं की है और यह कब तक कर देंगे ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, सुझाव तो अच्छा है, लेकिन फण्ड्स की कमी होने के कारण यह प्रोवाइड नहीं कर सके, पर इस पर हम विचार कर रहे हैं, ताकि उनको आर्म और वायर-लैस सैटों का प्रबंध किया जाए। यह सिलैक्टिवली हो, ताकि उनको और फैसिलिटीज मिले।

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह कब तक कर देंगे ?

श्री कमला नाथ : इस पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार चोरी छिपे शिकार करने वालों को दण्ड देने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन वन अधिकारियों को अधिक शक्ति देने पर विचार कर रही है। यदि हां, तो यह कब से लागू होगा ?

श्री कमला नाथ : जैसा मैंने कहा, वन्य जीव संरक्षक अधिनियम (संशोधन) विधेयक राज्य सभा में है जिसमें अत्यन्त कड़े प्रावधान हैं। यह राज्य सरकार के अधिकारियों को शिकायत दर्ज करने की अनुमति ही नहीं देता, अपितु केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को शिकायत दर्ज करने की अनुमति भी देता है। यह कुछ परिस्थितियों में कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जनता को भी शिकायत करने या दर्ज करने की अनुमति देती है। इसलिए मुझे विश्वास है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अधिकार देने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

*550 श्री सी० श्रीनिवासन : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में स्थापित की जाने वाली प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं के लिए सरकार को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिलने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं किन-किन राज्यों में स्थापित की जाएंगी; और

(ग) तमिलनाडु में कितने स्थानों पर सर्वसामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) भारत सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया है । इस परियोजना में एक स्कीम शामिल है जिसके तहत देश भर में लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह में सामूहिक बाहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने और शोधन प्रणालियों की स्थापना एवं उन्हें अद्यतन बनाने के लिए आठ चुनीन्दा क्षेत्रों में बड़ी और मझौली इकाइयों को कर्ज दिया जाता है ।

(ख) इस परियोजना में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रमुख औद्योगीकृत राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संस्थागत विकास के लिए सहायता भी शामिल है ।

(ग) सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने की केन्द्रीय स्कीम के तहत 1990-91 में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पम्माल और पल्लावरम, इरोड, अम्मापेट्टई तथा मुथियालपेट्टई एवं तिरुप्पुर में सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए निधियां बंटित की गई हैं। विश्व बैंक परियोजना के तत्वावधान में, उद्योगों के समूह के लिए सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा ।

[अनुवाद]

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में कहा है कि औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए विश्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र डिन्डिगुल में स्थित कई चमड़े के कारखाने उत्तर में शामिल नहीं है । क्या सरकार बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान मे रखते हुए डिन्डिगुल में सर्वसामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने पर विचार करेगी ।

श्री कमल नाथ : महोदय, यदि माननीय सदस्य इस मामले का ब्यौरा मुझे दें और मुझे लिखें

और यदि उस क्षेत्र में आवश्यकता हुई तो मैं निश्चित रूप से वहां सर्वसामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने पर विचार करूंगा।

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन : महोदय, चमड़ा उद्योग से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है। इसलिए, चमड़ा कारखानों के लिए सरकार को अपने खर्च पर सर्वसामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करना चाहिए। व्यापारियों को सर्वसामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने के खर्च से मुक्त रखना चाहिए। क्या सरकार इस मुद्दे पर विचार करेगी ?

श्री कमल नाथ : महोदय, चमड़ा और चमड़ा साफ करने वाले उद्योगों की ओर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। और निश्चय ही यह विश्व बैंक योजना के तहत आने वाले आठ उद्योगों में एक है और यह उस सीमा में आ रहा है। इसलिए हमें, चमड़ा और चमड़ा शोधन उद्योगों को भी उस योजना के तहत समझना चाहिए।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, इस योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों को सहायता प्राप्त होगी। मैं जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र राज्य में औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत धनराशि कितनी है तथा कौन से स्थानों पर गंदे पानी साफ करने वाले संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं अथवा किये जाने हैं।

श्री कमल नाथ : महोदय, यह बड़ा व्यापक प्रश्न है लेकिन मैं उन्हें महाराष्ट्र में स्थापित गंदे पानी को साफ करने वाले संयंत्रों के नाम अवश्य बताने का प्रयास करूंगा।

गंदे पानी को साफ करने वाले संयंत्र टी० टी० सी० क्षेत्रों, तारापुर, जयसिंहपुर और डोम्बिविल्ले में स्थापित हैं।

श्री अन्ना जोशी : महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत कुल धनराशि कितनी है ?

श्री कमल नाथ : कुल लागत को दो भागों में विभाजित किया गया है; राज्य सरकार द्वारा आबंटित और केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त अंश। मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत अंश के बारे में बताना चाहूंगा? टी० टी० सी० क्षेत्रों के लिए यह पांच रखा गया और तारापुर और डोम्बिविल्ले के लिए भी 5 ही है।

श्री अन्ना जोशी : क्या यह पांच करोड़ है या पांच प्रतिशत है ?

श्री कमल नाथ : यह मैं नहीं जानता।

[हिन्दी]

श्री बब्बूलाल चम्पाकार : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि सर्वविदित है कि मध्यप्रदेश के भिलाई शहर में प्रदूषण सबसे अधिक है। इसका कारण भी स्पष्ट है कि वहां पर अनेक बड़े-बड़े कारखाने हैं और इन कारखानों मे उत्पन्न प्रदूषण की वजह से वहां निवासियों को तरह-तरह की अनेक बीमारियां हो रही हैं। बड़े-बड़े कारखानों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के बारे में पहले भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और वर्तमान मन्त्री महोदय के पास भी मैंने पत्र लिखा है। भिलाई में इतने बड़े-बड़े कारखाने हैं तो क्या वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से या किसी और साधन से वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट जल्दी से जल्दी लगाने के बारे सरकार क्या करने जा रही है, यह बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय, गंदे पानी को साफ करने वाले संयंत्र बड़े उद्योगों के लिए नहीं बल्कि छोटे उद्योग समूह के लिए हैं। बड़े उद्योगों को अपने लिए स्वयं व्यवस्था करनी होती है क्योंकि विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत उसके लिए संस्थागत वित्त प्राप्य है।

मैं भिलाई के प्रदूषण के बारे में पूर्णतया सजग हूं और माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूं। मेरे अनुसार उनकी चिन्ता उचित है। मुझे उनका पत्र मिला है और मैंने उन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विशेष उदाहरण देने के लिए कहा है ताकि हम कुछ कदम उठा सकें। लेकिन बड़े उद्योगों द्वारा इन संयंत्रों को लगाने के लिए कहने हेतु मैं सदस्यों से सहायता लूंगा अथवा अगर वे विशेष दृष्टांत देंगे तो हम गंदे पानी को साफ करने वाले संयंत्र लगाने हेतु सम्बन्धित मन्त्रालय से बात करेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय जानना चाहते हैं कि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज कौन-कौन सी हैं, तो इस बारे में मैं यहीं पर बता देता हूं। एक बहुत बड़ी सीमेंट का कारखाना है, एक बहुत बड़ा फर्टीलाइजर का कारखाना है और आप जानते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट, लोहे का बहुत बड़ा कारखाना है। ये 3 बड़े कारखाने हैं, इनके अलावा 100 के करीब और छोटे-छोटे कारखाने हैं।

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, इन तीनों कारखानों के बारे में जांच कराई जाएगी और जो उचित कार्यवाही होगी, वह की जाएगी।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, सरकार का विश्व बैंक के साथ समझौता हुआ है और विश्व बैंक ऋण देने के लिए राजी हो गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि विश्व बैंक कितना ऋण देने के लिए सहमत हो गया है और ऋण के अलावा वे कुछ विशेषज्ञ भी हमें दे रहा है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने विश्व बैंक को यह बताने के लिए इस योजना के अधिकतम क्षेत्र को लेने में वह कितना समय लेगा, कोई विस्तृत योजना भेजी है।

श्री कमल नाथ : महोदय, विश्व बैंक का लगभग 155 मिलियन डालर के बराबर ऋण देने का विचार है। उसके तीन घटक हैं और इसे इस प्रकार विभाजित किया जायेगा :

संस्थागत विकास के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अंशदान अर्थात् प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विकास के लिए 12 मिलियन डालर का अंशदान निर्धारित किया गया है।

बड़े और मध्यम क्षेत्रों के अन्तर्गत व्यक्तिगत इकाइयों के लिए हमारे माननीय मित्र ने अभी-अभी भिलाई के बारे में बताया है कि संस्थागत वित्त आई० सी० आ० सी० आई० और आई० डी० बी० आई० द्वारा दिया जायेगा। यह राशि 100 मिलियन डालर है।

श्री बल्लभ पाणिग्राही : व्यक्तिगत इकाइयों का चुनाव किस प्रकार किया गया है ?

श्री कमल नाथ : मैं उसके बारे में भी बताऊंगा।

एक ही स्थान पर लगाए गए सामूहिक उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए गंदे पानी को साफ करने वाले संयंत्र के लिए 24 मिलियन डालर रखे गये हैं। इसमें ऋण और अनुदान दोनों शामिल हैं।

निरूपण परियोजनाओं के लिए 4 मिलियन डालर रखे गये हैं। परामर्शदात्री अध्ययन और गंदे जल को शुद्ध करने वाले संयंत्रों का तत्काल अनुदान के रूप में 12 मिलियन डालर दिए गए हैं। तकनीकी सहायता के लिए 3 मिलियन डालर का अनुदान निश्चित किया गया है।

चयन का आधार मन्त्रालय द्वारा निश्चित नहीं किया जाता। जहां तक ऋणों का सम्बन्ध है, यह वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है और वह भी उन उद्योगों को दिया जाता है जो वित्तीय संस्थाओं से अनुरोध करते हैं। जहां तक गंदे जल को साफ करने वाले संयंत्र का प्रश्न है, इसका अनुमान लगाया गया है कि कौन सा प्रदूषण नियंत्रण कारक हैं और कौन सा अत्यधिक प्रभावी बहिष्गामी कारक है और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया ने एक डायरैक्शन दी थी कि दिल्ली से लेकर आगरा तक यमुना का पानी प्रदूषित है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या यमुना के प्रदूषण को दूर करने के लिए दिल्ली से आगरा तक कोई योजना बनाई गयी है तथा सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरैक्शन दी थी, उसका पालन करते हुए, इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक से हुए समझौते में क्या इसके लिए कोई प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : वह गंगा नदी में हुए प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं।

अनेक माननीय सदस्य : यमुना।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : आगर में गंगा नहीं है, यमुना है मंत्री जी।

श्री कमल नाथ : मेरा गला वैसे ही खराब है ये उसे और खराब कर रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

कृपया जो मैं कह रहा हूं उसे समझने का प्रयत्न कीजिए। यह प्रश्न विश्व बैंक से मिलने वाली वित्तीय सहायता से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

इण्डिस्ट्रियल एफ्लूऐंट तो आता है सारा, वही तो मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री कालका दास : गले की बात तो देखी जायेगी, आप प्रश्न का तो सही तरीके से उत्तर दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय, यह प्रश्न का सम्बन्ध मुख्यतया विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता से है । यह नदी के निकट स्थित उद्योगों के लिए है । कोई ऐसा विशेष उद्योग समूह हैं जो प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है तो गंदे पानी को साफ करने वाला संयंत्र स्थापित करने पर हम विचार कर सकते हैं । अगर वह यह बात मेरे नोटिस में लायें, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और जालौर के दरम्यान पाली एक सुप्रसिद्ध नगर है, जहां से हमारे माननीय श्री गुमान मल लोढा जी आते हैं, उसकी वजह से जोधपुर और जालौर दोनों जिले, और पाली जिले का पूरा वातावरण बुरी तरह खराब हो गया है । पानी की हालत यह है कि पशु भी नहीं पी सकते, इन्सान के पीने की तो बात ही क्या है । उसकी वजह से सारी नदी प्रदूषित हो गयी है जोधपुर में । मैं आदरणीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस योजना में आपने इस प्रदूषण की कोई स्कीम शामिल की है । यदि हां, तो उसमें वहां के किसानों के लिए कुछ मुआवजा देने का प्रावधान भी रखा गया है या नहीं, जिनके खेतों में कोई फसल पैदा नहीं हो सकती । हजारों एकड़ जमीन बेकार हो गयी है पाली की टैक्सटाइल इण्डस्ट्री की वजह से, जिसमें प्रिंटिंग और रंगसाजी का काम होता है । उसकी वजह से भयंकर प्रदूषण की परिस्थिति वहां बन गयी है । मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसके बारे में हमें सूचित करें कि क्या इस योजना को भी उसमें शामिल किया गया है । यदि नहीं तो क्यों नहीं, और यदि हां, तो क्या उसमें किसानों के मुआवजे का प्रावधान भी है ।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : जोधपुर और पाली से सम्बन्धित विशेष समस्या का इसमें उल्लेख नहीं है । लेकिन अगर उसके बारे में मुझे विस्तृत विवरण प्राप्त होता है, तो वहां आवश्यकता पड़ने पर प्रदूषण नियन्त्रण के लिए हम कहते तथा अन्य योजनाओं पर विचार कर सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार प्रान्त के पटना, मोकामा, बरौनी, धनबाद, सहरसा और झरिया आदि जिले प्रदूषण से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और वहां भारी नुकसान हो रहा है । क्या विश्व बैंक की योजना में आपने इन जिलों की प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की है ।

श्री कमल नाथ : सर, यह जो वर्ल्ड बैंक की योजना है जैसा मैंने कहा है, ये केवल गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है ।

[अनुवाद]

हमारे पास 155 मिलियन डालर हैं । ये 155 मिलियन डालर बांटे जाने हैं । हर व्यक्ति को हर चीज हासिल नहीं हो सकती ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : सबसे ज्यादा प्रदूषण वहां बिहार में है ।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : हम सब बिहार में प्रदूषण के बारे में जानते हैं ।

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ : बिहार में तो सब तरह का पॉल्यूशन है, इसकी हमें जानकारी है ।

श्रीमती रीता वर्मा : मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि बिहार में कितना प्रदूषण है ? लेकिन क्या बिहार में प्रदूषण को रोकने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है ? क्या बिहार में आदमी नहीं बसते हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि बिहार के कोयला क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए मन्त्री महोदय के पास क्या प्लान है जिसका उत्तर उन्होंने दे ही दिया है कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। वहां पर प्रदूषण इतना ज्यादा है कि उनकी सांसों में तथा फेफड़ों में घुस जाता है जिससे वहां ट्यूबरक्लोसिस फैल रही है, लेप्रोसी फैल रही है । नदियां प्रदूषित हैं, वातावरण प्रदूषित है और आप अगर वहां जाकर देखें तो आपको लगेगा कि इस धरती पर अगर कहीं नरक है तो वहीं है । इसको रोकने के लिए आपके पास क्या प्लान हैं ?

श्री कमल नाथ : वहां राज्य पॉल्यूशन बोर्ड की जिम्मेदारी है कि जो राज्यों में प्रदूषण हो रहा है उस पर लगाम लगाए । यह जो योजना है, जो केन्द्र सरकार से वर्ल्ड बैंक की योजना है, जो मैंने चार राज्यों का नाम बताया है, उसमें से स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड्स को राशि मिलेगी । पर जो उद्योग हैं और जो इस वर्ल्ड बैंक लोन से फायदा लेना चाहें, वह पूरे देश भर में ले सकते हैं, केवल चार राज्यों का प्रश्न नहीं है । जहां तक बिहार का प्रश्न है, बिहार में अधिक प्रदूषण है, इसकी जानकारी इस सदन में सबको है । पर इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य पॉल्यूशन बोर्ड के पास है और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अपने राज्य पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से इसकी चर्चा करें । जो सहायता केन्द्र से दी जा सकती है वह दी जाएगी ।

श्री गुमान मल लोढा : जैसाकि हमारे माननीय सदस्यों ने बताया कि राजस्थान के एंटी पॉल्यूशन बोर्ड ने आपके यहां पर बहुत बड़ी योजना भेजी है जिससे कि पाली, जोधपुर और बालोतरा, यहां तीन स्थानों पर जितने प्रोसेस हाउसेज बने हुए हैं, उनके द्वारा लाखों स्क्वैयर माइल जमीन किसानों की बेकार हो गई है और वहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं, वह या तो कुबड़े होते हैं या बीमार होते हैं या अंधे होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए लोढा जी ।

श्री गुमान मल लोढा : मैं यह जानना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि क्या राजस्थान को इस हेतु इसमें इन्क्लूड करने और वहां पॉल्यूशन बोर्ड को मदद देकर वहां पॉल्यूशन की समस्या को, विशेष रूप से पाली, बालोतरा और जोधपुर की समस्या का निवारण करने का प्रयास करेंगे ?

श्री कमल नाथ : मुझे इस प्रपोजल की जानकारी नहीं है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको नोटिस की जरूरत है।

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ : मुझे इसका नोटिस चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 552 और 562 एक साथ लिए जाएंगे।

परती भूमि को हरा-भरा बनाना

[अनुवाद]

*552. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परती भूमि को हरा-भरा बनाने के कार्य में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

वर्ष 1988 में अपनाई गई राष्ट्रीय वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समस्त वन विहीन, अवक्रमित तथा अनुपजाऊ भूमि पर वनीकरण तथा सामाजिक वानिकी के व्यापक कार्यक्रमों के माध्यम से देश में वन/वृक्ष आवरण में पर्याप्त वृद्धि करना है। नीति में यह भी व्यवस्था है कि व्यक्तियों तथा संस्थाओं को उनकी अपनी भूमि पर वृक्ष-खेती शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाए और मदद दी जाए, और वनों पर आधारित उद्योग, उन व्यक्तियों के साथ जो कच्चा माल पैदा कर सकते हैं सीधे सम्पर्क स्थापित कर उन्हें तकनीकी सलाह, ऋण, कटाई तथा परिवहन सेवाएं आदि सहायता प्रदान करके, यथासम्भव अपेक्षित कच्चा माल पैदा करें।

2. नीति के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित विषयों के सन्दर्भ में कार्रवाई शुरू की गई है :—

(i) घरेलू और औद्योगिक तथा शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से लोगों की निजी भूमि पर फार्म वानिकी/कृषि वानिकी को बढ़ावा देना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार दिलाने तथा लोगों द्वारा स्थानीय तौर पर वांछित उत्तम किस्म की पौध प्रजातियां उपलब्ध कराने के लिए विकेन्द्रित जन-पौधशालाओं की स्थापना करना।

(iii) निजी भूमि पर उगाए गए वृक्षों को काटने तथा उनके परिवहन पर लगे मौजूदा प्रतिबंधों की समीक्षा करने तथा उन्हें शिथिल बनाने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देना।

(iv) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में वृक्ष उगाने वालों की सहकारिताओं तथा फार्म वानिकी सहकारिताओं की स्थापना करना।

(v) निजी भूमि पर वनीकरण तथा वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाने के लिए संस्थागत ऋण सुलभ कराना।

(vi) वनीकरण और परती भूमि विकास के राष्ट्रीय प्रयास में जन-सहभागिता प्राप्त करने हेतु कार्यतंत्र तैयार किए जाने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कोष (जिसमें दिए अंशदान से कर राहत की सुविधा मिलती है) की स्थापना करना।

(vii) जिन अवक्रमित वन भूमि की सुरक्षा तथा विकास के लिए ग्रामीण समुदाय सहमत हों उनसे प्राप्त उपज में उन्हें हिस्सेदार बनाना।

(viii) निजी और सार्वजनिक भूमि पर वनीकरण और परती भूमि विकास कार्यकलाप चलाने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड

[हिन्दी]

***562. श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री विश्वनाथ शर्मा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड वृक्षारोपण, पौधशालाओं के विकास और वनरोपण में जनता की भागीदारी सम्बन्धी अपने कार्यक्रमों में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वृक्षों की कटाई और भू-क्षरण रोकने की दृष्टि से परती भूमि पर वन रोपण का कार्य आरम्भ करने तथा इसमें जनता की भागीदारी के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1985 में की गई थी और उसे जन सहयोग से वनीकरण तथा वृक्षारोपण के एक व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से परती भूमि का विकास करने का दायित्व सौंपा गया था। बोर्ड, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों का समन्वय तथा अनुवीक्षण करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर प्रमुख एजेंसी भी है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान देश में वनीकरण तथा वृक्षारोपण कार्य-कलापों के अन्तर्गत शामिल किया गया कुल क्षेत्र 8.8 मिलियन हैक्टेयर है जबकि लक्ष्य 8.6 मिलियन हैक्टेयर का था। वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। वर्ष 1950 से 1985 तक की पिछली सभी योजना अवधियों में कुल 8.2 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण/वृक्षारोपण कार्य किया गया।

जन-सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने वर्ष 1986-87 के दौरान विकेन्द्रित जन-पौधशालाओं की स्कीम शुरू की थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पौधशालाओं ने 106 करोड़ पौध के लक्ष्य की तुलना में 140 करोड़ पौध पैदा की। बोर्ड ने 1985 में वनीकरण तथा परती भूमि विकास कार्यकलाप चलाने हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1985 में अनुदान सहायता स्कीम भी शुरू की थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में 33, परियोजनाएं चलाने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को इस स्कीम के अन्तर्गत 16.30 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई।

परती भूमि विकास कार्यक्रम, भूमि के अवक्रमण को रोकने, परती भूमि को सतत् उपयोग में लाने, बायोमास, विशेषकर ईंधन लकड़ी तथा चारे की उपलब्धता में वृद्धि करने और जन-सहभागिता को बढ़ावा देने पर लक्षित है। कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :—

1. समेकित परती भूमि विकास परियोजनाओं की स्कीम।
2. ईंधन लकड़ी/चारा परियोजनाओं की स्कीम।
3. विकेन्द्रित जन-पौधशाला परियोजना।
4. सीमांत धन (मार्जिन मनी) सहायता परियोजना।
5. औषधीय पौधों सहित लघुवनोपज उत्पादन परियोजना।
6. बीज विकास परियोजना।
7. हवाई बीजारोपण परियोजना।
8. अनुदान सहायता परियोजना (स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए)।

विवरण

वनीकरण/वृक्षारोपण (मिलियन हैक्टेयर में)

वर्ष	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
लक्ष्य	1.45	1.71	1.79	2.00	1.68
निष्पादन	1.51	1.76	1.77	2.12	1.71
उपलब्धि	104.1%	102.9%	98.0%	106.0%	101.7%

[अनुवाद]

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : महोदय, प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में समेकित परती भूमि विकास परियोजनाओं का सारतत्व लोगों की उनमें भागीदारी है। सच तो यह है कि बोर्ड द्वारा 130 मिलियन हैक्टेयर भूमि को हरा-भरा बनाने हेतु 6 लघु मिशनों में से लोगों की भागीदारी भी एक है। अतः, महोदय, मेरा प्रश्न है : वन नीति, जिसके अन्तर्गत आसपास के लोगों को जलाई जाने वाली लकड़ी तथा चारे वाले पेड़ लगाने की सतत परम्परा है इसका कुछ अंश वे अपने प्रयोग के लिए कर सकते हैं तथा प्राथमिक आधार पर उन्हें रोजगार मिलता है, को उल्लंघन करके इस समय सरकार निजी क्षेत्र पर क्यों सौंपना चाहती है जिससे ग्रामीण जनसंख्या, विशेषतौर पर जनजातियां नए निजी उद्यमियों की दया पर निर्भर हो जाएंगे।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैंने अपने वक्तव्य, जो सभा पटल पर रखा गया था, में गैर-वन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के सम्मिलित होने की बात कही थी। गैर समुदाय भूमि में 35 मिलियन हैक्टेयर निजी परती है भूमि। इसी कारण हम उसे हरा-भरा बनाने में निजी क्षेत्र का सहयोग चाहेंगे।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : महोदय, 22 जुलाई, 1991 को माननीय मंत्री महोदय ने 'इकानॉमिक टाइम्स' को बताया था कि व्यापारिक घराने अथवा उद्योग, जो परती भूमि को हरी-भरी बनाने में सहयोग देंगे, पुनः वनरोपित भूमि का कुछ भाग अपने कच्चे सामान को उगाने में कर सकेंगे और संरक्षण की दृष्टि से पूर्णतया उपयोगी पेड़ लगाने की परम्परा के विपरीत उन्हें लाभ कमाने के एकमात्र उद्देश्य से अपनी आवश्यकतानुसार अपनी पसन्द के पेड़ लगाने की छूट दी गई है।

महोदय मेरा प्रश्न है : जहां वन नीति के अनुरूप प्राकृतिक वन मुख्य संसाधन के रूप में काम आते हैं तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक है, इन्हें उद्योगों को वृक्षरोपण एवं वाणिज्यिक परियोजनाओं हेतु नहीं दिया जा सकता, क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि इससे वनरोपण का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा तथा मात्र निजीकरण सम्बन्धी कुशलता के मिथक के आधार पर ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को उसका लाभ मिलेगा।

श्री कमल नाथ : महोदय, माननीय सदस्य ने जो समाचार उद्धृत किया है, वह ठीक नहीं है। यह वह नहीं है जो मैंने बताया था। लेकिन, मैं सदस्य महोदय के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं कि जहां निजी क्षेत्र की बात होती है हमें गिने-चुने क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए। वन-भूमि पर निजी क्षेत्र द्वारा कुछ किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुनसिंह यादव—अनुपस्थित।

श्री विश्वनाथ शर्मा—अनुपस्थित।

श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, देश में वनों पर आधारित उद्योग काफी लम्बे समय से वन-संपदा का शोषण करते रहे हैं और इसके बदले में उन्होंने वन-रोपण कार्यक्रम में कोई योगदान नहीं किया है। क्या माननीय मन्त्री जी वनों पर आधारित सभी उद्योगों के लिए ऐसी अनिवार्य व्यवस्था करेंगे कि वन भूमि पर वृक्षारोपण की क्षतिपूर्ति कर दी जाए जोकि इन उद्योगों के निकटवर्ती है।

महोदय, माननीय मन्त्री ने अभी-अभी कहा है कि वह किसी निजी क्षेत्र को वन-भूमि पर वृक्षारोपण की अनुमति नहीं देंगे। यह एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर पुनः विचार करें क्योंकि यहां लाखों एकड़ वृक्षहीन वन-भूमि है जिस पर एक भी वृक्ष नहीं है और वृक्षारोपण की क्षतिपूर्ति के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति दी जा सकती है। क्या माननीय मन्त्री अपने निर्णय पर फिर से विचार करेंगे?

श्री कमल नाथ : इस प्रश्न का प्रथम भाग उद्योग से सम्बन्धित है। 1988 तक, जब वन-नीति की परिभाषा की गई थी, उद्योग अपनी जरूरतों को वनों से ही पूरा कर रहा था। आज उद्योग अपनी जरूरतें, आयात के जरिए पूरी कर रहा है, और अपने पुराने उपनिवेश के आधार पर पूरी कर रहा है। अभी इन्होंने वन-क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रश्न उठाया है। वन-अवक्रमित कुल भूमि 35.9 मिलियन हैक्टेयर है। लेकिन इसके साथ-साथ 93.69 मिलियन हैक्टेयर गैर वन-अवक्रमित क्षेत्र है। मेरे विचार से निजी क्षेत्र को वन-अवक्रमित क्षेत्र पर विचार करने की अपेक्षा, गैर वन-अवक्रमित क्षेत्र पर पहले ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं सरकार के वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक लम्बा नीतिगत मामला है जिसका उत्तर प्रश्न-काल में नहीं दिया जा सकता। यह अधिकतम सीमा अधिनियम और अन्य बातों से सम्बन्धित है। कृपा इसे तूल न दें।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, यह अधिकतम सीमा अधिनियम से सम्बन्धित नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि इन्हें संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए……

अध्यक्ष महोदय : इसमें स्वामित्व, अधिपत्य और अन्य कई चीजें शामिल हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं एक प्रक्रिया के बारे में जानकारी चाहता हूं। अपने प्रश्न संख्या 562 भी इसके साथ लिया है।

अध्यक्ष महोदय : इनका नाम पुकारा था, वे नहीं थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो फिर क्वश्चन पुट किसने किया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए सुझाव यह है कि दोनों प्रश्न एक साथ ले लिए आएं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ऐसे मामले में मेम्बर आपको लिखता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसलिए कार्यालय में सुझाव दिया है कि इन्हें एक-साथ जोड़ लिया जाए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर मेम्बर है कि नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे ज्ञात नहीं है। ऐसा करवाने के उपरान्त, वे शायद गैर-हाजिर हो गए हों। इधर मेरे कागजातों में यह लिखा है कि दोनों प्रश्न एक साथ ले लिए जाएं।

श्री जसवन्त सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 552 के उत्तर में माननीय मन्त्री ने 8 नीतिगत प्रावधानों की सूची दी है जिनके बारे में सरकार का सुझाव है कि कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मैं उनमें से तीन पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। पहला वृक्ष उगाने वालों और खेत वन सहकारी संस्थाओं की स्थापना के बारे में है। माननीय मन्त्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसे कितने सहकारी संस्थान स्थापित किए गए हैं ? ऐसा मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि यह सरकार द्वारा दिए गए उत्तर का ही भाग है। दूसरे सरकार यह दावा करती है कि उसने वृक्षारोपण के लिए एक राष्ट्रीय कोष स्थापित किया है जिस हेतु किए गए अंशदान कर से राहत दिलाते हैं। वृक्षारोपण के लिए इस राष्ट्रीय कोष में इसकी स्थापना से लेकर आज तक, कुल कितना अंशदान किया गया है और आज इसमें कितनी पूंजी है ?···मतलब यह है कि क्या मैं प्रश्न को दोहराऊं ?

श्री कमल नाथ : जी नहीं, मैं इसे समझता हूं।

राजस्थान में वृक्ष-सहकारिता के बारे में विशिष्ट आंकड़े मेरे पास नहीं हैं यह राज्य का विषय है।

श्री जसवन्त सिंह : यह राज्य का विषय नहीं है। यह संघ सरकार का नीतिगत प्रावधान है जिसके तहत वे वृक्ष उगाने वालों और खेत-वन सहकारिता को राज्यों में स्थापित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकारी संस्थाएं हैं।

श्री जसवन्त सिंह : जी हां, यह सरकारी संस्थाएं हैं।

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी संस्थाएं राजस्थान में स्थापित की गई हैं। सरकार द्वारा यदि कोई नीति लागू की जाती है तो निश्चित रूप से इसकी मानीटरिंग प्रक्रिया भी है जिससे यह पता चल सके कि उस नीति को लागू किया जा रहा है अथवा नहीं।

मन्त्री महोदय को अधिकारियों ने एक पर्ची दी है। मुझे उम्मीद है कि अब वे उत्तर दे पाने में अधिक सक्षम होंगे।

श्री कमल नाथ : मैं माननीय सदस्य के कथन को सही करना चाहता हूं। यह एक नीति सम्बन्धी प्रावधान है जिसके द्वारा हम राज्य सरकारों को परामर्श देते हैं कि यह समुदाय और उद्योग में एक संलग्नता स्थापित करने के लिए वृक्ष उत्पादकों की सहकारियों को बढ़ावा देने हेतु बनाई गई नीतियों में से एक है। राजस्थान राज्य के सम्बन्ध में स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पर्ची मिलने की बात नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : क्या किसी सहकारी समिति की भी स्थापना की गई है ?

श्री कमल नाथ : जी हां । स्थापना की गई है ।

श्री जसवन्त सिंह : तो आप जानते हैं कि एक समिति की स्थापना की गई है ।

श्री कमल नाथ : मैं उन राज्यों के बारे में जानता हूं जिनमें वृक्ष उत्पादक सहकारी योजना चल रही है। हमें राज्य सरकारों ने सूचित किया है। मेरे पास इसकी सूचना नहीं है कि कितनी सहकारी समितियां हैं । किन्तु यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं उन्हें सूचना दे दूंगा ।

श्री जसवन्त सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि अब राष्ट्रीय वनरोपण कोष में कितनी पूंजी का संचय किया जा चुका है ?

श्री कमल नाथ : महोदय, यह हर किसी से दान आमंत्रित करने के लिए बनाई गई एक कर रहित निधि है जिसे वन रोपण में लगाया जा सके। अब तक एकत्रित की गई धनराशि की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे स्पष्ट आंकड़ों के बारे में मालूम नहीं है। किन्तु मैं जानता हूं कि यह बहुत बड़ी राशि नहीं थी।

श्री जसवन्त सिंह : यह केन्द्रीय सरकार की कार्य-प्रणाली का एक पहलू है । केन्द्रीय सरकार ने कर रहित राष्ट्रीय वनरोपण वानिकी कोष की स्थापना की है जिसके बारे में सदन को दिए गए लिखित उत्तर में भी दिया गया है और माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि वे यह नहीं जानते कि वनरोपण कोष में कितनी धनराशि एकत्रित की जा चुकी है ।

श्री कमल नाथ : जैसा मैंने कहा था, कि यह धनराशि बहुत ही मामूली लगभग 10 लाख रुपए थी । यह 11, 10 अथवा 9.8 लाख रुपए भी हो सकती है, मैं नहीं जानता ।

श्री जसवन्त सिंह : मन्त्री महोदय केवल यह कहकर नहीं बच सकते कि यह राशि बहुत मामूली है ।

श्री अर्जुन सिंह : मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य इस कोष में अच्छा योगदान दें ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस प्रकार करों से बचा जा सकता है ।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि उन परती भूमि विकास परियोजनाओं की संख्या कितनी हैं जिन्हें विकास बोर्ड द्वारा कर्नाटक के लिए स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है और केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर लिखित में दिया जा सकता है ।

श्री कमल नाथ : महोदय यह एक बहुत विस्तृत विवरण है । मैं माननीय सदस्य को तत्सम्बन्धी विवरण दे दूंगा ।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार परती भूमि विकास बोर्डों के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए विश्व बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता ले रही है । दूसरे, क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से जान सकता

हूं कि क्या परती भूमि विकास बोर्ड के अन्तर्गत सभी राज्यों ने इन कार्यक्रमों को आरम्भ कर दिया है ? क्या उन्होंने इसके लिए समिति का गठन किया है तथा वे कौन से राज्य है जहां पर परती भूमि विकास बोर्डों की स्थापना नहीं की गई है ?

श्री कमल नाथ : महोदय 1985 में, सरकार ने माननीय प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में इस बोर्ड तथा एक परिषद की स्थापना की थी जिसके सदस्य राज्यों के मुख्यमन्त्री और केन्द्रीय मन्त्री थे। परती भूमि विकास बोर्ड एक केन्द्रीय निकाय है। अतः, राज्य में बोर्ड की स्थापना का कोई प्रश्न नहीं है। प्रत्येक राज्य सरकार को अपने बोर्ड स्थापित करने का अधिकार है और विश्व बैंक राज्यों की सहायता कर रहा है। वनरोपण के लिए पहले ही नौ राज्य में विश्व बैंक ऋण परियोजनायें आरम्भ की जा चुकी हैं।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, मेरा प्रश्न है कि क्या परती भूमि को हरा-भरा करने के कार्य में निजी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा ? यदि परती भूमि को हरा-भरा बनाने की इस प्रक्रिया में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाए तो क्या परती भूमि के विकास के लिए इसके बेहिसाब धन को प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी और प्रयुक्त धन का हिसाब रखा जाएगा।

श्री कमल नाथ : महोदय, वे यह प्रश्न वित्त मन्त्री जी से पूछें। किन्तु, जहां तक हरियाली का प्रश्न है, कोई भी धन चलेगा।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, मैंने परती भूमि में बेसर्मी तथा गाजर घास तथा नदी के अन्तर सतह पर जल कुम्भी उगी हुई देखी है। परती भूमि को हरा-भरा करने अथवा वृक्षारोपण के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा है। अतः इसे रोकने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न परती भूमि को हरा-भरा करने सम्बन्धी है यह उन्मूलन···

(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी : महोदय, ये बाधाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह परती भूमि को हरा-भरा करने से सम्बन्धित है। जी हां, श्री चन्द्रजीत यादव बोलेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, इस तथ्य को देखते हुए कि हमारे देश में कुल क्षेत्र का तेंतीस प्रतिशत होने के स्थान पर यहां पर केवल तेरह प्रतिशत ही वन हैं···(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : यह केवल 11.6 प्रतिशत है।

श्री चन्द्रजीत यादव : खैर, तेरह प्रतिशत भी बहुत अधिक नहीं है। महोदय, इसीलिए सूखा, वर्षा की कमी, रेगिस्तान का विस्तार इत्यादि जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मेरी जानकारी के अनुसार दस हजार करोड़ रु० व्यय करने के पश्चात् भी हम वन लगाने और वनरोपण में बुरी तरह से असफल हुए हैं। क्या मन्त्री जी इस सभा को बतायेंगे कि वर्ष 1988 की नई राष्ट्रीय नीति के अनुसार कौन-कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वास्तव में वृक्षारोपण किया जा सके तथा श्रम भी व्यर्थ न जाए ?

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में नीति में ही बता दिया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, नहीं इसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी, केवल मुख्य बातों का ही आप उल्लेख कर सकते हैं सभी का नहीं क्योंकि यह काफी विस्तृत नीति हैं।

श्री कमल नाथ : महोदय, यह ठीक है कि यह अत्यधिक चिन्ता का विषय है कि देश में वन क्षेत्र वास्तव में केवल 11.6 प्रतिशत हीं है। इस वर्ष सर्वाधिक उच्चतम लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है जो कि 18 लाख हैक्टेयर भूमि पर वन लगाना है। इस मौसम के अन्त तक मैं सभा को बता सकूंगा कि हम कितना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुए हैं। माननीय सदस्य महोदय ने यह कहा है कि जो आंकड़े यहां पर बताए जाते हैं, वास्तव में उतना प्रतिशत वृक्षारोपण किया ही नहीं जाता। मैं इस बात का पता लगाने के लिए तथा यह देखने के लिए कदम उठा रहा हूं कि जहां पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए था वह वहां पर किया गया है अथवा नहीं। परन्तु ऐसा इस मौसम के समाप्त होने पर ही सम्भव हो सकता है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं बंजर और परती भूमि का मेरा निजी अनुभव है, मैं किसान हूं, उसकी मेड़बन्दी कर दी जाती है, पानी जमा होता है, जमीन उर्वरा हो जाती है। उसमें पेड़ पौधे भी पनपते हैं और खेती भी होने लगती है तो जो भूमिहीन लोग हैं क्या मन्त्री जी उनको परती और बंजर भूमि एलाट करेंगे और उनको आर्थिक सहायता दिलाने की व्यवस्था करेंगे जिससे वह जमीन उपजाऊ हो सके, जिसमें जंगल भी लग सके और अनाज भी पैदा किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय, किसी को भी कोई वन क्षेत्र आबंटित नहीं किया जा सकता। खैर, राज्य सरकारें किसी को भी, किसी भी श्रेणी को अपनी इच्छानुसार राजस्व भूमि आबंटित कर सकती हैं।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से निजी बंजर भूमि पर वन-आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि मध्यप्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा था जिसे केन्द्रीय सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। मैं नहीं जानता कि यह ठीक हैं अथवा नहीं। यदि ऐसे प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास आते हैं, तो उसकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री कमल नाथ : महोदय, निजी भूमि पर उद्योग स्थापित करने के मामले से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई भी व्यक्ति दूसरे नियमों तथा कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कोई भी उद्योग लगा सकता है जोकि वह वन अधिनियम के अन्तर्गत लगाना चाहता है। परन्तु पर्यावरण तथा प्रदूषण सम्बन्धी कानून इस मामले में लागू होते हैं।

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय, माननीय मन्त्री जी को उनके कार्यों के लिए हमें बधाई देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने काफी विस्तार से और अच्छे उत्तर दिए हैं।

आंध्र-प्रदेश में आंत्रशोथ की बीमारी

+

*554. डा० रवि मल्लू :
श्री बी० विजय कुमार राजू :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषित जल और वायु के कारण, आंध्र-प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग आंत्रशोथ की बीमारी से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को वर्ष 1991 के दौरान आंत्रशोथ की बीमारी से पीड़ित कितने रोगियों का अब तक पता लगा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आंत्रशोथ की बीमारी को रोकने के लिए आंध्र-प्रदेश को विशेष सहायता प्रदान करने का है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य के आंत्रशोथ की बीमारी से ग्रस्त आदिवासियों के लिए कुछ अग्रिम परियोजनाएं आरम्भ करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जठरान्त्रशोथ सामान्यतया पेय-जल संसाधनों के संदूषण के कारण होता है। वायु प्रदूषण उक्त रोग का कारण नहीं होता। आंध्र प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जिसमें जठरान्त्रशोथ मानसूनी बरसात में बाढ़, कूड़ा-कचरा/मल मूत्र के ढेर के सड़ने से पेयजल संसाधनों के प्रदूषण के कारण फैलता है।

जनवरी से अगस्त, 1991 तक आंध्र-प्रदेश में जठरांत्रशोथ के रोगियों और इस रोग से हुई मौतों की संख्या क्रमशः 24,808 और 1,056 है।

(ग) भारत सरकार का एक राष्ट्रीय अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम है जो आन्ध्र-प्रदेश सहित पूरे देश में चल रहा है। इस कार्यक्रम में अतिसार रोग की निगरानी और अनुवीक्षण; ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कार्यकलाप शामिल हैं। इसके अलावा अतिसार रोग के फैलने अथवा महामारी फैलने की हालत में केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और भारतीय

आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के माध्यम से इसका निवारण और नियंत्रण करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दोनों ने इस राज्य में जठरांत्रशोथ के फैलने की जांच करने के लिए टीमें भेजी हैं। उनके द्वारा इस रोग को फैलने से रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार को विधिवत् रूप से आवश्यक सिफारिशें की गई थीं।

(घ) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ङ) प्रस्ताव नहीं उठता।

डा० रवि मल्लू : महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की कोई इकाई खोलने का क्या सरकार का विचार है।

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय सदस्य ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की इकाईयां खोलने के लिए सुझाव दिया है। हम इस पर विचार करेंगे।

केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट-व्यवस्था के आधार पर प्रवेश

+
*555. **डा० सुधीर राय** :
श्री मुहीराम सेकिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990 में केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट-व्यवस्था के आधार पर प्रवेश देने की प्रथा समाप्त कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे हाल ही में पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है;

(ग) तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू शिक्षा सत्र के दौरान विशेष छूट-व्यवस्था के आधार पर कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित दाखिला दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रिंसिपलों द्वारा दिया जाता है। तथापि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 88 में बच्चा किस वर्ग का है, इस पर ध्यान दिए बिना अत्यधिक योग्य मामलों में दाखिले के लिए ढील और विशेष अनुमति का प्रावधान है। यह छूट 1975 में जारी आदेशों के आधार पर लागू है।

विशेष छूट पर दाखिले 87-88 से बन्द कर दिए गए थे। इस स्थिति की तत्कालिक अध्यक्ष द्वारा जुलाई, 1988 में समीक्षा की गई और यह निर्णय किया गया कि विशेष छूट पर दाखिले वृहद सामाजिक हितों के आधार पर ही सम्भव होने चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों तथा जन प्रतिनिधियों के अनुरोधों पर यथोचित ध्यान दिया जाएगा जबकि अनुकम्पा की जरूरत वाले मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

विशेष छूट पर दाखिले अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान फिर बन्द कर दिए गए थे। फिर दिसम्बर, 90 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष ने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रावधान की समीक्षा की और यह टिप्पणी की कि संसद सदस्यों की सिफारिशों को, जिनकी उनसे जनहित में अपेक्षा की जाती है, अपेक्षित महत्व देना होगा।

अब यह निर्णय लिया गया है कि अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से उचित मामलों में आयुक्त द्वारा विशेष छूट दिया जाना जारी रहेगा।

चालू शैक्षिक वर्ष में विशेष छूट देने के परिणामस्वरूप दाखिल बच्चों की सही संख्या की अभी जानकारी नहीं है क्योंकि अभी भी दाखिले दिए जा रहे हैं।

डा० सुधीर राय : महोदय, पिछले वर्ष विशेष छूट व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। परन्तु इस वर्ष पहले ही 5,000 से भी अधिक छात्रों को प्रवेश दिया जा चुका है। मेरे विचार से इस वर्ष श्री एल० पी० शाही जिन्होंने कम से कम 8,000 छात्रों के प्रवेश की अनुमति दी थी, उनका रिकार्ड भी टूट जायेगा। इस समय चूंकि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है अतः कई स्कूलों में दोहरी पाली (डबल शिफ्ट) में स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि आमतौर पर कक्षा में 35 विद्यार्थी होने चाहिए परन्तु कभी-कभी प्रति कक्षा अस्सी से भी अधिक छात्रों की संख्या होती है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह अनेक स्कूलों में दोहरी पाली की व्यवस्था आरम्भ करेंगे।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का पहला भाग जिसमें सम्भवतः सुझाव दिया गया है वह विशेष छूट-व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश देने के बारे में है। वास्तविकता यह है कि पिछले वर्ष इस विशेष छूट व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया था। अप्रैल तथा मई में इसे समाप्त कर दिया गया था परन्तु दिसम्बर में फिर से यह छूट देना चालू कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस शैक्षिक वर्ष में इसे आरम्भ किया गया है। परन्तु जहां तक दूसरे सुझाव का सवाल है जिसमें कि एक निश्चित सीमा से भी ज्यादा छात्रों को प्रवेश दिया गया है, हम निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में विचार करेंगे कि इस समस्या का कैसे समाधान किया जाये।

डा० सुधीर राय : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि पहले ही ऐसे 200 स्कूल हैं जिनमें प्रधानाचार्य नहीं हैं तथा जहां पर 400 शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए वह कौन-कौन से कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्या को यह सूचित करना चाहूंगा कि जो जानकारी उन्होंने अभी-अभी सदन को दी है वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। परन्तु चूंकि उन्होंने यह जानकारी सदन को दी है अतः मैं निश्चित रूप से इसे देखूंगा तथा विचार करूंगा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुही राम सैकिया जी। प्रश्न पूछा जा चुका है। यदि आप चाहें तो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री मुही राम सैकिया : महोदय, उन छात्रों के प्रवेश को क्या वरीयताएं दी जाती हैं जिनके प्रवेश के लिए उनके नामों की सिफारिश सांसदों द्वारा की जाती है? जैसाकि इस समय एक मन्त्री के नाम से तो 150 छात्रों से भी अधिक को प्रवेश दे दिया गया जबकि अनेक संसद सदस्यों के नाम से मुश्किल से एक-एक छात्र को प्रवेश दिया गया जबकि कई सांसदों के नाम से तो एक भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया। यह अच्छा होगा कि सभी सांसदों के लिए कोई कोटा निर्धारित कर दिया जाये जैसा कि रसोई गैस कनेक्शन तथा टेलीफोन कनेक्शन के मामले में कोटा निर्धारित है। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक सांसद के लिए पांच, छः अथवा सात प्रवेश का कोटा निर्धारित किया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह इस बारे में सभा में आश्वासन दें।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त चिन्ता बिल्कुल सही है। परन्तु मैं नहीं समझता कि रसोई गैस कनेक्शन के समान स्कूलों में प्रवेश के लिए भी सांसदों के लिए कोटा निर्धारित करना ठीक होगा। निश्चित रूप से ऐसा करना इस विषय पर हमारे दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं होगा। माननीय सदस्यगण, मुझे विश्वास है कि आप केवल उन्हीं मामलों की सिफारिश करें जिनमें आप समझते हैं कि प्रवेश के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। चाहे वे एक अथवा दो छात्रों के प्रवेश की सिफारिश करे, यह उनके ऊपर है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम यथासम्भव सांसदों की ऐसी सिफारिशों को मानने का प्रयत्न कर रहे हैं।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत योग के अध्यापकों के लिए सावधिक पुनरीक्षा प्रणाली

[अनुवाद]

*551. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत योग के अध्यापकों के लिए किसी सावधिक पुनरीक्षा प्रणाली का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों में योग शिक्षण को प्रारम्भ में प्रयोगात्मक आधार पर 1981 में शुरू किया गया था। इसकी लगातार समीक्षा की जाती रही है। इसकी प्रथम समीक्षा भारतीय प्रशासकीय स्टाफ कालेज, हैदराबाद द्वारा 1982-83 के दौरान की गयी थी जिसने यह सिफारिश की थी कि सम्भवतः शैक्षिक वर्ष 1983-84 के अन्त तक

प्रयोगात्मक परिस्थितियों के अधीन योग शिक्षा कार्यक्रम का और अधिक सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

2. तदनुसार 1983-84 के अन्त में डा० पी० डी० शुक्ला की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने इस योजना की समीक्षा की और इसने जून, 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति की रिपोर्ट की जनवरी, 1986 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जांच की गई और यह निर्णय किया कि शैक्षिक वर्ष 1986-87 के अन्त तक प्रयोगात्मक आधार पर इस योजना को और बढ़ा दिया जाए।

3. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी मण्डल ने 26 सितम्बर, 1986 में हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित निर्णय किए :—

(i) योग को केन्द्रीय विद्यालयों के शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के साथ समेकित कर दिया जाए।

(ii) कक्षा I से V तक शिक्षा नहीं दी जाए।

(iii) वर्तमान योग शिक्षकों को ये निर्देश दिए जाएं कि वे तीन वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर शारीरिक शिक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं प्राप्त करें।

(iv) केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यमान ऐसे शारीरिक शिक्षक जिनके पास योग शिक्षण की अपेक्षित अर्हताएं नहीं हैं, उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त संस्थाओं में योग की जानकारी दिलवाई जाए।

4. तदनन्तर दिसम्बर, 1988 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी मंडल ने योजना की फिर समीक्षा की और यह निर्णय लिया कि केन्द्रीय विद्यालयों में योग एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए और उन विद्यालयों में, जिनमें कक्षा VI से XII तक केवल 15 अनुभाग हों, अंशकालिक योग शिक्षक भी नियुक्त किए जाएं। यह भी निर्णय किया गया कि शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले योग शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा शिक्षकों अथवा योग शिक्षकों के रूप में बने रहने का विकल्प भी प्रदान किया जाए।

इस समय कक्षा VI से XII तक योग एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन

*553. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध गत तीन वर्षों में 31 मार्च, 1991 तक कितने मुकदमे चलाए गए हैं; और

(ख) कितने मामलों में किस-किस प्रकार की सजा दी गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) इस अवधि के दौरान उन 8 उद्योगों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए जिन्होंने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था।

(ख) ये मामले न्यायालय में लम्बित पड़े हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान

*556. श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री बलराज पासी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का इस राज्य के आकार को ध्यान में रखते हुए वहां ऐसे और संस्थान खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक-राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून, उत्तर प्रदेश।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विकलांगता के सभी चारों प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय संस्थान देश के चार क्षेत्रों में पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। इन संस्थानों में से एक नामतः राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश राज्य में देहरादून में स्थित है। मानसिक विकलांगता, श्रवण विकलांगता तथा शारीरिक विकलांगता के क्षेत्रों में अन्य राष्ट्रीय संस्थान दक्षिणी, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में क्रमशः सिकन्दराबाद, बम्बई और कलकत्ता में स्थित हैं।

सिगरेट तथा तम्बाकू उत्पादों सम्बन्धी विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध

*557. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिगरेटों तथा धूम्रपान के काम आने वाले अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध कब तक लगा दिए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) सिगरेट के विज्ञापनों के विनियमन/उन पर प्रतिबन्ध लगाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

गढ़वाल क्षेत्र में विशेषज्ञ डाक्टर की सेवा वाले अस्पताल

*558. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल क्षेत्र में रोगियों को विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाएं प्रदान करने वाला कोई भी अस्पताल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गढ़वाल क्षेत्र में इस प्रकार का एक अस्पताल स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सभी जिला मुख्यालयों और गढ़वाल क्षेत्र के कुछ और अस्पतालों में रोगियों के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु सुविधाएं मौजूद हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) संविधान के अन्तर्गत जन-स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य विषय हैं ।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यालयों को शिक्षा के मामले में स्वायत्तता प्रदान किया जाना

*559. श्री शंकर सिंह वघेला :
डा० ए० के० पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कुछ विद्यालयों को शिक्षा के मामले में स्वायत्तता प्रदान की गयी है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) इस नई योजना से यदि कोई लाभ हों, तो उनके कब तक प्राप्त होने की सम्भावना हैं; और

(ग) पाठ्यक्रम अथवा परीक्षा अथवा मूल्यांकन की वर्तमान पद्धति की दृष्टि से नई योजना किस प्रकार भिन्न है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) से प्राप्त सूचना के अनुसार बोर्ड ने सी० बी० एस० ई० से सम्बद्ध 13 स्कूलों को 31 जनवरी, 1991 को एकत्र परिपत्र जारी किया जिसमे बोर्ड के सम्बन्धन उप-नियमों (30-1-90 के संशोधन के अनुसार) में रखी गयी शर्तों को पूरा करने की शर्त पर बोर्ड द्वारा उन्हें शैक्षिक स्वायत्तता देने की इच्छा व्यक्त की गयी । परन्तु शैक्षिक स्वायत्तता देने के लिए सी० बी० एस० ई० के इस कदम को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गयी । दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5-4-91 को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए एक अन्तरिम आदेश पारित किया । मामला

न्याय हेतु विचाराधीन है। सी० बी० एस० ई० द्वारा अब तक किसी भी स्कूल को शैक्षिक स्वायत्ता प्रदान नहीं की गयी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

*560. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से जनसंख्या के सर्वाधिक असुरक्षित और साधनहीन वर्गों के लिए निकट भविष्य में न्यूनतम अपेक्षित मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सातवीं योजना अवधि में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार दल गठित किया गया था;

(ग) इस कार्यक्रम का क्या परिणाम निकला है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) उक्त कार्यक्रम के लिए चलाए गए मुख्य क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :—

(i) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या काय-चिकित्सकों और परा-चिकित्सा कार्मिकों को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलभूत जानकारी और कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए 11 क्षेत्रीय केन्द्रों/मेडिकल कालेजों का पता लगाया गया है।

(ii) अगस्त, 1988 में मानसिक स्वास्थ्य पर एक राष्ट्रीय सलाहकार ग्रुप का गठन किया गया था।

(iii) राज्य स्तर के योजना-कारों और प्रशासकों तथा चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिकों के लिए कुछ कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

(iv) प्रशिक्षकों को अपने क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर के क्रियाकलाप शुरू करने में उनकी सहायता करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(v) संसद द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 पारित किया गया है। दिसम्बर, 1990 में उपर्युक्त अधिनियम के अधीन नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है।

(vi) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए सहायता सामग्री विकसित की गई है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराई गई है जो चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिकों के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगी।

(घ) इस सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के अस्पताल

*561. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार अथवा राज्य सरकारों के नियन्त्रणाधीन ऐसे अस्पताल हैं जहां भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के माध्यम से रोगियों की चिकित्सा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सीधे अपने प्रबन्ध के अधीन अथवा स्वयंसेवी संगठनों के प्रबन्धाधीन ऐसे अस्पताल खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) नीचे के विवरण के अनुसार।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार नया अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं करती है।

विवरण

1-4-1989 को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के अन्तर्गत सरकारी अस्पतालों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	होमियोपैथी	योग	प्राकृतिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	7	5	—	5	—	—	17
2. अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	—	—	—	1
3. असम	1	—	—	—	—	—	1
4. बिहार	5@	2@	—	2	—	—	9
5. गोवा	—	—	—	—	—	—	—
6. गुजरात	35	—	—	—	—	—	35
7. हरियाणा	3	1	—	—	—	—	4
8. हिमाचल प्रदेश	13	—	—	—	—	1	14

1	2	3	4	5	6	7	8
9. जम्मू व कश्मीर	2	—	—	—	—	1@	3
10. कर्नाटक	12	4	1	2	3	1	23
11. केरल	114×	—	—	33×	—	1	148
12. मध्य प्रदेश	33	—	—	1	—	—	34
13. महाराष्ट्र	6	—	—	2	—	—	8
14. मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—
15. मेघालय	@	—	—	—	—	—	—
16. मिजोरम	@	—	—	—	—	—	—
17. नागालैंड	@	—	—	—	—	—	—
18. उड़ीसा	6	1	—	3	—	—	10
19. पंजाब	5	—	—	1	—	—	6
20. राजस्थान	77	3	—	1	—	2	83
21. सिक्किम	1	—	—	—	—	—	1
22. तमिलनाडु	1	2	104	1	—	—	108
23. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—
24. उत्तर प्रदेश	1064@	79@	—	42	—	—	1185
25. पश्चिम बंगाल	4@	1@	—	5*	—	—	10
26. अण्डमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—	—
27. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—
28. दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—
29. दिल्ली	4±	—	—	1	—	—	5
30. दमण व दीव	—	—	—	—	—	—	—
31. लक्षदीप	—	—	—	—	—	—	—
32. पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—
योग :	1394	98	105	99	3	6	1705

टिप्पणी :—. @ बिहार (1987), मेघालय (1986), मिजोरम (1988), उत्तर प्रदेश (1984), पश्चिम बंगाल (1985), नागालैंड (1989), जम्मू व कश्मीर (1988)।

2× केरल (1991)।

3* के० स० स्वा० यो० के अस्पताल भी शामिल हैं।

4± इसमें राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान, कलकत्ता का एक अस्पताल भी शामिल है।

स्कूल और कालेजों में युवा कार्यकलाप

563. श्री पी० सी० थामस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में युवा कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ उक्त अवधि के दौरान केरल राज्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या संघ सरकार स्कूल और कालेजों में युवा कार्यकलापों के लिए किसी अन्य प्रकार की सहायता भी प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में युवा कार्यकलापों के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान आवंटित राशि क्रमश: 3678.37 लाख रुपए, 3584.00 लाख रुपए तथा 3869.00 लाख रुपए थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सरकार, युवा कार्यकलापों के लिए राज्यवार राशि का आवंटन नहीं करती। विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यकलापों और विशेष शिविर कार्यक्रमों के सम्बन्ध में खर्च केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच 7:5 अनुपात में वहन किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान केरल में एन० एस० एस० के लिए 124.90 लाख रुपए की धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय की गयी थी। गत तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य को 2,87,13,166 रुपए की राशि राष्ट्रीय सेवा योजना (एन० एस० एस०), युवाओं को प्रशिक्षण, राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों को लगाना, युवाओं के लिए प्रदर्शनी, पिछड़ी जनजातियों के युवाओं में युवा कार्यकलापों के संवर्धन को विशेष योजना, राष्ट्रीय अनुशासन योजना, साहस का विकास, राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता आदि के लिए दी गई थी। इसके अलावा 42,82,756.00 रुपए की राशि केरल में कार्य कर रहे विभिन्न नेहरू युवा केन्द्रों को प्रदान की गई। सरकार ने केरल में युवा छात्रावासों का निर्माण पूरा करने के लिए 24,68,843.00 रुपए की राशि भी दी।

हरियाणा में कैंसर के उपचार के लिए अस्पताल

[हिन्दी]

*564. श्री राम प्रकाश चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में विशेष रूप से अम्बाला क्षेत्र में, कैंसर के रोगियों के उपचार के लिए कोई विशिष्ट चिकित्सा सुविधायुक्त अस्पताल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस राज्य में कैंसर के उपचार के लिए एक विशिष्ट चिकित्सा सुविधायुक्त अस्पताल खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) मेडिकल कालेज रोहतक में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए हरियाणा में एक विशेषीकृत अस्पताल है जबकि अम्बाला क्षेत्र में ऐसा कोई विशेषीकृत केन्द्र नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते यह मामला राज्य सरकार का है।

बोनस अधिनियम का उल्लंघन

[अनुवाद]

*565. **श्री रमेश चन्द तोमर** :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार ने उद्योगों द्वारा बोनस के भुगतान की कितनी सीमा निर्धारित की है;

(ख) क्या कुछ उद्योग अधिकतम निर्धारित सीमा से अधिक बोनस देते हैं;

(ग) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस सम्बन्ध में गत दो वर्षों के दौरान बोनस अधिनियम का उल्लंघन किया है; और

(घ) सरकार ने ऐसे उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ) बोनस संदाय अधिनियम की धारा 19 में बोनस अदायगी हेतु समय सीमा की व्यवस्था है। बोनस अदायगी के सम्बन्ध में यदि बोनस अधिनियम की धारा 22 के अधीन कोई विवाद किसी प्राधिकारी के पास लम्बित पड़ा है तो ऐसे विवादों के बारे में उस पर अधिनिर्णय लागू होने अथवा कोई समझौता क्रियान्वित होने की तिथि से एक माह के भीतर भुगतान किया जाना होता है। शेष मामलों में लेखा वर्ष की समाप्ति से आठ माह के भीतर बोनस का भुगतान किया जाना होता है। तथापि किसी नियोक्ता द्वारा इस बारे में आवेदन देने पर समुचित सरकार उक्त 8 माह की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ा सकी है।

2. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार (i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अन्तर्गत किसी प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में समुचित सरकार का आशय केन्द्रीय सरकार से है;

(ii) किसी अन्य प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में जिस राज्य में वह प्रतिष्ठान स्थित है वहां की सरकार से है।

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1988 तथा 1989 से सम्बन्धित 33 मामले ध्यान में आये हैं जिनमें समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है जहां औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस अदायगी सम्बन्धी सांविधिक समय सीमा का उल्लंघन किया है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नाम तथा इस बारे में की गयी कार्रवाई सम्बन्धी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों सम्बन्धी सूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकारों समुचित सरकारें हैं।

विवरण

वर्ष 1988 और 1989 के दौरान सांविधिक समय अवधि के अन्दर बोनस के भुगतान से सम्बन्धित बोनस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों का नाम

क्रमांक	प्रतिष्ठान का नाम	क्षेत्र	वर्ष
1	2	3	4
1.	मैसर्स जयपुर सिलिका सप्लाई क० लि०, जयपुर	अजमेर	1988 तथा 89
2.	मै० बेस्ट केमिकल लाइम स्टोन प्रा० लि०, नैमका थाना जिला सीकर	अजमेर	1988
3.	मै० ए० एस० आई० लि० सतेलखेड़ी, रामगंज, मण्डी, कोटा	अजमेर	1988
4.	मै० ए० एस० आई० लि० बीमकोट, रामगंज मण्डी, कोटा	अजमेर	1988
5.	मै० ए० एस० आई० लि०, लक्ष्मणपुरी, रामगंज मण्डी, कोटा	अजमेर	1988
6.	जहूर अहतद, रामगंज मण्डी, कोटा	अजमेर	1988
7.	श्री मदन लाल पुरोहित, शास्त्री नगर, जयपुर	अजमेर	1988

1	2	3	4
	8. श्री हनुमान प्रसाद, बीकानेर	अजमेर	1988 और 89
	9. मै० वेलकम प्रा०, सिरोही रोड़	अजमेर	1988
	10. मै० ए० सी० सी० लि०, नागौर	अजमेर	1988
	11. श्री मोहन लाल मोदी, जिला पाली	अजमेर	1988
	12. श्री हफीज अब्दुल्ला खान, जयपुर	अजमेर	1988
	13. मै० रामनारायन एण्ड कं०, अलवर	अजमेर	1988
	14. मै० एफ० सी० आई, बीकानेर	अजमेर	1988
	15. मै० एसोसिएटेड स्टोन डिस्ट्रीब्यूटिंग कं० लि०, उदयपुर	अजमेर	1988 तथा 89
	16. मै० हफीज अब्दुल करीम, रामगंज मण्डी, कोटा	अजमेर	1988
	17. मै० रामजीदास मोदी मोरक	अजमेर	1988
	18. मै० गंगाराम कालू राम, सतेलखेड़ी, रामगंज मण्डी	अजमेर	1988
	19. मै० बिसरा लाइम स्टोन माइंस	भुवनेश्वर	1988
	20. मैसर्स चोगुले ब्रदर्स, मारमुगांव	बम्बई	1988 एवं 89
	21. मैसर्स महाराष्ट्र मिनरल्स प्रा० लि०, पोन्डाघाट	बम्बई	1988 एवं 89
	22. लार्ड कृष्णा बैंक लि० वेडावकानचेरी	कोचीन	1988 एवं 89

1	2	3	4
	23. लॉर्ड कृष्णा बैंक लि०, कोट्टापुरम	कोचीन	1988 एवं 89
	24. लार्ड कृष्णा बैंक लि०, लोकमाल्लेश्वरम	कोचीन	1988 एवं 89
	25. लार्ड कृष्णा बैंक लि०, एम० जी० रोड, एर्नाकुलम	कोचीन	1988 एवं 89
	26. इंडियन कैमिकल इंडस्ट्रीज, लोकापुर	बंगलौर	1988
	27. वोलनढाली लौह् अयस्क खान, बेल्लारी	बंगलौर	1988
	28. विभूति गुड्डा लौह् अयस्क खान, बेल्लारी	बंगलौर	1988
	29. धर्मपुरी माइन्स आफ जीनत ट्रान्सपोर्ट	बंगलौर	1988
	30. तमिलनाडू मर्कैन्टाइल बैंक लि०, गुलबर्गा	बंगलौर	1988
	31. भारत ओवरसीज बैंक, बंगलौर	बंगलौर	1989
	32. ग्रिन्डलेज बैंक, बंगलौर	बंगलौर	1989
	33. साउथ इण्डियन बैंक लि०, बंगलौर	बंगलौर	1989

सभी मामलों में कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। 15 मामलों में भुगतान किया गया है और अनुपालन की सूचना मिली है। विलम्ब से भुगतान करने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 28 के अन्तर्गत 7 मामलों में अभियोजन चलाये गए हैं। बोनस का विलम्ब से भुगतान करने के बाद 7 मामलों में चेतावनी दी गई थी। एक मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बोनस की वसूली करने के लिए मजदूरी संदाय अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत 3 मामलों में दावे दायर किए गए हैं।

वन्यजीवों की खाल आदि से बनी सामग्री को जलाकर नष्ट करना

*566. श्री के० वी० तंगाबालू : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 18 अप्रैल, 1991 को राजधानी में वन्यजीवों की खाल आदि से बनी वस्तुएं जिनमें बहुमूल्य फर, खालें और असली खाल में कुछ भर कर बनाई गई पशु आकृतियां शामिल हैं, जलाकर नष्ट की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो जलाकर नष्ट किये गये उत्पादों का ब्यौरा क्या है और इस विशेष प्रयोजन के लिए उन्हें किन माध्यमों से एकत्र किया गया था;

(ग) क्या इन वन्यजीवों की खालों से बनी सामग्री को रखने वालों की कोई गिरफ्तारी भी हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में भी ऐसे उत्पादों को जलाकर नष्ट करने का है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) 1974 से 1986 तक की अवधि के दौरान दिल्ली के वन्यजीव प्राधिकारियों ने वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उल्लंघन के अनेक मामलों का पता लगाया ।

इन मामलों में, जिनमें या तो समझौता कर लिया गया अथवा जिनके बारे में न्यायालय ने निर्णय ले लिया था, जब्त की गई खालें और वस्तुएं दिल्ली के मुख्य वन्यजीव वार्डन के स्टाक में पड़ी हुई थीं । इनमें से अधिकांश खालों और वस्तुओं को, जो पिछले 10 वर्षों से दिल्ली के वन्यजीव प्राधिकारियों के पास पड़ी हुई थी, 18-4-91 को सार्वजनिक रूप से जला दिया गया । जलाई गई खालें और चीजें मुख्यतया निम्नलिखित प्रजातियों से प्राप्त की गई थी :—

बाघ, तेंदुआ, बादली चीता, हिमचीता, बनबिलाव, चीता-बिल्ली, सुनहरी बिल्ली, संगमरमरी बिल्ली, स्याहगोस, मत्स्य बिल्ली, मरुस्थली बिल्ली, जंगली बिल्ली, मरुस्थली लोमड़ी, लाल लोमड़ी, तिब्बती लोमड़ी, सामान्य लोमड़ी, भारतीय भेड़िया, सियार, मुश्क बिलाव, ऊदबिलाव, होग बेजर, चिंकारा, कृष्णसार, चीतल, गोह, घरेलू बिल्ली, अजगर और सांपों की अन्य संरक्षित प्रजातियां ।

(ग) और (घ) उक्त मामलों में दिल्ली प्रशासन ने 96 लोगों को गिरफ्तार किया ।

(ङ) अधिकांश खालें और चीजें वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 49क के तहत अनुसूचित पशुओं से निर्मित चीजों की श्रेणी में आती हैं । इन चीजों के वाणिज्यिक व्यापार की सख्त मनाही है । इस तरह की प्रतिबन्धित चीजों का गैर-कानूनी रूप से व्यापार किये जाने की हमेशा सम्भावना बनी रहती है । इसलिए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि इन चीजों को जला देने और नष्ट कर देने के प्रश्न पर विचार किया जाए ।

मलेरिया उन्मूलन के लिए उपाय

*567. **श्री रवि राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मलेरिया के उन्मूलन हेतु कीटनाशकों के उपयोग के विकल्प के रूप में एकीकृत बायो-पर्यावरणीय नीति को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह प्रयोग लागत के अनुरूप उपयोगी पाया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) वैक्टर नियंत्रण के लिए कीटनाशकों के इस्तेमाल के विकल्प के रूप में जैव-पर्यावरणिक कार्यनीति प्रायोगिक आधार पर अपनाई जा रही है।

मलेरिया अनुसंधान केन्द्र बारह परियोजनाओं में मलेरिया नियन्त्रण की वैकल्पिक नीतियों को बढ़ावा दे रहा है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत जैविक, पर्यावरणिक और वैयक्तिक सुरक्षा के उपायों के माध्यम से मलेरिया नियंत्रण किया जा रहा है।

बायोसाइड्स का इस्तेमाल करके उनकी प्रभावकारिता और लागत सार्थकता का आकलन करने के लिए गहन क्षेत्र परीक्षण भी किए गए हैं।

वन क्षेत्र में बसे गांव

*568 **श्री भाग्ए गोवर्धन** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार वन क्षेत्र में बसे गांवों की संख्या तथा इन गांवों में रह रहे आदिवासी परिवारों की जनसंख्या कितनी है;

(ख) आदिवासी परिवारों के कब्जे में जो भूमि है, उसका दर्जा क्या है; और

(ग) विकास योजनाओं/लाभों को वन क्षेत्र में बसे गांवो में रहने वाले आदिवासियों तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राज्य सरकारों के पास उपलब्ध सूचना को एकत्र किया जा रहा है और उसको सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं कि ग्रामीणों को भूमि पर पैतृक किन्तु अहस्तांतरणीय अधिकार देकर वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदल दिया जाए ताकि ऐसे ग्रामों में विकासात्मक स्कीमों का कार्यान्वयन में सुविधा हो सके।

आपसी मित्र मण्डल, शालीमार बाग, दिल्ली की ओर से ज्ञापन

[हिन्दी]

4283. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'आपसी मित्र मण्डल', शालीमार बाग, दिल्ली की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उन्हें शालीमार बाग के आपसी मित्र मण्डल से ज्ञापन प्राप्त हुआ था। इस

ज्ञापन/अभ्यावेदन में शालीमार बाग के ए जी ब्लाक की निम्नलिखित समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है :

(1) यद्यपि आन्तरिक जल-मल निर्यास लाइनें बिछा दी गयी हैं किन्तु गंदे पानी की समुचित निकासी न होने के कारण प्रदूषित जल फैलता है।

(2) यद्यपि एक बरसाती पानी का नाला बनाया गया था किन्तु वह ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है और वह कुछ दूरी के बाद समाप्त हो गया है इसलिए बरसाती पानी के लिए उपयुक्त नाले बनाये जाने चाहिएं।

(3) आन्तरिक सड़कों और गलियों की स्थिति बहुत खराब है और सुधार की आवश्यकता है।

(4) सभी 11 पार्कों की स्थिति खराब है और ठीक ढंग से रख-रखाव की आवश्यकता है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मल-जल निर्यात नालियों की व्यवस्था के लिए योजना अनुमोदित की गयी है और इसे अन्तिम रूप देने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस समय बरसाती पानी शालीमार बाग के साथ रेलवे लाइन के निचले इलाकों में छोड़ दिया जाता है और अन्ततः बाहरी रिंग रोड पर बनी पुलिया के बाहर सहायक नालियों में छोड़ दिया जाता है।स्थाई मल-जल निर्यास प्रणाली के लिए कार्य आरम्भ कर दिया गया है और यह 2 वर्ष में पूरा होगा। इस प्रकार अन्तरिम व्यवस्था के रूप में मल-जल का शोधन आक्सीकरण तालाब के द्वारा किया जा रहा है। आन्तरिक नालियों का निर्माण नहीं किया जा सका क्योंकि मकान मालिकों ने अपने-अपने घरों के बाहर ढलान बनाये हुए हैं जो नालियों के निर्माण में बाधा बन रहे हैं। दिल्ली जल प्रदाय व मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण के निक्षेप कार्य के रूप में एक मलजल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सड़क के किनारे नालियां न होने के कारण सड़कें बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और वे नियमित रूप से दिन-प्रतिदिन मरम्मत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली नगर निगम ने सड़कों को मजबूत करने का कार्य आरम्भ किया है। यह सूचित किया गया है कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से पार्क की टूटी हुई दीवारों और ग्रिलों की मरम्मत की जा रही हैं। रास्तों के स्तर को बनाए रखने/ऊंचा करने के लिए पार्कों में भराव के लिए भी अनुमान तैयार कर लिए गए हैं।

डा० बी० आर० अम्बेडकर और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के लेख

[अनुवाद]

4284. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० बी० आर० अम्बेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद की सम्पूर्ण रचनाएं प्रकाशनाधीन है और यदि हां, तो उनकी रचनाओं के प्रकाशन का कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या डा० अम्बेडकर और मौलाना आजाद के चुनिन्दा लेखों का सभी राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की कोई योजना अथवा प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) डा० अम्बेडकर का जीवन चरित्र अंग्रेजी, हिन्दी और मराठी में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। उनके जीवन पर एक बाल पुस्तक हिन्दी में तथा उद्धरणीय सूक्तियां हिन्दी और अंग्रेजी में भी प्रकाशित की गई हैं। मौलाना आजाद का जीवन चरित अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित किया गया है। उनके चुनिन्दा भाषाओं की एक पुस्तक अंग्रेजी में भी प्रकाशित की गई है।

(ख) और (ग) मौलाना आजाद की चुनिन्दा कृतियों का सभी राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। डा० अम्बेडकर की कृतियों को हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

राजस्थान में प्राचीन स्मारक

[हिन्दी]

4285. **श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) राजस्थान में संरक्षित प्राचीन स्मारकों के जिलावार नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या कुछ स्मारकों की स्थिति जर्जर हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन स्मारकों का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राजस्थान में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची जिलावार संलग्न विवरण "क" में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण, संरक्षण और कृषि-उद्यान-कार्यों पर निम्नानुसार खर्च किया गया है :—

1988-89	33,63,845.12/- रु०
1989-90	35,60,611.67/- रु०
1990-91	38,24,527.95/- रु०

(ग) और (घ) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का अनुरक्षण और संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। जिन स्मारकों की विभिन्न कारणों से तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें संलग्न विवरण "ख" के अनुसार चालू वर्ष के संरक्षण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

विवरण-क

राजस्थान में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची

क्रम सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
1	2	3
	जिला अजमेर	
1.	अजमेर	अढ़ाईदीन का झोपड़ा
2.	—वही—	बादशाही हवेली
3.	—वही—	अजमेर-जयपुर मार्ग पर बावड़ी
4.	—वही—	एक तोरणद्वार वाला दिल्ली दरवाजा
5.	—वही—	तारागढ़ पहाड़ी का तोरणद्वार
6.	—वही—	संग्रहालय सहित अजमेर किले में शस्त्रागार भवन
7.	—वही—	आना सागर बांध पर संगमरमर के मण्डप और कटहारे तथा आना सागर बांध के पीछे मार्बल हमाम के खण्डहर
8.	—वही—	दौलत बाग में सहेली बाजार भवन
9.	—वही—	"सोला खुम्बा" के नाम से प्रसिद्ध अल्लाउद्दीन का मकबरा
10.	—वही—	अबदुल्ला खान और उसकी बेगम का मकबरा
11.	—वही—	त्रिपोलिया दरवाजा
12.	अजमेर जयपुर मार्ग	बादशाह अकबर द्वारा निर्मित कोस मीनार
13.	—वही—	—वही—
14.	छतरी	—वही—
15.	—वही—	सराय
16.	धुयारा	बादशाह अकबर द्वारा निर्मित कोस मीनार
17.	हुशियारा	—वही—
18.	—वही—	—वही—
19.	कंर	—वही—

1	2	3
20.	खानपुरा	बादशाह अकबर द्वारा निर्मित कोस मीनार
21.	पुष्कर	महल बादशाही
	जिला अलवर	
1.	अलवर	शिव मंदिर
2.	भानगढ़	प्राचीन स्थल
3.	पंदकपोल	प्राचीन अवशेष
	जिला बांसवाड़ा	
1.	अर्थुना	शिव मंदिर और खण्डहर
2.	विठ्ठल देव	प्राचीन अवशेष
	जिला भरतपुर	
1.	बयाना	अकबर की छतरी
2.	—वही—	प्राचीन किला और इसके स्मारक
3.	—वही—	ब्रह्माबाद इदगाह
4.	—वही—	इस्लाम शाह का द्वार
5.	—वही—	जहांगीर का तोरणद्वार
6.	—वही—	झझरी
7.	—वही—	लोधी की मीनार
8.	—वही—	सराज साद-उल-लाह
9.	—वही—	उषा मंदिर
10.	भरतपुर	भरतपुर किले के बाहर दिल्ली दरवाजा
11.	—वही—	अनाह द्वार के पास फतेह बुर्ज
12.	—वही—	भरतपुर किले के अन्दर जवाहर बुर्ज तथा अष्टधातु तोरणद्वार
13.	डीग	डीग भवन (महल)
14.	—वही—	लूटी हुई तोप
15.	—वही—	संगमरमर का झूला
16.	कार्मा	चौरासी खम्बा मन्दिर

1	2	3
17.	मालाह	प्राचीन टीला
18.	नोह	—वही—
19.	—वही—	यक्ष की विशाल प्रतीमा
20.	रूपवास	लाल महल
21.	भरतपुर	चौबुर्जा और अष्टधातु द्वारों पर सम्पर्क पुतले और चौबुर्जा द्वार सहित किले की दीवारें
22.	—वही—	किले की दीवार के चारों ओर खाई
	जिला भीलवाड़ा	
1.	बिझोली	महाकाल और दो अन्य मन्दिर
2.	—वही—	चट्टान शिलालेख (12वीं शताब्दी)
3.	—वही—	पार्श्वनाथ मन्दिर परिसर के अन्दर चट्टान शिलालेख (12वीं शताब्दी)
4.	खादीपुर-गांव	कन्हेरी की पुतली नाम से प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर
	जिला बीकानेर	
1.	बीकानेर	भंडासार जैन मन्दिर
2.	मोरखाना	सुसानी देवी का जैन मन्दिर
	जिला बूंदी	
1.	बूंदी	महल में हरदोती विद्यालय की दीवार चित्रकारी
2.	केशवराय पाटन	प्राचीन टीला
3.	नैनवा	प्राचीन टीला
	जिला चित्तौड़गढ़	
1.	बाल्दोली	घाटेश्वर मन्दिर
2.	—वही—	कुंड
3.	—वही—	श्रृंगार चावड़ी
4.	—वही—	अष्टमाता का मन्दिर

1	2	3
5.	बादोली	गणेश का मन्दिर
6.	—वही—	शेशाशयन का मन्दिर
7.	—वही—	शिव मन्दिर और कुंड
8.	—वही—	त्रिमूर्ति का मन्दिर
9.	—वही—	नारद मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध वामन अवतार मन्दिर
10.	चित्तौड़	चित्तौड़ का किला
11.	मेनाल	मेनाल (महानल) मन्दिर और मठ
12.	नगारी	प्राचीन अवशेष
13.	—वही—	सर्वेक्षण प्लाट सं० 301 के संलग्न भूमि सहित हाथीवाड़ा तथा शिलालेख
14.	निलोढ़	जिओढ़ा में पुरातत्वीय स्थल और अवशेष
		जिला धौलपुर
1.	धौलपुर	जोगनी जोगना मन्दिर
2.	—वही—	शेर गढ़ किला
3.	—वही—	बाबर के बाग का स्थल
		जिला डूंगरपुर
1.	बडोवा	जैन मन्दिर शिलालेख
2.	देव सोमनाथ	सोमनाथ मन्दिर
		जिला गंगानगर
1.	बादोपाल	प्राचीन टीले
2.	बशेर	प्राचीन टीला
3.	भदराकली	प्राचीन टीले
4.	भन्नार थेरी	—वही—
5.	बिंजोर	दो प्राचीन टीले
6.	चाक 86	प्राचीन टीला
7.	धोकल	प्राचीन टीले

1	2	3
8.	हनुमानगढ़	किला भाटनेर
9.	कालीबंगा	तीन प्राचीन टीले
10.	मानक	प्राचीन टीले
11.	माथुला	दो प्राचीन टीले
12.	मुडा	प्राचीन टीले
13.	पीर सुल्तान	—वही—
14.	पीलीबंगा	प्राचीन टीला
15.	रंग महल	प्राचीन टीले
16.	तरखानवाला डेरा	प्राचीन टीला
	जिला जयपुर	
1.	अबानेरी	प्राचीन टीला
2.	—वही—	बावड़ी
3.	—वही—	हरसत माता का मन्दिर
4.	अम्बेर	जामा मस्जिद
5.	—वही—	लक्ष्मी नारायण का मन्दिर
6.	—वही—	श्री जगत सिरोमणि जी मन्दिर
7.	—वही—	सूर्य मन्दिर
8.	ब्रह्मपुरी	पुण्डरीकजी की हवेली एक कक्ष में चित्रकारी
9.	गलताजी	मन्दिर जिसमें भित्ति कलाचित्र हैं
10.	लालसोते	भरहुत स्तूप की रैलिंग स्तम्भों के समान दो स्तम्भों वाली बनजारों की छतरी
11.	महेशरा	प्राचीन टीला
12.	रानीवास	प्राचीन टीला
13.	सांभर	उत्खनित स्थल
14.	सिकराई	प्राचीन टीला
	जिला जैसलमेर	
1.	जैसलमेर	प्राचीन मन्दिर सहित किला
2.	लोडरूवा पाटन	प्राचीन स्थल

1	2	3
	जिला झालावाड़	
1.	बिन्नायगा (डाग)	बौद्ध गुफाएं और स्तम्भ
2.	—वही—	नारंजनी आदि की गुफाएं
3.	बालसागर (गंगाधर)	प्राचीन खण्डहर
4.	दुधालिया (डाग)	प्राचीन खण्डहर
5.	हाथियागोड़	बौद्ध गुफाएं
6.	कोल्वी (डाग)	बौद्ध गुफाएं, स्तम्भ, मूर्तियां
7.	झालरापाटन	चन्द्रभाण के निकट पुराने मन्दिर
	जिला जोधपुर	
1.	मंडोर	किला
	जिला करौली	
1.	करौली	महाराजा गोपाल लाल के महलों पर दीवार चित्रकारी
	जिला कोटा	
1.	अतरू अथवा गणेश गंज	मन्दिरों के खण्डहर
2.	बदवा	युपा स्तम्भ
3.	बारान	मन्दिर (12वीं शताब्दी)
4.	चारचोमा	शिव मन्दिर और दो अप्रकाशित गुप्ता शिलालेख
5.	दारा अथवा मुकन्दारा	मन्दिर, किला दीवार और प्रतिमाएं
6.	बांसवा	शिलालेख सहित मन्दिर
7.	कृष्णाविलास	प्राचीन खण्डहर और संरचनात्मक अवशेष
8.	शेरगढ़	पुराने मन्दिर, प्रतिमाएं और शिलालेख
	जिला सवाई माधोपुर	
1.	आतमपुर	एक बावड़ी में फारसी शिलालेख
2.	सवाई माधोपुर	जैन मन्दिर
3.	रणथम्बोर	रणथम्बोर किला

1	2	3
		जिला सीकर
1.	सीकर	हर्षनाथ मन्दिर
		जिला टोंक
1.	बीसलपुर	बिसकल देव जी का मन्दिर
2.	पुंडवाली डूंगरी	प्राचीन टीले
3.	गरियागढ़ (नेवाई)	—वही—
4.	झालाई	देवपुरा बडोदिया टीले
5.	खेड़ा	हाथी भाटा
6.	नागर	प्राचीन टीला
7.	—वही—	उत्खनित स्थल
8.	—वही—	किले में शिलालेख
9.	—वही—	मांड किला ताल शिलालेख
10.	—वही—	बिचयुरिया मन्दिर में युपा स्तम्भ
11.	पनवार	शिलालेख
12.	रैर (नेवाई)	उत्खनित स्थल
13.	टोडाराय सिंह	काला पहाड़ मन्दिर
14.	—वही—	कल्याणराम जी का मन्दिर
15.	—वही—	लक्ष्मी नारायण जी का मन्दिर जो स्थानीय रूप से गोपीनाथ जी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है।
16.	—वही—	पुरानी वावली स्थानीय रूप से हाडी रानी का कुंड के नाम से प्रसिद्ध है।
17.	—वही—	पीपाजी का मन्दिर
		जिला उदयपुर
1.	कल्याणपुर	प्राचीन खण्डहर
2.	कुम्भालगढ़	कुम्भालगढ़ का सम्पूर्ण किला
3.	नागदा	सास बहू मन्दिर

1	2	3
4.	नवचोकी राजसमंद	शिलालेखों, मण्डपों और तोरणों के साथ घाटा
5.	गिलर्द (भगवानपुरा)	पुरातत्वीय स्थल और अवशेष

विवरण-ख

संरक्षण कार्यक्रम — 1991-92 में शामिल किए गए स्मारकों की सूची

क्रम सं०	स्मारकों/स्थलों का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	भरतपुर में खन्दक दीवार तथा जवाहर बुर्ज	भरतपुर	भरतपुर
2.	किला जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर
3.	किला, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
4.	डीग महल परिसर, डीग	डीग	भरतपुर
5.	रणथम्भोर किला रणथम्भोर	रणथम्भोर	सवाई माधोपुर
6.	दियो सोमनाथ मन्दिर दियो सोमनाथ	दियो सोमनाथ	डूंगरपुर
7.	बरादरी, अन्नासागर झील अजमेर	अजमेर	अजमेर
8.	काली बंगन में उत्खनित अवशेषों के संरक्षण	काली बंगन	गंगानगर
9.	कालवी गुफाएं	कालवी	झालावाड़
10.	कुम्बालगढ़ किला	कुम्बालगढ़	उदयपुर
11.	आलद-दीन-खान का मकबरा	अजमेर	अजमेर
12.	लाल मस्जिद	तिजारा	अलवर
13.	शिव मन्दिर तथा प्राचीन अवशेषों के खण्डर-सूर्य कुंड	अरथूना	बांसवाड़ा
14.	चौरासी खम्बा	कमान	भरतपुर
15.	महल में हदोती स्कूल	बूंदी	बूंदी

1	2	3	4
16.	मन्दिर के अवशेष जो स्थानीय रूप से बावड़ी के साथ बिया के घेर कहलाते हैं।	कृष्णाविलास	कोटा
17.	चार खम्भा खण्डर और अन्य मन्दिर	"	"
18.	शिव मन्दिर	चारचोमा	"
19.	मन्दिरों का समूह	बादोली	चित्तौड़गढ़
20.	हाथी भट्टा	खेरा	टोंक
21.	सास बहु मन्दिर	नागदा	उदयपुर
22.	हर्ष नाथ मन्दिर	हर्ष	सीकर
23.	लक्ष्मी नरायण मन्दिर	अम्बर	जयपुर
24.	मण्डलेश्वर मन्दिर	अरथूना	बांसवाड़ा
25.	मुड-टोड किदोऊरी के साथ बाबोली	नीलकन्ठ	अलवर
26.	श्री जगत सिरोमणीजी मन्दिर	अम्बर	जयपुर
27.	बाबुर का बाग	झोर	धोलपुर
28.	महानल मन्दिर और मठ	मेनाल	चित्तौड़गढ़
29.	किला भटनेर	हनुमानगढ़	गंगानगर
30.	अढ़ाई-दिन-का झोपड़	अजमेर	अजमेर
31.	विसालदयोजी मन्दिर	बिसालपुर	टोंक
32.	बुद्ध की गुफाएं और स्तम्भ	बीनायांगा	झालावाड़

नटराज की प्रतिमा की वापसी

[अनुवाद]

4286. श्री जे० चोक्का राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976 में तमिलनाडु से चुराई गई नटराज की प्रतिमा, जो 12वीं शताब्दी की उत्कृष्ठ मूर्ति है; को लौटाने के लिए लन्दन के किसी न्यायालय ने फरवरी, 1991 में आदेश जारी किए थे; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिमा की तस्करी में कौन लोग शामिल थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रवृत्त विधि के अनुसार तमिलनाडु सरकार उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करती है ।

सम्पदा निदेशालय द्वारा तदर्थ क्वार्टरों का प्रावधान

4287. **श्री उत्तमराव देवराव पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विभागों का दिल्ली/नई दिल्ली में अपने कर्मचारियों के लिए पृथक आवास पूल है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ विभागों को सम्पदा निदेशालय द्वारा तदर्थ क्वार्टर दिए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो पृथक पूल और तदर्थ कोटा आवास में क्या अन्तर है; और

(घ) पृथक पूल आवास/तदर्थ कोटा आवास के आवंटन के लिए पृथक-पृथक रूप से नियम/विनियम क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां । डाक एवं तार, रेलवे, रक्षा मन्त्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय इत्यादि जैसे कुछ विभागों के पास दिल्ली/नई दिल्ली में आवास के अपने स्वयं के विभागीय पूल हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विभागीय पूल सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रशासित होता है जबकि तदर्थ कोटा सामान्य पूल का एक भाग है जिसका नियन्त्रण सम्पदा निदेशालय द्वारा किया जाता है । सम्पदा निदेशालय द्वारा सम्बन्धित विभाग की सिफारिश पर तदर्थ कोटा के प्रति केवल आवंटन आदि किया जाता है ।

(घ) विभागीय पूल में आवास का आवंटन सम्बन्धित विभागों द्वारा सम्बन्धित पूल के लिए बनाए गए आवंटन नियमों द्वारा प्रशासित होता है । सामान्य पूल में तदर्थ कोटा का आवंटन सरकारी आवास आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 के उपबन्धों द्वारा प्रशासित होता है ।

डिटर्जेंट पाऊडर

4288. **श्री धर्मण्णा मोन्डय्या सादुल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 2 जनवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 992 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपलब्ध अधिकांश डिटर्जेंट पाऊडरों में अलकाईल बेन्जीन सल्फोनेट रसायन

की मात्रा 8½ से 10 प्रतिशत के बीच रहती है जो 14 से 32 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या घटिया किस्म के डिटर्जेंट पाऊडरों के प्रयोग से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को होने वाली हानि से बचाने के लिए सरकार का विचार कोई कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) चूंकि विभिन्न डिटर्जेंट पाऊडरों का सही रासायनिक संघठन एक ट्रेड रहस्य है, इसलिए यह ज्ञात नहीं होता कि डिटर्जेंट पाऊडरों में अलकाईल बेंजीन सल्फोर्नेट की मात्रा अनुमत्य सीमा के अनुसार होती है अथवा इससे कम होती है ।

असम में आन्त्रशोथ और हैजा के कारण मौतें

4289. डा० जयन्त रंगपी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आन्त्रशोथ और हैजे से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार असम में, विशेष रूप से असम के पर्वतीय जिलों में ऐसी महामारी की रोकथाम करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाएं उपलब्ध कराने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारीदेवी सिद्धार्थ) : (क) असम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1989 तथा 1990 के दौरान गम्भीर अतिसारीय रोग (जिसमें जठरांत्रशोथ तथा हैजा शामिल है) से ग्रस्त रोगियों तथा इस रोग से हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	जठरांत्रशोथ		हैजा	
	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1986	723889	238	शून्य	शून्य
1990	9.9992	465	794	31

वर्ष 1991 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) भारत सरकार का एक राष्ट्रीय अतिसारीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है जो असम सहित पूरे देश में चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम में अन्यों के साथ-साथ अतिसारीय रोगों की निगरानी और अनुवीक्षण, ओरल रिहाईड्रेशन थिरेपी को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कार्यकलाप

शामिल हैं। कार्यक्रम के ये सभी घटक राज्य के स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की पद्धति के आधारभूत ढांचें के जरिए प्रदान किए जाते हैं।

इसके अलावा अतिसारीय रोगों के फैलने अथवा इस महामारी के मामलों में, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के जरिए निवारण और नियंत्रण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

राज्य-वार स्वायत्तशासी कालेज

4290. **डा० के० एस० सौन्द्रम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वायत्तशासी कालेजों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों में स्वायत्तशासी कालेजों की संख्या में अन्तर के क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न स्वायत्तशासी कालेजों को अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) इन कालेजों को दी गई धनराशि में अन्तर के क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इस समय, 102 कालेज नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार स्वायत्त कालेज के रूप में कार्य कर रहे हैं :—

राज्य के नाम	स्वायत्त कालेजों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	16
गुजरात	2
मध्य प्रदेश	28
उड़ीसा	5
राजस्थान	5
तमिलनाडु	44
उत्तर प्रदेश	2

किसी कालेज को वि० अ० आ० और सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से, उसके मूल विश्वविद्यालय, जिससे वह सम्बद्ध है, द्वारा स्वायत्त स्तर प्रदान किया जाता है। विभिन्न राज्यों में स्वायत्त कालेजों की संख्या में अन्तर, विभिन्न विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों द्वारा स्वायत्त कालेज योजना को अलग-अलग मात्रा में स्वीकृत करने के कारण है।

(ग) और (घ) आयोग स्वायत्त कालेजों को उनकी अतिरिक्त और विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करता है। अनुदान की राशि अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों

पर ऐसे कालेजों द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों के आधार पर निर्धारित की जाती है स्वायत्त कालेजों को दी गई सामान्य सहायता की सीमा नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार प्रति वर्ष 4.00 लाख रु० से 7.00 लाख रु० के बीच भिन्न-भिन्न है।

(क) अवर स्नातक स्तर	
(i) कला/विज्ञान/वाणिज्य (कोई भी एक संकाय)	4.00 लाख रु० प्रतिवर्ष
(ii) कला, विज्ञान और वाणिज्य	6.00 लाख रु० प्रतिवर्ष
(ख) अवर स्नातक और स्नातकोत्तर संयुक्त कालेज	7.00 लाख रु० प्रतिवर्ष

आयोग ने स्वायत्त कालेजों को सातवीं योजना के दौरान 515.00 लाख रु० और 1990-91 के दौरान 53.77 लाख रु० का अनुदान दिया।

उत्तरी भारत में कैंसर उपचार के लिए आधुनिकतम केन्द्रों की स्थापना

4291. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कैंसर शल्य चिकित्सा केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां कैंसर सर्वेक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और चिकित्सा का बहुत ही आधुनिकतम पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है;

(ख) क्या देश के उत्तरी भाग में कैंसर शल्य चिकित्सा अनुसंधान और चिकित्सा के ऐसे आधुनिकतम केन्द्र विद्यमान नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का टाटा कैंसर सेन्टर, मुम्बई की ही तरह देश के उत्तर भाग में आधुनिकतम अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) देश में उत्तरी क्षेत्र सहित 10 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद।
2. किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, बेंगलूर।
3. टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई।
4. चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता।
5. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र एवं उपचार सोसाइटी, कटक।
6. इंस्टिट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल, नई दिल्ली।

7. डा० बी० बी० कैंसर संस्थान, गुवाहाटी।

8. कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर।

9. कैंसर इंस्टिट्यूट, मद्रास।

10. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरुवन्तपुरम।

(ग) देश में उन्नत कैंसर अनुसंधान केन्द्र खोलने का इस मन्त्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, देश के उन क्षेत्रों में स्थित सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों के ऑन्कोलॉजी स्कन्धों का विकास करने की एक योजना है, जहां इस समय कैंसर उपचार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

बेतवा कार्य योजना

4292. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश की बेतवा कार्य योजना को जिसके लिए जापान से वित्तीय सहायता मांगी गई है, कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मध्य प्रदेश की बेतवा कार्य योजना के लिए वर्ष 1991-92 के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अन्तर्गत जापान से वित्तीय सहायता लेने का प्रस्ताव था। लेकिन, जापान सरकार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से इस परियोजना के लिए सहायता देने के लिए सहमत नहीं है।

उड़ीसा सामाजिक वानिकी परियोजना

4293. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार, स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (एस० आई० डी० ए०) से प्राप्त सहायता से उड़ीसा सामाजिक वानिकी परियोजना को वित्त पोषित करके उस परियोजना को कार्यान्वित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए खर्च की गई धनराशि तथा निर्धारित लक्ष्यों, राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

महानगरों में भिक्षुक

4294. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार महानगरों में भिक्षुकों की संख्या कितनी है;

(ख) इन भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) भिखारियों की संख्या ज्ञात नहीं है ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आदिवासी और जनजातीय लोगों को भूमि वितरण

4295. **श्री कोड्डीकुन्नील सुरेश** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को जनजातीय और आदिवासी लोगों से वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भूमि के वितरण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जनजातियों और आदिवासियों द्वारा अपनी जीविका के लिए वन भूमि पर किए गए लम्बे समय से चले आ रहे अवैध कब्जों को नियमित करने की आवश्यकता के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को उन अवैध कब्जों को कुछ पात्रता मापदण्डों के अनुसार नियमित करने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनको नियमित करने के बारे में उन्होंने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बनने से पहले निर्णय ले लिया था और उस निर्णय का कार्यान्वयन उक्त अधिनियम के लागू होने के कारण नहीं हो सका था ।

तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए केरल को वित्तीय सहायता

4296. **श्री टी० जे० अंजलोस** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए केरल राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहायता की सारी धनराशि केरल सरकार को सौंप दी गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो वित्तीय सहायता की शेष धनराशि कब तक दे दी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने तकनीकी शिक्षा की कोटि को मजबूत बनाने और आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने की दृष्टि से केरल राज्य की तकनीकी संस्थाओं को विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की है। प्रदान की गयी वित्तीय सहायता के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार वर्ष 1990-91 के दौरान 35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विश्व बैंक की सहायता

से पालिटेक्नीक शिक्षा के प्रोन्नयन की अपनी परियोजना को कार्यान्वित करने में केरल राज्य की सहायता कर रही है।

(ग) प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता योजनाओं के अन्तर्गत, समस्त राशि सीधे तकनीकी संस्थाओं को मुक्त की जाती है। विश्व-बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना के सम्बन्ध में आरम्भ में समस्त लागत राज्य योजना में प्रदान की है और इसकी प्रतिपूर्ति का आवधिक रूप से वास्तविक रूप से किए गए खर्चे के आधार पर दावा किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	योजना	तकनीकी संस्थाओं की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गयी	वर्ष 1985-86 से 1990-91 के दौरान मुक्त की गयी राशि (लाख रुपयों में)
1.	तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र	7	540.00
2.	कार्यशालाओं/प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण और व्याप्त अप्रचलित प्रथाओं को दूर करना	17 (इसमें 10 पालिटेकनीक शामिल हैं।)	760.00
3.	संस्थागत नेटवर्क योननाएं	1	12.50
4.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्य का विकास	3	298.40
5.	अनुसंधान तथा विकास योजना	1	2[illegible].00
		योग :	163[illegible].90

फुटपाथ निवासी आश्रय योजना के लिए धन का नियतन/उपलब्धि

4297. **श्री अमल दत्त** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फुटपाथ निवासी योजना के लिए राज्य-वार अब तक क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया, कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा इसकी उपलब्धि क्या रही;

(ख) संघ सरकार द्वारा धन आवंटन के अतिरिक्त इस योजना के लिए धन का क्या स्रोत रहा है तथा इसका, राज्य-वार, किस प्रकार वित्त पोषण किया गया है;

(ग) बीड़ी कामगारों, हथकरघा कामगारों के लिए आवास योजनाओं के सम्बन्ध में तथा काम-काजी महिलाओं के लिए सहस्वामित्व पर आधारित आवास योजनाओं के सम्बन्ध में क्या उपलब्धि रही है; और

(घ) उपर्युक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पात्र एजेंसियों का ब्यौरा क्या है तथा चयन का मापदण्ड क्या है और इन एजेंसियों को क्या सहायता दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) पटरी निवासी योजना जिसको पटरी निवासियों के लिए रैन बसेरा योजना का नाम दिया गया है, के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार कोई राज्यवार लक्ष्य और निधियों का नियतन निर्धारित नहीं करती है।

1990-91 में आरम्भ की गई संशोधित योजना के अनुसार केन्द्रीय सरकार आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) के माध्यम से 1000 रुपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता और हुडको से ऋण के रूप में प्रति व्यक्ति 4000 रुपए कार्यान्वयन अभिकरणों को 10% प्रति वर्ष की दर से प्रदान करती है जो 10 वर्षों में प्रतिदेय है। यदि निर्माण की लागत 5000 रुपए प्रति व्यक्ति बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई लागत का 50% ऋण के रूप में हुडको द्वारा प्रदान किया जाएगा और शेष राशि सम्बन्धित स्थानीय निकाय या राज्य सरकार द्वारा लगायी जानी है।

योजना के कार्यान्वयन के लिए आर्थिक सहायता ऋण के रूप में स्वीकृत की गई राशियों के वर्षवार और राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में संलग्न हैं।

(ग) बीड़ी कामगारों, हथकरघा कामगारों तथा कामगार महिला मालिकाना सहस्वामित्व योजना के लिए आवास योजनाओं के सम्बन्ध में उपलब्धियां विवरण-II में संलग्न में दी गई हैं।

(घ) पात्र अभिकरणों के ब्यौरे तथा चयन और सहायता के लिए मानदण्ड इस प्रकार हैं:—

1. बीड़ी कामगार कल्याण निधि के अन्तर्गत योजनाएं :—

(i) बीड़ी उद्योग में लगे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रति टेनामेंट के वास्तविक लागत के 50% की दर से आर्थिक सहायता जो अधिकतम 500 रुपए प्रति टेनामेंट हो तथा घर खाता कामगारों सहित बीड़ी उद्योग में सभी पात्र कामगारों के लिए मकान के निर्माण के लिए साधारण और स्वेली ब्लैक काटन मिट्टी के लिए क्रमशः 800 रुपए और 1000 रुपए की दर से विकास प्रभारों पर विचार किया जाता है। राज्य सरकारों से आर्थिक सहायता एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

(ii) बीड़ी कामगारों के लिए अपना मकान स्वयं बनाने की योजना में ऐसे बीड़ी कामगारों जो समीपवर्ती गांवों में रहते हैं, को उनके स्वामित्व वाले स्थलों पर मकानों के निर्माण/मरम्मत/विस्तार/परिवर्तन के लिए बीड़ी कामगार कल्याण निधि से आर्थिक सहायता तथा ऋण प्रदान करने पर विचार किया जाता है। प्रत्येक पात्र कामगार को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता तथा 6000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देय है। सम्बन्धित समिति की सिफारिश पर क्षेत्र के कल्याण आयुक्त द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी।

(iii) बीड़ी कामगारों और अन्य पात्र औद्योगिक श्रमिक के लिए सामुहिक आवास योजना के

अन्तर्गत सम्बन्धित कल्याण आयुक्त की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा बीड़ी उद्योग के कम से कम 50 पात्र कामगारों, जिनकी मासिक मजदूरी 16 0 रुपए से अधिक नहीं है, द्वारा गठित सहकारी सामुहिक आवास समिति में प्रति मकान क्रमशः 6000 रुपए ऋण और 1000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2. हथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड तथा आवास योजना :—

यह योजना या तो (क) हथकरघा शीर्षस्थ सहकारी समितियों/हथकरघा विकास निगमों या (ख) परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा गठित विशिष्ट अभिकरणों के माध्यम से सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय पद्धति इस प्रकार है :—

इकाईयों की प्रकृति	ईकाई लागत लागत रुपए	प्रति ईकाई केन्द्रीय आर्थिक सहायता रुपए	प्रति ईकाई राज्य सहायता रुपए	हुडको से ऋण रुपए	बुनकरों का अंशदान रुपए
ग्रामीण आवास वर्कशेड	9000	3000	3000	3000	—
शहरी आवास तथा वर्कशेड	15000	2500	2500	9700	300
वर्कशेड	3000	1500	1500	—	—

3. कामगार महिला मालिकाना सहस्वामित्व :—

यह योजना हुडको ने चलायी है जिसके अन्तर्गत कोई राज्य प्राधिकरण, सामाजिक या महिला संगठन जिसके पास भूमि है, हुडको को वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेज सकता है। हुडको 12.5% प्रति वर्ष के रियायती ब्याज की दर पर लागत के 70-80 प्रतिशत की सीमा तक ऋण सहायता प्रदान करेगा जो 12 वर्षों में प्रति देय होगी।

विवरण-I

वर्ष	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय अनुदान राशि/ राजसहायता (लाख रुपयों में)	संस्वीकृत हुडको ऋण	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1988-89	तमिलनाडु	133.60	—	

1	2	3	4	5
	पश्चिम बंगाल	104.00	—	
	आंध्र प्रदेश	61.32	—	
1989-90	आंध्र प्रदेश	40.34	—	
	महाराष्ट्र	66.74	—	
	तमिलनाडु	185.68	—	
1990-91	तमिलनाडु	10.58	34.18	मंजूर की गई योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय आर्थिक सहायता और हुडको ऋण उधार लेने वाली एजेंसियों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद हुडको द्वारा जारी किया जाता है ।
	गुजरात	2.75	11.00	
1991-92	महाराष्ट्र	17.25	—	
(22-8-91	चण्डीगढ़	2.00	—	
के अनुसार)	उत्तर प्रदेश	26.70	106.80	
	राजस्थान	4.00	10.21	
	उड़ीसा	1.28	5.12	

विवरण-II

1. बीड़ी कामगारों के लिए आवास योजना :

भारत सरकार (श्रम मन्त्रालय) ने तीन योजनाएं तैयार की हैं अर्थात (i) बीड़ी उद्योग में लगे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कामगारों के लिए आवास योजना, (ii) अपना मकान स्वयं बनाने की योजना और (iii) बीड़ी कामगारों के लिए सामूहिक आवास योजना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बीड़ी कामगारों के लिए आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की राजसहायता केवल तब जारी की जाती है जब मकान छत के स्तर तक बन जाए। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 13066 मकानों के लिए केन्द्र सरकार की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है जबकि 9718 मकानों के लिए 418.28 लाख रुपए की राजसहायता की धनराशि जारी की गई है।

अपना मकान स्वयं बनाने की योजना के अन्तर्गत अब तक 2091 मकानों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।

2. हथकरघा दस्तकारों के लिए काम करने के स्थान पर आश्रय तथा आवास योजना :

हथकरघा दस्तकारों के लिए काम करने के स्थान पर आश्रय तथा मकान बनाने के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 54,394 यूनिटों का निर्माण किया गया

और 1990-91 के दौरान कपड़ा मन्त्रालय (हथकरघा विकास आयुक्त) द्वारा 14283 यूनिटें मंजूर की गई।

3. कामगार महिलाओं को स्वामित्व सहस्वामित्व प्रदान करना :

कामगार महिलाओं के लिए स्वामित्व, सहस्वामित्व वाले मकानों का निर्माण करने के लिए हुडको योजना के अन्तर्गत अब तक हुडको ने 1.33 रुपए की परियोजना लागत के साथ 3 योजनाएं मंजूर की हैं और 1 करोड़ रुपए का हुडको ऋण देने का वचन दिया है। ये योजनाएं 34 रिहायसी यूनिटों और 166 वाणिज्यिक यूनिटों की व्यवस्था करेंगी।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद

4298. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री मनोरंजन सुर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 में सरकार द्वारा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद में मनोनीत किए गए व्यक्ति केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 की धाराओं से संतुष्ट हैं तथा वे सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के होम्योपैथिक औषधि बोर्ड/परिषद में पंजीकृत हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 की संख्या 59) की धारा 3(1), (ग) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के खंड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का 40 प्रतिशत से अनधिक सदस्यों को होम्योपैथी अथवा अन्य सम्बद्ध विषयों में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नामित करने की शक्ति प्राप्त है। उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 16 व्यक्तियों को केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के सदस्यों के रूप में नामित किया है।

समेकित बाल विकास योजनाएं

4299. **श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य की समेकित बाल विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कार्यान्वित की गई योजनाओं तथा बच्चों को उपलब्ध कराए गए लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित राज्य-वार धनराशि का ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

इसके अलावा, पोषाहार घटक का खर्च राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा वहन किया जाता है। परन्तु भारत सरकार भी केन्द्रीय प्रायोजित गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा योजना 1975 में 33 परियोजनाओं के साथ प्रयोगात्मक आधार पर शुरू की गई थी। सकारात्मक परिणामों के आधार पर योजना का विस्तार किया गया और अब तक देशों में 2341 केन्द्रीय प्रायोजित आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को निम्नलिखित समेकित सेवाएं प्रदान की जाती हैं :—

(1) पूरक पोषाहार

(2) रोग प्रतिरक्षण

(3) स्वास्थ्य जांच

(4) संदर्भ सेवाएं

(5) स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा, तथा

( ) अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए)

31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार 0-6 वर्ष के 115.13 लाख बच्चे और 22.21 लाख गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं पूरक पोषाहार प्राप्त कर रही थीं। इनमें से 64.17 लाख बच्चे स्कूल पूर्व शिक्षा भी प्राप्त कर रहे थे।

(ग) हाल ही में योजना को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) केन्द्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर साथ ही जिला स्तर पर और परियोजना स्तर पर आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम के प्रबोधन को सुदृढ़ किया गया है। सर्किल स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों तथा परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों से सूचना एकत्र करने के लिए नए रिपोर्टिंग प्रपत्र तैयार किए गए हैं। इन प्रपत्रों का उद्देश्य पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य संदर्भ, स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा आदि जैसे विभिन्न घटकों का ध्यानपूर्वक प्रबोधन करना है। विभिन्न आयु-वर्गों के बालक और बालिकाओं, पोषाहार निगरानी भर्ती, प्रशिक्षण और स्टाफ की तैनाती आदि सम्बन्धी सूचना तथा ध्यानपूर्वक प्रबोधन और समय रहते सुधारात्मक उपाय करने हेतु सूचना तैयार की जा रही है।

(ii) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से और महिला और

बच्चों के लिए विशेष सेवाओं से सम्बन्धित सभी मंत्रालयों और विभागों का कारगर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए तथा इन सेवाओं को आंगनवाड़ी केन्द्रों में संकेन्द्रित करने के लिए सभी सम्बन्धितों के परामर्श से एक स्टेट्स पेपर तैयार किया गया है।

भारत सरकार के कई सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को आवश्यक निर्देश पहले से ही जारी कर दिए हैं।

राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य स्तर पर सम्बन्धित विभागों के साथ इस मामले को उठाएं।

(III) स्कूल पूर्व बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के लिए पूरक पोषाहार लागत में संशोधन करके 21 फरवरी, 1991 से इसे 95 से 115 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया गया है।

(IV) समेकित बाल विकास सेवा के स्कूल पूर्व शिक्षा घटक को सुदृढ़ करने के लिए इस विभाग ने ब्लाक स्तर पर सभी समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं में संसाधन केन्द्र स्थापित करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

(V) आई० सी० डी० एस० कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किए गए हैं तथा मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं का अधिक कारगर ढंग से उपयोग करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है।

(VI) जनसंख्या के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए किशोर लड़कियों को भी आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(VII) आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के अन्तर्गत इस विभाग ने सक्रिय महिला मण्डलों के माध्यम से "महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यकलापों" का एक नया घटक शुरू किया है। इस परियोजना के अन्तर्गत अन्य नए कार्य-कलापों में, किशोर लड़कियों के लिए योजना, महिलाओं के लिए समेकित जीवन शिक्षा (बिल) प्रायोगिक आधार पर आरोग्यकर आहार का इस्तेमाल, पोषाहार पुनर्वास केन्द्र तथा बेहतर स्कूल पूर्व शिक्षा, संचार, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य घटक शामिल हैं।

विवरण-I

समेकित बाल विकास सेवा योजना के सतत कार्यान्बियन के लिए पिछले तीन वर्षों में राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय अनुदान की राज्य-वार राशि दर्शाने वाला विवरण :—

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शा० प्र० का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1186.59	957.83	1157.95

1	2	3	4	5
	2. अरुणाचल प्रदेश	124.67	96.04	136.80
	3. असम	457.97	543.61	762.91
	4. बिहार	1201.15	1374.47	2383.01
	5. गोवा	93.26	112.99	145.05
	6. गुजरात	1513.29	1170.40	1801.49
	7. हरियाणा	414.97	408.77	444.24
	8. हिमाचल प्रदेश	266.81	216.46	342.05
	9. जम्मू और कश्मीर	143.90	189.90	313.14
	10. कर्नाटक	926.16	1048.74	1217.43
	11. केरल	625.15	566.56	931.50
	12. मध्य प्रदेश	1242.67	1390.29	1814.89
	13. महाराष्ट्र	1282.58	1670.94	2444.88
	14. मणिपुर	133.29	198.65	209.69
	15. मेघालय	128.53	133.23	179.92
	16. मिजोरम	136.54	156.45	229.91
	17. नागालैण्ड	181.41	182.33	231.82
	18. उड़ीसा	775.83	941.17	923.54
	19. पंजाब	513.00	410.36	589.48

विवरण-II

गेहूं आधारित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के जरिए आबंटित गेहूं की लागत सहित विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए स्वीकृत धनराशि दर्शाने वाला विवरण :—

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/के० शा० प्र० का नाम	1988-89	1989-90	1990-91	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	355.41	474.55	197.40	1027.56

1 2	3	4	5	6
2. असम	93.08	50.00	29.61	172.69
3. बिहार	27.30	—	22.20	49.50
4. दमन और दीव	2.53	3.28	1.00	6.81
5. दादर और नागर हवेली	3.47	6.13	3.00	12.60
6. गोवा	2.00	2.00	—	4.00
7. गुजरात	69.70	85.95	49.60	205.25
8. हरियाणा	87.80	55.00	92.12	234.92
9. हिमाचल प्रदेश	36.50	15.00	22.20	73.70
10. कर्नाटक	24.50	60.00	—	84.50
11. मध्य प्रदेश	97.80	96.30	44.35	238.45
12. महाराष्ट्र	667.60	940.20	782.63	2390.43
13. मणिपुर	40.25	—	—	40.25
14. मेघालय	0.53	3.00	—	3.53
15. उड़ीसा	375.00	638.00	487.16	1500.16
16. पांडिचेरी	—	4.98	18.00	22.98
17. राजस्थान	139.50	54.26	84.35	278.11
18. तमिलनाडु	100.00	135.65	114.35	350.00
19. उत्तर प्रदेश	447.50	100.00	34.35	581.85
20. पश्चिम बंगाल	117.03	75.58	24.41	217.02
	2687.50	2799.88	2006.73	7494.11
21. राजस्थान	787.00	888.40	1270.69	
22. सिक्किम	31.00	37.73	53.12	
23. तमिलनाडु	529.91	845.73	1155.22	
24. त्रिपुरा	130.37	213.01	120.01	
25. उत्तर प्रदेश	1493.13	2238.76	2422.89	
26. पश्चिम बंगाल	1467.01	1563.17	1693.57	
27. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	25.00	27.00	27.36	

1	2	3	4	5
28.	चण्डीगढ़	21.50	21.00	24.00
29.	दादर और नागर हवेली	11.00	11.00	12.70
30.	दमन और दीव	8.00	8.00	8.00
31.	दिल्ली	287.52	291.12	373.62
32.	लक्षदीप	6.00	6.00	6.42
33.	पांडिचेरी	55.13	65.00	70.00
	जोड़ :	16200.28	18003.11	23500.00

समूह आवास समितियों में उप पट्टा/इकरारनामों का निष्पादन

4300. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने समूह आवास समितियों में उप-पट्टा/इकरारनाने की कार्यवाही निष्पादन को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने पट्टे निष्पादित किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उनके पट्टे निष्पादित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में समूह आवास समितियों द्वारा निर्मित फ्लैटों के उप-पट्टे निष्पादन के लिए अभी कितना समय और लिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री एम० अरुणाचलम**) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटीज द्वारा निर्मित फ्लैटों के लिए उप-पट्टा विलेख के फार्मेट को निम्नलिखित कारणों से अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है :—

(1) पूर्ण स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के सरकार के निर्णय के संदर्भ में उप-पट्टे के औचित्य पर विचार।

(2) पट्टा विलेख के उपबन्ध के विरुद्ध वित्तीय संस्थानों से प्राप्त अभ्यावेदन जिनमें यह सुझाव दिया गया कि संविदा भंग के लिए पुनः प्रवेश के उपबंध उन संस्थानों के हितों की रक्षा नहीं करते जिन्होंने सोसाइटियों को ऋण की पेशगी दे रखी है। अतः इस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(घ) उप-पट्टा विलेख को आगामी 3-4 महीनों में अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है। पट्टा

विलेखों के कार्य निष्पादन पर लिया जाने वाला समय आवंटिती सदस्यों द्वारा पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं पर निर्भर करेगा।

उड़ीसा में रूषिकुल्या और वंसधारा नदियों में प्रदूषण

4301. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिणी उड़ीसा की दो प्रमुख नदियों, रूषिकुल्या और वंसधारा के प्रदूषित होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन दो नदियों के जल प्रदूषण के क्या कारण हैं; और

(ग) इन नदियों को प्रदूषण रहित बनाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स जयश्री कैमिकल्स लि० से छोड़े गए बहिस्राव के कारण रूषिकुल्य नदी अपने मुहाने के अन्त में प्रदूषित हुई है। वंसधारा नदी में ज्यादा औद्योगिक बहिस्राव नहीं गिरता है लेकिन गुनुबुर, गुडारी और कासीनगर जैसे छोटे नगरों का घरेलू बहिस्राव इसमें छोड़ा जाता है। इसी तरह पुरुषोत्तमपुर और गंजम से भी घरेलू बहिस्राव रूषिकुल्य नदी में छोड़ा जाता है।

(ग) उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले मैसर्स जयश्री कैमिकल्स लि० के विरुद्ध मामला दर्ज कर दिया था क्योंकि यह इकाई निर्धारित बहिस्राव मानकों का पालन नहीं कर रही थी। इसके परिणामस्वरुप, जैसाकि उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है, इकाई ने उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय कर लिए हैं जिनमें उन अपशिष्टों को फिर से उपयोग में लाना भी शामिल है जिनमें पारा पाया जाता है।

राज्यवार फार्मेसी कालेजों की संख्या

4302. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार मान्यता प्राप्त फार्मेसी कालेजों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसे कालेज दान के रूप में पर्याप्त धनराशि की मांग करते हैं;

(ग) क्या ऐसे कालेज छात्रों को उपयुक्त शिक्षा और होस्टल की सुविधायें उपलब्ध कराते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इन कालेजों में शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त फार्मेसी कालेजो/विश्वविद्यालय विभागों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) इनमें से अधिकांश संस्थाओं को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा स्थापित किया जाता है/उन्हीं के द्वारा सहायता प्राप्त हैं और ये नाममात्र शुल्क वसूल करती हैं। बिना किसी अनुदान/स्वत: वित्त पोषण के आधार पर स्थापित कुछ संस्थायें राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित शुल्कों से अधिक शुल्क वसूल कर रही हैं, जिन्होंने किसी प्रकार की प्रति व्यक्ति शुल्क को वसूल करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए विधान भी पारित किया है।

(ग) और (घ) कालेजों/संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्वीकृति संस्थान द्वारा छात्रों को उपयुक्त शैक्षिक तथा छात्रावास सुविधायें प्रदान करने की शर्त पर होगी। इन संस्थानों में विशेषज्ञ समितियों के दौरों के जरिए इस सम्बन्ध में अनुपालना को सुनिश्चित किया जाता है। विशेषज्ञ समितियों द्वारा यदि किसी प्रकार की कमियों का उल्लेख किया जाता है और उनमें सुधार नहीं किया जाता तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को उनकी मान्यता वापिस लेने का अधिकार है।

विवरण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त फार्मेसी कालेजों/ विश्वविद्यालय विभागों की संख्या (राज्यवार)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संस्थानों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	बिहार	3
4.	चंडीगढ़	1
5.	दिल्ली	2
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	4
8.	राजस्थान	1
9.	कर्नाटक	1
10.	मध्य प्रदेश	2
11.	महाराष्ट्र	10
12.	उत्तर प्रदेश	1
13.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल :	29

अस्पतालों में परिचारिका-प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए अनुबन्ध पत्र भरना

[हिन्दी]

4303. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के जिन अस्पतालों में परिचारिका-प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है वहां प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को उसी अस्पताल में दो वर्षों तक के लिए काम करने सम्बन्धी कोई अनुबंधता पत्र भरना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के नर्सिंग स्कूल के वर्ष 1990 के बैच स्टाफ परिचारिकाओं को अस्पताल में रिक्त स्थान होने के बावजूद अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें रोजगार न देने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) नर्सिंग स्कूल में दाखिल किए गए प्रत्येक अभ्यार्थी को दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत किसी एक अस्पताल में एक वर्ष की अवधि तक सेवा करने के लिए बंध-पत्र भरना होता है जैसाकि दिल्ली प्रशासन द्वारा अपेक्षित है।

नियमानुसार प्रत्येक रिक्ति को रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया जाना अपेक्षित होता है। नर्सिंग स्कूल, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल से पास होकर निकले प्रशिक्षणार्थियों को स्वयं को रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करवाना अपेक्षित होता है और रोजगार कार्यालय द्वारा उनका नाम भेजने पर स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाता है।

अपना पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लेने के बाद दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्त किए जाने का कोई अधिकार उन्हें बन्ध-पत्र भरने की वजह से नहीं मिल जाता।

रीवा में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

[अनुवाद]

4304. **श्री भीम सिंह पटेल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवा में कोई केन्द्रीय विद्यालय खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार रीवा में ऐसे और विद्यालय खोलने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) सिविल लाइन्स, रीवा, मध्य प्रदेश में पहले ही 1982-83 से एक केन्द्रीय विद्यालय चल रहा है। रीवा में एक दूसरा केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन के 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम

4305. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन के 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रशिक्षणार्थियों का पहला बैच सामान्य बीमा निगम में सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रशिक्षु का पाठ्यक्रम कब तक पूरा करने की सम्भावना है;

(घ) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन की परीक्षाएं 1991 में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों से सामान्य बीमा निगम में प्रशिक्षण के लिए कब तक भेजने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में पदोन्नति/स्थानान्तरण सम्बन्धी रीति क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम वर्ष 1977 से आरम्भ किए गए थे। बोर्ड द्वारा 1991 में ली गई परीक्षा में छात्रों को 28 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई थी।

(ग) सफल छात्रों के पहले समूह ने सामान्य बीमा व्यवसाय में प्रशिक्षु सहायक की हैसियत से 7 अक्टूबर, 1990 को प्रवेश किया तथा 30 सितम्बर, 91 को उनकी प्रशिक्षुता, अवधि समाप्त हो जाएगी।

(घ) भरती प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। सफल छात्रों में से जो छात्र आवेदन करेंगे, उन्हें साक्षात्कार तथा स्वास्थ्य परीक्षा के उपरान्त सामान्य बीमा के विभिन्न कार्यालयों में प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया जाएगा। इस प्रक्रिया के नवम्बर, 1991 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(ङ) जो नियमित आधार पर सहायक के रूप में आमेलित व्यक्तियों को अन्य पर्यवेक्षी, लिपिकीय तथा अधीनस्थ वर्गों को लिए लागू पदोन्नति तथा स्थानांतरण नीतियों द्वारा नियन्त्रित किया जाएगा।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत हरियाणा को धनराशि का आबंटन

[हिन्दी]

4306. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को लाभ हुआ है और उनमें से कितने लोग पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यक वर्गों से सम्बन्धित हैं;

(ग) क्या सरकार को इस धनराशि के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) हरियाणा को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान 228.38 लाख रु०, वर्ष 1989-90 के दौरान 186.12 लाख रु० तथा वर्ष 1990-91 के दौरान 10 .07 लाख रु० की धनराशि आबंटित की गई थी।

(ख) से (घ) इन वर्षों के दौरान राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत शुरू किया गया था। इन गैर-सरकारी एजेंसियों में से, नेहरू युवक केन्द्र संगठन तथा स्वैच्छिक एजेंसियों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन तीन वर्षों के दौरान लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या क्रमश: 43,500 तथा 44,623 थी। इनमें पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों तथा अल्पसंख्यकों सहित सभी समुदाय के लोग शामिल हैं। राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तथा ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना की योजनाओं के अन्तर्गत अंश-कालिक तथा स्वैच्छिक कार्मिकों ने अपने वेतनमान की मांग के लिए कानूनी क्षतिपूर्ति मांगी तथा इस लम्बी मुकदमेबाजी के कारण वस्तुत: यह कार्यक्रम इस अवधि के दौरान रुक सा गया।

ग्रामीण भारत की कठपुतली लोक कला

4307. **श्री गोविन्दराव निकम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भारत की लोक कला, कठपुतली का तेजी से ह्रास हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस कला को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) इस क्षेत्र में कितने व्यक्ति लगे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें वित्तीय सहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां, ग्रामीण भारत की, विशेषकर राजस्थान की, लोक कला, कठपुतली का ह्रास होता जा रहा है।

(ख) संगीत नाटक अकादमी ने "कठपुतली कला की प्रोन्नति एवं परिरक्षण" नामक योजना 1985 में शुरू की है जिसके अन्तर्गत कठपुतली उत्सवों का आयोजन, समकालीन कठपुतली-कलाकारों

के साथ परम्परागत कठपुतली कलाकारों की कठपुतली नाटक कार्यशालाओं का आयोजन और कठपुतली दलों को उनके प्रदर्शनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इन सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत कठपुतली को समुचित स्थान और महत्व दिया गया है। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र शिक्षा के लिए कठपुतली के प्रयोग पर शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहा है। संस्कृति विभाग कठपुतली नाटय-दलों को "नृत्य, नाटक और मण्डलियों को वित्तीय सहायता" की योजना के अन्तर्गत वेतन के लिए वित्तीय सहायता तथा निर्माण अनुदान दे रहा है।

(ग) इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) जैसाकि उत्तर के पैरा (ख) में बताया गया है, सरकार और संगीत नाटक अकादमी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को झड़ोदा कलां में भूखण्ड

[अनुवाद]

4308. श्री राम विलास पासवान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 में ग्राम झड़ोदा कलां, नजफगढ़ ब्लाक, दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों को भूखण्ड आवंटित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी आवंटितियों को इन भूखण्डों का कब्जा दे दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अभी तक जिन आवंटितियों को कब्जा नहीं दिया गया है उन्हें कब तक कब्जा दे दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 1976 में ऐसा कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) तक उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

अण्डमान तथा निकोबार में वन भूमि क्षेत्र

4309. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार के संघ राज्य क्षेत्र में कुल कितना वन भूमि क्षेत्र है; और

(ख) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में वन क्षेत्रों का तहसीलवार/जिलावार वर्गीकरण क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में वनों के अन्तर्गत कुल 71‍1 वर्ग कि० मी० क्षेत्र आता है।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में वन क्षेत्रों का जिलेवार वर्गीकरण इस प्रकार है :

(क्षेत्र वर्ग कि० मी० में)

जिले का नाम	रिजर्व वन	सुरक्षित वन	कुल
अंडमान	2929	2700	5629
निकोबार	—	1542	1542
कुल :	2929	4242	7171

वल्लभभाई पटेल चेस्ट इन्स्टिट्यूट में दवाएं उपलब्ध न होना

[हिन्दी]

4311. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली में गत छः महीनों से दवाएं उपलब्ध नहीं हैं और इंस्टिट्यूट के वार्ड बन्द पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार को हाल ही में इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मिला है और यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या इन्स्टिट्यूट के प्रशासन के बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) वल्लभभाई पटेल चेस्ट इन्स्टिट्यूट, नई दिल्ली में कुछ औषधों की सप्लाई में कभी-कभी व्यवधान पड़ा था तथा वार्डों को अस्थायी तौर पर बन्द करना पड़ा था तथापि, संस्थान के नैदानिक अनुसंधान केन्द्र के वार्डों को अब रोगियों को दाखिल करने के लिए खोल दिया गया है ।

(ख) से (घ) इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए ज्ञापन को अभ्युक्तियों से लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को भेज दिया गया है ।

बिना बारी के आधार पर फ्लैटों के आवेदकों के आवेदन-पत्र का अस्वीकार किया जाना

[अनुवाद]

4312. **श्री मदन लाल खुराना :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री 5 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1672 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 91 मामलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अस्वीकृत किया गया तथा इसके क्या कारण थे;

(ख) इसी अवधि के दौरान जिन्हें फ्लैट आवंटित किए गए/नहीं किए गए, इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं, तथा आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने/स्वीकार करने के, अलग-अलग विशेष कारण क्या हैं;

(ग) शेष मामलों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) 1 अप्रैल, 1991 से अब तक फ्लैटों/दुकानों/भूखण्डों के बिना बारी के आवंटन के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वन मृदा और वनस्पति सर्वेक्षण केन्द्र

4313. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में मिदनापुर से वनमृदा और वनस्पति सर्वेक्षण केन्द्र को बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) मिदनापुर में वन मृदा एवं वनस्पति सर्वेक्षण केन्द्र, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की अनुसंधान की आधारभूत संरचना का एक भाग है। यह परिषद एक स्वायत्त संगठन है। अपने अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों को समेकित व पुनर्गठित करने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद अनेक प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ताकि इसकी वानिकी सम्बन्धित गतिविधियों में सुधार लाया जा सके तथा इन्हें अधिक व्यापक बनाया जा सके।

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी योजना

4314. **श्री महासमुवम ज्ञानेन्द्र रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी योजना को जारी रखने का है;

(ख) यदि हां, तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को कितनी मानदेय राशि दी जाती है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति और तैनाती का कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों के पास है। केवल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम थी। चूंकि बहुत से राज्यों ने इस स्कीम को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था, इसलिए सातवीं योजनावधि में यह प्रशिक्षण योजना रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों के अनुसार यह स्कीम राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दी गई है।

(ख) और (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी हैं और वे नियमित रूप से वेतन और भत्ते ले रहे हैं, उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जाता।

श्रमिकों का विदेश प्रयास

4315. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान कितने भारतीय श्रमिक रोजगार की तलाश में विदेशों को गए;

(ख) उन देशों के क्या नाम हैं; और

(ग) विदेश से कितने लोग नौकरी छोड़कर वापस आ गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) वर्ष 1989 तथा 1990 के दौरान विदेशों में रोजगार के लिए क्रमश: 1,25,786 तथा 1,43,565 व्यक्तियों को उत्प्रवास की अनुमति दी गयी थी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) विदेशों से नौकरी छोड़कर वापस आने वाले व्यक्तियों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

आंगनवाड़ी कार्यक्रम

4316. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी महिला कामगार कार्य कर रही हैं;

(ख) केरल में आंगनवाड़ी कामगारों और हेल्परों की संख्या कितनी हैं; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर निम्नलिखित श्रेणियों की महिला

कार्यकर्ता कार्यरत थी :

आगनवाड़ी कार्यकर्ता	21258
सहायिकाएं	21258
सुपरवाइजर	757
जोड़ :	43273

इसके अलावा, ब्लाक स्तर पर अधिकांश बाल विकास परियोजना अधिकारी और सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा जिला स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी भी महिलाएं ही हैं।

(ख) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार केरल में कुल 7100 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 7100 सहायिकाएं कार्यरत थीं।

(ग) आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम को चलाने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 24.23 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने आई० सी० डी० एस० के लाभप्राप्तकर्ताओं के लिए गेहूं-आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश को 34.35 लाख रुपए की राशि जारी की। उल्लेखनीय है कि आई०सी०डी०एस० के लाभप्राप्तकर्ताओं का पोषाहार उपलब्ध कराने की मौलिक जिम्मेवारी राज्य सरकार की है।

परियोजनाओं के प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन

[हिन्दी]

4317. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनराशि की अत्यधिक कमी के कारण केन्द्रीय सरकार ने चालू परियोजनाओं के प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त निर्णय से राजस्थान की कौन-कौन सी परियोजनायें प्रभावित होने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। निधियों की कमी के कारण इस मन्त्रालय की चालू परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्राथमिकता में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगलौर के लिए परिक्रमा रेलवे

[अनुवाद]

4318. **श्री एस० डी० देवगौड़ा :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में परिक्रमा रेलवे का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अजन्ता/एलोरा गुफाओं के लिए योजनाएं

4320. **श्री तेजसिंह राव भोंसले :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को ने अजन्ता और एलोरा गुफाओं को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इन स्थलों के प्रति और अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने हेतु कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम लि० को अजन्ता-एलोरा क्षेत्र के लिए बनाई गई पर्यटन विकास योजना की परियोजना साध्यता रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमें अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यातायात एवं गाइड सेवा आदि के अतिरिक्त आधारभूत विकास जैसे सड़क, पानी की आपूर्ति एवं मलवहन, हवाई अड्डा एवं रेल सम्पर्क भी शामिल हैं।

अग्निकुला क्षत्रिय समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

4321. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव. वाड्डे :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अग्निकुला क्षत्रिय समुदाय (पल्ली) को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के अग्निकुल क्षत्रीय (पल्ली) समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए विधान लाने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कोई भी संशोधन संविधान के अनुच्छेद 342(2) में की गई व्यवस्था के अनुसार केवल संसद अधिनियम के माध्यम से ही किया जा सकता है ।

दिल्ली में ठण्डे पानी की ट्रालियां

4322. **श्री ई० अहमद** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ठण्डे पानी की ट्रालियों द्वारा बेचे जाने वाला पानी जीवाणु मुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ठण्डे पानी की वर्तमान ट्रालियों के स्थान पर बोतलों में उचित मूल्य पर जीवाणु रहित शुद्ध ठण्डा पानी लोगों को उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि पानी की ट्रालियों द्वारा बेचने के लिए दिया गया ठण्डा पानी पूर्णतया विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वच्छ जलापूर्ति की परिसीमाओं के अनुरूप होता है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि लाइसेन्स-शुदा जल शीतलन संयंत्रों की ठण्डे पानी की ट्रालियां मशीन से ठण्डा करने के पश्चात् जीवाणु मुक्त पालिका पानी बेचती है ।

(ख) पानी के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम, दोनों ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

[हिन्दी]

4323. **श्री राम बदन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के कुप्रबन्धन के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश के उन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की संख्या क्या है जिनमें अभी तक चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गयी है; और

(घ) इस सम्बन्ध में संघ सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) योजना आयोग, जो राज्य सरकार को सीधे धनराशि रिलीज करता है, का परामर्श लेते हुए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक केन्द्रों की स्थापना की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रबन्ध अकेले राज्य सरकार के पास ही होता है। वैसे केवल मॉनीटरिंग का कार्य केन्द्र सरकार के पास है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-3-91 को कुल 3103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 289 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं।

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों समेत स्टाफ के रोजगार और उनको तैनात करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी

[अनुवाद]

4324. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाने हेतु संसद सदस्यों के लिए कोई कोटा निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि दाखिला दिशा निर्देशों के अनुसार संसद सदस्यों के बच्चों एवं आश्रित पौत्र/पौत्रियों को कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या की सीमा से परे जाकर भी केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला दिया जा सकता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए पेंशन योजना

[हिन्दी]

4325. **श्री काशीराम राणा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में पेंशन योजना शुरू करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारी केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों सहित कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्यों

के लिए एक उपयुक्त पेंशन योजना लागू करने की सिफारिश की है। बोर्ड की सिफारिश फिलहाल सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में ईंट के भट्ठे

4326. **श्री गया प्रसाद कोरी :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में ईंट के कितने भट्ठे हैं;

(ख) उनमें कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ग) श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए वहां कौन से श्रम-कानून लागू हैं;

(घ) क्या प्रबन्धकों द्वारा उन श्रमिकों के मामले में कर्मचारी बीमा योजना और भविष्य निधि जैसे अधिनियमों को अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इन अधिनियमों को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है;

(च) क्या ईंट भट्ठों के मालिक बाल श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 300।

(ख) लगभग 2,50,000।

(ग) 1. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970;

2. अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979; और

3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।

(घ) और (ङ) इस समय बीस या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले ईंट के भट्ठों पर उनके चालू होने के तीन वर्ष पश्चात कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है। इन अपेक्षाओं को पूरा करने वाले ईंट के सभी भट्ठों को अधिनियम के प्रावधानों को कानूनी रूप से कार्यान्वित करना अपेक्षित है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 उन कारखानों पर लागू होता है जो बिजली से चलाए जाते हैं तथा दस या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं और जो बिना बिजली के चलाए जाते हैं तथा बीस या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं। इस वर्ग में आने वाले और उस क्षेत्र में स्थित ईंट के भट्ठों को जहां क०रा०बी० योजना लागू की गई है, भी अधिनियम को कानूनी रूप से लागू करना अपेक्षित है। क०भ०नि० और क० रा० बी० प्राधिकारी यह

सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं कि दोनों अधिनियम उन सभी इंट के भट्टों द्वारा लागू किए जाते हैं जोकि कानूनी रूप से इनके अन्तर्गत आते हैं।

(च) इंट के भट्टों के निरीक्षण के दौरान कोई भी बाल श्रमिक काम करता हुआ नहीं पाया गया। इसके अलावा बाल श्रमिकों के नियोजन और उनके शोषण से सम्बन्धित कोई भी शिकायत संबद्ध प्राधिकारियों के पास नहीं भेजी गयी है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

दमा उपचार केन्द्र

[अनुवाद]

4327. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जुलाई, 1991 के दौरान दमा के उपचार के लिए कुछ विशेष केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संघ सरकार का विचार देश में और विशेष रूप से सिक्किम में और अधिक केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसा कोई केन्द्र नहीं है और न ही सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

उद्योगों द्वारा प्रदूषण

4328. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले कार्यकलापों को रोकने की दृष्टि से पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के मामले में नागरिक उत्तरदायित्व को सम्मिलित करने के लिए कोई विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार

4329. **श्री लालजन बाश एस० एम०** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करने हेतु पद्धति और उपाय निर्धारित करने के लिए समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) उक्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) अन्य बातों के साथ-साथ यह पता लगाने हेतु कि क्या केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न वित्तीय नीतियों के लाभ वास्तव में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों तक पहुंचते हैं सरकार द्वारा मई, 1980 में एक उच्च अधिकार प्राप्त पैनल का गठन किया गया था। इस समिति से यह अपेक्षा की गई थी कि वह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु तौर तरीके सुझाए 1 मई, 1988 में इस पैनल द्वारा प्रस्तुत की गई अल्पसंख्यक सम्बन्धी रिपोर्ट 27 अगस्त, 90 को लोक सभा पटल पर रख दी गई थी। सरकार द्वारा सिफारिशों पर विचार करने के बाद सिफारिशों के बारे में अपना दृष्टिकोण रिपोर्ट के साथ रखे गए विवरण में ही दे दिया गया था।

उड़ीसा की आवास योजनाएं

4330. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की विभिन्न शहरी आवास योजनाओं के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त योजनाओं को स्वीकृति कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले

[हिन्दी]

4331. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) कितने मामलों में, न्यायालयों में चालान दायर किए गए तथा इसमें कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया; और

(ग) कितने मामलों में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग द्वारा मारे गए छापे

[अनुवाद]

4332. **श्री तारा चन्द खण्डेलवाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ने साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II मार्केट में खाद्य पदार्थों को बेचने वालों पर छापे मारे हैं;

(ख) क्या साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II नई दिल्ली में खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोग अपमिश्रित और बासी चीजें बेच रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग ने साउथ एक्सटेंशन भाग-II मार्किट, नई दिल्ली से वर्ष 1989 में खाद्य वस्तुओं के 9 नमूने लिए थे, जिनमें से केवल एक नमूना अपमिश्रित पाया गया। इस सम्बन्ध में मुकदमा चलाया गया है। ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

पूरी दिल्ली के विभिन्न बाजारों से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूने लिए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1989 के दौरान नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-II मार्किट, नई दिल्ली से लिए गए नमूनों की सूची

क्रम सं०	तारीख	वस्तु	विक्रेता का नाम और पता	परिणाम
1	2	3	4	5
1.	11-1-89	आटा	श्री सुरेन्द्र बाबू गुप्ता, मेहरासन्स ज्वैलर्स के सामने स्थित	विशुद्ध

1	2	3	4	5
			दुकान ई-1-2, रिंग रोड़ और पार्क के मध्य साउथ एक्स पार्ट-II	
2	20-1-89	हल्दी पाउडर	श्री सरदारी लाल मैसर्स सुपर स्टोर, ई-15, एन० डी० एस० ई०, पार्ट-II	विशुद्ध
3.	31-3-89	सफेद मिर्च पाउडर	श्री ताशी मैं० दाइची रेस्टोरैंट, ई० 19/ए०, एन० डी० एस० ई०, पार्ट-II	विशुद्ध
4.	6-5-89	मक्की का आटा	श्री मनमोहन सिंह गूर्मेज डिलाइट, डी० एच० एल० 7619, एन० डी० एस० ई०, पार्ट-II मार्किट, डेसु सब-स्टेशन के पास	विशुद्ध
5.	6-5-89	रिफाइण्ड मूंगफली का तेल	श्री अनुपम साहनी हॉकर द ग्रेट व्हील-डील, वाहन सं० डी० एच० एल० 6031, गाइड मैप के नजदीक, एन० डी० एस० ई० मार्किट-II	विशुद्ध
6.	6-5-89	वेजिटेबल सॉस	श्री वीरेन्द्र साही मैं० हंगरी होप सुपर वैन, डी० एच० एल० 7764, डी०-6 के सामने पार्क की गई मेटाडोर, एन० डी० एस० ई-II	अपमिश्रित
7.	3-8-89	आटा	श्री अशोक कुमार सेठी फूड स्टाल, विंग शॉप के सामने पार्क और रिंग रोड़ के मध्य, एन० डी० एस० ई-II	विशुद्ध
8.	3-8-89	पनीर	श्री सुरेन्द्र कुमार (गुप्ता फूड स्टॉल) महाजन हाउस, (मेहरासन्स ज्वैलर्स) के सामने स्थित, कार्नर पार्क के मध्य, (रिंग रोड) एन० डी० एस० ई-II.	विशुद्ध

1	2	3	4	5
9.	18-8-89	लेक्टोजेने स्प्रे, सूखा	श्री सरदारी लाल गुप्ता मै० साउथ सुपर स्टोर, दुकान नं० ई-5, एन० डी० एस० ई-II, नई दिल्ली।	विशुद्ध

केन्द्रीय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और योग के शिक्षकों की पी० जी० टी० अथवा प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति

4333. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में अनेक शारीरिक शिक्षा और योग के शिक्षक पोस्ट ग्रेजुएट टीचरों की योग्यता धारण करते हैं;

(ख) क्या पोस्ट ग्रेजुएट टीचरों अथवा प्रिंसिपलों के पद के लिए इन शिक्षकों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाता है;

(ग) क्या बी० पी० एड० की डिग्री के बराबर नहीं माना जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और योग शिक्षकों की शिक्षण अर्हता शिक्षा स्नातक के बराबर नहीं है। शारीरिक शिक्षा स्नातक की अर्हता पाठ्यक्रम में अन्तर होने के कारण शिक्षा स्नातक के बराबर नहीं समझी जाती। यह सम्भव है कि कुछ शारीरिक शिक्षा शिक्षकों अथवा योग शिक्षकों की वैयक्तिक रूप से शैक्षिक अर्हताएं ज्यादा हों, किन्तु पदोन्नति का चेनल पदों से सम्बद्ध अर्हताओं के आधार पर बनाया गया है, इसलिए स्नातकोत्तर शिक्षक अथवा प्रिंसिपल के पद पर शारीरिक शिक्षा शिक्षक/योग शिक्षक को पदोन्नति का चेनल नहीं है। तथापि व्यक्तिगत रूप से शारीरिक शिक्षा शिक्षक अथवा योग शिक्षक यदि अपेक्षित अर्हताएं रखते हैं, तो इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में वृक्षारोपण योजनाएं

4334. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में लागू किए जा रहे विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रोपे गए पौधों की संख्या क्या है और वे कितने क्षेत्र में लगाए गए हैं तथा उनमें कितने पौधे जीवित रह पाए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

[हिन्दी]

4335. श्री सज्जन कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खाद्य पदार्थों में भारी पैमाने पर मिलावट हो रही है जिसके परिणाम-स्वरूप बीमारियां दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1990 से अब तक दिल्ली प्रशासन के खाद्य अपमिश्रण नियंत्रण विभाग द्वारा खाद्य अपमिश्रण के कितने मामले दर्ज किए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग के खाद्य पदार्थों में मिलावट होने के कारण बीमारियों की घटना के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, दिल्ली प्रशासन खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का नियमित रूप से जांच कर रहा है।

1-1-1990 से 31-7-1991 की अवधि में खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, दिल्ली प्रशासन द्वारा अपमिश्रण के कुल 108 मामलों का पता लगाया गया है।

दिल्ली में अनधिकृत आवासों को गिराना

[अनुवाद]

4336. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1991 से दिल्ली में कितने अनधिकृत कारखाने/आवासीय मकान और झुग्गी झोपड़ियां गिरा दी गई हैं;

(ख) क्या उन्हें वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने 5 भवनों के उन हिस्सों को गिराया जिनका अनधिकृत रूप से निर्माण किया गया था तथा 48 झुग्गियां भी हटायीं।

दिल्ली नगर निगम ने 1-1-1991 से 31-7-1991 तक की अवधि में 16 अनधिकृत निर्माण गिराए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (मुख्य स्कंध) ने 1-1-1991 से जुलाई, 1991 तक की अवधि के दौरान रिहायशी/वाणिज्यिक/अन्य प्रकृति के 1323 अनधिकृत निर्माणों को गिराया। दिल्ली विकास प्राधिकरण के मलिन बस्ती स्कंध ने 172 झुग्गियों तथा एक स्लम निष्कान्त सम्पत्ति को गिराया।

दिल्ली प्रशासन के विकास विभाग ने भी ग्राम सभा की भूमि पर निर्मित आठ अस्थायी कमरों तथा 32 चहारदीवारियों को गिराया।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के मलिन बस्ती स्कंध द्वारा पात्र झुग्गी निवासियों/स्लम से बेदखल किए गए व्यक्तियों को निम्नलिखित वैकल्पिक आवंटन किए जाने की सूचना दी गई है :

(i) द्वारका परियोजना के मटियाला गांव में झुग्गी परिवारों के लिए 132 वैकल्पिक प्लाट तथा

(ii) स्लम सम्पत्ति से बेदखल किए गए 6 पात्र व्यक्तियों को वैकल्पिक आवास (रंजीत नगर में 4, बस्ती नवनोल अजमेरी गेट में 1, माता सुन्दरी रोड पर 1) अनधिकृत निर्माण के बदले में वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका की कोई नीति नहीं है।

नयी शहरी विकास नीति

4337. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1991 की जनगणना के अनुसार राज्यों और जिलों में नए शहरों का विकास बहुत ही विषम रूप से हुआ है और 54 प्रतिशत शहर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई नयी शहरी विकास नीति बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नयी शहरी विकास नीति बनाने का कार्य आठवीं योजना निष्पादन का अंग है।

यमुना पार विकास बोर्ड

[हिन्दी]

4338. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए यमुना-पार विकास बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) यमुना-पार विकास बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि महानगर के अन्य भागों के साथ क्षेत्र का सुनियोजित विकास पहले हो रहा है ।

बिहार में कामकाजी लड़कियों के लिए होस्टल

4339. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कामकाजी लड़कियों के लिए होस्टलों की संख्या कितनी हैं; और

(ख) ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला होस्टल के निर्माण के लिए सरकार की सहायता योजना के अन्तर्गत बिहार में अब तक 482 कामकाजी महिलाओं का आवास उपलब्ध कराने के लिए 8 कामकाजी महिला होस्टल स्वीकृत किए गए हैं । होस्टलों के स्थान निम्नानुसार हैं :

क्रम सं०	परियोजना का स्थान	होस्टलों की सं०
1.	मधुबनी	1
2.	मुंगेर	1
3.	रांची	2
4.	रोहताश	2
5.	पटना	1
6.	सीतामढ़ी	1

ब्रिटेन द्वारा भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति

[अनुवाद]

4340. **श्री राजवीर सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान ब्रिटेन द्वारा कितने भारतीत छात्रों को विषय वार छात्रवृत्ति दी गई है; और

(ख) क्या ऐसी छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रमण्डल छात्रवत्ति कार्यक्रम और नेहरू शताब्दी ब्रिटिश शिक्षावृत्ति/पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 1990-91 के दौरान यू० के० द्वारा भारतीय छात्रों को संलग्न विवरण के अनुसार 65 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। इन छात्रवृत्तियों का प्रदान किया जाना ब्रिटिश पक्ष की ओर से प्रस्ताव की प्राप्ति और उसके बाद सम्बन्धित ब्रिटिश प्राधिकारियों द्वारा चयनित अध्येताओं की स्वीकृति पर निर्भर करता है।

विवरण

क्रम सं०	विषय क्षेत्र	1990-91 के दौरान प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या
1	2	3
1.	प्रसूति विज्ञान	1
2.	कार्डियोलाजी	2
3.	कैंसर अनुसंधान	2
4.	न्यूरो सर्जरी	1
5.	सूक्ष्म जीव विज्ञान	2
6.	गणित	1
7.	मालिक्युलर जीव विज्ञान	4
8.	संगणक विज्ञान	2
9.	रसायन शास्त्र	3
10.	भौतिक शास्त्र	4
11.	जीव विज्ञान सम्बन्धी विज्ञान	7
12.	वन अर्थ शास्त्र	2
13.	वागवानी	2
14.	शस्य विज्ञान	1
15.	जन संचार	3

1	2	3
16.	अर्थ शास्त्र	4
17.	मानव विज्ञान	1
18.	पुरातत्व विज्ञान	1
19.	राजनीतिक विज्ञान	3
20.	समाज विज्ञान	1
21.	इतिहास	4
22.	शिक्षा/शिक्षा शास्त्र	1
23	अंग्रेजी भाषा/साहित्य	1
24	अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध	2
25.	विधि	2
26.	इलेक्ट्रानिक्स	2
27.	संगणक अध्ययन	1
28.	संचार इंजीनियरिंग	1
29	प्रक्रिया नियंत्रण	1
30.	पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग	1
31.	रोबोटिक्स	1
32.	जन संचार माध्यम/ पत्रकारिता	1
	कुल :	65

मेडिकल कालेज अस्पतालों द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भेजे गये रोगियों की चिकित्सा

4341. श्री भोगेन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि मेडिकल कालेज अस्पतालों द्वारा भेगे गए और देश के दूर-दराज के स्थानों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आए रोगियों की पूर्व-वरीयता के आधार पर शीघ्र जांच व चिकित्सा की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक्स-रे और अन्य परीक्षणों के लिए लम्बे अन्तराल के बाद भी तारीख निर्धारित नहीं की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) देश के दूरस्थ स्थानों के मेडिकल कालेजों/अस्पतालों द्वारा जांच और उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भेजे गए सभी रोगियों को उचित प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) और (घ) चूंकि जांचों के लिए भारी मात्रा में मांग पत्र आते हैं इसलिए एक्सरे जैसी सामान्य जांचों के लिए अस्पताल में प्रतीक्षा सूची है। बहरहाल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में गम्भीर रोगियों को परीक्षण कराने के लिए सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाती है।

गंगा को प्रदूषण से मुक्त रखने की योजना

[हिन्दी]

4342. **श्री राम सिंह :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार में अप्रैल, 1992 में "अर्द्ध कुम्भ" आयोजित किया जा रहा है; और

(ख) हरिद्वार और गंगा को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत हरिद्वार में प्रदूषण कम करने की दृष्टि से अवरोधन, दिशा-परिवर्तन और अपशेष जल के उपचार से सम्बन्धित 13 स्कीमें हाथ में ली गई हैं। इससे प्रतिदिन 32 मिलियन लीटर अवशेष जल का दिशा-परिवर्तन/उपचार किया जा सकेगा। अब तक 11 स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं। अन्य दो स्कीमों में कार्य प्रगति पर है।

आंध्र प्रदेश को औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए सहायता

[अनुवाद]

43 .3. **श्री दत्तात्रेय बन्डारू :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं में प्रवर्तन स्कंध को सुदृढ़ बनाने के लिए परीक्षण देने के बारे में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने औषध जांच प्रयोगशाला, हैदराबाद के लिए 70 लाख रुपए (45 लाख रुपए 20,000 वर्ग फुट के कार्पेट एरिया सहित भवन का निर्माण करने हेतु तथा 25 लाख रुपए उपस्करों को खरीद के लिए) तथा विजयवाड़ा में क्षेत्रीय प्रयोगशाला के लिए 50 लाख रुपए (25 लाख रुपए 10,000 वर्ग फुट कार्पेट एरिया वाले भवन का निर्माण करने हेतु तथा 25 लाख रुपए उपस्करों की खरीद के लिए) की सहायता मांगी है।

(ग) राज्य सरकारों को उनकी औषध जांच सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायता देने का एक प्रस्ताव है। विभिन्न राज्यों में ऐसी किसी स्कीम के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा जो अनुमोदित हो और जिसके लिए 8वीं योजना में प्रावधान किया गया हो।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, केरल से प्राप्त परियोजनाएं

4344. **श्री ए० चार्ल्स : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, केरल से प्राप्त कोई परियोजना लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और उसकी स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम की ओर से प्राप्त डिस्पोजेबल सिरिंजों और सुइयों के निर्माण हेतु एक परियोजना का परीक्षण परियोजना मूल्यांकन अभिकरणों से परामर्श करके किया जा रहा है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के लिए पूरक तथा प्राप्तांक सुधार परीक्षाएं

4345. **श्री प्रतापराव बी० भोसले : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1991 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के लिए कुछ पूरक और प्राप्तांक सुधार परीक्षाएं आयोजित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कुप्रबन्ध के कारण छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना करना पड़ा था;

(घ) यदि हां, तो इन खामियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि भविष्य में इस प्रकार की खामियां न दोहराई जाएं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित संख्या में छात्र परीक्षा के लिए पंजीकृत किए गए थे।

कक्षा X	45108
कक्षा XII	28999
कुल :	74107

(ग) के० मा० शि० बो० ने सूचित किया है कि कुछ केन्द्रों पर परीक्षा थोड़ी देर से प्रारम्भ हुई। तथापि, ऐसे केन्द्रों को प्रश्न-पत्रों की अतिरिक्त आपूर्ति करके तथा छात्रों को अतिरिक्त समय की प्रतिपूर्ति करके स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।

(घ) के० मा० शि० बो० का कहना है कि निम्नलिखित कारणों से विलम्ब हुआ।

(i) प्रश्न पत्रों की कमी।

(ii) प्रवेश पत्रों में विषय का त्रुटिपूर्ण मुद्रण।

(ङ) और (च) के० मा० शि० बो०। प्राप्त, सूचना के अनुसार बोर्ड ने दोषी संगणक एजेंसियों को काली सूची में रख लिया है तथा अन्य सुधारात्मक कदम उठाए हैं ताकि ऐसी भूलें पुनः न हो।

केन्द्रीय विद्यालय, हमीरपुर में सैक्शनों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव

[हिन्दी]

4346. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में सैक्शनों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस स्कूल के प्रत्येक सैक्शन में बड़ी संख्या में छात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

D:

(ख) और (ग) अतिरिक्त अनुभाग खोलने के सम्बन्ध में 20-8-91 को आदेश जारी किए जा चुके हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति

[अनुवाद]

4347. **प्रो० के० बी० थामस :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का उनकी स्थिति में सुधार करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) स्कूली सुविधाओं पर उपलब्ध अद्यतन सूचना के मुताबिक अर्थात पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार केन्द्रशासित प्रदेशों में स्कूलों की स्थिति राष्ट्रीय स्थिति के साथ तुलना करने पर सामान्य तौर पर खराब नहीं कही जा सकती हैं। कुछ प्रासंगिक आंकड़े दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। फिर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूलों के सर्वांगीण विकास की बात कही गई है ।

विवरण

केन्द्र शासित प्रदेशों का नाम	प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या	खेल मैदानों की सुविधायुक्त स्कूलों की संख्या		पीने के पानी, मन्त्रालय और शौचालय की सुविधायुक्त स्कूलों की संख्या					
				पीने का पानी		मूत्रालय		शौचालय	
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	177	77	43%	104	58%	69	38%	56	31%
चण्डीगढ़	44	33	75 "	44	100 "	38	86 "	29	65 "
दादरा और नगर हवेली	124	68	54 "	124	100 "	20	16 "	16	12 "
दमन और दीव	32	15	46 "	24	75 "	10	31 "	11	33 "
दिल्ली	1838	1466	79 "	1810	98 "	1691	92 "	1610	87 "
लक्षद्वीप	18	4	22 "	9	50 "	9	50 "	8	50 "
पांडिचेरी	339	201	59 "	260	76 "	147	43 "	125	36 "
	2572	1864	72%	2375	92%	1984	77%	1855	72%
राज्य :	526820	3063965	58%	244289	46%	77470	14%	31898	6%

हिमाचल प्रदेश में होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना

4348. डॉ० डी० खनोरिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी० जी० एच० एस०) के अन्तर्गत होम्योपैथिक औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले इस प्रकार के होम्योपैथिक औषधालयों/अस्पतालों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में औषधीय गुणवाली वनस्पतियों की उपलब्धता

4349. कुमारी उमा भारती : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुर्वेदिक औषधि प्रणाली विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में छत्तरपुर और टीकमगढ़ में अधिक मात्रा में औषधीय गुण-वाली वनस्पतियां उपलब्ध होने की जानकारी है;

(ग) क्या सरकार का जिलों में अस्पतालों से जुड़े अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) भारत सरकार समग्र स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आयुर्वेदिक और अन्य चिकित्सा पद्धतियों का बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। इस सम्बन्ध में उठाए गए महत्व-पूर्ण कदम इस प्रकार हैं :

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना; औषधीय पादपों का विकास; भेषजसंहिता मानक निर्धारित करना और औषध जांच सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(ख) जी, हां। सरकार को मध्य प्रदेश में छतरपुर और टीकमगढ़ में अनेक प्रकार के औषधीय पादपों की जानकारी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अनुसंधान केन्द्र अनुसंधान के विषयों की प्राथमिकता और कार्यक्रमों के आधार पर खोले जाते हैं। सभी जिलों में अस्पतालों से सम्बद्ध अनुसंधान केन्द्र शुरू करना व्यवहार्य नहीं है।

दक्षिणी राज्यों में महिलाओं के लिए अतिरिक्त शिक्षा सुविधाएं

4350. **श्री आर० रामस्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण राज्यों में महिलाओं के लिए अतिरिक्त शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार का विचार इन राज्यों विशेष रूप से तमिलनाडु को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने का कोई समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से सरकार तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों की सरकारों की महिलाओं को गैर-औपचारिक शिक्षा और साक्षरता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बताया गया है कि वर्ष 1995 तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

अधिकतर राज्यों में लड़कियों के लिए 12वीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क है। इसके अतिरिक्त अनेक राज्य यूनिफार्म, पाठ्यपुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति जैसी विशेष प्रोत्साहन सुविधाएं भी दे रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूतपूर्व संसद सदस्यों को मकानों का आवंटन

[हिन्दी]

4351. **श्री सईमन मरांडी : क्या शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूतपूर्व सांसदों को मकान आवंटित करने के सम्बन्ध में कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी भूतपूर्व सांसदों को रहने के लिए मकान आवंटित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे भूतपूर्व सांसदों का कब तक मकान आवंटित कर दिए जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह मामला जांचाधीन है।

विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे भारतीय छात्र

4352. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशों में कुल कितने भारतीय छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) कितने छात्र विदेशी सरकारों से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं और कितने छात्रों को संघ सरकार से छात्रवृत्ति मिल रही है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा एकत्र किए गए नवीनतम सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार 1986-87 के दौरान 3489 भारतीय छात्र विदेश गए थे। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की कुल संख्या के सम्बन्ध में किसी भी समय कोई के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षा विभाग या विश्व० अनु० आ० द्वारा नामांकित 499 भारतीय छात्र आजकल विदेश में शिक्षा ले रहे हैं, जिसमें से 418 छात्र शिक्षा विभाग या विश्व० अनु० आयोग द्वारा चलाए जाने वाले द्विपक्षीय या बहुपक्षीय कार्यक्रमों के अधीन सम्बन्धित दाता देशों से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं तथा 81 छात्र भारत सरकार (शिक्षा विभाग) से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। कल्याण मन्त्रालय व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय से अतिरिक्त सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी :

रक्त संचारण से "एड्स" रोग होना

[अनुवाद]

4353. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जुलाई, 1991 के इण्डियन एक्सप्रेस में "टू किड्स कन्ट्रेक्ट एड्स थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या दोनों बच्चे मेडिकल कालेज अस्पताल, रोहतक में दाखिले के पहले एड्स कीटाणुओं से मुक्त पाए गए थे;

(ग) इन बच्चों में संचारण से पहले रक्त किस स्रोत के प्राप्त किया गया था; और

(घ) रक्त संचारण से पहले रक्त की पूरी तरह जांच करने तथा लोगों के जीवन की र‌ तथा रक्त गाहित रोगों को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ): (क) सरकार ने 28- -1991 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "टू किड्स कॉन्ट्रैक्ट एड्स थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन" समाचार शीर्षक को देख लिया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) सरकार ने रक्त निरापदता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 35 नगरों में आंचलिक आधार पर रक्त परीक्षण सुविधाओं को स्थापित किया है । रक्त बैंकों को एकत्रित रक्त के नमूने एच० आई० वी० परीक्षण हेतु आंचलिक रक्त केन्द्रों को भेजना अपेक्षित होता है । रक्त परीक्षण सुविधाओं को 25 अतिरिक्त नगरों को कवर करने के लिए बढ़ाया जा रहा है । इस विस्तार के साथ एच० आई० वी० परीक्षण के प्रयोजनों के लिए सभी रक्त बैंकों को आंचलित रक्त परीक्षण केन्द्रों के साथ जोड़ना सम्भव हो जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत सम-सुविधा सम्पन्न शहर

[हिन्दी]

4354. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :**

श्री बाऊ दयाल जोशी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत किन-किन शहरों को सम-सुविधा सम्पन्न शहर घोषित किया गया है और यह घोषणा किन-किन तारीखों को की गयी;

(ख) इस घोषणा के अनुसार कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी और यह किस तारीख को स्वीकृत की गयी; और

(ग) कितनी धनराशि खर्च की गयी और यह धनराशि अब तक किन कार्यों में खर्च की गयी है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) भारत के राजपत्र में 23-1-1989 को अधिसूचित क्षेत्रीय योजना 2001-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निम्नलिखित सम-सुविधा सम्पन्न क्षेत्रों की परिकल्पना की गई :

(i) हरियाणा में हिसार

(ii) मध्य प्रदेश में ग्वालियर

(iii) पंजाब में पटियाला

(iv) राजस्थान में कोटा

(v) उत्तर प्रदेश में बरेली

(ख) इस प्रकार के किसी क्षेत्र के लिए अब तक कोई धनराशि मंजूर नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा क्लोरोक्वीन गोलियों की सप्लाई

[अनुवाद]

4355. **डा० असीम बाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री 11 अप्रैल, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 424 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने 330 लाख गोलियों की सप्लाई के लिए 1989 के आरम्भ में किए गए एक करार तथा 200 लाख गोलियों के लिए फरवरी, 1990 में किए गए एक अन्य करार, दो करारों के अन्तर्गत एन० एम० ई० पी० को क्लोरोक्वीन फास्फेट गोलियों की सप्लाई की थी;

(ख) क्या एन० एम० ई० पी० को क्लोरोक्वीन फास्फेट की 330 लाख गोलियों की सप्लाई के लिए इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स नील माधवन कंसल्टेंट्स लिमिटेड को कोई भुगतान किया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या भुगतान किए गए कमीशन की इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन कमीशनों के विरुद्ध किसी जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संस्कृत के स्नातकोत्तर अध्यापक

4356. **श्री सुभाष चन्द्र नायक :** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संस्कृत के स्नातकोत्तर अध्यापकों की संख्या में पिछले 5 से 7 वर्षों से धीरे-धीरे कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन केन्द्रीय विद्यालयों के नाम क्या हैं, जहां संस्कृत जमा दो चरण में छात्रों को चयनित विषय के रूप में पढ़ाई जाती हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय में "जमा दो" स्तर पर पढ़ाने के लिए पी० जी० टी० शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इन विद्यालयों में संस्कृत कक्षा V से कक्षा IX तक अनिवार्य होती है किन्तु "जमा दो" स्तर पर यह एक वैकल्पिक विषय है। कुछ स्नातकोत्तर शिक्षकों (संस्कृत) को उन विद्यालयों से हटा लिया है जहां इन पदों को स्वीकृत करने की मांग का औचित्य नहीं है। तथापि, नियमित स्नातकोत्तर शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है और इस कारण से किसी भी स्नातकोत्तर शिक्षक की छंटनी नहीं की गई है।

स्नातकोत्तर शिक्षकों (संस्कृत) के वर्षवार पदों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	पद
1984-85	80
1985-86	80
1986-87	80
1987-88	69
1988-89	65
1989-90	65
1990-91	65
1991-92	65

जिन केन्द्रीय विद्यालयों में "+2" स्तर पर संस्कृत पढ़ाने के लिए स्नातकोत्तर शिक्षकों (संस्कृत) के पद स्वीकृत किए गए हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	के० वि० का नाम
1	2
1.	एम० आर० परिसर अहमदाबाद
2.	ए० एफ० एस० जमनादार नं० 2
3.	नं० 1 उदयपुर
4.	राजकोट
5.	नं० 2 ई० एम० एस० बड़ौदा
6.	नं० 1 कोलाबा (दो जी० जी० टी०)*
7.	नं० 2 देहू रोड
8.	खड़क वासला
9.	नं० 1 किरकी
10.	एस० सी० पूणे
11.	नासिक रोड
12.	नं० 1 भुवनेश्वर

1	2
13.	बी० एस० एन० नागपुर
14.	नं० 1 ओ० सी० एफ० जबलपुर
15.	नं० 1 इन्दौर
16.	नं० 1 झांसी
17.	नं० सागर छावनी
18.	बैरागढ़
19.	फिरोजपुर नं० 1
20.	नं० 1 हालवाड़ा
21.	शिमला
22.	नं० 1 एच० बी० के० देहरादून
23.	ए० एफ० एस० बैरकपुर
24.	नं० 1 बोकारो स्टील सिटी
25.	एण्ड्रूजगंज
26.	गोल मार्केट
27.	टैगोर गार्डन
28.	बी० के० बी० गाजियाबाद
29.	एन० टी० पी० सी० बदरपुर
30.	खानापारा
31.	हाब्बल बंगलौर
32.	नं० 1 गोलकुण्डा
33.	पी केट सिकन्दराबाद
34.	ए० एस० सी० बंगलौर
35.	नं० 1 जयपुर
36.	नं० 1 जोधपुर (ए० एफ० एस०)
37.	नं० 1 खेतड़ी नगर
38.	कोटा
39.	नं० 1 मथुरा
40.	नं० 1 हरिद्वार

1	2
41.	रूड़की
42.	नं० 2 एस० एस० सी० बरेली
43.	नं० 1 जे० आर० सी० बरेली
44.	ए० एम० सी० लखनऊ
45.	नं० 1 चाकेटी
46.	आई० आई० टी० कानपुर
47.	मानौरी
48.	फतेहगढ़
49.	आई० आई० टी० मद्रास
50.	नं० 1 कल्पाक्कम
51.	ए० एस० एस० आवडी
52.	नं० 1 तम्बारम
53.	नं० 1 कोचीन
54.	पाटोम, त्रिवेन्द्रम
55.	रामगढ़ छावनी
56.	नं० 1 गया
57.	दानापुर छावनी
58.	कंकर बाग
59.	हीनू रांची
60.	बी० एच० यू० वाराणसी
61.	गोरखपुर
62.	सी० ई० एल० रांची
63.	ए० एफ० एस० जोरहाट
64.	पोर्ट ब्लेयर

* केन्द्रीय विद्यालय नं० 1 कोलाना विद्यालय में अनुभागों की संख्या ज्यादा होने के कारण दो पद स्वीकृत किए गए हैं इसको छोड़कर इन विद्यालयों में प्रत्येक में एक-एक स्नातकोत्तर शिक्षक (संस्कृत) का पद स्वीकृत किया गया है।

संस्कृत का दर्जा

[हिन्दी]

4357. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा संस्कृत भाषा की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं;

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय तथा नवोदय विद्यालयों द्वारा निर्धारित तीन-भाषा फार्मूला पाठ्यक्रम में संस्कृत को क्या दर्जा दिया गया है;

(ग) क्या संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की नौ प्रमुख योजनाएं स्वयं मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को सौंपी हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और उसमें से कितना व्यय किया गया; और

(ङ) संस्कृत को बढ़ावा देने की शिक्षा में कार्यरत संस्थानों के नाम क्या हैं और इन्हें इस प्रयोजन के लिए कितना अनुदान दिया गया था तथा वर्ष 1991-92 के दौरान संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं। यह सच नहीं है कि सरकार संयुक्त भाषा की उपेक्षा कर रही है।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 द्वारा प्रतिपादित त्रि-भाषा सूत्र, जिसकी पुनरावृत्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में की गई है, के अन्तर्गत हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी, अंग्रेजी और कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा तथा गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन की परिकल्पना की गई है। फिर भी इस समय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार, 26 भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में से कोई तीन भाषाएं चुनी जा सकती हैं, और संस्कृत को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में चुना जा रहा है। तीसरी भाषा का अध्ययन, केन्द्रीय विद्यालयों को छोड़कर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध सभी स्कूलों में कक्षा-VI-VIII तक तथा केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा V-IX तक ही सीमित रखा गया है।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इस मन्त्रालय के अधीन पूर्ण रूप से वित्तपोषित एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना संस्कृत के प्रचार, विकास व संवर्द्धन के उद्देश्य से की गई थी। इस संस्थान को नौ योजनाओं के कार्यान्वयन और अनुवीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वायत्त व विशेषज्ञ संस्था होने के नाते संस्थान से उम्मीद की जाती है कि वह अपने लचीलेपन तथा संस्कृत विद्वानों व संस्थाओं से बेहतर संपर्कों के कारण योजनाओं के और तेज व प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सकेगा।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्कृत के संवर्द्धन के लिए आबंटित राशि और उसमें से खर्च

की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष	बजट अनुमान	(रुपए लाख में) व्यय
1988-89	604.15	557.68
1989-90	652.00	624.40
1990-91	872.00	829.73

(ङ) दो विश्वविद्यालय समझी जाने वाली (i) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ और (ii) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति और दो स्वायत्त संगठन (i) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और (ii) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, संस्कृत के संवर्द्धन के लिए इस मन्त्रालय के अधीन कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 600 स्वैच्छिक संस्कृत संगठन और आदर्श संस्कृत पाठशालाएं भी संस्कृत के संवर्द्धन के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान संस्कृत के संवर्द्धन के लिए आबंटित राशि लगभग 928.00 लाख रुपए हैं।

श्री वीर कुंवर सिंह, स्वतन्त्रता सेनानी के आवास को राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलना

4358. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1857 के प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी, श्री वीर कुंवर सिंह के बिहार के भोजपुर में आरा स्थित आवास को राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

खंडवा, मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक अस्पताल

4359. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कोई आयुर्वेदिक अस्पताल है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अस्पताल में कितनी शय्याओं की व्यवस्था है; और

(ग) इस अस्पताल में सारी सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पुणे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

[अनुवाद]

4360. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे में काफी लम्बे समय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सैद्धान्तिक रूप से क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है। इन कार्यालयों के स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है। वि० अ० आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पुणे में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई अनुरोध आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है।

वन क्षेत्र

[हिन्दी]

4361. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता के समय देश में कुल कितना वन क्षेत्र था;

(ख) स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रत्येक दशक में इसमें कितनी कमी आई; और

(ग स्वतन्त्रता के पश्चात कुल कितने क्षेत्र भूमि में वृक्षारोपण का काम किया गया ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) "हैंडबुक आफ फारेस्ट स्टेटिस्टिक्स 1961" के अनुसार स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय (1946-47) देश में कुल 34.762 मि० है० (347,620 वर्ग कि०मी०) और 1953-54 में 73.25 मि० है० वन क्षेत्र था।

(ख) निम्न अवधियों के दौरान वन क्षेत्र इस प्रकार था :

1959-60	69.444 मि० है०	(इण्डियन फारेस्ट स्टेटिस्टिक्स 1958-59—1960-61)
1969-70	85.033 मि० है०	(भारत के वन 1972)
1980-81	75.062 मि० है०	(भारत के वन 1984)
1987	75.18 मि० है०	(एस. एफ. आर. 1989)

(ग) पहली पंचवर्षीय योजना से 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल 17 मि० हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया।

त्रिभाषा सूत्र लागू करना

[अनुवाद]

4362. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्यों ने त्रिभाषा सूत्र लागू किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का उन राज्य सरकारों को कोई विशेष सहायता देने का विचार है जो वित्तीय कठिनाई के कारण त्रिभाषा सूत्र लागू नहीं कर सकी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) द्विभाषा सूत्र कार्यान्वित कर रहे तमिलनाडु को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने त्रि-भाषा सूत्र को सिद्धान्ततः अपना लिया है। कार्यान्वयन की सीमा हर राज्य में अलग-अलग है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार के त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) स्कूल स्तर पर भाषा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधायें (क) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा, और दिल्ली, हैदराबाद, मैसूर, गुवाहाटी, और शिलांग स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी शिक्षकों को;

(ख) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और मैसूर, पटियाला, पुणे और भुवनेश्वर स्थित इनके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षकों को प्रदान की जाती हैं। सोलन और लखनऊ स्थित दो उर्दू अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र भी उर्दू शिक्षण के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं।

(ii) केन्द्रीय सरकार गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(iii) राज्यों को हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और नेशनल बुक ट्रस्ट के बीच समझौता

4363. श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और नेशनल बुक ट्रस्ट के बीच दोनों संगठनों में उच्च-

तर शिक्षा क्षेत्र के लिए पुस्ते तैयार करने के योजनाओं को समुचित करने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो समिति की संरचना और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

24-7-91 को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और वि० अ० आ० के बीच हुस्तक्षेप समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है :

"वि० अ० आ० भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने की अपनी मौजूदा योजना के अन्तर्गत लेखकों को सहायता प्रदान करना जारी रखेगा जबकि राष्ट्रीय पुस्तकों के सस्ते प्रकाशन की अपनी योजना को संचालित करता रहेगा। यह राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच एडे मेमोराइर आफ डिस्कशन्स और समझौता ज्ञापन के अनुसरण में किए जाने वाले अथवा अपेक्षित संशोधनों पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अधिक से अधिक 11 सदस्यों की एक राष्ट्रीय समिति गठित करेगा, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आई० सी० एम० आर० के वरिष्ठ प्रतिनिधि और कुछ प्रख्यात व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होगा, जो उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य/संदर्भ पुस्तकों को तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए वि० अ० आ० तथा रा० पु० न्यास की योजनाओं के लिए सम्पूर्ण मार्गदर्शन करेंगे और निर्देश देंगे। समय-समय पर राष्ट्रीय समिति द्वारा जारी निर्देश और दिशानिर्देश सभी समन्वय तन्त्र विशेष रूप से समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय समितियों के लिए बाध्यकर होंगे। राष्ट्रीय समिति अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष प्रकाशन और प्रसार के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य/संदर्भ पुस्तकों से सम्बन्धित प्रकाशन कार्य का व्यापक मूल्यांकन दिया होगा और उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य/संदर्भ पुस्तकों को तैयार करने और प्रकाशित करने को प्रोत्साहित करने के वास्ते संवर्धक कारंवाई के सम्बन्धित क्षेत्रों की अन्तिम सूची दी होगी।

राष्ट्रीय समिति की प्रायः यथा आवश्यकतानुसार बैठक होगी और यह अपना कार्यकरण, कार्यविधियां तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त शैक्षिक प्राधिकारियों और विभिन्न भाषाओं के प्रकाशकों के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त तन्त्र भी विकसित करेगी। यह यथाआवश्यक समझी जाने वाली उपसमितियां, दलों और कार्यबलों को भी गठित कर सकती है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इस

राष्ट्रीय समिति के कार्य-करण के लिए अपेक्षित वित्तीय और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगा ।

राष्ट्रीय समिति के दिशा-निर्देशों और निर्देशों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में वि० अ० आ० के वित्तीय और प्रशासनिक सहयोग से कोर समितियां गठित की जाएंगी ।

(क) उन क्षेत्रों का पता लगाना जिसमें पुस्तकें प्रकाशित करने की आवश्यकता होगी और उन लेखकों के नामों का सुझाव देना जिन्हें कुछ विशिष्ट विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें तैयार करने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है;

(ख) पुस्तकें तैयार करने के लिए प्रस्तावों पर विचार करना और प्रत्येक लेखक द्वारा प्रस्तुत विषय-सारों और पाण्डुलिपियों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना;

(ग) वि० अ० आ० को राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर शुल्कों और विषय-सारों और पाण्डुलिपियों को तैयार करने अथवा उनकी समीक्षा करने से सम्बन्धित अन्य शुल्कों के भुगतान की सिफारिश करना;

(घ) प्रस्तावित पुस्तकों और पूरी की गई पाण्डुलिपि (पाण्डुलिपियों) के विषय-सारों के मूल्यांकन के लिए प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों की एक सूची तैयार करना; और

(ङ) उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य/संदर्भ पुस्तकों के प्रकाशन परिपेक्ष्य से सम्बद्ध तथ्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पिछले वर्ष के दौरान पहले ही प्रकाशित पुस्तकों का सर्वेक्षण करना और संबंधित क्षेत्रों तथा शैक्षिक प्रकाशन की कोटि में सुधार लाने के लिए अपेक्षित उपायों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय समिति के विचारार्थ सिफारिशें करना ।

पाण्डुलिपि (पाण्डुलिपियां) तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते निर्णय लेने से पूर्व वि० अ० आ० योजना के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली प्रत्येक पाण्डुलिपि के विषय-सार का राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार दो विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा । जब लेखक/लेखकों की पहल पर कोई सम्पूर्ण पाण्डुलिपि प्राप्त हो जाएगी अथवा वि० अ० आ० द्वारा अधिकृत पाण्डुलिपि विषय-सार के आधार पर पूरी हो जाएगी तब इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित कार्यविधियों के अनुसरण में दो विशेषज्ञों द्वारा इसका अन्तिम रूप से मूल्यांकन किया जाएगा । इन दो विशेषज्ञों में से जहां तक सम्भव हो एक विशेषज्ञ ऐसा होगा जिसने विषय-सार/प्रस्ताव का मूल रूप से मूल्यांकन किया था तथा उसकी सिफारिश की थी । वि० अ० आ० केन्द्रीय समिति के मूल्यांकन और सिफारिश के आधार पर "पाण्डुलिपि" तैयार करने के लिए लेखक (लेखकों) को भुगतान जारी करेगा । पाण्डुलिपि और विशेषज्ञों की सिफारिशें रा० पु० न्यास को भेजी जाएगी । जो अपनी सस्ती पुस्तक प्रकाशन योजना के अनुसरण में लेखक/लेखकों/प्रकाशक (प्रकाशकों) के साथ सीधे सम्पर्क रखने के बाद इस पर आगे कार्रवाई करेगा ।

यदि उच्च शिक्षा की पाठ्य/संदर्भ पुस्तक के लिए कोई प्रस्ताव/विषय सार अथवा पांडुलिपि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में सीधे ही प्राप्त होती है तो यह उसे सम्बन्धित केन्द्रीय समिति को मूल्यांकन तथा परामर्श के लिए भेज देगा । तथापि यदि सम्बन्धित विषय के लिए कोई केन्द्रीय समिति गठित नहीं की गयी है अथवा केन्द्रीय समिति प्रस्ताव/विषय-सार/पांडुलिपि पर समय पर कार्रवाई करने में

असमर्थ रहती है तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अपनी सस्ती पुस्तक प्रकाशन की चालू योजना में निर्धारित कार्य विधियों के अनुसार इस मामले पर कार्यवाई के लिए स्वतन्त्र होगा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पुस्तकों के सस्ते प्रकाशन की योजना के अनुसार प्रकाशनों के लिए आर्थिक सहायता के प्रावधान प्रिंट आर्डर के आकार तथा सहायतार्थ सस्करणों की संख्या के सम्बन्ध में अन्तिम रूप में निर्णय लेगा। तथापि, तीसरे अथवा बाद के संस्करणों/पुनर्मुद्रणों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था राष्ट्रीय समिति की विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर ही की जाएगी।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए नियामक निकाय

4364. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का विचार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए एक स्वतन्त्र नियामक निकाय संगठित करने का हैं; औ

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) इस मामले की पुनरीक्षा की गयी और इस बात का पता चलने पर कि केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड जैसी वर्तमान कार्यान्वियन एजेंसियां अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए पर्याप्त हैं, अतः यह निर्णय लिया गया कि स्वतन्त्र प्राधिकरण की स्थापना न की जाए।

शाजापुर में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

[हिन्दी]

4365. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शाजापुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान शाजापुर में नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन को प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखण्डों का आबंटन

4366. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अगस्त, 1991 के हिन्दुस्तान के नई दिल्ली संस्करण में

"लाखों के प्लाट कौड़ियों के भाव दिए" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला जांचाधीन है ।

नर्मदा कार्य योजना

4367. **श्री मोहनलाल झिकराम** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा कार्य योजना गंगा कार्य योजना की तर्ज पर बनाई गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर काम कब और किस स्थान से आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त योजना में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नर्मदा कार्य योजना का अनुमानित व्यय और उसका समय-बद्ध कार्यक्रम क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बन्धुआ मजदूर

[अनुवाद]

4368. **प्रो० उमारेड्डी वेंकटेश्वरालु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय बंधुआ मजदूर संगठन ने बंधुआ मजदूर प्रथा समाप्त करने की दिशा में कोई सुझाव दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फर्जी विश्वविद्यालय अथवा शिक्षण संस्थाएं

4370. **प्रो० राम कापसे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उन छात्रों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं जिनके डिग्री/डिप्लोमा ऐसे विश्व-विद्यालयों/संस्थाओं के हैं जिन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन संस्थाओं के खिलाफ, छात्रों और आम जनता को चेतावनी देते हुए, समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की हैं, जो वि० अ० आ० अधिनियम के तहत डिग्रियां प्रदान करने अथवा स्वयं को विश्वविद्यालय कहलाने के हकदार नहीं हैं। वि० अ० आ० ने ऐसी संस्थाओं को डिग्रियां प्रदान न करने तथा स्वयं को विश्वविद्यालय न कहलाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। और कुछ मामलों में उनके विरुद्ध मामले भी दायर किए हैं। राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों से ऐसी संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखने और वि० अ० आ० अधिनियम और अन्य दण्डात्मक कानूनों के उल्लंघन के लिए इस प्रकार की संस्थाओं पर मुकदमा चलाने के लिए कहा गया है।

जिन छात्रों ने जाली विश्वविद्यालय से अमान्य डिग्रियां प्राप्त की हैं उनके भविष्य से सम्बन्धित प्रश्न पर वि० अ० आ० द्वारा विचार किया गया था। आयोग का यह मत था कि ऐसी डिग्रियों के लिए कोई उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता और इस प्रकार के व्यक्तियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्रियां प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

खेलों के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

4371. श्री रामशरण यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विश्वविद्यालय और विद्यालय स्तर पर खेलों में गहरी रुचि लेने वाले और उत्कृष्ट कौशल दिखाने वाले छात्रों को कोई वित्तीय सहायता देती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है और ऐसे छात्रों को कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा (कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी मामता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) "विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल-कूद के लिए अनुदान" की योजना के अधीन विश्वविद्यालयों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक छात्रवृत्ति प्रति माह 300/- रुपए की दर से प्रतिवर्ष 3600/- रुपए की है। छात्रवृत्ति धारकों के चयन की मानदण्ड प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

विवरण

विश्वविद्यालय और कालेजों में खेल-कूद के लिए अनुदान की योजना के अधीन खेल प्रतिभा छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए नियम

1. सामान्य

"खेल प्रतिभा छात्रवृत्ति" योजना विश्वविद्यालीय उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनके अध्ययन तथा

शारीरिक स्तर को बनाए रखने, उपस्कर आदि की खरीद में सहायता करने के लक्ष्य से शैक्षणिक वर्ष 1970-71 से भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई है।

2. मान्यता

खेल बोर्ड के सदस्य विश्वविद्यालयों के सभी प्रामाणिक और नियमित छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन देने के पात्र हैं बशर्ते वे संयुक्त विश्वविद्यालीय टीमों के चयन के पात्र हो, इस सम्बन्ध में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करते हों तथा पेज 1 पर प्रारम्भिक पैराग्राफ में दिए गए नोट में विनिर्दिष्ट निष्पादन की अर्हताएं भी पूरी करते हों।

3. राशि और अवधि

प्रत्येक छात्रवृत्ति प्रति माह 300/- रुपए की दर से 3600/- रुपए की है। आगामी वर्षों में छात्रवृत्ति नवीकृत भी की जा सकती है बशर्ते कि प्राप्तकर्त्ता निबन्धन और शर्तों को बनाए रखें।

4. चयन

(i) पुरस्कार विधिवत गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित मेरिट के आधार पर ही प्रदान किए जाएंगे। चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस सन्दर्भ में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(ii) जूनियर श्रेणी से सम्बन्धित लड़कों और लड़कियों के लिए 25 प्रतिशत छात्रवृत्तियां आरक्षित रखी जाएंगी। यद्यपि अप्रयुक्त छात्रवृत्तियां सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दी जाएंगी।

5. मूल्यांकन प्रक्रिया

आवेदकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न स्तरों पर श्रेणीबद्धता किया जाएगा और मोटे तौर इस श्रेणीबद्धता द्वारा सुझाए गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

सीनियर प्रभाग

श्रेणी क

प्रथम वरीयता : राष्ट्रीय टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति स्पर्धा(ओं) या टीम स्पर्धा(ओं) में प्रथम स्थान अर्जित करना।

द्वितीय वरीयता : राष्ट्रीय टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत स्पर्धा-(ओं) या टीम स्पर्धा(ओं) में द्वितीय स्थान अर्जित करना।

तृतीय वरीयता : राष्ट्रीय टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना।

श्रेणी ख

प्रथम वरीयता : संयुक्त विश्वविद्यालीय टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत स्पर्धा(ओं) या टीम स्पर्धा(ओं) में प्रथम स्थान अर्जित करना।

द्वितीय वरीयता : संयुक्त विश्वविद्यालीय टीम के सदस्य के रूप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत स्पर्धा(ओं) या टीम स्पर्धा(ओं) में द्वितीय स्थान अर्जित करना।

तृतीय वरीयता : संयुक्त विश्वविद्यालीय टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना।

श्रेणी ग

प्रथम वरीयता : राज्य/क्षेत्रीय/संयुक्त विश्वविद्यालीय टीम (टीमों) के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत स्पर्धा(ओं) या टीम स्पर्धा(ओं) में प्रथम स्थान अर्जित करना। ग-I (क) राज्य/क्षेत्रीय/संयुक्त विश्वविद्यालीय टीम (टीमों) के सदस्य के रूप में महिलाओं की राष्ट्रीय खेल चैम्पिनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा(ओं) या टीम स्पर्धा(ओं) में प्रथम स्थान अर्जित करना।

द्वितीय वरीयता : राज्य/क्षेत्रीय/संयुक्त विश्वविद्यालीय टीम (टीमों) के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत स्पर्धा(ओं) या टीम स्पर्धा(ओं) में द्वितीय स्थान अर्जित करना। ग-II (क) राज्य/संयुक्त विश्वविद्यालीय टीम (टीमों) के सदस्य के रूप में महिलाओं की राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा(ओं) या टीम स्पर्धा(ओं) में द्वितीय स्थान अर्जित करना।

तृतीय वरीयता : विश्वविद्यालीय टीम के सदस्य के रूप में अन्तर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा(ओं) या टीम स्पर्धा(ओं) में प्रथम अर्जित करना।

श्रेणी घ

प्रथम वरीयता : विश्वविद्यालीय टीम के सदस्य के रूप में अन्तर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा(ओं) या टीम स्पर्धा(ओं) में द्वितीय स्थान अर्जित करना।

द्वितीय वरीयता : राज्य/क्षेत्रीय/संयुक्त विश्वविद्यालीय टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना। घ-II (क) राज्य/संयुक्त विश्वविद्यालीय टीम (टीमों) के सदस्य के रूप में महिलाओं की राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप में भाग लेना।

तृतीय वरीयता : विश्वविद्यालीय टीम के सदस्य के रूप में अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में भाग लेना।

जूनियर प्रभाग

श्रेणी ङ

प्रथम वरीयता : जूनियर राष्ट्रीय टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत स्पर्धा(ओं) या टीम स्पर्धा(ओं) में प्रथम स्थान अर्जित करना।

द्वितीय वरीयता : जूनियर राष्ट्रीय टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत स्पर्धा(ओं) या टीम स्पर्धा(ओं) में द्वितीय स्थान अर्जित करना।

तृतीय वरीयता : जूनियर राष्ट्रीय टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना।

ग्रेड च

प्रथम वरीयता : भारतीय स्कूल टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एकल स्पर्धा-(ओं) अथवा टीम स्पर्धा(ओं) में प्रथम स्थान प्राप्त करना।

द्वितीय वरीयता : भारतीय स्कूल टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एकल स्पर्धा-(ओं) अथवा टीम स्पर्धा(ओं) में द्वितीय स्थान प्राप्त करना।

तृतीय वरीयता : भारतीय स्कूल टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना।

ग्रेड छ

प्रथम वरीयता : राज्य/क्षेत्रीय टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एकल स्पर्धा-(ओं) अथवा टीम स्पर्धा(ओं) में प्रथम स्थान प्राप्त करना।

द्वितीय वरीयता : राज्य/क्षेत्रीय टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एकल स्पर्धा-(ओं) अथवा टीम स्पर्धा(ओं) में द्वितीय स्थान प्राप्त करना।

तृतीय वरीयता : राज्य/क्षेत्रीय टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना।

ग्रेड ज

प्रथम वरीयता : राष्ट्रीय स्कूल खेलों में स्कूल टीम के सदस्य के रूप में एकल स्पर्धा(ओं) अथवा टीम स्पर्धा(ओं) में प्रथम स्थान प्राप्त करना।

द्वितीय वरीयता : राष्ट्रीय स्कूल खेलों में स्कूल टीम के सदस्य के रूप में एकल स्पर्धा(ओं) अथवा टीम स्पर्धा(ओं) में द्वितीय स्थान प्राप्त करना।

तृतीय वरीयता : राष्ट्रीय स्कूल खेलों में स्कूल टीम के रूप में भाग लेना।

एन० पी० ई० डी० में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जिन्होंने पुरुष तथा महिला सीनियर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ग्रेड च (द्वितीय वरीयता) और पुरुष व महिला जूनियर में प्रथम स्थान विजेता ग्रेड छ (तृतीय वरीयता) के समान होंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन/भागेदारी के मूल्यांकन हेतु मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखा जाएगा :—

ओलम्पिल खेल, राष्ट्रमण्डल खेल, एशियाई खेल, केवल क्रिकेट में यूनिवर्सियाड टेस्ट मैच, डेविस कप, हॉकी तथा फुटबाल में विश्व कप, स्वाथलिंग कप, कोरबिलन कप, टोमस कप इत्यादि।

इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन/भागेदारी के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय केडर की राष्ट्रीय चैंम्पियनशिप और अन्य मुख्य प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखा जाएगा जिनमें उत्कृष्ट श्रेणी की टीमें भाग लेती हैं।

उपर्युक्त मामदण्ड और पूर्वोक्त प्रतियोगिताओं के नाम जांच समिति के लिए केवल मार्गदर्शी सिद्धांतों का काम करेंगे और यदि समिति के विचार से उपर्युक्त आधार उत्कृष्ट श्रेणी के किसी उपयुक्त

मामले का सही-सही निर्णय नहीं करता तो इसमें उचित छूट दी जा सकती है। जांच समिति के पास विभिन्न स्तरों के विभिन्न खेलों की टीमों के बीच इन स्तरों के खेलों के मापदण्डों के आधार पर भेद करने का विशेषाधिकार भी होगा। समिति खेल विशेष में एक राज्य टीम तथा दूसरी राज्य टीम और एक विश्वविद्यालय टीम तथा दूसरी विश्वविद्यालय टीमों के बीच उसी खेल विशेष के मापदण्डों के आधार पर एक राज्य टीम और एक विश्वविद्यालय टीम एवं दूसरी विश्वविद्यालय टीमों के बीच भी अन्तर कर सकती है।

नए पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए हुए प्रत्येक श्रेणी के लिए मोटे तौर पर निम्न कोटे को ध्यान में रखा जाएगा :

(i) जूनियर श्रेणी के विद्यार्थियों को कम से कम 75 छात्रवृत्तियां।

(ii) महिला उम्मीदवारों के लिए अधिक से अधिक 150 छात्रवृत्तियां।

(iii) महत्वपूर्ण खेलों को उचित मान्यता दी जाएगी।

ये केवल विस्तृत मार्गदर्शी रूपरेखाएं हैं तथा छात्रों का चयन करने से पहले समिति इन पर विचार करेगी। जांच समिति के पास इस कोटे में समायोजन/संशोधन करने और यहां तक कि इन्हें न मानने का भी अधिकार है।

छात्रवृत्तियां प्रदान करने की शर्तें :

कि पुरस्कार विजेता छात्रवृत्ति की अवधि में :

(i) विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक नियमित प्रामाणिक छात्र रहेगा।

(ii) कहीं रोजगार में नहीं लगा हो।

(iii) इसी के साथ-साथ कोई अन्य खेल छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। यद्यपि ऐसी कोई छात्रवृत्ति जो अन्य किसी कारण से मिलती है और जो खेलों से सम्बन्धित न हो, पर रोक नहीं होगी तथा इस छात्रवृत्ति की अवधि के साथ ही साथ उसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह छात्रवृत्ति खेल सम्बन्धी कार्यकलापों के कारण ही मिल रही है तो वृत्तिधारक का इन दोनों छात्रवृत्तियों में से एक छात्रवृत्ति को चुनने की छूट होगी।

(iv) अपनी शैक्षिक कक्षा अथवा खेल कार्यकलापों में भाग लेने में अनियमित न हो जाए।

(v) उसने सम्बन्धित खेल कार्यकलापों में अपने समग्र प्रदर्शन में कोई कमी नहीं दिखाई हो तथा अध्ययन में सतत् प्रगति बनाए रखी हो। तथापि, छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण अवधि के दौरान एक बार असफल होने पर उसे नवीन/छात्रवृत्ति/छात्रवृत्ति के नवीकरण का लाभ दिया जाएगा।

(vi) असंतोषजनक आचरण या अनुशासन का दोषी तो नहीं है।

(vii) संयुक्त विश्वविद्यालय टीम (टीमों) के लिए भाग लेने का पात्र है।

(viii) यदि चयन हुआ है तो निम्नलिखित में से किसी खेल में पिछले कोचिंग-व-प्रतियोगिता कार्यक्रम में भाग लिया होगा : एथलेटिक्स (पुरुष तथा महिला), बास्केटबाल (पुरुष), फुटबाल, हाकी (पुरुष), हाकी (महिला), बालीबाल (पुरुष) तथा कुश्ती।

टिप्पणी : (i) जांच समिति विशेष मामले में उपर्युक्त शर्तों की किसी एक या सभी शर्तों को हटा सकती है।

(ii) पुरस्कार विजेताओं को भुगतान जारी करने से पहले सम्बन्धित विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पुरस्कार विजेता उपर्युक्त शर्तों को पूरा करते हैं।

(iii) यह प्रायोजक विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन-पत्र में दिया गया विवरण सही है।

(iv) यदि यह ज्ञात होता है कि आवेदनकर्ता ने अपने आवेदन पत्र में गलत विवरण दिया है तो वह भविष्य में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के अयोग्य हो जाएगा।

6. भुगतान

छात्रवृत्ति के सभी भुगतान सम्बन्धित विश्वविद्यालय, जहां छात्र अध्ययन कर रहे हैं, के रजिस्ट्रार द्वारा की जाएगी।

7. आवेदन-फार्म

निर्धारित फार्म विश्वविद्यालय के सम्बन्धित रजिस्ट्रार/खेल अधिकारियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र अपेक्षित प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियों सहित निर्धारित तिथि के भीतर उपयुक्त माध्यम से उपनिदेशक (छात्रवृत्ति), भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोदी रोड, नई दिल्ली को भेजें। अपूर्ण तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के कालम संख्या (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) और 5 में भरे गए विवरणों के समर्थन में प्रमाण पत्रों की प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी/कालेज के प्रधानाचार्य/खेल अधिकारी/विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से सत्यापित कराके संलग्न की जानी चाहिए।

टिप्पणी : जांच समिति को यह अधिकार है कि वह जहां आवश्यक समझे, इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन/संयोजन/विलोपन कर सकती है।

टिप्पणी : छात्रवृत्ति योजना को किसी भी समय बिना किसी सूचना के निवृत्त किया जा सकता है।

अर्हता मानदण्ड

अपेक्षित खेल स्तर प्राप्त करने के अलावा, छात्रवृत्तियों के लिए पात्र होने हेतु केवल उन्हीं प्रार्थियों पर विचार किया जाएगा जो मापनीय खेलों में न्यूनतम अर्हता स्तर प्राप्त करते हैं। व्यक्तिगत

खेलों में यह न्यूनतम अर्हता स्तर निम्नलिखित है :—

एथलेटिक्स

प्रतियोगिता	पुरुष		महिला	
	सीनियर	जूनियर 18 से नीचे	सीनियर	जूनियर 18 से नीचे
1	2	3	4	5
100 मीटर दौड़	11.2	11.4	1.5	12.8
200 ,,	22.9	23.1	26.1	26.0
400 ,,	49.5	50.0	58.5	60.0
800 ,,	1:55.5	1:56.5	2:21.5	2:22.5
1500 ,,	4:02.0	4:00.30	4:50.0	4:56.5
3000 ,,	—	—	10:22.0	10.35
5000 ,,	15:00.0	15:10.0	—	—
10000 ,,	30:45.0	31.0	—	—
100 मी० एच०	—	—	15.6	16.0
100/110 ,,	15.5	15.9	—	—
400 ,,	55.0	56.5	66.0	66.0
20 कि० मी० दौड़	1:05.00	—	—	—
20 ,, ,, पैदल चाल	1:46.00	—	—	—
3000 मी० स्टी० चे०	9:50.0	9:50.0	—	—
4×100 मी० रिले	43.7	44.0	50.0	51.0
4×400 ,,	3:22.0	3:24.0	4:05.0	4:09.0
लम्बी कूद	6.95 मी०	6.90 मी०	5.50 मी०	5.30 मी०
ऊंची कूद	1.85 मी०	1.80 मी०	1.50 मी०	1.50 मी०
शाट पुट	14.00 मी०	14.00 मी०	10.00 मी०	10.00 मी०
डिस्कस	45.00 मी०	43.00 मी०	35.00 मी०	35.00 मी०
जैवलीन	62.00 मी०	59.00 मी०	37.00 मी०	36.50 मी०

1	2	3	4	5
ट्रिपल कूद	14.80 मी०	14.30 मी०	—	—
पोल वाल्ट	3.50 मी०	3.40 मी०	—	—
हैमर थ्रो	49.00 मी०	45.00 मी०	—	—
डिकेथ/हेपलेथ	5570 पी०	4334 पी०	—	—
हेपथ/पेंटाथ	—	—	3660 पी०	3000 पी०
तैराकी				
100 मी० फ्री स्टाइल	60.50	61.5	1.09.5	1.12.00
200 ,,	2.12.00	2.17.00	2.35.00	2.38.00
400 ,,	4.52.00	5.00.00	5.30.00	5.36.7
800 ,,	—	10.30.00	11.10.5	11.40.00
1500 ,,	19.50.00	20.00.00	22.15.00	22.25.00
100 मी० ब्रेस्ट स्ट्रोक	1.17.00	1.20.00	1.30.00	1.36.00
200 ,,	2.50.00	2.58.5	3.35.5	3.22.00
100 मी० बटरफ्लाई स्ट्रोक	1.05.00	1.07.50	1.18.5	1.22.00
200 ,,	2.35.00	2.39.00	2.50.00	3.10.00
100 मी० बैक स्ट्रोक	1.11.00	1.14.00	1.24.00	1.27.00
200 ,,	2.35.00	2.42.00	3.00.00	3.04.00
4×100 मी० फ्री स्टाइल रिले	4.15.00	4.22.00	5.94.50	5.50.00
4×200 ,,	9.35.5	—	—	—
4×100 मी० मिडले रिले	4.50.00	5.07.05	5.45.00	6.10.00
200 मी० व्यक्तिगत मिडले	2 30.00	2.35.00	3.00.00	3.06.5
400 मी० ,,	5.35.00	5.45.00	11.10.5	11.40.00

साइक्लिंग (पुरुष वर्ग)

1000 मीटर स्प्रिंट	13.50 सैकेण्ड
1000 मीटर टाइम ट्राइल	1 मिनट 20 सैकेण्ड
4000 मीटर व्यक्तिगत लक्ष्य	5 मिनट 45 सैकेण्ड
4000 मीटर टीम लक्ष्य	5 मिनट 25 सैकेण्ड

1600 मीटर टीम टाइम ट्राइल	2 मिनट 08 सैकेण्ड
100 मीटर रोड़ टीम टाइम ट्राइल	2 घंटे 50 मिनट 00 सैकेण्ड

महिला वर्ग

1000 मीटर स्प्रिंट	16.00 सैकेण्ड
1000 मीटर ट्राइल	1 मिनट 35 सैकेण्ड
3000 मीटर व्यक्तिगत लक्ष्य	5 मिनट 10 सैकेण्ड
3000 मीटर टीम लक्ष्य	4 मिनट 48.00 सैकेण्ड

भारोत्तोलन

श्रेणी	18 वर्ष तक	20 वर्ष तक
	स्नैच + जर्क	स्नैच + जर्क
52 कि० ग्रा०	,, ,, = 180 कि० ग्रा०	,, ,, = 190 कि० ग्रा०
56 कि० ग्रा०	,, ,, = 195 कि० ग्रा०	,, ,, = 210 कि० ग्रा०
60 कि० ग्रा०	,, ,, = 205 कि० ग्रा०	,, ,, = 222.5 ,, ,,
67.5 कि० ग्रा०	,, ,, = 210 कि० ग्रा०	,, ,, = 232.5 ,, ,,
75 कि० ग्रा०	,, ,, = 215 कि० ग्रा०	,, ,, = 240 कि० ग्रा०
82.5 कि० ग्रा०	,, ,, = 220 कि० ग्रा०	,, ,, = 245 कि० ग्रा०
90 कि० ग्रा०	,, ,, = 225 कि० ग्रा०	,, ,, = 250 कि० ग्रा०
100 कि० ग्रा०	,, ,, = 230 कि० ग्रा०	,, ,, = 250 कि० ग्रा०
100 कि० ग्रा० से ऊपर	,, ,, 230 कि० ग्रा०	,, ,, =

दिल्ली में को-आप्रेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में अनियमिततायें

[अनुवाद]

4372. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में को-आप्रेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियो के विरुद्ध अनियमितताओं के अनेक आरोप थे;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सोसाइटी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है और उन सोसाइटियों के नाम और पते क्या हैं, जिन पर गत तीन वर्षों के दौरान विशेष कानून/अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई और अपराधियों को दंडित किया गया;

(ग) दिल्ली को-आपरेटिव सोसाइटी अधिनियम अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा इनके नियमों आदि द्वारा उन पीड़ित सदस्यों को, जो दिल्ली में चलाए जा रहे विभिन्न हाउसिंग सोसाइटियों के सम्बन्धित कार्यालय पदाधिकारियों के संगठित कुप्रबंध, कदाचार और ठगी का शिकार हुए हैं, पर्याप्त सुरक्षा किस प्रकार उपलब्ध कराई जाती है; और

(घ) किन विशेष उपबन्धों के अन्तर्गत सरकारी एजेंसियां, लोक अदालतें अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित अपराधियों को पकड़ने में पीड़ित सदस्यों/उपभोक्ताओं की सहायता कर सकते हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972, उसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली तथा समितियां उप-नियमों में आवास समितियों में कुप्रबन्ध/कदाचार के प्रति पूर्वोपायों की व्यवस्था है।

दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 की धारा 32 के तहत समिति की भ्रांत प्रबन्ध समिति को हटाया जा सकता है। धारा 54 और 55 के तहत, निरीक्षण और जांच करने का प्रावधान है तथा धारा 59 के तहत समिति को सम्पत्ति वापिस करने के लिए जांच की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 60 के तहत, सदस्य विवाद के निपटारे हेतु पंजीयक को अनुरोध कर सकते हैं जो धारा 61 के तहत मध्यस्थता के लिए लिया जा सकता है। दिल्ली सहकारी समितियां नियमावली, 1973 के नियम 84 से 87 में लेखा-परीक्षा, निरीक्षण और जांच आदि करने के लिए भी व्यवस्थाएं शामिल हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए अध्यापक पद आरक्षित करना

4374. **श्री पी० पी० कालियापेरुमल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या महिलाओं के लिए अध्यापक-पदों के आरक्षण का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई सूचनानुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में महिला अध्यापकों की प्रतिशतता निम्नलिखित है :—

(i) दिल्ली विश्वविद्यालल 16.5%

(ii) जामिया मिलिया इस्लामिया 17.7%

(iii) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 22.48%

(iv) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 40%

अन्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

सरकार के वर्तमान निर्देशों के अनुसार, पदों पर आरक्षण केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए है।

आदिवासियों की दशा सुधारने में वन निगमों की भूमिका

4375. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें आदिवासियों की दशा में उन्नति/उत्थान के लिए राज्य वन निगमों की स्थापना की गई है;

(ख) इन वन निगमों के कार्यकलाप क्या हैं;

(ग) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) आदिवासियों की दशा सुधार के लिए इन वन निगमों ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) निम्नलिखित राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में राज्य वन निगम स्थापित किए गए हैं :—

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उ .र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आरम्भ में ये निगम ठेकेदारों द्वारा अपनाई जाने वाली वर्षों पुरानी वनों में कार्य करने की पद्धति को समाप्त करने तथा व्यापक स्तर पर पौधरोपण करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। इसके पीछे यह उद्देश्य था कि स्थानीय वन कामिकों, विशेषकर आदिवासी तथा अन्य कमजोर वर्गों को व्यापक रोजगार के अवसर तथा उचित मजदूरी प्रदान की जाए। बाद में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और सात वन विकास निगमों ने वृक्षारोपण गतिविधियां शुरू की। बाकी निगम फसल लगाने तथा लांगिग और साथ ही लघु वन उत्पादों को एकत्रित करने और उनके विपणन के कार्य में लगे हैं। कुछ राज्यों में महत्वपूर्ण लघु वन उत्पादों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और वन विकास निगम को ऐसे राष्ट्रीयकृत वन उत्पादों को एकत्रित करने और विपणन के लिए एकमात्र एजेंसी के रूप में किया गया है।

(घ) राज्य वन निगम कमी के समय आदिवासियों और अन्य ग्रामीण मजदूरों को उनके घर

पर ही रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। कीमतों में वृद्धि हो जाने के साथ मजदूरों की मजदूरी-दर में भी उचित रूप से वृद्धि की जाती रही है। वन विकास निगम अपने कार्य क्षेत्र में आदिवासियों और ग्रामीण समुदायों के लिए सुख सुविधाएं और विकास के अवसर भी मुहैया कराते रहे हैं।

लुप्त हो रही पशु/पक्षी प्रजातियां

[हिन्दी]

4376. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पशुओं और पक्षियों की जिन प्रजातियों के लुप्त हो जाने की आशंका है उनके नाम क्या हैं;

(ख) पशुओं और पक्षियों की जो प्रजातियां लुप्त हो गई हैं उनके नाम क्या हैं; और

(ग) पशुओं और पक्षियों की संकट में पड़ी प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ की खतरे में पड़ी पशुओं की 1988 की रैड लिस्ट में वर्णित स्तनपाइयों, पक्षियों और सरीसृपों की संकटापन्न प्रजातियों से सम्बन्धित विवरण संलग्न है।

(ख) समझा जाता है कि चीता, लैसर इंडियन राइनो, गुलाबी सिर की बत्तख, चालू शताब्दि में भारत में लुप्त हो गए हैं।

(ग) संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण और उनकी वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. संकटापन्न प्रजातियों का शिकार करना और उनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार पर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है।

2. पादपों और पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों और उनसे निर्मित चीजों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेन्शनों के उपबन्धों के तहत प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

3. चोरी छिपे शिकार के विरुद्ध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

4. प्राणिजात और वनस्पतिजात के संरक्षण के लिए देश के 4.2 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में 411 वन्यजीव अभ्यारण्यों और 70 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. बाघों और गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष स्कीमें चलाई जा रही हैं।

6. चोरी छिपे शिकार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस, सीमाशुल्क विभाग, राजस्व, आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, तटरक्षक और सेना के साथ निकट का समन्वय बनाए रखा जाता है।

7. बन्दी प्रजनन के जरिए संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण में चिड़ियाघर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

8. चोरी छिपे शिकार करने वाले लोगों तथा अवैध व्यापारियों के बारे में सूचना प्राप्त करने लिए नकद पुरस्कारों की एक प्रणाली शुरू की गई है।

विवरण

आई० यू० सी० एन० की रेड डाटा बुक की संकटापन्न सूची में शामिल जीव जन्तुओं और पक्षियों की सूची

क्रम सं०	सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	देश का क्षेत्र जहां पाए जाते हैं
1	2	3	4
"क" स्तनधारी			
1.	लायन टेल्ड मैकाक	मैकाका सिलेनस	पश्चिमी घाटों में सदाबहार वन
2.	नीलगिरि लीफ मंकी	ट्रेकाईवियेकस जोहनिल	दक्षिणी भारत
3.	नीली व्हेल	बालाइनोप्टेरा मसकुलस	भारतीय महासागर
4.	हुम्पबेक व्हेल	मेगाप्टेरा नोवाइंगलिया	भारतीय महासागर
5.	भारतीय गैंडा	राइनोसिरस यूनिकोनिस	असम, उत्तरी-पश्चिम बंगाल
6.	एशियाई शेर	पेन्थेरा लियोपर्सिका	गिर राष्ट्रीय उद्यान
7.	बाघ	पेंथेरा टिगरिस	सम्पूर्ण भारत
8.	हिम तेंदुआ	पेंथरा अन्सिया	लद्दाख से सिक्किम तक उच्च हिमालय
9.	भारतीय हाथी	एलिफास मैक्सिमय	उ० प्र० से मेघालय, बिहार, उड़ीसा से, हिमालय की पादगिरि और दक्षिण के चार राज्य

1 2	3	4
10. भारतीय जंगली गधा	इक्कुअस हेमिओनसखुर	कच्छ का रन
11. पिगमी होग	सस सलवानस	मानस बाघ रिजर्व और आसपास का क्षेत्र
12. बारहसिंगा	आअरवस डवौसेली	उ० प्र० से असम तक उत्तरी और पूर्वी भारत का तराई और दुआर बस्तर म० प्र० में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बस्तर तक
13. हंगुल	सरवस एलिफस हंगुल	कश्मीर घाटी के उत्तर की तरफ
14. मणिपुर ब्रो बारह-सिंघा	सरवस एडलीएडली	केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर
15. एशियाई जंगली जल भैंस	बुबालिस बुबालिस	असम में तराई क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, पश्चिमी उड़ीसा
(ख) पक्षी		
1. चीर फीजेन्ट	केटरस वालिची	कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल और कुमाऊं
2. वेस्टर्न ट्रेगोपान	ट्रेगोपान मेलानो-सिफा-लस	कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उ० प्र० में गढ़वाल और कुमाऊं
3. बंगाल फ्लोरिकन	होबारोप्सिस बैंगालेन्सिस	असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में दुआर क्षेत्र में और कुमाऊं पहाड़ियां
4. लैसर फ्लोरिकन	साइफियोटाइड्स इण्डिका	अधिक नमी वाले क्षेत्रों को छोड़-कर सम्पूर्ण भारत
(ग) सरीसृप		
1. नदी घाटी मगरमच्छ	क्रोकोडाइलस पोरासस	भारत का पूर्वीतट और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
2. घड़ियाल	गेवियालिस गेंगेटिकस	गंगा, महानदी और ब्रह्मपुत्र
3. रिवर टेरापिन	बाटागुर बास्का	दक्षिणी पश्चिम बंगाल

दुधवा नेशनल पार्क के आसपास बाड़ लगाना

4377. **डा० सी० एल० कनोजिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या शेर/चीते के भय से बाहर के पशु रात में दुधवा नेशनल पार्क के आसपास की फसलों को क्षति पहुंचाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन पशुओं का प्रवेश रोकने के लिए बाड़ लगाने का है; और

(ग) क्या फसलों को हुई क्षति के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर के शाकाहारी पशुओं द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास फसलों को कुछ नुकसान पहुंचाए जाने की रिपोर्टें मिली हैं किन्तु यह रिपोर्ट दी गयी है कि पहुंचाया जाने वाला नुकसान न तो बहुत ज्यादा होता है और नहीं बाघों की डर से पहुंचाया जाता है। दुधवा में कोई शेर नहीं है। जहां तक बाहर के जानवरों द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने और पहुंचाए गए नुकसान का सर्वेक्षण किए जाने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बाहर के जानवरों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए बाड़ लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों में "लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम"

[अनुवाद]

4378. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों का "लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम" शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पृथक-पृथक रूप से कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने द्रुतगामी परिवहन प्रणाली शुरू करने के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने का कार्य मार्च, 1988 में मैसर्स रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड (राईट्स) को सौंपा था। मैसर्स राईट्स ने 307 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद और सिकन्दराबाद के युग्म शहरों में हल्की रेल परिवहन प्रणाली के निर्माण की सिफारिश की है। पता लगाए गए मार्ग इस प्रकार हैं :—

(i) बालानगर से खैरताबाद

(ii) खैरताबाद से चारमीनार

(iii) मोजमजारी मार्किट ने दिलसुखनगर

भारत सरकार को राज्य सरकार के अन्तिम परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मनोविकृति सम्बन्धी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति

[हिन्दी]

4379. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गम्भीर मनोविकृति सम्बन्धी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण किया है और उन्हें नियमित आधार पर मनोचिकित्सा की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रोगियों (पुरुष और स्त्रियों) की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने ऐसे रोगियों को चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं ने विभिन्न मानसिक रोगों की व्याप्तता और प्रकृति के बारे में सर्वेक्षण किए हैं । अधिकांश सर्वेक्षणों के अनुसार प्रति हजार जनसंख्या में कम से कम 10-20 व्यक्ति किसी निश्चित अवधि में गम्भीर मानसिक विकृतियों से ग्रस्त होते हैं ।

(ग) ऐसे रोगियों के लिए उपचार की व्यवस्था करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का कार्य है ।

दिल्ली में मकानों के किराए में वृद्धि

[अनुवाद]

4380. श्री बीरेन्द्र सिंह :
श्री बलराज पासी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में मकानों के किराए में भारी वृद्धि होने के कारण निम्न आय वर्ग के उन लोगों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है जिनके दिल्ली में अपने मकान नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ग) क्या मकानों के किराए में वृद्धि की समस्या का समाधान करने हेतु दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) राष्ट्रीय आवास नीति का मसौदा, वित्तीय प्रोत्साहनों से जमीन की उपलब्धता से संस्थागत वित्त और भवन निर्माण सामग्री को सुसाध्य बनाने और किराया नियन्त्रण कानूनों में उपयुक्त फेर-बदल करने के द्वारा किराए के मकानों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार करता है। सरकार, मकान मालिकों और किराएदारों दोनों के हितों का सम्मान करते हुए, मामलों के तुरन्त निपटान को सुसाध्य बनाने के लिए और कानून के अन्तर्गत युक्तिसंगत किराया तय करने की व्यवस्था करने के लिए राज्यों के मौजूदा किराया नियन्त्रण कानूनों को उदार बनाने के उद्देश्य से एक आदर्श किराया नियन्त्रण विधेयक प्रतिपादित करने का प्रस्ताव करती है। केवल आदर्श विधेयक को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम के संशोधन पर विचार किया जा सकता है।

नेहरू युवक केन्द्र के कर्मचारी

[हिन्दी]

4381. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू युवक केन्द्र में गत 15 वर्षों से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त केन्द्रों के ऐसे कर्मचारियों को, जिनका सेवाकाल तीन वर्ष से अधिक हो गया है, नियमित करने की व्यवस्था करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

1987 में नेहरू युवा केन्द्र संगठन नामक स्वायत्त संगठन के गठन से पहले नेहरू युवा केन्द्रों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति जिला युवा समन्वयकों द्वारा दैनिक वेतन के आधार पर ही की जाती थी तथा उनके वेतन का भुगतान केन्द्रों की आकस्मिक निधियों से किया जाता था। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 5-8-85 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार को निदेश दिया

कि नेहरू युवा केन्द्र द्वारा नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों को नियमन के अलावा केन्द्र सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान वेतन तथा अन्य भत्ते दिए जाएं क्योंकि स्वीकृत पद न होने के कारण उनका नियमन नहीं किया जा सकता।

1987 में नेहरू युवा केन्द्र संगठन की स्थापना के परिणामस्वरूप नेहरू युवा केन्द्रों में कार्यरत सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नेहरू युवा केन्द्र संगठन के सेवा विनियम, 1987 के प्रावधानों के अन्तर्गत संगठन ने अपने कर्मचारियों में शामिल कर लिया तथा उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5-8-85 के निर्णय के अनुसार नियमन को छोड़कर उनके वेतन तथा अन्य भत्ते संरक्षित किए गए।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दूसरी श्रेणी वह है जिन्हें स्वयं संगठन ने ठेके के आधार पर नियुक्त किया था और जिन्हें 1-1-90 से 700/- रु० मूल वेतन 20% मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। बहरहाल, इन "घ" समूह के कर्मचारियों पर भी नियमन हेतु विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका स्तर ठेके के कर्मचारियों का है।

उपर्युक्त के विचार से जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति संगठन की स्थापना से पूर्व या तो जिला युवा समन्वयकों द्वारा दैनिक मजदूरी के आधार पर या 1987 से संगठन द्वारा ठेके के आधार पर की गई थी, का नियमन नहीं किया जा सकता। नेहरू युवा केन्द्र संगठन एक स्वायत्त संगठन है तथा इसके अपने सेवा विनियम हैं, जिनमें उसके कर्मचारियों के नियमन सम्बन्धी ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं।

मध्य प्रदेश में उद्योगों पर पर्यावरण संबंधी प्रतिबन्ध

4382. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में बड़े उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाया गया है; और

(ख) क्या सरकार इन जिलों को विकसित करने के विचार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय ने मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में बड़े उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी गढ़वाल जिले में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत लाए गए गांव

[अनुवाद]

4383. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौड़ी गढ़वाल जिले में कितने गांवों को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त कार्य स्वयसेवी संगठनों को सौंपा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) पौड़ी गढ़वाल जिले के रिखनीखाल, पोखरा और अंकेश्वर ब्लाकों में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना (आर० एफ० एल० पी०) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 300 प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों वाली एक परियोजना चल रही थी। केंद्र का स्थान ग्राम स्तर पर होता है और यह स्थान क्षेत्र में साक्षरता पूरी होने पर एक के बाद एक करके बदलता रहता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम तथा कुटीर उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

4384. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौढ़ी गढ़वाल और चमोली में स्थापित ग्राम तथा कुटीर उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ख) ऐसे उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिए शुरू की गयी कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित न किए जाने से उद्योगों को भारी धक्का लगा है जिससे श्रमिकों का हित खतरे में पड़ गया है; और

(घ) यदि हां, तो कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रधान मंत्री तथा मंत्रियों के सरकारी निवास पर व्यय

4385. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्रधान मन्त्री के सरकारी निवास के रख-रखाव, मरम्मत, नवीकरण, पुनर्निर्माण और साज-सज्जा पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) मन्त्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों तथा समान पद के अन्य सभी विशिष्ट व्यक्तियों के निवास के सम्बन्ध में इन्ही कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) अन्य संसद सदस्यों के निवास के सम्बन्ध में इन्हीं कार्यों पर कितना खर्च किया गया; और

(घ) वर्ष 1990 के दौरान क्रमशः (ख) और (ग) में उल्लिखित श्रेणियों पर प्रतिव्यक्ति कितना खर्च किया गया ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान क्रमशः 46.50 लाख रुपये और 72.57 लाख रुपये का खर्च किया गया था।

(ख) 1989-90 और 1990-91 के दौरान क्रमशः 184.42 लाख रुपये और 247.75 लाख रुपये का तत्सम्बन्धी खर्चा था।

(ग) 1989-90 के दौरान 337.38 लाख रुपये और 1999-91 के दौरान 464.24 लाख रुपये।

(घ) मन्त्रियों और समतुल्य स्तर के अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तियों पर किया गया खर्चा लगभग 6.19 लाख रुपये और संसद सदस्यों के लिए लगभग 0.56 लाख रुपये प्रति व्यक्ति था।

आदिवासी उप-योजना

4386. **श्री पी० सी० थामस** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कोट्टायम जिले में मेलूकाऊ के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान धनराशि आबंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना केरल राज्य सरकार से मांगी गई है।

ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र

4387. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 1991 की स्थिनि के अनुसार ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य-वार आबंटित कुल धनराशि तथा वास्तविक खर्चे का ब्यौरा क्या है;

(ग) एक मानक अथवा सामान्य ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र और उपकेन्द्र पर, मुख्य शीर्षों जैसे कर्मचारी, भवन, औषधियों आदि के ब्यौरे सहित, कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(ग) संघ सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान पृथक-पृथक रूप से व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम। अन्धता निवारण कार्यक्रम, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम, तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम और कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम सहित माता एवं बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी राशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) अप्रैल, 1991 को ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों और उपकेन्द्रों की राज्यवार संख्या विवरण-I में संलग्न है ।

(ख) ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र और उपकेन्द्र के लिए राज्यों द्वारा सूचित किए गए आबंटन और व्यय विवरण-II में संलग्न है ।

(ग) एक ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र और उपकेन्द्र के लिए अनुमानित व्यय क्रमशः लगभग तीन लाख रुपये और 0.26 लाख रुपए है जिसमें वेतन, आकस्मिक खर्च, सहायक का मनदेय और औषधें शामिल हैं । मुख्य संघटकों का ब्योरा विवरण-III में संलग्न है ।

(घ) 1990-91 के दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम जिसमें व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, दृष्टिहीनता रोकथाम कार्यक्रम, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम और काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम शामिल हैं, पर सरकार द्वारा किए गए आबंटन और राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए व्यय का ब्योरा विवरण-IV में संलग्न है ।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	उप-केन्द्र
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	420	7894
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	173
3.	असम	146	5110
4.	बिहार	587-	14799
5.	गोवा	15	145
6.	गुजरात	251	6733
7.	हरियाणा	89	2299
8.	हिमाचल प्रदेश	77	15·2
9.	जम्मू व कश्मीर	82	1460
10.	कर्नाटक	260	7793
11.	केरल	163	5094
12.	मध्य प्रदेश	460	11910
13.	महाराष्ट्र	428	9364
14.	मणिपुर	31	420

1	2	3	4
15.	मेघालय	23	342
16.	मिजोरम	14	220
17.	नागालैंड	7	201
18.	उड़ीसा	314	5426
19.	पंजाब	129	2853
20.	राजस्थान	232	8096
21.	सिक्किम	15	137
22.	तमिलनाडु	383	8681
23.	त्रिपुरा	35	495
24.	उत्तर प्रदेश	907	21653
25.	पश्चिम बंगाल	335	7873
	योग :	5412	130673

स्रोत : परिवार कल्याण बजट अनुभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ग्राम स्वास्थ्य प्रभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय।

विवरण-II

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र		उप केन्द्र	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	881.40	1605.32	748.27	1362.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	2.54	9.12	6.33
3.	असम	306.67	227.08	357.08	704.21
4.	बिहार	1232.37	अप्राप्त	830.50	अप्राप्त
5.	गोवा	31.80	36.02	9.99	11.26
6.	गुजरात	527.02	773.25	594.83	872.75

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	186.27	242.75	186.35	304.94
8.	हिमाचल प्रदेश	161.29	220.73	70.89	206.86
9.	जम्मू व कश्मीर	171.50	98.35	120.56	147.73
10.	कर्नाटक	564.50	799.30	475.10	521.85
11.	केरल	341.89	1016.65	320.17	952.06
12.	मध्य प्रदेश	965.45	1083.47	722.35	814.08
13.	महाराष्ट्र	989.44	1370.80	892.75	1495.54
14.	मणिपुर	64.74	85.40	28.20	69.16
15.	मेघालय	47.69	39.92	36.61	47.50
16.	मिजोरम	29.52	27.45	7.66	7.88
17.	नागालैंड	14.97	12.89	16.37	54.43
18.	उड़ीसा	658.77	851.63	476.15	618.15
19.	पंजाब	270.32	अप्राप्त	140.38	अप्राप्त
20.	राजस्थान	487.26	अप्राप्त	600.10	अप्राप्त
21.	सिक्किम	31.80	48.80	9.27	14.28
22.	तमिलनाडु	804.16	683.09	660.40	680.70
23.	त्रिपुरा	73.83	143.06	31.69	61.68
24.	उत्तर प्रदेश	1903.66	3854.49	1447.77	4598.16
25.	पश्चिम बंगाल	703.08	अप्राप्त	1200.59	अप्राप्त
	योग :	11449.50	13322,99	9993.15	13552.50

विवरण-III

उप केन्द्र की अनुमानित यूनिट लागत

1500/-रुपए प्रति मास के हिसाब से सहायक नर्स : रु० 18,000/- प्रति वर्ष
वेतनमान और भत्ते

राज्य से राज्य में भिन्न-भिन्न होते हैं

अतः हिसाब के लिए 1500/- रुपए प्रति मास की औसत ली गई है।			
50/- रुपए प्रति मास के हिसाब से सहायक	:	रु०	600/- प्रति वर्ष
आकस्मिक खर्च	:	रु०	600/- प्रति वर्ष
1000/- रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से किराया	:	रु०	1000/- प्रति वर्ष
औषधें	:	रु०	2000/- प्रति वर्ष
महिला स्वास्थ्य वीक्षिका का वेतन (1/6) 6 उप केन्द्रों के लिए एक महिला स्वास्थ्य वीक्षिका		रु०	3330/- प्रति वर्ष
कुल :		रु०	25530/- प्रति वर्ष

उप केन्द्र के भवन निर्माण का प्रतिमान — एक लाख रुपए (राज्य क्षेत्र)

ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र की अनुमानित लागत

(1) वेतन	:	रु०	2.97 लाख रुपए
(2) आकस्मिक खर्च और भत्ते	:	रु०	0.03 लाख रुपए
(3) पी० ओ० एल० वाहनों का रखरखाव		रु०	1.5 लाख रुपए

(4) प्रतिमानों के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र को एक वाहन से सज्जित किया जायेगा।

(5) ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए भवन निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का प्रयास था जहां कहीं भी उसे राज्यों द्वारा प्रदान किया गया है। प्रतिमानों के अनुसार निर्माण के लिए सहायता अनुमोदित के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग की दरों पर प्रदान की जाएगी।

विवरण-IV

व्यापक रोग प्रतिरक्षण, दृष्टिहीनता निवारण, मलेरिया नियंत्रण, कुष्ठ नियंत्रण, क्षयरोग और कालाआजार कार्यक्रम समेत मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 1990-91 के दौरान आबंटन और व्यय

(रुपए लाखों में)

स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का ब्योरा	आबंटन	व्यय
1	2	3
(क) मातृ शिशु स्वास्थ्य	885.00	841.00

1	2	3
(ख) व्यापक रोग प्रतिरक्षण	*1227.02*	*789.35*
(ग) दृष्टिहीनता निवारण	*587.93*	*सूचित नहीं किया गया।*
(घ) मलेरिया	8200.00	7658.64
(ङ) कुष्ठ	2300.00	2225.54
(च) क्षय रोग	1500.00	1247.60
(छ) काला-आजार	406.00	406.00

मेडिकल कालेजों को मान्यता

4388. **श्री संयद शाहबुद्दीन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद् से कितने मेडिकल कालेजों को मान्यता मिली हुई है और कितने मेडिकल कालेज अस्थायी तौर पर मान्यता-प्राप्त हैं तथा कितने मेडिकल कालेजों के मान्यता के आवेदन-पत्र परिषद् के पास लम्बित हैं;

(ख) इन तीनों श्रेणियों को मिला कर, देश में कितनी जनसंख्या पर एक मेडिकल कालेज है; और

(ग) राज्य-वार कुल कितने मेडिकल कालेज हैं और राज्य-वार औसतन कितनी जनसंख्या पर पर एक मेडिकल कालेज है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि परिषद द्वारा 104 मेडिकल कालेजों को मान्यता दी गई है। 9 मेडिकल कालेजों को अस्थायी तौर पर मान्यता प्रदान की गई है तथा पहली अप्रैल, 1991 को 19 मेडिकल कालेजों के आवेदन मान्यता के लिए परिषद के पास लम्बित पड़े थे।

(ख) देश में 63,96,396 जनसंख्या पर एक मेडिकल कालेज होने का हिसाब है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कालेजों की संख्या	प्रत्येक मेडिकल कालेज के अन्तर्गत जनसंख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	10	6,63,545

1	2	3
असम	3	74,31,521
बिहार	9	95,93,206
दिल्ली	4	23,42,6'9
गोवा	1	11,68,622
गुजरात	6	68,62,391
हरियाणा	1	193,17,715
हिमाचल प्रदेश	1	51,11,079
जम्मू व कश्मीर	2	38,59,350
कर्नाटक	18	24,89,248
केरल	5	58,06,566
मध्य प्रदेश	6	110,22,644
महाराष्ट्र	21	37,49,915
मणिपुर	1	18,26,714
उड़ीसा	3	105,04,023
पांडिचेरी	1	8,07,045
पंजाब	5	40,38,159
राजस्थान	5	87,76,128
तमिलनाडु	14	39,74,166
उत्तर प्रदेश	9	154,47,803
पश्चिम बंगाल	7	97,11,819
योग :	132	

टिप्पणी : हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा व नगर हवेली लक्षद्वीप में मेडिकल कालेज नहीं हैं।

कुलपति के बिना विश्वविद्यालय

4389. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) देश में उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें 1 अप्रैल, 1991 को कोई कुलपति नहीं था;

(ख) क्या सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों का ध्यान कुलपति के पदों को रिक्त न रखने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया है;

(ग) क्या सरकार ने कुलपति की नियुक्ति में देरी को दूर करने के लिए कोई मार्ग-निर्देश परिचालित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1-4-96 को सात विश्वविद्यालयों को छोड़कर देश के सभी विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपति थे। निम्नलिखित सात विश्वविद्यालयों में कुलपति स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हैं।

1. आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर
2. डा० हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर
3. जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर
4. भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इजत नगर
5. जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद
6. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
7. श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति।

(ख) से (घ) राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति सम्बन्धित विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त किए जाते हैं। केन्द्र सरकार ने कुलपतियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार को कोई मार्गदर्शी रूप-रेखाएं जारी नहीं की हैं।

जलावन की लकड़ी और वन उत्पादों तक आदिवासियों की पैठ

4390. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसार जलावन की लकड़ी और वन उत्पादों तक आदिवासी जनसंख्या की पैठ के पारम्परिक अधिकारों को सुनिश्चित और सुरक्षित करने के सम्बन्ध में अब क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में आदिवासियों के लिए निर्धारित पारम्परिक अधिकार समाप्त कर दिए गए जिनका उन पर बुरा असर पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) यद्यपि 1988 की राष्ट्रीय

वन नीति में वनों में तथा वनों के नजदीक रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों और रियायतों की पूरी सुरक्षा करने का व्यवस्था है लेकिन इसमें यह भी शर्त है कि इस प्रकार के अधिकार और रियायतें हमेशा वनों की वहन क्षमता से सम्बद्ध होने चाहिए। आदिवासियों के लिए जलाने की लकड़ी, चारा, लघु वन उपज और इमारती लकड़ी की घरेलू आवश्यकताओं को वन उपज पर उनकी प्रथम वरीयता माना जाता है।

(ख) और (ग) सरकार को किसी भी राज्य सरकार द्वारा वनों में आदिवासियों के परम्परागत अधिकारों को समाप्त करने के बारे में जानकारी नही है। लेकिन इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास

4391. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण कितने आदिवासियों को अब अपने मूल निवास स्थानों से हटाया गया है;

(ख) क्या विस्थापित आदिवासियों का समुचित रूप से पुनर्वास किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"हाथी परियोजना" योजना के अन्तर्गत केरल को धनराशि का आबंटन

4392. **श्री पी० सी० थामस** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का हाथी परियोजना के अन्तर्गत केरल में थेक्कड़ी में वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा कोकानाड में हाथी केन्द्र को धनराशि आबंटित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) "हाथी परियोजना" को सरकार ने अभी अन्तिम रूप से स्वीकृति नहीं दी है। इसलिए, केरल में थेक्कड़ी में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कोकानाड में हाथी केन्द्र को धनराशि के आंबटन के बारे में फिलहाल कोई वायदा नहीं किया जा सकता है।

राज्य सरकारों को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण हेतु सहायता

4393. **श्री पी० सी० थामस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई सहायता का राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1991-92 के दौरान केरल को कितनी सहायता प्रदान करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) यह संसद द्वारा केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित अनुदानों, कार्यान्वियन की प्रगति और राज्य सरकार द्वारा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई सहायता					
		1988-89		1989-90		1990-91	
		नगद	सामग्रीगत	नगद	सामग्रीगत	नगद	सामग्रीगत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	4282.94	1068.29	4928.86	1067.07	4361.78	1121.25
2.	असम	1102.36	557.24	1350.54	160.41	1400.50	587.10
3.	बिहार	3074.99	917.24	3626.97	1096.21	4632.44	1141.71
4.	गुजरात	3027.35	1227.95	2343.44	976.94	2841.54	982.22
5.	हरियाणा	1139.20	330.16	982.14	330.41	1245.12	263.45
6.	हिमाचल प्रदेश	470.92	162.46	497.97	179.72	1208.91	104.65
7.	जम्मू और कश्मीर	493.16	176.24	458.90	150.50	898.25	185.15
8.	कर्नाटक	3924.81	421.56	3827.52	646.27	3964.43	567.04

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	केरल	2984.61	282.21	2522.23	388.42	3412.57	284.23
10.	मध्य प्रदेश	3479.02	2259.03	4398.72	1681.36	4484.10	1620.82
11.	महाराष्ट्र	4673.62	1634.67	4402.33	1446.44	7392.66	1711.59
12.	मणिपुर	268.68	68.85	287.11	44.43	247.50	56.45
13.	मेघालय	165.30	63.55	181.62	66.21	219.95	32.86
14.	नागालैंड	185.11	110.05	141.14	36.46	146.81	44.67
15.	उड़ीसा	2254.85	396.64	2933.27	451.82	3929.98	591.02
16.	पंजाब	1105.69	733.16	1492.93	699.86	1326.49	826.31
17.	राजस्थान	2699.74	399.76	2520.60	1339.07	2779.48	925.95
18.	सिक्किम	127.76	69.90	123.36	4.51	121.96	16.76
19.	तमिलनाडु	3073.91	676.79	3159.58	694.08	3855.07	578.83
20.	त्रिपुरा	238.25	77.42	316.68	25.09	273.81	139.88
21.	उत्तर प्रदेश	10998.78	2049.23	8103.43	2090.51	13741.72	2426.84
22.	पश्चिम बंगाल	4573.22	753.66	5771.51	754.45	5411.32	1056.27
23.	अरुणाचल प्रदेश	212.46	37.90	209.24	48.37	105.38	65.89
24.	गोवा	83.54	11.73	98.40	14.36	107.64	20.42
25.	मिजोरम	131.54	30.94	112.84	34.03	127.91	47.71
26.	पांडिचेरी	47.79	25.52	56.14	11.03	59.89	11.48

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	43.96	19.09	44.80	8.50	47.55	13.84
28.	चण्डीगढ़	22.39	6.39	21.50	4.24	24.48	5.87
29.	दादरा और नगर हवेली	3.31	9.12	3.74	9.11	3.76	9.38
30.	दमण और दीव	1.85	2.44	3.77	1.87	5.96	2.89
31.	दिल्ली	101.07	57.68	90.58	74.22	71.82	59.70
32.	लक्षद्वीप	2.45	1.50	2.47	0.95	2.87	1.67

कस्बों में पेयजल के लिए आपात योजना

4394. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कस्बों को पेयजल की पूर्ति करने के लिए कोई आपात योजना आरम्भ करने की आवश्यकता है जिनमें पेयजल का गंभीर अभाव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी आपात योजनाएं किन-किन राज्यों में बनाई गई हैं; और

(ग) उड़ीसा में इस योजना के अन्तर्गत लाये गये कस्बों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) मानसून में देरी को देखते हुए, भारत सरकार ने बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों के राजस्व सचिवों/राहत आयुक्तों से विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में एक प्रभावी ढंग से स्थिति का सामना करने के लिए आपातकालीन योजनाएं तैयार करने का आग्रह किया था जिसमें (i) पेयजल की तंगी के आकस्मिक निवारण के लिए जलाशयों में जल रखना, तथा (ii) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, शामिल हो।

चालू मानसून अवधि के दौरान कस्बों में पेयजल की कमी के सम्बन्ध में उड़ीसा सहित राज्यों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

आगरा में प्रदूषण

[हिन्दी]

4396. श्री भगवान शंकर रावत : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधन कारखाने से निकली अपशिष्ट गैस के जलाए जाने के कारण पर्यावरण प्रदूषण किस हद तक हो रहा है;

(ख) आगरा में उक्त कारण से कुल कितना प्रतिशत प्रदूषण हो रहा है;

(ग) क्या सरकार की इस गैस को कितनी अन्य तरीके से उपयोग में लाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) मथुरा तेल शोधन कारखाने से निकलने वाली अपशिष्ट गैस को गंधकहीन किया जाता है और फिर उसे भट्टी में डाला जाता है जिससे वायु प्रदूषण कम हो रहा है। मथुरा तेलशोधन कारखाने में अपशिष्ट गैसों के जलने से आगरा में परिवेशी वायु गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

आदिवासी विशेष योजना क्षेत्र के लिए विशेष धनराशि

[अनुवाद]

4397. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष धनराशि आबंटित करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश सरकार को कितनी सहायता दी गई ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) आदिवासी उप-योजना क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटित करने के मानदंड मुख्यत: परियोजनाओं में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उनके क्षेत्र तथा राज्यों का तुलनात्मक पिछड़ापन है ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश राज्य सरकार को दी गई सहायता 234.05 करोड़ रुपये थी ।

दिल्ली नगर निगम के बाग-बगीचे

4398. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा कितने बाग-बगीचों और पार्कों की देख-रेख की जाती है और उनमें से कितने खस्ता हालत में हैं;

(ख) गत दो महीनों के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों ने इन बाग-बगीचों और पार्कों का निरीक्षण कितनी बार किया है और इन बाग-बगीचों और पार्कों के ठीक ढंग से रख-रखाव न करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) बाग-बगीचों और पार्कों का समुचित रख-रखाव न रखने के क्या कारण हैं और उनकी दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या सड़कों के किनारे पेड़ों को अव्यवस्थित ढंग से उगाया जाता है जिन्हें बाद में सड़कों को चौड़ा करने आदि के समय काटना पड़ता है; और

(ङ) पेड़ों को व्यवस्थित और सही ढंग से लगाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि विभिन्न कारणों से 7,293 उद्यानों तथा पार्कों मे से 3000 पार्कों का रख-रखाव अपेक्षित स्तर तक नहीं किया जा सका ।

(ख) दिल्ली नगर निगम के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इन उद्यानों तथा पार्कों का

नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और विद्यमान सुविधाओं के अन्तर्गत पार्कों की दशा सुधारने के प्रयास किए जाते हैं।

(ग) इन पार्कों की खस्ता हालत के मुख्य कारण इस प्रकार सूचित किए गए हैं :

(i) विवाह, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक समारोहों के लिए पार्कों का उपयोग।

(ii) सिंचाई के पानी की अनुपलब्धता।

(iii) आवारा पशुओं और सुअरों द्वारा उत्पात।

(iv) दूरभाष दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और दिल्ली जलपूर्ति तथा मल निर्यास संस्थान द्वारा खुदाई।

(v) कुछ पार्क और बालू-उद्यान (टाब्लोट्स) इतने छोटे हैं कि उनको हरित बनाये रखना कठिन है।

(vi) निवासियों का असहयोग।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि सड़क के किनारे वृक्षारोपण भविष्य में सड़कों को चौड़ा करने की आवश्यकता का ध्यानपूर्वक आकलन करने के पश्चात् किया जाता है। तथापि, काफी वर्ष पहले बनाई गई सड़कों को यातायात में वृद्धि हो जाने के कारण चौड़ा करना पड़ा था तथा ऐसी सड़कों के किनारे लगाये गए वृक्षों को जनहित में काटना पड़ा था।

(ङ) सड़कों के चौराहे के अनुसार वृक्षारोपण की ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। उप-राज्यपाल के स्थाई अनुदेश हैं कि सड़कों को चौड़ा आदि करने के लिए एक पेड़ काटने का आदेश देने से पूर्व दो पेड़ लगाने होंगे।

बच्चों को समुचित आहार और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव

[हिन्दी]

4399. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मानव अधिकार के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को समुचित आहार एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें शोषण से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रावधान है

(ख) यदि हां, तो संघ सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र और "यूनीसेफ" की संयुक्त घोषणा के अनुरूप देश में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र

कनवेन्शन द्वारा अपनाई गई आम सहमति में भारत भी शामिल था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त पोषाहार और स्वास्थ्य देखभाल पर तथा शोषण से संरक्षण के लिए, बाल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। परन्तु भारत द्वारा अभी इस कनवेन्शन की अभिपुष्टि की जानी है। बच्चों के लिए विश्व सम्मेलन द्वारा की गई घोषणा और कार्ययोजना को सर्वसम्मति से अपनाए जाने में भी भारत शामिल था।

(ख) और (ग) इस कार्ययोजना में की गई व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने के लिए सरकार ने एक कार्यदल का गठन किया है। राष्ट्रीय कार्यवाही कार्यक्रम तैयार हो जाने के बाद सभी सम्बन्धितों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी है।

पर्यावरण सम्बन्धी योजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

4400. **श्री दाऊ दयाल जोशी :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्यों ने विभिन्न शहरों में स्थापति की जाने वाली/स्थित पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राज्यों द्वारा विश्व बैंक से सीधी सहायता नहीं मांगी जाती है। औद्योगिक प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए एक परि-योजना में सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के अन्तर्गत पूरे देश में प्रमुख प्रदूषण क्षेत्रों में बड़ी और मझोली औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण को कम करने के उपकरण लगाने के लिए तथा लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों के लिए सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए ऋण दिया जाएगा। इस परियोजना में केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगीकृत राज्यों के राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाने की भी व्यवस्था है।

जल-मल व्ययन संयंत्र की स्थापना

4402. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी के किनारों पर स्थित उन नगरों के नाम क्या हैं जिनका गंगा सफाई योजना के अन्तर्गत जल-मल व्ययन संयंत्र की स्थापना के लिए चयन किया गया है; और

(ख) क्या गंगा नदी के किनारों पर स्थित ऐसे अन्य नगरों में भी उक्त सुविधाएं प्रदान करने का विचार है जहां जल-मल निकासी के लिए उचित प्रबन्ध उपलब्ध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप गंगा नदी में प्रदूषण हो रहा है?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गंगा कार्य योजना के पहले चरण के अन्तर्गत सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए चुने गए नगरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) गंगा नदी के किनारे बसे हुए अन्य नगरों में ऐसी सुविधाओं के विस्तार का कार्य दूसरे चरण में, भारत सरकार के साथ सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा लागत में हिस्सेदारी पर सहमत होने के बाद ही किया जा सकेगा ?

विवरण

गंगा कार्य योजना के पहले चरण के अन्तर्गत सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए चुने गए नगरों की सूची

1. उ० प्र० :	1. हरिद्वार/ऋषिकेश
	2. फतेहगढ़/फर्रूखाबाद
	3. कानपुर
	4. इलाहाबाद
	5. मिर्जापुर
	6. वाराणसी
2. बिहार :	7. छपरा
	8. पटना
	9. मुंगेर
	10. भागलपुर
3. प० बंगाल :	11. हावड़ा
	12. बाली
	13. चन्दन नगर
	14. श्रेरामपुर
	15. भाटपारा
	16. टीटागढ़
	17. पानीहाटी
	18. बड़ानगर/कामारहाटी
	19. कलकत्ता नगर निगम
	20. बहुरामपुर
	21. नवद्वीप

मुम्बई शहर परिवहन परियोजना-II

[अनुवाद]

4403. श्री तेजसिंहराव भोंसले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-I कब पूरी हुई थी;

(ख) क्या महाराष्ट्र की सरकार ने बृहत्तर मुम्बई की बढ़ती हुई परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं से निपटने के लिए वहां पर परिवहन सुविधाओं में सुधार करने के लिए मुम्बई शहर परिवहन परियोजना-II के अन्तर्गत कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) बम्बई शहरी परिवहन परियोजना-I, 1984 में पूरी हो गई थी।

(ख) जी, हां। बम्बई में शहरी परिवहन के सुधार हेतु शहरी परिवहन परियोजना शुरू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना (बी० यू० टी० पी०-II) की रूपरेखा भेजी है।

(ग) परियोजना रूपरेखा में मुख्यत: (i) प्रधानत: भाग व्यवस्था के सम्बन्ध में सुदृढ़ परिवहन नीतियों के विकास के लिए, (ii) व्यक्तिगत परिवहन पर चुनींदा नियन्त्रणों के द्वारा सड़कों पर भीड़-भाड़ कम करने, (iii) किराया नीतियां तैयार करने और (iv) एक और प्रभावी इनस्टिट्यूशन बिल्डिंग विकसित करने तथा दूसरी ओर एक नया क्षेत्रीय ढांचा उन्नत करने के लिए निम्नलिखित नई परिवहन परियोजनाओं में निवेश करने के सम्बन्ध में सुझाव दिए गए हैं :—

(1) फ्लाई ओवर्स का निर्माण करके चौराहों का ग्रेड पृथक्कीकरण।

(2) रोड ओवर्स ब्रिज और रोड अन्डर ब्रिजों द्वारा लेवल क्रासिंग का परिवर्तन।

(3) पैदल तल मार्ग (सबवेज)।

(4) सड़क सुधार, विस्तार और उन्नयन।

(5) नई सड़कें।

(6) संकेतीकरण और यातायात व्यवस्था।

(7) बस परिवहन।

(8) उपनगरीय रेलवे परिवहन।

(9) यात्री जल परिवहन।

(10) प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति।

परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1296.42 करोड़ रु० बैठती है।

परियोजना पर महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार के मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ कई

बार विचार-विमर्श किया गया है। इन विचार-विमर्शों के आधार पर महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि परियोजनाओं के लिए निधियां जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों को स्पष्टतया उल्लेख करते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। महाराष्ट्र सरकार से अन्तिम परियोजना रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

दक्षिण दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों का निर्माण

4404. **श्री महेश कुमार कनोडिया :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, जहांपनाह वन में तेजी से सड़कों का निर्माण कर रहा है;

(ख) क्या इसके कारण सैकड़ों पेड़ गिराए गए हैं और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां अपने प्राकृतिक निवास स्थान को छोड़कर चली गयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली रिज के दक्षिणी भाग में जहांपनाह वन में कोई सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। आस-पास के क्षेत्र के निवासियों की कुछ समितियों के निवेदन पर जुलाई, 1991 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्तमान पथमार्ग में कुछ मरम्मत का कार्य शुरू किया गया था उसे भी अब रोक दिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मरम्मत कार्य से कोई पेड़ नहीं गिरा। तथापि, पैरों से कुचलने और दूसरे प्राकृतिक प्रक्रमों से लगभग 90 पेड़ बेकार होने की सूचना मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेत्र माइक्रो सर्जरी के लिए सुविधाएं

4405. **श्री महेश कुमार कनोडिया :**
श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपोलो अस्पताल समूह नेत्र माइक्रो सर्जरी की सुविधा प्रदान करने के लिए मास्को स्थित इन्टरनेशनल रिसर्च एण्ड टेक्नोलाजी कम्पलेक्स के साथ सहयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में समझौता कब तक हो जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दि डेक्कन हास्पिटल कार्पोरेशन लिमिटेड (अपोलो ग्रुप आफ हास्पिटल) ने इन्टरसेक्टरल रिसर्च एण्ड टेक्नालॉजी कॉम्पलेक्स (आई० आर० टी० सी०) यू० एस० एस० आर० में विकसित नेत्र माइक्रोसर्जरी के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए हैदराबाद में अपोलो फायोडोरोव आई रिसर्च इन्स्टीट्यूट स्थापित करने के लिए 20-4-1991 को इन्टर इण्डस्ट्रियल सेल्फ सपोर्टिंग फॉरिन ट्रेड फर्म (आई० एस० एम० एफ० टी० एफ०) के साथ एक सहयोगी करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

कियोलेडियो नेशनल पार्क, भरतपुर में जल संकट

4406. **श्री महेश कुमार कनोडिया :**
श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरतपुर में कियोलेडियो नेशनल पार्क में व्याप्त जल संकट के कारण यूरोप, चीन और साइबेरिया से इस पार्क में आने वाले पक्षियों की संख्या गत वर्षों में कम हो गई;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कई बार इस क्षेत्र में सूखा पड़ने के कारण पानी की कमी हो जाती है। चूंकि हर वर्ष सर्दियों में राष्ट्रीय उद्यान में आने वाली प्रवासी जलमुर्गियों की अनुमानित संख्या में भारी अन्तर होता है, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है कि इन पक्षियों की संख्या और उद्यान में जल की उपलब्धता के बीच कोई निश्चित सम्बन्ध है। लेकिन, उद्यान में आने वाली साइबेरियाई क्रेनों की संख्या कम होती जा रही है, जो 1987 में 38 थी और 1988, 1989, 1990 और 1991 में क्रमश: 31, 23, 17 और 10 रह गई है। उद्यान में पानी की कमी के अलावा, पक्षियों की संख्या में कमी के अन्य सम्भावित कारण साइबेरिया में इन पक्षियों के रहन-सहन की खराब स्थिति तथा भारत आने और वापिस जाने के लिए उनकी लम्बी यात्रा के दौरान मार्ग में उनकी तकलीफें हो सकती हैं।

(ग) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

1. राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया है कि सूखे के दौरान पंचमा बांध से उद्यान को समय पर पर्याप्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

2. राष्ट्रीय उद्यान के विकास और रख-रखाव के लिए, जिसमें जल आपूर्ति, नहरों से गाद

निकालना, जल कपाटों का निर्माण और रख-रखाव तथा भूमिगत जल की पम्पिंग का कार्य शामिल है, हर वर्ष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

3. राजस्थान सरकार से चम्बल नदी से उद्यान की जल की आपूर्ति किए जाने की सम्भावना का पता लगाने का भी अनुरोध किया गया है।

बीड़ी श्रमिकों को मकान ऋण

4407. श्री महेश कुमार कनोडिया :
श्री विजय कुमार यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी श्रमिकों को राज्यवार मकान ऋण के लिए कितनी धन-राशि मंजूर की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(ग) क्या बीड़ी श्रमिकों से लिए गए उपकर का उपयोग बीड़ी श्रमिकों के लिए बनाई गई कल्याण योजनाओं पर किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) बीड़ी श्रमिकों पर न तो उपकर लगाया जाता है और न ही एकत्र किया जाता है। तथापि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत बीड़ी प्रतिष्ठानों से उपकर एकत्र किया जाता है। उपकर की राशि का उपयोग बीड़ी श्रमिकों की विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान बीड़ी श्रमिकों को दिए गए ऋण तथा उनके लिए बनाए गए मकानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्रमांक	राज्य	1988-89 ऋण (रु० हजारों में)	1989-90 ऋण	1990-91 ऋण	पिछले 3 वर्षों के दौरान बनाए गए मकानों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	कर्नाटक	4	3	10	4

1	2	3	4	5	6
2.	केरल	194	1092	1232	268
3.	पश्चिम बंगाल	—	156	336	49
4.	असम	270	273	54	90
5.	महाराष्ट्र	10	45	24	4
6.	मध्य प्रदेश	6	30	—	3
7.	गुजरात	—	[illegible]6	54	14
8.	उत्तर प्रदेश	6	4	9	3
9.	उड़ीसा	246	594	378	203
10.	तमिलनाडु	—	5	उपलब्ध नहीं	2*
11.	आन्ध्र प्रदेश	4	21	—वही—	2*

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन और दिल्ली प्रशासन में योग के अध्यापकों के वेतनमान में विसंगतता

4408. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन और दिल्ली प्रशासन के योग के अध्यापकों के वेतनमानों में कोई विसंगति है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का वेतनमान 1400-2600 रु० है। दिल्ली प्रशासन में योग शिक्षकों को भी यही वेतनमान मिल रहा है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में योग शिक्षक प्रयोगात्मक आधार पर शुरू किया गया था और योग शिक्षकों को उस समय के 425-640 रु० के वेतनमान में नियुक्त किया गया था जिसे बाद में संशोधित करके 1400-2300 रु० कर दिया गया। यह निर्णय किया गया कि योगा शिक्षण को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के साथ समेकित किया जाए तथा योग शिक्षकों को, जब वे शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं प्राप्त कर लें तब, 1400-2600 रु० के वेतनमान में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाए।

तदर्थ आधार पर योग शिक्षक

4409. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में अनेक योग शिक्षक पिछले दस वर्षों से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) योग शिक्षण प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था और इसकी कई बार समीक्षा की जा चुकी है। इस योजना की इन समीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, शारीरिक शिक्षकों को योग में प्रशिक्षण देकर तथा अपेक्षित योग शिक्षक को शारीरिक शिक्षा के लिए अपेक्षित उपयुक्त प्रशिक्षण देकर शारीरिक शिक्षा और योग को समेकित करने का निर्णय किया गया। चौबीस योग शिक्षक जो शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की अर्हताएं रखते थे उन्हें इस प्रकार नियुक्त किया गया।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय (ला० रा० शा० शि० महाविद्यालय) में 3 सेमिस्टरों में विशेष शारीरिक शिक्षा स्नातक (ग्रीष्म पाठ्यक्रम) करने के लिए योग शिक्षकों को नामजद किया। शारीरिक शिक्षा स्नातक की योग्यता प्राप्त करने वाले 95 योग शिक्षकों से 76 ने शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के रूप में अपने आपको नियमित किए जाने का विकल्प अपनाया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रवेश परीक्षा

4410. **श्री राम नरेश सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारती प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी ली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र वर्ष 1990 और उसके बाद के वर्षों में अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रदान किए जा रहे हैं। छात्रों को इन प्रश्न पत्रों को अंग्रेजी सहित संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं मे, जिनमें 10+2 की परीक्षाएं आयोजित की जाती है, के उत्तर देने की अनुमति है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए सहायता

4411. **श्री राम नरेश सिंह : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संघ लोक सेवा आयोग और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अधिकारियों के पदों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए कितने प्रत्याशियों की सहायता की गयी और कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने विभिन्न परीक्षाओं में सफल होने वाले कितने प्रत्याशियों को सहायता दी थी ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और विश्वविद्यालयों से एकत्र की जा रही है ।

वास्तविक नाम से औषधियों की बिक्री

4412. **श्री राम नरेश सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास औषधि निर्माताओं को औषधियों की बिक्री ब्रांड नामों से न करके उनके वास्तविक नामों से करने का निर्देश देने का कोई प्रस्ताव विचारधीन है;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस उपाय को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने दिनांक 17-1-1981 की अधिसूचना सा० का० नि० संख्या 27(अ) के द्वारा औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 में यह प्रावधान किया था कि एकल सक्रिय संघटक के रूप में किसी नई औषध वाली विनिर्मितियों तथा एकल संघटक के रूप में निम्नलिखित में से किसी भी संघटक वाली औषधियों का विपणन केवल वस्तविक (जेनेरिक) नामों से किया जाएगा न कि ब्राण्ड नामों से :

(1) एनलजीन

(2) एस्पिरिन तथा इसके लवण

(3) क्लोरप्रोमेजीन तथा इसके लवण

(4) फैरस सल्फेट

(5) पिपरेजान तथा इसके लवण

उक्त अधिसूचना को सन् 1982 में मैसर्स हेक्स्ट फार्मेस्यूटिकल्स, बम्बई, तथा अनेक अन्यों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अधिसूचना का क्रियात्मक खण्ड गैर-कानूनी है तथा औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा अन्य नियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(छ) दोनों के अधिकारातीत है। इस निर्णय के खिलाफ नवम्बर, 1982 में उच्चतम न्यायालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। यद्यपि यह याचिका 1-12-1983 को दाखिल की गई थी फिर भी उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए अनुरोध करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लाई एश कन्वर्जन प्लांट्स की स्थापना

4413. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्री रमेश चन्द्र तोमर :
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजघाट के पीछे यमुना के किनारे दो "फ्लाई एश कन्वर्जन प्लांट्स" की स्थापना करने की मंजूरी दी है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं की स्थापना से राजघाट, शान्तिवन और यमुना के किनारे के सभी हरे-भरे क्षेत्रों के पर्यावरण के लिए एक प्रमुख खतरा पैदा हो सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिमलय की सांस्कृतिक

4414. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन, संरक्षण और विकास के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर के परिरक्षण और विकास की एक योजना बनाई गई थी।

(ख) योजना सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस योजना के लिए आवंटित धनराशि निम्नानुसार है :

1989-90	—	40.00 लाख (बजट अनुमान)
1990-91	—	15.00 लाख (बजट अनुमान)

विवरण

VIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार, संस्कृति विभाग ने हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर के परिरक्षण तथा विकास के लिए वित्तीय सहायता की एक नवीन योजना शुरू की थी। योजना का उद्देश्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर की प्रोन्नति, रक्षण, औरपरिरक्षण करना है, जिसके लिए संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। संस्थाओं में विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध विभाग शामिल हैं जबकि संगठनों के अंतर्गत संग्रहालय, पुस्तकालय और शोध निकाय आते हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को भी अल्पावधिक परियोजनाओं के लिए सहायता दी जा रही है।

2. सहायता निम्न प्रयोजनों के लिए प्रदान की जाती है :

(क) सांस्कृतिक धरोहर के सभी पहलुओं का अध्ययन तथा अनुसंधान;

(ख) कला तथा शिल्प कृतियों का संग्रहण और लोक, संगीत, नृत्य एवं सहित सांस्कृतिक कला तथ्यों का प्रलेखन;

(ग) कला तथा संस्कृति का श्रव्य-दृश्य कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसार;

(घ) परम्परागत कला तथा लोककला में प्रशिक्षण; और

(ङ) संग्रहालयों तथा पुस्तकालयों आदि की स्थापना करना तथा सहायता देना।

3. सहायता दो प्रकार के कार्यक्रमों, अर्थात् दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्यक्रमो, के लिए प्रदान की जाती है। हिमालयी संस्कृति के विकास के लिए एक दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार करने का दायित्व संस्कृति विभाग के एक स्वायत्तशासी उपक्रम—राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को सौंपा गया है।

संस्कृति विभाग अल्पकालिक कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, अधिक से अधिक 5.00 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।

दिल्ली एपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम, 1986 में संशोधन

4415. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार दिल्ली एपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम, 1986 में कतिपय संशोधन करने के बाद उसे लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो संशोधनों में किए जाने वाले सम्भावित ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच में किए जाने वाले संशोधनों को स्वीकृति प्रदान करने के बारे में निर्णय ले लिया है ?

शहरी विकास राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986 को चरणों में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में 15345 स्वयं वित्त-पोषण योजना के फ्लेटों के लिए 50 कॉलोनियों के अवटितियों से आवेदन आमंत्रित किए गए है। सरकार ने इसके कार्यान्वयन को और अधिक कारगर बनाने के लिए दिल्ली अपार्टमेंट अधिनियम में अपेक्षित किस्म के संशोधनों पर विचार करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की है। इस परामर्शदाता ने दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित विभिन्न सम्बन्धित एजेन्सियों से विचार-विमर्श किया है। परामर्शदाता से अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

संक्रामक रोगों की रोकथाम करने के उपाय

4416. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रमुख संक्रामक और अन्य रोगों की रोकथाम करने और इन रोगों के कारण होने वाली मृत्यु और विकृति को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में, चलाये गए अनेक कार्यक्रमों के बावजूद अब: परिणाम सामने नही आ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) (क) जी, हां।

(ख) यह सही नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा सफाई योजना के अन्तर्गत योजनाएं

4417. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संघ सरकार और उत्तर

प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा गंगा सफाई योजना के अन्तर्गत आरम्भ की गयी योजनाओं का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर कितना खर्च किया गया;

(ग) अभी पूरी होने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इनके पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत हाथ में ली गई कुल 261 स्कीमों में से पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 49 स्कीमें प्रारम्भ की गई थीं। वर्तमान वर्ष में कोई स्कीम प्रारम्भ नहीं की गई है। इन स्कीमों का स्कीमवार और क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में, 261 स्कीमों पर राज्यों को वर्ष-वार रिलीज की गई धनराशि विवरण-II में संलग्न है । वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कोई धनराशि नहीं जारी की गई है।

(ग) से (ङ) 261 स्कीमों से 172 स्कीमें जून, 1990 तक पूरी कर ली गई थीं। शेष 89 अधूरी स्कीमों का ब्यौरा विवरण-III में संलग्न है । इन स्कीमों के दिसम्बर, 1993 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है । ज्यादातर स्कीमों पर कार्य समय-अनुसूची के अनुसार प्रगति पर है । लेकिन कुछ मामलों में सीवेज उपचार संयंत्रों और पम्पिंग स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी और मुकदमेबाजी के कारण, कुछ सीवेज उपचार संयंत्रों का काम सौंपने में देरी हुई है ।

विवरण-I

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान शुरू की गई स्कीमों का स्कीमवार ब्यौरा

क्रम सं०	स्कीमों की श्रेणी	स्कीमों की संख्या-राज्यवार वर्ष-वार												कुल
		उत्तर प्रदेश				बिहार				पश्चिम बंगाल				
		88—89	89—90	90—91	कुल	88—89	89—90	90—91	कुल	88—89	89—90	90—91	कुल	
1.	सीवेज अवरोधन और दिशा-परिवर्तन	12	—	—	12	2	—	—	2	—	—	—	—	14
2.	सीवेज उपचार सयंत्र	5	—	—	5	3	—	—	3	2	—	—	2	10
3.	अल्प लागत स्वच्छता	5	—	—	5	2	—	—	2	—	—	—	—	7
4.	विद्युत शवदाहगृह	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	2
5.	नदी तटाग्र विकास	2	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	1	4
6.	अन्य	9	1	—	10	1	—	—	1	1	—	—	—	12
	कुल :	33	1	—	34	10	—	—	10	5	—	—	5	49

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में राज्यों में स्कीमों पर व्यय की गई धनराशि का वर्षवार ब्योरा

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं०	वर्ष	राज्य			कुल
		उ० प्र०	बिहार	पश्चिम बंगाल	
1.	1988-89	16.54	12.44	25.79	54.77
2.	1989-90	22.62	8.80	26.24	57.66
3.	1980-91	19.85	6.12	24.39	50.36
	कुल :	59.01	27.36	76.42	162.79

विवरण-III

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत अपूर्ण स्कीमों का श्रेणीवार विवरण

क्रम सं०	स्कीमों की श्रेणी	राज्यवार स्कीमों की संख्या			
		उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिम बंगाल	कुल
1.	सीवेज अवरोधन और दिशा-परिवर्तन	10	4	22	36
2.	सीवेज उपचार संयंत्र	7	7	14	28
3.	अल्प-लागत स्वच्छता	3	0	1	4
4.	विद्युत शवदाहगृह	2	3	4	9
5.	नदी तटाग्र सुविधा	6	0	3	5
6.	अन्य	6	0	1	7
	कुल :	30	14	45	89

आदर्श (माडल) केन्द्र

[हिन्दी]

4418. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां पर आदर्श (माडल) केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(ख) उन केन्द्रों के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति संसूचना प्रणाली की योजना (रा० त० ज० संसू० प्र० यो०) जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1963 में तकनीकी जन-शक्ति की मांग तथा आपूर्ति (सप्लाई) सम्बन्धी अनुमान लगाने, प्रत्याशित अन्तरालों का आंकलन करने, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं के साथ रोजगार अपेक्षाओं को अनुकूल बनाने के लिए आंकड़े एकत्र करने तथा उनका विश्लेषण करने, अपेक्षित तत्काल ध्यान दिए जाने वाले विशिष्ट क्षेत्रों तथा क्षेत्रों के बारे में भविष्यवाणी करने तथा अन्य सम्बन्धित प्रकार्यों को निष्पादित करने के लिए आरम्भ की गयी थी, के अन्तर्गत 21 प्रमुख केन्द्रों की स्थापना की गई है।

ये प्रमुख केन्द्र आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में चल रहे हैं।

प्रमुख केन्द्रों का कार्य इन्जीनियरी-कालेजों, पालिटेक्निकों, स्नातकोत्तर तथा नियोक्ता एजेंसियों से आंकड़े एकत्र करना है। यह आंकड़ा विश्लेषक अध्ययन के लिए तथा विषय सम्बन्धी पूछपाछ के उत्तर देने के लिए, राज्य-वार सारणीबद्ध रूप/रिपोर्टों में निर्धारित किया जाता हैं। ये प्रमुख केन्द्र दिल्ली के प्रमुख केन्द्रों को आंकड़ा भी स्थानांतरित करते हैं और आपस में सूचना का आदान-प्रदान करते हैं।

राज्य कर्मचारियों को सरकारी आवास

[अनुवाद]

4419. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और राज्यों के बीच राज्यों और केन्द्र में तैनात अपने-अपने कर्मचारियों को आवास आवंटित करने के सम्बन्ध में कोई पारस्परिक समझौता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में प्रत्येक राज्य को कितने मकान आवंटित किए हैं; और

(ग) राज्यों को ऐसे मकान आवंटित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं तथा विभिन्न टाइप के मकानों के लिए प्रत्येक राज्य का कोटा किस आधार पर निर्धारित किया जाता है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक दूसरे के कर्मचारियों के लिए रिहायशी वास की व्यवस्था के सम्बन्ध में पारस्परिक समझौता हुआ । चूंकि, राज्य सरकारें अपने राज्य के कुछ शहरों में, उन तैनात केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को वास उपलब्ध कराती हैं इसलिए, दिल्ली में तैनात राज्य सरकारों का स्टाफ सामान्य लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर 5 से अनाधिक एककों के कोटे के लिए अनुमत है । तथापि, जिन मामलों में 24 अक्तूबर, 1985 से पूर्व 5 से अधिक आवंटन किए गए थे, आवंटनों को जारी रखने की अनुमति दी गई है । इस सम्बन्ध में विद्यमान मानदण्ड सामान्य पूल में वास की विकट कमी के कारण अपात्र व्यक्ति विशेष/संगठनों को सामान्य पूल वास से आवंटन को कम से कम करने की आवश्यकता पर आधारित है ।

केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद और विश्वायतन योगाश्रम का प्रबन्ध ग्रहण

4420. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केंद्रीय योग अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद और विश्वायतन योगाश्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन संस्थाओं का प्रबन्ध ग्रहण करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के प्रबन्ध को अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, अन्य दो संस्थाओं के सम्बन्ध में सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है ।

अम्बाला में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

[हिन्दी]

4421. **श्री राम प्रकाश चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभार्थ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस शहर में, ऐसे औषधालय खोलने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ अम्बाला को नहीं दिया गया है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ केवल उन शहरों को ही दिया गया है जहां पर 7:00 से अधिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी हों। अम्बाला इस मापदण्ड को पूरा नहीं करता है।

राममूर्ति समिति की रिपोर्ट की पुनरीक्षा हेतु गठित समिति के विचारार्थ विषय

[अनुवाद]

4422. **श्री रवि राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राममूर्ति समिति की रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के तत्काल बाद इसकी पुनरीक्षा हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित इस समिति के निदेश-पद क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) के अध्यक्ष के रूप में मानव संसाधन विकास मन्त्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट तथा नीति बनाए जाने के बाद उससे सम्बद्ध विकास सम्बन्धी बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन० पी० ई०) के विभिन्न प्राचलों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन० पी० ई०) में परिवर्तन लाने के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए केब की एक समिति गठित की। समिति गठित करने के सरकारी आदेश सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

विवरण

सं० एफ० 3-1/91-पी० एन०-1

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1991

आदेश

विषय :—राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा के लिए केब समिति।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन० पी० ई०) और इसके कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही का कार्यक्रम (पी० ओ० ए०) वर्ष 1986 में बनाया गया था। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा एन० पी० ई० और पी० ओ० ए० के कार्यान्वयन के लिए कई उपाय किए गए हैं। वर्ष 1987-88 के लिए इस मन्त्रालय

की वार्षिक योजना में शिक्षा के लिए आवंटन को काफी बढ़ाया गया। एन० पी० ई०/पी० ओ० ए० के अनुसरण में कई राज्य सरकारों ने भी अपने द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवंटित किए हैं। एन० पी० ई० में प्रत्येक पांच वर्षों में नीति के विभिन्न प्राचलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की परिकल्पना की गई है।

2. केन्द्र सरकार ने मई, 1990 में एन० पी० ई० की समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षा में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने दिसम्बर, 1990 में अपनी रिपोर्ट दी थी। दिनांक 8-9 मार्च, 1991 को हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने एन० पी० ई० समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जांच की और यह निर्णय किया कि एन० पी० ई० समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए अध्यक्ष द्वारा अर्थात मानव संसाधन विकास मन्त्री द्वारा एक केब समिति गठित की जाए।

3. इसलिए मानव संसाधन विकास मन्त्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट तथा नीति बनाए जाने के बाद उससे सम्बद्ध विकास सम्बन्धी बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीात (एन० पी० ई०) के विभिन्न प्राचलों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन० पी० ई०) में परिवर्तन लाने के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए केब की एक समिति गठित की।

4. समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें :—

(i) श्री जनार्दन रेड्डी　　　　　　　　　　　　अध्यक्ष
मुख्य मन्त्री और शिक्षा मन्त्री
आंध्र प्रदेश

(ii) श्री विक्रम वर्मा
शिक्षा मन्त्री मध्य प्रदेश

(iii) श्री गेगोंग अपांग
मुख्य मन्त्री और शिक्षा मन्त्री
अरुणाचल प्रदेश

(iv) डा० रामचन्द्र पूर्वे
मन्त्री (एस० ई० और पी० ई०)
बिहार

(v) श्री आर० एम० वीरप्पन
शिक्षा मन्त्री, तमिलनाडु

(vi) श्री एस० एस० चक्रवर्ती
मन्त्री (उच्चतर शिक्षा)
पश्चिम बंगाल

(vii) श्री ई० टी० मुहम्मद बशीर
शिक्षा मन्त्री, केरल

(viii) सदस्य (शिक्षा)
योजना आयोग

(ix) अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(x) डा० एम० एस० आदिसेशियाह
अध्यक्ष
मद्रास विकास अध्ययन संस्थान
79-11, मुख्य सड़क
गांधी नगर अड्यार
मद्रास-600020

(xi) डा० राधिका हर्जबर्गर
निदेशक
ऋषि वैली स्कूल
डाकघर—मदायो पल्ली
जिला—चितूर

(xii) डा० ए० पी० मिश्रा
भूतपूर्व महानिदेशक, सी० एस० आई० आर०
30, कैलाश कुंज
ग्रेटर कैलाश-1
नई दिल्ली

(xiii) श्रीमती जगन्नाथन कृष्णाम्मल
सचिव
लेंड फोर टिलरस फ्रीडम (एल० ए० एफ० टी० आई०)
किलवेलुर-611104
तनजोर जिला
तमिलनाडु

(xiv) डा० राम दयाल मुन्डा
प्रोफेसर, क्षेत्रीय भाषा
रांची विश्वविद्यालय,
रांची

(xv) श्री हबीब तनवीर
निदेशक
नया थियेटर
एल-15, बार सराय
नई दिल्ली-110016

(xvi) डा० आर० वी० वैद्यनाथ अय्यर सदस्य
संयुक्त सचिव (योजना) सचिव

5. समिति की बैठकों में केंद्रीय शिक्षा सचिव, एन० सी० ई० आर० टी० के निदेशक, तथा एन० आई० ई० पी० ए० के निदेशक स्थाई अतिथि होंगे।

6. समिति को अपनी पहली बैठक के बाद दो महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए।

7. समिति कार्य की अपनी प्रक्रिया और पद्धति निर्धारित करेगी।

ह०/-
(वी० लक्ष्मी रेड्डी)
निदेशक (पी०)

1. समिति के सभी सदस्य

2. केब के सभी सदस्य

3. राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों के सभी शिक्षा सचिव

4. शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी

5. मानव संसाधन विकास मन्त्री के निजी सचिव

6. शिक्षा सचिव के निजी सचिव

7. सहायक सचिव के निजी सचिव

प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए विदेशी एजेंसियों से वित्तीय सहायता

4423. **श्री रवि राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए विदेशी एजेंसियों से कोई समझौता किया है अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसे प्रबन्ध किए गए हैं; और

(ग) इन सारी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज डेवलपमेंट (ओ० डी० ए०) की सहायता कार्यान्वित की जा रही है। 1989-94 की अवधि में ओ० डी० ए० की सहायता से कार्यान्वित राशि 31.1 मिलियन पौंड होगी।

वर्ष 1991-95 की अवधि में बिहार शिक्षा परियोजना के लिए यूनिसेफ ने 8 मिलियन

अमेरिकी डालर की सहायता अपने आम संसाधनों से तथा 100 मिलियन अमेरिकी डालर की अनुपूरक सहायता का प्रबन्ध करने का वचन दिया है।

उत्तर प्रदेश के 12 ब्लाकों में अनौपचारिक शिक्षा हेतु एक पायलट स्कीम को नार्वे सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 1987-88 से लेकर चार सालों की अवधि में यह वित्तीय सहायता राशि 25 मिलियर नार्वेजियन कोनर तक दिए जाने का विचार है।

राजस्थान के दूर-दराज के गांवों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा कर्मी नामक एक परियोजना को स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंमी द्वारा सहायता दी जा रही है। वर्ष 1987-91 की अवधि में इस परियोजना पर 461.87 लाख रु० खर्च किया जाएगा। ये सभी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। यह सहायता जिस उद्देश्य के लिए दी जा रही है, उसी के लिए इनका उपयोग करना होगा। परियोजना के व्यय का आवधिक लेखा-जोखा तथा प्रगति रिपोर्ट सहायता देने वाली एजेंसी को भेजी जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालयों की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

[हिन्दी]

4424. **डा० लाल बहादुर रावल :**
प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में, राज्य-वार संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिलावार केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी हैं; और

(ख) इन विद्यालयों पर प्रति-वर्ष कितनी-कितनी धनराशि खर्च की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जिलावार आधार पर विद्यालय आबंटित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में 740 केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) 1989-90 के दौरान सरकार द्वारा वित्तपोषित विद्यालयों पर हुआ कुल व्यय 1,27, 98,47,548.20 रु० है। परियोजना क्षेत्र में 141 विद्यालयों पर व्यय 18,28,21,637.81 रु० है जो सम्बन्धित परियोजनाओं द्वारा वहन किया जाता है।

विवरण

13-8-91 को केन्द्रीय विद्यालयों के राज्यवार स्थिति का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	39

1	2	3
2.	असम	43
3.	बिहार	52
4.	गुजरात	34
5.	हरियाणा	20
6.	हिमाचल प्रदेश	13
7.	जम्मू और कश्मीर	25
8.	कर्नाटक	24
9.	केरल	21
10.	मध्य प्रदेश	70
11.	महाराष्ट्र	49
12.	मणिपुर	05
13.	मेघालय	07
14.	नागालैण्ड	04
15.	उड़ीसा	22
16.	पंजाब	36
17.	राजस्थान	42
18.	सिक्किम	01
19.	तमिलनाडु	26
20.	त्रिपुरा	04
21.	उत्तर प्रदेश	106
22.	पश्चिम बंगाल	45
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर	02
24.	अरुणाचल प्रदेश	06
25.	चंडीगढ़	06
26.	दिल्ली	30
27.	गोवा दमन और दीव	05
28.	पांडिचेरी	02
29.	मिजोरम	01
	कुल :	740

प्रौढ़ों को शिक्षित करने के उपाय

4425. **श्री लाल बहादुर रावल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रौढ़ों को शिक्षित करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई और इस सम्बन्ध में कितनी सफलता प्राप्त की गई है;

(ख) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में और सफलता प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान 177.33 लाख व्यक्तियों को नामित करने के लक्ष्य में से अब तक केवल 118.87 लाख व्यक्तियों को नामांकित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न आयु वर्गों के लगभग 3 करोड़ निरक्षरों को शामिल करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रशासनों के 45 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों में केन्द्रीय सरकार द्वारा 131.15 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था तथा वर्ष 1990-91 के लिए राज्य क्षेत्र में परिव्यय के रूप में 55.12 करोड़ रु० की राशि खर्च किए जाने का अनुमान लगाया है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को नई दिशा प्रदान करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जोकि निम्नलिखित हैं :—

— अध्ययन की गति और विषय-वस्तु में सुधार (आई० पी० सी० एल०) को अपनाना जो कि अध्ययन की अवधि को कम करने, नौसिखियों में प्रेरणा जागृत करने, ना नौसिखियों में आत्म-विश्वास का तत्व जागृत करने तथा अध्ययन को एक जीवन्त तथा मनोरंजक प्रक्रिया बनाने के लिए तैयार की गई एक नई अध्ययन नीति है।

— क्षेत्र दृष्टिकोण को अपनाना, जिसका अर्थ है कि प्रौढ़ शिक्षा की सभी परियोजनाएं क्षेत्र विशिष्ट समयबद्ध, परिणामोन्मुख तथा मूल्य प्रभावी होनी चाहिए।

— क्षेत्र दृष्टिकोण तथा शिक्षण/अध्ययन की सुधरी गति तथा विषय वस्तु पर आधारित जिला समाहर्ताओं के नेतृत्व में वर्ष 1991-92 के दौरान 25-30 अतिरिक्त जिलों को शामिल करने के लिए समग्र साक्षरता अभियानों को कार्यान्वित करना तथा बढ़ाना।

— क्षेत्र दृष्टिकोण के सिद्धांतों के अपनाते हुए समग्र साक्षरता अभियानों में शामिल न किए गए जिलों में केन्द्र आधारित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।

— साक्षरता कार्यक्रमों में स्वैच्छिक एजेंसियों की सहभागिता का पता लगाना तथा उसे बढ़ाना।

— राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को जन अभियान बनाने के लिए स्कूलों तथा कालेजों के छात्रों,

गैर-छात्र शिक्षित युवकों, शिक्षकों तथा समाज के अन्य वर्गों से व्यक्तियों को काफी संख्या में शामिल करना।

बंजारा जाति के हिन्दुओं को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

4426. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंजारा जाति के हिन्दुओं को, जो इस समय उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की सूची में हैं, संविधान की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख) अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कोई भी संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 342(2) में की गई व्यवस्था के अनुसार केवल संसद अधिनियम के माध्यम से ही किया जा सकता है।

वाराणसी, उत्तर प्रदेश में नवचेतना संस्थान

4427. **श्री हरि केवल प्रसाद :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में वाराणसी में "नवचेतना संस्थान" के कार्यकरण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या मन्त्रालय ने कुछ अधिकारियों को जांच हेतु वाराणसी भेजने का निर्णय लिया था;

(घ) तथा उक्त अधिकारियों ने अब तक जांच पूरी कर ली है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) शिकायतों की जांच चल रही है। पहले यह जांच मन्त्रालय के एक संयुक्त सचिव को सौंपी गई थी परन्तु वे जांच नहीं कर पाए और अब उनका स्थानांतरण हो चुका है। अब यह जांच उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सौंपी गई है और जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

आदिवासियों के अधिकार

[अनुवाद]

4428. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या पर्यावरण वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को वनों में बसे गांवों में रह रहे आदिवासियों की भूमि के सम्बन्ध में दीर्घावधि पैतृक किन्तु अहस्तान्तरणीय अधिकार प्रदान करने की सलाह दी है; और

(ख) उपर्युक्त सलाह का अनुपालन करने के सम्बन्ध में राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं कि ग्रामीणों को खेती वाली भूमि पर पैतृक किन्तु अहस्तांतरणीय अधिकार देकर वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदल दिया जाए।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

[हिन्दी]

4429. **श्री राम नारायण बैरवा :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए राज्य-वार कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्रम मंत्रालय के उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए एवं राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाए गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) महोदय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना राज्य का विषय है। इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के बारे में निर्णय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा किया जाना है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ सासित प्रदेश	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9	11	1
2.	असम	5	—	—
3.	गोवा	—	—	1

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	—	2	4
5	हरियाणा	4	—	—
6.	जम्मू एवं कश्मीर	—	12	—
7.	कर्नाटक	—	5	—
8.	मध्य प्रदेश	2	—	—
9.	महाराष्ट्र	2	5	—
10.	नागालैण्ड	—	2	—
11.	उड़ीसा	8	—	—
12.	राजस्थान	—	10	—
13.	तमिलनाडु	18	94	—
14.	उत्तर प्रदेश	19	42	58
15.	पश्चिम बंगाल	1	—	2
16.	दिल्ली	5	—	1
17.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—	1	—
18.	लक्षद्वीप	—	1	—
	कुल :	73	185	67

राजस्थान में "महिला समाख्या" खोलना

[अनुवाद]

4430. श्री राम नारायण बैरवा : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान में "महिला समाख्या" नाम से एक नई परियोजना स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेजों का दर्जा बढ़ाना

4431. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के कुछ मेडिकल कालेजों का दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थानों का रूप देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जयपुर के सवाई माधो सिंह अस्पताल और मेडिकल कालेज ऐसे संस्थानों में से हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि चिकित्सा परिचर्या में सर्वोत्कृष्ट क्षेत्रीय संस्थान के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए देश के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में पांच चिकित्सा संस्थानों के नामों की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की गई है और इसकी रिपोर्ट की अभी प्रतिक्षा है।

विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं

4432. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा को आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम मे भी उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं उन शहरों में चरणवार ढंग से शुरू की जाएंगी जहां पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या 7500 से अधिक हो। विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम इस शर्त को पूरा नहीं करते।

निरावृत्त वन भूमि

4433. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ और अन्त में अनुमानतः निरावृत्त/अवक्रमित वन भूमि कितनी थी;

(ख) इस अवक्रमित वन भूमि पर वन लगाने/पेड़ लगाने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्य में जनता को भी शामिल करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या योजनाएं सरकार के विचाराधीन है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण के उपलब्ध अनुमानों के अनुसार 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच क्राउन सघनता वाली वन भूमि 1987 में किए गए आकलन के अनुसार (1981-83 प्रतिबिम्बिकी के आधार पर) 2,76,583 वर्ग कि० मी० और 1989 में किए गए आकलन के अनुसार (1985-77 प्रतिबिम्बकी के आधार पर) 2,57,409 वर्ग कि० मी० थी।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान समग्र वनरोपण कार्यक्रम के लिए प्रयुक्त राज्यवार राशि विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरुद्धार के कार्य में ग्रामीण समुदायों, स्वैच्छिक एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों को भोगाधिकार के बंटवारे के आधार पर शामिल किया जाए। इन दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य सरकारें अपनी योजनाएं तैयार कर रही हैं।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनरोपण/वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए राशि का राज्यवार उपयोग

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल राशि (रु० लाखों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14324.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	1879.41
3.	असम	8031.08
4.	बिहार	21222.01
5.	गोआ	580.38

1	2	3
6.	गुजरात	16131.35
7.	हरियाणा	8345.19
8.	हिमाचल प्रदेश	9066.47
9.	जम्मू और कश्मीर	4784.17
10.	कर्नाटक	13158.62
11.	केरल	7738.37
12.	मध्य प्रदेश	18930.48
13.	महाराष्ट्र	17301.80
14.	मणिपुर	1529.68
15.	मेघालय	2844.11
16.	मिजोरम	2615.21
17.	नागालैण्ड	1963.99
18.	उड़ीसा	11315.96
19.	पंजाब	4656.49
20.	राजस्थान	14733.49
21.	सिक्किम	1055.04
22.	तमिलनाडु	14237.44
23.	त्रिपुरा	2162.89
24.	उत्तर प्रदेश	30817.49
25.	पश्चिम बंगाल	11047.27
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	757.55
27.	चण्डीगढ़	109.75
28.	दादर और नगर हवेली	412.13
29.	दिल्ली	553.22
30.	दमन और द्वीप	112.51
31.	लक्ष्यद्वीप	35.57
32.	पांडिचेरी	209.23
	योग :	242662.55

बौद्ध स्मारकों के संरक्षण के लिए संग्रहालय

4434. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बौद्ध स्मारकों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय का निर्माण करने के लिए आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले स्थित घंटासाला गांव में कुछ भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य शुरू करने में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं और अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रशासनिक, तकनीकी एवं कार्य पद्धति से सम्बन्धित कठिनाइयों के कारण कार्य को पहले शुरू नहीं किया जा सका। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य की लागत 15.24 लाख रुपए आकलित की गई है। निर्माण-कार्य शुरू किया जाएगा और यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

वनरोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के लिए विदेशी सहायता

4435. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में वनरोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सामाजिक वानिकी परियोजना, कनेडियन इण्टर नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (सीडा) की सहायता से 1983-84 से 1990-91 तक कार्यान्वित की गई थी। परियोजना के मुख्य उद्देश्यों में ईंधन लकड़ी, पोल, इमारती लकड़ी तथा चारे के उत्पादन में वृद्धि करना, वृक्षारोपण करने तथा उसके रख-रखाव में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और रोजगार तथा आय उपलब्ध कराना शामिल था। परियोजना के कार्यान्वयन पर 42.75 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई जिसमें लगभग 28.89 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता भी शामिल थी। परियोजना के अंतर्गत वास्तविक प्रगति निम्न प्रकार है :

—ब्लाक वृक्षारोपण	45217 हैक्टेयर
—पट्टीदार वृक्षारोपण	3261 कि० मी०
—वितरित पौध	3175 लाख

दिल्ली में किराए के फ्लैटों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

4436. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में किराये के फ्लैटों/भवनों में चल रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन औषधालयों के लिए भवनों का निर्माण न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) किराए के भवनों में कार्य कर रहे औषधालयों की सूचना विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) औषधालय भवनों का निर्माण उपयुक्त भूखंड और धन की उपलब्धता को देखते हुए किया जाता है ।

विवरण

किराए के भवनों में चल रहे औषधालय

1. सुन्दर विहार
2. मालवीय नगर
3. पटेल नगर I
4. सब्जी मण्डी
5. शाहदरा
6. शकूरबस्ती
7. पटेल नगर II
8. राजौरी गार्डन
9. पुल बंगश
10. इन्द्रापुरी
11. जी० के० जी०
12. जनकपुरी-I
13. अशोक विहार
14. त्रिनगर
15. पालम कालोनी
16. करोल बाग

17. लक्ष्मी नगर

18. जनकपुरी II

19. गुड़गांवा

20. विवेक विहार

पोलीक्लीनिकों की स्थापना

4437. **श्री मदन लाल खुराना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की **कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली में उन क्षेत्रों में, जैसे आर० के० पुरम, जनकपुरी, राजौरी गार्डन और यमुना-पार क्षेत्रों में जहां सरकारी कर्मचारी भारी संख्या में रहते हैं, पोलीक्लीनिकों के खोलने की मांग बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में पोलीक्लीनिक स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के एक पालीक्लिनिक ने जनकपुरी "ए" ब्लाक में कार्य करना आरम्भ कर दिया है। यमुनापार अर्थात् लक्ष्मी नगर में दूसरा पालीक्लिनिक आरम्भ करने के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है और पालीक्लिनिक शीघ्र खोले जाने की सम्भावना है। इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत और पालीक्लिनिक खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों को निवास पर चिकित्सा सुविधाएं देना

4438. **श्री मदन लाल खुराना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की **कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी निवास पर ही चिकित्सा परीक्षा और रोग-निदान कराने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यह सुविधा मांग करने पर उपलब्ध कराई जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी औषधालयों/पालिक्लिनिकों और अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच कराने के हकदार हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। गम्भीर बीमारी की स्थिति में लाभार्थी को उसकी मांग पर निदान और उपचार के लिए चिकित्सक द्वारा उसे घर पर देखा जाता है।

दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण

4439. **श्री मदन लाल खुराना : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1991 के इण्डियन एक्सप्रेस में "नाइज हिट डेल्ही इन ए बिग वे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) "नाइज हिट देहली इन ए बिग वे" शीर्षक के तहत छपे समाचार में निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाए गए थे :—

(1) दिल्ली में लाउडस्पीकरों, वाहनों, हवाई उड़ानों आदि के कारण ध्वनि प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है।

(2) बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में ध्वनि के स्तर पर 45 डी०बी० (ए) की प्रारम्भिक स्वीकार्य सीमा से बहुत अधिक है।

(3) भारतीय प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली के मैकेनिकल इन्जीनियरी विभाग के प्रो० के० के० पुजारा द्वारा सितम्बर, 1990 के दौरान आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार श्रेष्ठ बिहार, आनन्द बिहार, बाराखम्बा रोड-कनाट प्लेस जंक्शन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर दिन के समय ध्वनि का स्तर क्रमशः 55-78 डी० बी० (ए), 60-80 डी० बी० (ए) 88 डी० बी० (ए) और 77-80 डी० बी० (ए) था।

(4) ध्वनि के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों में दबाव, गैस्ट्रो, इन्टेस्टीनल, अंतःस्रावीय और श्वसन सम्बन्धी, क्षतियां, आंखों की खराबी, कलर ब्लाइन्डनेस, चर्म प्रतिरोधशक्ति में परिवर्तन, बेचैनी, सिरदर्द, तनाव, थकावट, अनिन्द्रा, एकाग्रता और कुशलता की कमी शामिल है।

सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

1. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 1987 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत ध्वनि को प्रदूषण के एक कारक के रूप में शामिल किया गया है।

2. विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि के सम्बन्ध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं। वाहनों, घरेलू उपकरणों तथा विनिर्माण स्तर पर अपनाए जाने वाले निर्माण उपस्करों के लिए भी ध्वनि की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। वाहनों के लिए निर्धारित ध्वनि सीमाओं को 1992 तक पूरा किया जाना है जबकि उपकरणों और उपस्करों के लिए निर्धारित सीमाओं को 1993 तक पूरा किया जाना है।

(3) उद्योगों तथा वाहनों से इतर स्रोतों से होने वाली ध्वनि के नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रक्रिया संहिता तैयार की गई है। इनमें जन संबोधन प्रणाली, हवाई उड़ान और पटाखों का घटना शामिल हैं।

(4) ध्वनि नियन्त्रण के अन्य उपायों में शान्त क्षेत्रों की घोषणा, लाउडस्पीकरों के उपयोग पर नियन्त्रण, वाहनों में तेज हार्नों के उपयोग पर प्रतिबन्ध, भारी वाहनों की आवाजाही पर नियन्त्रण और आवासीय क्षेत्रों से उद्योगों को अलग करना शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

4440. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जारी है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990-91 के दौरान जिला-वार कितने क्षेत्र को शामिल किया गया;

(ग) इस अवधि में इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(घ) वर्ष 1991-92 के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991-92 के लिए वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के वास्तविक लक्ष्य और वित्तीय आबंटन निम्न प्रकार है :—

	वर्ष 1991-92 के लक्ष्य
पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु) (लाखों में)	3,400
क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि) (हैक्टेयर में)	90,000
आबंटन (लाख रुपयों में) (अनन्तिम)	9,742.99

राउरकेला इस्पात संयंत्र से उत्पन्न पर्यावरण समस्याएं

4441. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में स्थित राउरकेला इस्पात संयंत्र तथा अन्य उद्योगों से उत्पन्न गम्भीर पर्यावरण-समस्याओं की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने राउरकेला इस्पात संयंत्र को 31 दिसम्बर, 1991 तक सभी शोधन उपायों को स्थापित करने के काम को पूरा करने के निर्देश दिए थे तथा वे अनुपालन की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में भी प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियन्त्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव मानक निर्धारित किए गए हैं।

2. परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

3. उद्योगों के स्थान निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

4. बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जन को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए उद्योगों से कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की स्वीकृति सम्बन्धी अपेक्षाओं का अनुपालन करें।

5. अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 किस्म के उद्योगों में प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है और एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली इन श्रेणियों की इकाइयों से 31 दिसम्बर, 1991 तक मानकों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।

6. प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने तथा साझे बहिस्राव शोधन संयन्त्रों की स्थापना करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

7. सांझा बहिस्राव शोधन संयन्त्र स्थापित करने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता देने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

पुनर्वास कालोनियों में नागरिक सुविधाओं का अभाव

[हिन्दी]

4442. श्री सज्जन कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में पेयजल, जल-मल निकास और सफाई जैसी नाग-

रिक सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है जिसके परिणामस्वरूप वहां के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि सभी 44 पुनर्वास कालोनियों में पेयजल आपूर्ति की गई है। 1,36,000 व्यक्तियों को पानी के कनेक्शन पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन कालोनियों में जलापूर्ति में वृद्धि करने के लिए 610 डीपबोर हैंडपम्प उपलब्ध हैं तथा 31 नलकूपों का निर्माण किया गया था और उन्हें वितरण प्रणाली से जोड़ा गया था। तथापि, वितरण प्रणाली के अन्तिम छोर पर स्थित कुछ कालोनियों से पीने के पानी की कमी की शिकायतें प्राप्त होती हैं। 17 कालोनियों में मल-जल सेवाओं के क्रियात्मक होने की सूचना दी गई है तथा 8 कालोनियों में कार्य प्रगति पर है। 10 कालोनियों के सम्बन्ध में अनुमान स्वीकृति की प्रक्रिया में है तथा शेष कालोनियों में ये सेवाएं मुहैया करने के लिए सर्वेक्षण तथा जांच-पड़ताल प्रगति पर है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इन कालोनियों में निम्नलिखित स्वच्छता सुविधाएं दी गई हैं :—

(i) 134 सुलभ शौचालय/जन-सुविधा परिसर (स्नानागार सुविधाओं के साथ 6,601 सीटें);

(ii) कूड़ा-कचरा इकट्ठा करने के लिए 295 कूड़ेदान और 83 ढलाव;

(iii) 962 पार्क/खुले स्थल;

(iv) चालू की गई 27,213 सीटों के साथ 1,503 शौचघर ब्लाक;

(v) 868.66 कि० मी० खुली सतही नालियां; और

(vi) 26,000 कि० मी० सड़कों और लेनों की मरम्मत की गई/ईंट के खड़ंजे लगाए गए। 480.75 कि०मी० का सड़क कार्य आरम्भ किया गया है।

दिल्ली के गांवों में नागरिक सुविधाएं

4443. **श्री सज्जन कुमार** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाहरी दिल्ली के गांवों में पानी, बिजली जैसी नागरिक सुविधाओं का गम्भीर अभाव है जिससे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इन गांवों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है और अब तक उक्त सुविधाएं प्रदान न करने के क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) बाहरी दिल्ली के ग्रामीण गांवों में जल आपूर्ति आमतौर पर संतोषजनक बनाई गई है। तथापि, वितरण प्रणाली

के अन्तिम छोर तथा अधिक ऊंचे स्थानों पर स्थित कुछ गांवों से गर्मियो के महीनों के दौरान पानी की कमी की शिकायतें प्राप्त की जाती हैं। नलकूपों और बूस्टिंग स्टेशनों पर बिजली के गुल होने के कारण तथा कुछ गांवों में जलकूपों के कम उत्पादन द्वारा कभी-कभी समस्या गम्भीर हो जाती है। बाहरी दिल्ली के गांवों सहित दिल्ली में जल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दीर्घावधि और अल्पावधि आधार पर दोनों प्रकार के विभिन्न उपाय किए गये हैं। निम्नलिखित कार्य/योजनाएं आरम्भ की गई हैं :

(i) हैदपुर में 100 एम० जी० डी० के द्वितीय जल शोधन संयंत्र का निर्माण, जो आरम्भ हो गया है।

(ii) नांगलोई में 40 एम० जी० डी० के जल शोधन संयंत्र का निर्माण, जिसके लिए कार्य अवार्ड के अधीन है।

(ii) बवाना में में 20 एम० जी० डी के जल शोधन संयंत्र का निर्माण। भारत सरकार ने हाल ही में इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

(iv) ब्लाक में 5 रैनी कुओं का निर्माण। निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

(v) अतिरिक्त नलकूपों का निर्माण।

(vi) भूमिगत जलाशय और बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण।

इस समय बाहरी दिल्ली के ग्रामीण गांवों में मल निर्यास सुविधायें मुहैया कराना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि दिल्ली में सभी गांवों में बिजली की सुविधा है।

दिल्ली नगर निगम के ग्रामीण गांवों में सड़कों, रास्तों, लेनों, बरसाती पानी की नालियों, समाज सदनों, सामुदायिक शौचालयों और पथ-प्रकाशों जैसी नागरिक सुविधायें मुहैया कराने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। गांवों के तालाबों की स्वास्थ्यकर स्थितियों को सुधारने के लिए नालों के मुहाने का निर्माण, तालाब के पानी के निपटान, तालाब भूमि का उद्धार और इसके विकास के लिए भी योजनाएं तैयार की हैं। निधियों की उपलब्धता के अनुसार अनुमोदित योजनाओं के प्रति कार्य निष्पादित किया जा रहा हैं।

रोहिणी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना

4444. **श्री सज्जन कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रोहिणी, नई दिल्ली में निवास करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लाभार्थ वहां एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां तो उक्त औषधालय वहां कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल केन्द्रीय सरकार के रोहिणी सैक्टर 9, 13, 14 और सैक्टर-3 के

पाकेट ए-I, ए-II में रहने वाले कर्मचारियों को पीतमपुरा औषधालय से सम्बद्ध किया गया है। रोहिणी के अन्य स्थानों में रहने वाले सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अन्तर्गत आते हैं।

स्कूलों में अनिवार्य नैतिक शिक्षा

445. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूलों में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय घोषित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय शैक्षिक तथा प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद का योगदान क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) नैतिक शिक्षा एक पवित्र अवधारणा है जो खास मौलिक मूल्यों को जगाने पर बल देती है। अनिवार्य नैतिक शिक्षा की धारणा में यह पूर्व कल्पित है कि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम और स्कूली कार्यकलापों में इन जरूरी मूल्यों के प्रति सजगता का भाव व्याप्त हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने पर विशेष बल दिया गया है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं और पाठ्यक्रमों में मूल्य आधारित शिक्षा के विभिन्न तत्वों को जोड़ने का प्रयास किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में प्रगति

[**अनुवाद**]

4446. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की योजना के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कराने में हुई प्रगति का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या व्यावसायिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने और इसके क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अंतर्गत व्यावसायीकरण कार्यक्रम को दी गई प्राथमिकताओं के अनुसरण में जमा दो स्तर पर सैकेण्डरी शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम फरवरी, 1988 से प्रारम्भ हुई थी। 1991-91 के अन्त तक 3755 स्कूलों में 10302 व्यावसायिक अनुभाग शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 23 राज्यों

और 4 संघ-शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्रत्येक राज्य और संघशासित क्षेत्र को संस्वीकृत किए गए व्यावसायिक अनुभागों की संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) इन कार्यक्रमों का अचित आयोजन और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में व्यावसायिक शिक्षा संयुक्त परिषद गठित की गई। केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में भी व्यावसायिक शिक्षा संयुक्त परिषद की एक स्थाई या समिति गठित की गई है जिसकी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर होती रहेंगी और जो यह सुनिश्चित करेगी कि तय किए गए कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित किए जाएं। व्यावसायिक शिक्षा की कोटि में सुधार के लिए इस स्कीम में राज्य सरकारों द्वारा निदेशालय स्तर, एस० सी० ई० आर० टी०/एस० आई० वी० ई० स्तर और जिला स्तर पर भी प्रबंधन ढांचा स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। पाठ्यक्रमों को तैयार करने, पाठ्यचर्या का विकास करने, निर्देश सामिग्री और पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक प्रशिक्षण/अनुकूलन कार्यक्रमों के लिए एम० सी० ई० आर० टी०/एस० सी० ई० आर० टी० द्वारा शैक्षिक संसाधन सम्बन्धी सहायता प्रदान की जाती है।

पहले से ही अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए नियत प्रतिबद्धताओं को आगे विस्तार धन की उपलब्धि पर निर्भर होगा।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	व्यावसायिक अनुभागों की संख्या	स्कूलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	979	537
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	110	50
4.	बिहार	453	151
5.	गोवा	70	26
6.	गुजरात	618	206
7.	हरियाणा	486	65
8.	हिमाचल प्रदेश	77	40
9.	जम्मू और कश्मीर	11	11
10.	कर्नाटक	290	199
11.	केरल	400	175
12.	मध्य प्रदेश	1112	390

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	957	319
14.	मणिपुर	9	3
15.	मेघालय	20	10
16.	मिजोरम	30	17
17.	नागालैंड	16	8
18.	उड़ीसा	724	181
19.	पंजाब	486	162
20.	राजस्थान	321	125
21.	सिक्किम	7	5
22.	तमिलनाडु	1240	400
23.	त्रिपुरा	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	1750	600
25.	पश्चिम बंगाल	39	39
(ख)	संघ शासित क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार	6	6
2.	चण्डीगढ़	24	5
3.	दादरा और नागर हवेली	—	—
4.	दमन और दीव	—	—
5.	दिल्ली	43	13
6.	लक्षद्वीप	—	—
7.	पांडिचेरी	16	12
	कुल :	10302	375

उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देने के बारे में गुजराल समिति की सिफारिश

4447. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजराल समिति ने देश में उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति बनाने का सुझाव दिया था;

(ख) क्या इस समिति ने गुजराल समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयम पर निगरानी रखने के लिए एक स्थायी सचिवालय बनाने का भी सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, उर्दू की तरक्की के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने वाली समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ इसी प्रकार की सिफारिशें की हैं।

(ग) समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

बाल कल्याण योजना

4448. **श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम'** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित उन बाल कल्याण योजनाओं के राज्यवार नाम क्या हैं, जो विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित बाल कल्याण योजनाओं के नाम विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों में इन योजनाओं पर खर्च की गई राशि विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

क्रम सं०	योजना का नाम	राज्यों के नाम जहां कार्यान्वित की जा रही हैं
1	2	3
1.	गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर-प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
2.	समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) योजना	सभी राज्य

1	2	3
	3. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई सी० डी० एस०-1 प्रोजेक्ट	आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा
	4. माताओं तथा बच्चों में पोषाहारीय रक्तक्षीणता को दूर करने के लिए रोगनिरोधन (प्रोफिलेक्सेज) और बच्चों में बिटामिन 'ए' की कमी के कारण अन्धेपन को दूर करने के लिए रोग-निरोधन।	सभी राज्य
	5. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (ड्वारका)	सभी राज्य
	6. सर्वव्यापी रोग निरोधन कार्यक्रम	सभी राज्य
	7. मौखिक पुनर्जलीकरण प्रक्रिया (ओ० आर० टी०)	सभी राज्य
	8. देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए कल्याण योजना	सभी राज्य
9.	किशोर सामाजिक कुसमंजन के नियन्त्रण तथा रोकथाम के लिए योजना	जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्य
10.	कैदियों के कल्याण की योजना	सभी राज्य

विवरण-II

क्रम सं०	योजना का नाम	वर्ष-वार दी गई धनराशि (लाख रुपयों में)		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम	2687.50	2799.88	2006.73

1	2	3	4	5
	2. समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) योजना	16200.28	18003.11	23500.00
	3. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त (आई० सी० डी० एस०-1 प्रोजेक्ट	—	—	9.65
	4. माताओं और बच्चों में पोषाहारीय रक्तक्षीणता को दूर करने के लिए रोग निरोधन (प्रोफिलेक्सेज) तथा बच्चों में विटामिन 'ए' की कमी के कारण अन्धेपन को दूर करने के लिए रोग निरोधन	683.59	899.33	841.00
	5. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास	627.24	729.55	773.70
	6. सर्व-व्यापी रोग निरोधन कार्यक्रम	570.20	664.54	789.35
	7. मौखिक पुनर्जलीकरण प्रक्रिया (ओ० आर० टी०) कार्यक्रम	274.83	284.83	216.30*
	8. देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए कल्याण योजना	288.98	339.89	500.86
	9. किशोर सामाजिक कुसंमजन के नियंत्रण और रोकथाम के लिए योजना	299.19	360.08	401.80
	10. कैदियों के कल्याण की योजना	शून्य	1.00	18.60

*कुछ राज्यों में व्यय के पूरे आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

रोजगारोन्मुख शिक्षा/प्रशिक्षण

[हिन्दी]

4449. श्री राम टहल चौधरी :
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से युवकों को रोजगारोन्मुख शिक्षा/प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) प्रशिक्षित युवकों के सम्बन्ध में सफलता का प्रतिशत कितना रहा तथा इन्हें रोजगार प्राप्त करने अथवा उद्योग एकक स्थापित करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा;

(ग) क्या सरकार का मार्गदर्शन करने एवं प्रशिक्षण के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में युवकों को रोजगार प्रदान करने के सम्बन्ध में इस योजना के कार्यान्वियन हेतु एक निगरानी कक्ष स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) जी, हां ।

निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न मन्त्रालयों के माध्यम से निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार किया जा रहा है :—

1. श्रम मन्त्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ।

(क) व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना ।

(I) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना; और

(II) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना ।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मन्त्रालय के प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा सचालित किए जा रहे विभिन्न व्यावसायिक व्यवसायों में वर्ष में लगभग 4.8 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है । योजना का प्रचालन पिछले तीन दशकों से अधिक समय से किया जा रहा है ।

2. मानव संसाधन-विकास मन्त्रालय, शिक्षा विभाग ।

(I) ग्रामीण युवाओं के लिए सामुदायिक पोलिटेक्निक योजना ।

योजना के ब्यौरे विवरण "क" पर देखे जा सकते हैं ।

(II) माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिकीकरण ।

ब्यौरे विवरण "ख" पर देखे जा सकते हैं ।

3. ग्रामीण विकास विभाग ट्राइसेम (स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण)

ब्यौरे विवरण "ग" पर देखे जा सकते हैं ।

4. विकास आयुक्त (लघु उद्योग)

शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना । ब्यौरे विवरण "घ" पर देखे जा सकते हैं ।

(ख) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मन्त्रालय मे ऐसा कोई निगरानी सेल नहीं है

जहां सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र किए जा सकें और रोजगार उपलब्ध कराने या कोई उद्योग स्थापित करने में प्राप्त की गई सफलता की प्रतिशतता की गणना की जा सके। इसलिए, श्रम मन्त्रालय के सम्बन्ध में सूचना "शून्य" समझी जाए।

योजना का कार्यान्वयन करने वाले अन्य मन्त्रालयों से सम्बन्धित सूचना सम्बद्ध अनुबन्धों में देखी जा सकती है।

(ग) और (घ) निगरानी सेल स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव श्रम मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है।

विवरण-क

सामुदायिक पोलिटेक्निक

देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य नियोजन विभागों में व्यावसायिक क्षेत्रों में उपयुक्त पदों को भरने के लिए डिग्री और डिप्लोमाधारियों को तैयार करना है। इस प्रणाली को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों आधारों पर अर्थ-व्यवस्था की प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है और इसलिए इसे आर्थिक योजना बनाने और परिणामस्वरूप देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में समझा जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई० आई० टीज), इंजीनियरिंग कालेजों, पोलिटेक्निकों आदि के माध्यम से दी जा रही तकनीकी शिक्षा स्वयं रोजगारोन्मुख है। यद्यपि, अधिकांश डिग्री/डिप्लोमाधारी बेरोजगार या अल्प रोजगार वाले हो सकते हैं परन्तु अगले दशक में देश के आवश्यकता वाले अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अति कुशल जनशक्ति की आवश्यकता में और अधिक वृद्धि जारी रहेगी। राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली नामक एक योजना तकनीकी शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में जनशक्ति की भावी आवश्यकताओं का आवधिक अनुमान लगाने और विश्वसनीय भविष्यवाणी उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है।

सामुदायिक पोलिटेक्निक योजना नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अधीन 159 डिप्लोमा स्तर के संस्थानों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकीय उपयोग के लिए केन्द्रीय बिन्दुओं के रूप में कार्य करने और अनौपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्व और वैतनिक रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस क्षेत्र की महिलाओं, विद्यालयों को छोड़ने वाले, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को वरीयता दी जा रही है। रोजगार सृजन मुख्यत: स्थानीय आवश्यकताओं और स्व या वैतनिक रोजगार की सम्भाव्यता के आधार पर विभिन्न व्यवसायों या बहु-कुशल व्यवसायों में सक्षमता और आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण से किया जाता है। योजना के अधीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लगभग 100 व्यवसायों/कौशलों की शिनाख्त की गई है। औसत रूप से प्रति वर्ष लगभग 25,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनमें से, लगभग 35-40% को स्व-रोजगार में नियोजित किया जाता है और लगभग 16% को कार्यान्वयन के वर्तमान स्तर पर सीधा नियोजित किया जाता है। योजना का विस्तार किए जाने पर रोजगार अवसरों में वृद्धि होने की सम्भावना है। अधिकांश प्रशिक्षित युवा स्व-रोजगार यूनिट आदि स्थापित करने में आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने में समस्याओं का सामना

कर रहे हैं। राज्य सरकारों और ग्रामीण विकास में लगे हुए अन्य संगठनों द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

विवरण-ख

केन्द्र द्वारा प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण सम्बन्धी योजना के कार्यान्वयन का स्तर

1. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** : राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के पद्धतिबद्ध सुनियोजित तथा सख्ती से कार्यान्वित कार्यक्रम आरम्भ करना महत्वपूर्ण है'''व्यावसायिक शिक्षा एक पृथक धारा होगी जिसका उद्देश्य क्रियाकलापों के अनेक क्षेत्रों में फैले शिनाख्त किए गए व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। ये पाठ्यक्रम साधारणतः माध्यमिक अवस्था पर प्रदान किए जाएंगे किन्तु योजना को लचीला रखते हुए, ये कक्षा VIII के पश्चात् भी उपलब्ध किए जा सकते हैं।

2. **माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना** : नीति निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, फरवरी, 1988 से माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना के उद्देश्य शैक्षिक अवसरों का विविधीकरण प्रदान करना है ताकि व्यक्तिगत नियोजनीयता को बढ़ाया जा सके, कुशल जनशक्ति की मांग तथा आपूर्ति में मिसमैच को कम किया जा सके तथा उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वालों को एक विकल्प प्रदान किया जा सके।

3. **योजना के संघटक** : नीति मार्गनिर्देश निर्धारित करने तथा विभिन्न अभिकरणों/संगठनों द्वारा संचालित व्यावसायिक कार्यक्रमों की आयोजना तथा समन्वयन के लिए योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई है जिसके प्रतिपक्षीय निकाय राज्य स्तर पर हैं। संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद् में सदस्यों के रूप में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, संसद सदस्य, राज्य सरकारें, स्वैच्छिक संगठन, व्यावसायिक शिक्षा विशेषज्ञ तथा अखिल भारत व्यावसायिक निकाय है तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित कार्यों के प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद् की एक स्थायी समिति का भी गठन किया गया है। केन्द्र, राज्य, जिला तथा संस्थानात्मक स्तरों पर प्रशासनिक संरचना को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तकें तथा प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किए जा रहे हैं। अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन के लिए तकनीकी अनुसमर्थन एन० सी० ई० आर० टी०/एन० सी० ई० आर० टी०/राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा प्रदान किया जा रहा है जिन्हें इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है। +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए चुनींदा विद्यालयों की सहायता की जा रही है। योजना में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले नवाचार कार्यक्रमों के वित्तपोषण का भी प्रावधान है।

4. **सहायता का पैटर्न** : योजना का अधिकांश वित्त-पोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। जिला व्यावसायिक सर्वेक्षणों, पाठ्यचर्या तथा अनुदेशात्मक सामग्री के विकास, संसाधन व्यक्तियों तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण, विद्यालयों के लिए उपकरण तथा कार्यशेड तथा शिक्षुता वृत्तिका के लिए राज्यों/

संघशासित प्रदेशों को 100% सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों में निदेशालय, जिला तथा एन० सी० ई० आर० टी० स्तर पर प्रबन्ध संरचना को सुदृढ़ करने के लिए अंशदायी (50 50) आधार पर भी सहायता दी जाती है। विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कर्मचारियों के वेतन पर होने वाले व्यय का 75% भाग केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कच्चे माल, व्यावसायिक मार्गनिर्देशन का प्रावधान तथा परीक्षा एवं प्रमाणन का प्रावधान राज्यों/संघशासित प्रदेशों का उत्तरदायित्व है।

5. **पाठ्यक्रमों का चयन** : चूंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का उद्देश्य मांग तथा आपूर्ति के बीच बेमेलता (मिसमैच) को कम करना है, अत: यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को ऐसे व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाए जिनमें स्व: अथवा वेतन रोजगार अवसर सुनिश्चित हो सकें। अतः व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन क्षेत्र व्यावसायिक सर्वेक्षणों, रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण तथा जिला विकासात्मक योजनाओं के अन्तर्गत जनशक्ति आवश्यकताओं के सामान्य मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

6. **भौतिक उपलब्धियों का सारांश** : माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना वित्तीय वर्ष 1987-88 के अन्त में आरम्भ की गई थी। अनेक मोर्चों पर एक साथ कार्यवाही किए जाने के लिए अपेक्षा कार्यक्रम की जटिलता के कारण, अधिकतर राज्य सरकारों ने इसके कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया तैयार करने में समय लगाया। फिलहाल यह योजना 27 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना के आरम्भ से अब तक इसके अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियों का सारांश नीचे दिया गया है :—

वर्ष	व्यय की गई राशि (रुपए करोड़ों में)	शामिल किए गए विद्यालयों की सं०	अनुमोदित व्यावसायिक अनुभागों की सं०
1987-88	32.26	1080	3167
1988-89	49.73	1552	4237
1989-90	43.97	163	484
1990-91	74.00	1046	2428
कुल :	199.96	3841	10316

1990-91 के अन्त तक, प्रति व्यावसायिक अनुभाग से 20 विद्यार्थियों के आधार पर 2.06 लाख विद्यार्थियों को व्यावसायिक धारा में मोड़ने के लिए सुविधाएं सृजित की गई हैं। तथापि, वास्तविक पंजीकरण काफी कम होने की सम्भावना है क्योंकि 1990-91 में अनुमोदित कुछ सुविधाएं अगले शैक्षिक वर्ष से ही प्रचलन में आएगी तथा इसलिए भी क्योंकि हो सकता है कि कुछ मामलों में सृजित सुविधाओं की पूरी तरह उपयोग न हो पाए। 6 स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की गई है तथा 1990-91 के अन्त तक उन्हें 33.66 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई थी। अनुबन्ध-I और II पर विवरणों में राज्यवार उपलब्धियां दी गई हैं।

7. **विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रम** : इस विभाग ने विभिन्न सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के साथ उन संगठनों के कार्यात्मक क्षेत्रों से सम्बन्धित निम्नलिखित विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रम के आरम्भ करने के प्रश्न को उठाया है :

1988-89 से जनरल इंशोरेंस कम्पनी में सहयोग से सामान्य बीमा में एक दो वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है । यह पाठ्यक्रम देश भर में 18 विद्यालयों में आरम्भ किया गया है । निर्धारित अर्हक अंक प्राप्त करके सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक शिक्षुतापूर्ण करने के पश्चात सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

जीवन बीमा निगम के सहयोग से 1989-90 में देश भर में 20 विद्यालयों में जीवन बीमा में एक द्विवर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया था । ग्रेड "बी" तथा अधिक लेकर इस पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले विद्यार्थियों को साक्षात्कार तथा डाक्टरी परीक्षा की शर्त पर सहायकों के रूप में समाविष्ट कर लिया जाएगा ।

रेल मन्त्रालय के सहयोग से, रेलवे वाणिज्यिक स्टाफ के लिए शैक्षिक वर्ष 1991-92 से 5 विद्यालयों में एक द्विवर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है । 1992-93 से पाठ्यक्रम को आरम्भ करने के लिए और विद्यालयों की शिनाख्त की जा रही है । इस पाठ्यक्रम के लिए चयन रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा संचालित एक खुली प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है ।

शैक्षिक वर्ष 1991-92 से दिल्ली के कुछ विद्यालयों में निम्न चार व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ किए जा रहे हैं :—

1. सहायक नर्स धात्री (ए० एन० एम०)
2. प्रयोगशाला तकनीशियन
3. एक्सरे तकनीशियन
4. ऑपथाल्मिक तकनीशियन

स्वास्थ्य एवं कल्याण मन्त्रालय द्वारा अपने स्वयं के दो संस्थानों में चलाए जा रहे 18 माह की अवधि के ए० एन० एम० पाठ्यक्रम का दर्जा बढ़ाकर इसे 2 वर्ष की अवधि वाला +2 स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर दिया गया है । इन संस्थानों को परीक्षा एवं प्रमाणन के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है । अन्य तीन पाठ्यक्रम राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों में आरम्भ किए जा रहे हैं । व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा अंशकालिक शिक्षण स्टाफ प्रदान करने के लिए अस्पतालों के साथ सहयोगी प्रबन्धों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

विकासायुक्त, हस्तशिल्प के सहयोग से, 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश के लगभग 10 विद्यालयों में निम्न तीन पाठ्यक्रम आरम्भ किए जा रहे हैं । ये पाठ्यक्रम है :—

1. फर्रुखाबाद में हस्त ब्लाक मुद्रण, वस्त्र तथा वनस्पति रंजन
2. लखनऊ में कशीदाकारी
3. मुरादाबाद में धातु शिल्प ।

8. इलैक्ट्रानिकी सम्बन्धी रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वयन करने के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा एक अन्त: मन्त्रालय इलैक्ट्रानिक्स समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में सुझाव पर, सम्बन्धित इलैक्ट्रानिकी सम्बद्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिनाख्त करने तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण में सहायता करने में राज्य इलैक्ट्रानिकी विकासात्मक निगमों को शामिल किया जा रहा है।

9. **शिक्षुता प्रशिक्षण** : +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण में शामिल करने के लिए 1986 में शिक्षुता अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया था। तत्पश्चात सितम्बर, 1987 और बाद में अप्रैल, 1988 में शिक्षुता नियमों में संशोधन किया गया था जिसके अनुसार शिक्षुता योजना के अधीन 20 विषय क्षेत्रों को व्यावसायिक विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए अधिसूचित किया गया था। शिक्षु अधिनियम के अधीन और अधिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षु अधिनियम का कार्यान्वयन बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में स्थित मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, शिक्षा विभाग के चार क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डों के माध्यम से किया जा रहा है। शिक्षु अधिनियम के प्रावधानों में शामिल प्रत्येक प्रतिष्ठान का यह एक संवैधानिक दायित्व है कि वह विशेष संख्या में शिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करें। 1990-91 के दौरान, इस प्रयोजन के लिए बोर्ड को दक्षिणी क्षेत्र में 75.39 लाख और पश्चिमी क्षेत्र में 18.30 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

10. **वैतनिक रोजगार** : व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की सफलता व्यावसायिक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को वैतनिक एवं स्व-रोजगार में तैनात करने पर निर्भर करती है। शिक्षा विभाग के कहने पर नवम्बर, 1988 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी मन्त्रालयों/विभागों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने भर्ती नियमों का पुनरीक्षण करें ताकि व्यावसायिक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को रोजगार के लिए पात्र बनाया जा सके। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे इस सम्बन्ध में राज्य विभागों/संगठनों के सम्बन्ध में तत्काल कार्रवाई करें। कर्मचारी चयन आयोग सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों का ध्यान ऐसे पदों के लिए उत्तीर्ण व्यावसायिक विद्यार्थियों की प्रात्रता के सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र की ओर लाने के लिए सहमत हो गया है जिसके लिए न्यूनतम योग्यता उच्चतर माध्यमिक है। बैंकिंग प्रभाग ने सूचित किया है कि व्यावसायिक विद्यार्थी बैंकिंग सैक्टर में पदों के लिए पात्र होंगे।

11. **स्वरोजगार** : संगठित क्षेत्र कुल कार्यबल के लगभग केवल 10% को रोजगार उपलब्ध करा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यावसायिक विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाए। व्यावसायिक विद्यार्थियों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रश्न वित्त उद्योग और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों के साथ उठाया गया है। वित्त मन्त्रालय ने यह सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों को लघु उद्योगों को ब्याज की उदार मार्जिन और रियायती दरों पर धन दिए जाने के अनुदेशों के अधीन, व्यावसायिक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बैंक से सहायता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे बेरोजगार युवकों को शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के अधीन वरीयता दी जाएगी जिन्होंने +2 स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

12.1 ऊर्ध्वस्थ गतिशीलता : कुल मिलाकर +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का स्वरूप सात्रिक होने की आशा है। तथापि, ऐसे विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक विकास और आजीविका सुधार के लिए कुछ अवसर होने चाहिए जो व्यावसायिक विषयों में डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने कौशल का दर्जा बढ़ाने के लिए कला, विज्ञान; वाणिज्य विषयों में उच्च शैणिक्षक विषयों का अध्ययन करना चाहते हैं।

12.2 मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एन० सी० ई० आर० टी० के साथ उठाया गया था। एक बैठक में जिसमें शिक्षा विभाग, एन० सी० ई० आर० टी०, यू० जी० सी० के प्रतिनिधियों और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया, यह सहमति हुई कि वाणिज्य सहित उत्तीर्ण व्यावयिक विद्यार्थी बिना किसी ब्रिज पाठ्यक्रम के वाणिज्य के डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होने चाहिए। विज्ञान विषयों के लिए, उत्तीर्ण व्यावसायिक विद्यार्थियों को ब्रिज पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा। यह भी निर्णय किया गया कि उत्तीर्ण व्यावसायिक विद्यार्थियों की ऊर्ध्वस्थ गतिशीलता की आवश्यकता को डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना करते समय ध्यान में रखा जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तीर्ण व्यावसायिक विद्यार्थियों की ऊर्ध्वस्थ गतिशीलता की अपेक्षा को पूरा करने के लिए डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना करने का प्रश्न विचाराधीन है।

12.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 146 विश्वविद्यालयों और 28 डीम्ड विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उत्तीर्ण व्यावसायिक विद्यार्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में लिखा था। अब तक 73 विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों ने उत्तर दिया है। यह पाया गया है कि इनमें से 52 विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय व्यावसायिक धारा के विद्यार्थियों को स्नातक-पूर्व स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं।

अनुबन्ध-I

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की योजना

अनुमोदित व्यावसायिक अनुभागों और शामिल किए गए विद्यालयों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित शासित प्रदेशों का नाम	1987-88 संख्या		1988-89 संख्या		1989-90 संख्या		1990-91 संख्या		योग (4 वर्ष) संख्या	
		व्यावसायिक अनुभाग	विद्यालय	व्यावसायिक अनुभाग	विद्यालय	व्यावसायिक अनुभाग	विद्यालय	व्यावसायिक अनुभाग	विद्यालय	व्यावसायिक अनुभाग	विद्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	325	182	314	171	11	—	329	184	979	537
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	30	10	80	40	—	—	—	—	110	5;
4.	बिहार	129	43	—	—	—	—	324	108	453	151
5.	गोवा	65	20	—	—	—	—	13	16	78	26
6.	गुजरात	—	—	477	159	—	—	141	47	618	206
7.	हरियाणा	284	53	116	65	—	—	86	32	486	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	हिमाचल प्रदेश	30	15	—	—	20	10	27	15	77	40
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	11	11	11	11
10.	कर्नाटक	100	69	140	80	—	—	50	50	290	99
11.	केरल	—	—	200	100	150	50	50	25	400	175
12.	मध्य प्रदेश	44	13	1025	356	—	—	43	21	1112	390
13.	महाराष्ट्र	507	169	450	150	—	—	—	—	957	319
14.	मणिपुर	—	—	9	3	—	—	—	—	9	3
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	20	10	20	10
16.	मिजोरम	17	4	—	—	—	—	13	13	30	17
17.	नागालैण्ड	8	4	—	—	—	—	8	4	16	8
18.	उड़ीसा	24	31	600	150	—	—	—	—	724	181
19.	पंजाब	01	87	—	—	—	—	285	95	486	162
20.	राजस्थान	84	51	55	24	—	—	182	50	321	125
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	7	5	7	5
22.	तमिलनाडु	340	100	300	100	300	100	300	100	1240	400
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	800	200	450	150	—	—	500	250	1750	600
25.	पश्चिम बंगाल	39	39	—	—	—	—	—	—	39	39
	जोड़ :	3127	1070	4216	1548	481	160	2389	1026	10213	3804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(ख)	संघ शासित प्रदेश										
1.	अण्डमान व निकोबार	—	—	—	—	3	3	3	3	6	6
2.	चण्डीगढ़	—	—	18	3	—	—	6	2	24	5
3.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	दमन दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	दिल्ली	40	10	—	—	—	—	3	3	43	15
6.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	16	12	16	4
	जोड़ :	40	10	18	3	3	3	28	20	89	30

स्वैच्छिक/गैर-सरकारी/स्वायत्त संगठन

क्रम सं०	संगठन का नाम	1987-88 संख्या		1988-89 संख्या		1989-90 संख्या		1990-91 संख्या		योग (4 वर्ष) संख्या	
		व्यावसायिक अनुभाग	विद्यालय	व्यावसायिक अनुभाग	विद्यालय	व्यावसायिक अनुभाग	विद्यालय	व्यावसायिक अनुभाग	विद्यालय	व्यावसायिक अनुभाग	विद्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए समिति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—
4.	नूतन विद्या मन्दिर	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
5.	मनुज कल्याण	—	—	—	—	—	—	7	—	7	—
6.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन दिल्ली	—	—	3	1	—	—	—	—	3	1
	योग (ग)	—	—	3	1	—	—	11	—	14	1
	कुल योग (क) (ख) (ग)	3157	1080	4237	1552	484	163	2428	1046	10816	3011

अनुबन्ध-II

क्रम सं०	राज्य का नाम	अनुदान की राशि (लाखों में) 1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	562.63	730.32	177.06	886.85	2356.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
3.	असम	30.10	82.[illegible]1	—	42.62	155.33
4.	बिहार	136.09	—	7.41	558.611	700.11
5.	गोवा	58.53	28.47	64.59	80.6[illegible]0	242.22
6.	गुजरात	—	236.64	1173.31	778.031	2187.981
7.	हरियाणा	276.12	353.03	129.87	184.83	943.85
8.	हिमाचल प्रदेश	30.90	1.86	98.06	177.385	308.205
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	16.50	16.50
10.	कर्नाटक	93.00	244.70	49.21	156.80	543.71
11.	केरल	—	226.42	223.44	353.23	803.09

1	2	3	4	5	6	7
12.	मध्य प्रदेश	57.16	745.00	1121.48	1221.42	3145.06
13.	महाराष्ट्र	495.90	469.66	509.38	267.205	1742.145
14.	मणीपुर	—	11.68	—	—	11.68
15.	मेघालय	—	—	—	20.75	20.75
16.	मिजोरम	21.42	7.12	—	16.68	45.22
17.	नागालैंड	8.00	—	—	14.84	22.84
18.	उड़ीसा	156.19	600.00	63.72	510.40	1350.31
19.	पंजाब	211.59	—	50.25	371.71	633.55
20.	राजस्थान	58.34	159.22	72.35	561.543	851.453
21.	सिक्किम	—	—	—	5.325	5.325
22.	तमिलनाडु	112.56	225.00	358.11	279.558	975.228
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	829.88	800.00	203.69	707.25	2540.82
25.	पश्चिम बंगाल	40.69	—	—	—	40.69
	योग (क) :	3189.1	4921.73	4321.93	7212.258	17645.018

1	2	3	4	5	6	7
(ख) संघ शासित प्रदेश						
1.	अण्डमान व निकोबार	—	—	3.24	3.238	6.478
2.	चण्डीगढ़	—	42.70 (1988-89 के दौरान दावा नहीं किया गया)	42.70 (1989-90 के दौरान दावा किया गया)	12.34	55.04
3.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	—	—
4.	दमन व द्वीप	—	—	—	—	—
5.	दिल्ली	36.52	—	4.18	42.86	83.56
6.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
7.	पांडिचेरी	—	—	—	16.63	16.63
	योग (ख) :	36.52	42.70	50.12	75.068	161.708

क्रम सं०	स्वैच्छिक संगठन का नाम	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए समिति	—	5.00	5.00	6.00	16.00
2.	भारतीय शिक्षा संस्थान	—	1.00	1.10	2.27	4.37
3.	रामाकृष्ण विवेकानन्द मिशन	—	—	—	0.746	0.746
4.	गुजरात अनुसंधान समिति	—	—	—	0.30	0.30
5.	नूतन विद्या मन्दिर	—	—	—	0.511	0.511
6.	मनुज कल्याण	—	—	—	6.39	6.39
7.	ओपन मैन सिसटम	—	—	—	0.75	0.75
8.	शिक्षता प्रणिक्षण (दक्षिणी क्षेत्र)	—	—	15.39	75.39	90.78

1	2	3	4	5	6	7
9.	शिक्षुता प्रशिक्षण (पश्चिमी क्षेत्र)	—	—	—	18.30	18.30
10.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय, प्रशासन	—	2.54	3.11	—	5.65
	योग (ग)	—	8.54	24.60	110.657	144.797
	प्रशासनिक व्यय	—	—	—	2.00	—
	कुल योग (क+ख+ग)	3225.62	4972.97	4396.65	7399.983	19996.00
	या (से) (दूसरे अर्थों में)	3226.00	497[illegible].00	4397.00	7400 00	19996.00

विवरण-ग

स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी संक्षिप्त टिप्पणी

प्रस्तावना

स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण (ट्राईसेम) के लिए राष्ट्रीय योजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1979 को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आरम्भ किया गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के 18-35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवकों को तकनीकी कौशल प्रदान करना और परम्परागत कौशलों का दर्जा बढ़ाना है। इससे वे कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों, उद्योग, सेवाओं और व्यापारिक कार्यकलापों के बृहत क्षेत्र में स्व-रोजगार शुरू करने में समर्थ होंगे। अगस्त, 1983 में विशिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत परियोजना अनुबन्धों के सम्बन्ध में प्रशिक्षित युवकों को वैतनिक रोजगार को शामिल करके इस कार्यक्रम के कार्य-क्षेत्र को विस्तारित किया गया था। प्रशिक्षण पूरा होने पर "एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०)" नामक मुख्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्राइसेम लाभानुभोगियों को सहायता प्रदान की जाती है।

प्रशिक्षण के लिए चुने गए कुल युवकों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम कवरेज 30% था परन्तु चालू वर्ष से अ० जा० और अ० ज० जा० के युवकों के कवरेज को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसी प्रकार, महिलाओं का न्यूनतम कवरेज 33⅓% था और इसे अब बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। यह भी निर्णय किया गया है कि इस कार्यक्रम के 3% संसाधन विकलांग व्यक्तियों के लिए रखे जाएं।

वर्ष 1990-91 के दौरान ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रगति (7-8-91 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	लक्ष्य	प्रशिक्षित (सं०)			प्रशिक्षित (2)			प्रशिक्षित और स्व-नियोजित	प्रशिक्षित और वेतन नियोजित	कुल प्रशिक्षित और नियोजित
			कुल	अ० जा०/ अ० ज० जा०	महिलायें	कुल	अ० जा०/ अ० ज० जा०	महिलायें			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	22722	15020	8152	6769	66.10	54.27	45.07	5562	1245	6807
2.	अरूणाचल प्रदेश	1064	355	355	307	33.36	100.00	86.48	310	—	310
3.	असम	10110	6487	339	431	64.16	5.23	6.64	2695	47	2742
4.	बिहार	43382	21734	9275	12301	50.10	42.68	56.60	9213	1737	10950
5.	गोवा	4892	3546	33	3105	72.49	0.93	87.56	2126	1272	3398
6.	गुजरात	37232	15681	9015	6947	42.12	57.49	44.30	4980	1583	6563
7.	हरियाणा	4656	2097	969	1202	45.04	33.19	57.32	742	314	1056
8.	हिमाचल प्रदेश	3712	1350	810	756	36.37	60.00	56.00	608	344	952
9.	जम्मू और कश्मीर	5148	9	2	1	0.17	22.22	11.11	4	—	4
10.	कर्नाटक	12910	9070	2931	4470	70.26	32.32	49.28	1527	417	1944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	केरल	12226	5657	2033	3667	46.27	35.94	64.82	1809	2651	4460
12.	मध्य प्रदेश	33360	23212	13373	10642	69.58	57.61	45.85	14319	3436	17755
13.	महाराष्ट्र	26940	18016	7660	7444	67.87	42.52	41.32	9085	2169	11254
14.	मणिपुर	610	129	88	112	21.15	68.22	86.82	80	16	96
15.	मेघालय	534	36	36	34	6.74	00.00	94.44			
16.	मिजोरम	1306	750	750	558	57.43	100.00	74.40	357	243	600
17.	नागालैण्ड	642	138	138	86	21.50	100.00	62.32	103	37	140
18.	उड़ीसा	26248	12726	6167	2357	48.48	48.46	42.09	11413	6649	18062
19.	पंजाब	17474	10287	5313	7693	58.87	51.65	74.78	8731	1646	10377
20.	राजस्थान	28688	4007	1587	1812	13.97	39.61	45.22	4547	4089	8636
21.	सिक्किम	344	161	67	147	46.80	41.61	91.30		78	78
22.	तमिलनाडु	26504	9725	4153	4158	36.69	42.70	42.76	2498	3490	5988
23.	त्रिपुरा	3692	347	205	226	9.40	59.08	65.13	67	44	111
24.	उत्तर प्रदेश	72796	57195	23317	29341	78.57	44.26	51.30	33503	7411	40914
25.	पश्चिम बंगाल	25378	14916	5801	6702	58.78	38.89	44.93	8095	2183	10278
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	148	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.				एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
27.	चण्डीगढ़	——— लागू नहीं किया गया ———									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	दादर और नागर हवेली	58	36	36	11	62.07	100.00	30.56	9	—	9
29.	दमन और दीव	220	110	19	58	50.00	17.27	52.73	64	—	64
30.	दिल्ली	1820	886	231	773	48.68	26.07	87.25	456	90	546
31.	लक्षदीप	76	13	13	7	17.11	100.00	53.85		—	—
32.	पांडिचेरी	422	272	27	190	64.45	9.93	69.85	112	120	232
33.	अखिल भारत	425314	233968	104622	115307	55.01	44.72	49.28	123015	41311	164326

वर्ष 1990-91 के दौरान ट्राईसिम प्रशिक्षण पर
किया गया व्यय (7-8-1991)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	योग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	71.99	71.99	143.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	5.54
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—
5.	गोवा	19.16	19.16	38.32
6.	गुजरात	111.21	111.22	222.43
7.	हरियाणा	—	—	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	5.16	5.16	10.32
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	0.00
10.	कर्नाटक	101.14	101.15	202.29
11.	केरल	72.97	63.98	136.95
12.	मध्य प्रदेश	—	—	256.83
13.	महाराष्ट्र	—	—	229.44
14.	मणीपुर	—	—	0.00
15.	मेघालय	—	—	0.00
16.	मिजोरम	11.10	11.10	22.20
17.	नागालैंड	6.10	6.12	12.24
18.	उड़ीसा	131.27	131.27	262.54
19.	पंजाब	36.19	37.46	73.65
20.	राजस्थान	43.04	43.03	86.08
21.	सिक्किम	0.24	0.24	0.48
22.	तमिलनाडु	143.90	142 90	285.80
23.	त्रिपुरा	5.52	5.52	11.05

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	265.02	265.02	530.03
25.	पश्चिम बंगाल	95.88	95.87	191.75
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	0.00
27.	चन्डीगढ़	———लागू नहीं किया गया———		
28.	दादर और नागर हवेली	0.15	—	0.15
29.	दमन और दीव	0.62	—	0.62
30.	दिल्ली	10.81	—	10.81
31.	लक्षद्वीप	0.10	—	0.10
32.	पांडिचेरी	5.89	—	5.89
33.	अखिल भारत	1136.48	1111.20	2247.68

विवरण-घ

शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व:रोजगार प्रदान करने की योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य सहायता के पैकेज के उपबन्धों के माध्यम से उद्योग, नौकरी, तथा व्यापार में स्व:रोजगार उद्यम आरम्भ करने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करना है।

2. योजना का शीर्षक

इसे "शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व:रोजगार प्रदान करने की योजना" कहा जाता है।

3. लक्ष्य समूह

इस योजना के अन्तर्गत सभी शिक्षित बेरोजगार युवा शामिल हैं जो मैट्रिकुलेट (कक्षा X पास) हैं तथा 18-35 वर्ष की आयु वर्ग में हैं। महिलाओं तथा तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों पर उपयुक्त ध्यान/महत्व दिया जाता है। 1986-87 से कुल स्वीकृतियों में से न्यूनतम 30% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। अब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उत्तीर्ण युवा भी उद्योग/सेवा उद्यम स्थापित करने के पात्र हैं। यह योजना उन बेरोजगार शिक्षित युवाओं को स्व:रोजगार प्रदान करने के लिए है जो अपनी स्वयं की पूंजी इकठ्ठी नहीं कर सकते। तदनुसार, 1986-87 से इस योजना के अन्तर्गत पात्रता की एक कसौटी के रूप में प्रति परिवार

10,000/- रु० की वार्षिक आय की सीमा निर्धारित कर दी गई है ताकि समाज के अपेक्षाकृत समृद्ध व्यक्ति ही इस योजना के लाभ न उठा लें।

न्यूनतम 50% उद्यम उद्योग के रास्ते से आने चाहिए तथा अधिकतम 30% उद्यम व्यापार के क्षेत्र से सम्बन्धित होने चाहिए।

4. लक्ष्य का आकार

योजना का उद्देश्य प्रति वर्ष उद्योग, नौकरी तथा व्यापार के माध्यम से 2,50,000 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वःरोजगार प्रदान करना है। बजट की तंगी के कारण 1987-88 तथा 1989-90 में यह लक्ष्य घटा कर 1,25,000 कर देना पड़ा।

5. क्षेत्र

1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को छोड़कर देश के सभी क्षेत्रों पर यह योजना लागू है। अतः नामतः बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, नागपुर तथा पुणे इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं।

नोडल एजेंसी

6. जिला स्तर

जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों को अपने वर्तमान सामान्य कार्यकलापों के अतिरिक्त इस योजना का प्रचालनात्मक उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सम्बन्धित क्षेत्रों के प्रमुख बैंकों की सलाह से जिला उद्योग केन्द्र राज्य सरकारों के समग्र मार्गदर्शन के अन्तर्गत स्वःरोजगार योजनाएं तैयार करने, उनके कार्यान्वियन तथा निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा विभिन्न सेवाओं तथा परियोजनाओं के लिए वास्तविक मांग के मूल्यांकन पर आधारित विशिष्ट स्थान के अनुरूप कार्यवाही योजना तथा उत्पादन एवं सेवाओं के प्रत्येक विशिष्ट व्यवसाय में समाविष्ट किए जा सकने वाले उद्यमियों की संख्या तैयार करना अपेक्षित है। सम्बन्धित लघु उद्योग सेवा संस्थान सर्वेक्षण करने, सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने तथा परियोजनाएं तैयार करने में जिला उद्योग केन्द्रों की सहायता करेंगे।

7. कार्यान्वयन

आर्थिक कार्य विभाग के बैंकिंग प्रभाग तथा राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के उद्योग विभागों की सहायता से समग्र पर्यवेक्षण लघु उद्योग विकास आयुक्त द्वारा किया जाता है। जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा योजना के कार्यान्वियन में लाभानुभोगियों की शिनाख्त, विशिष्ट व्यवसायों का चयन, लाभानुभोगियों द्वारा अपेक्षित समर्थन पद्धति की शिनाख्त, रक्षण सेवाएं तथा बैंकों, एवं उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रों से सम्बन्धित अन्य स्थानीय एजेंसियों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क शामिल है। जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर एक कार्यबल होता है जिसमें जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक, जो इसके अध्यक्ष हैं, जिला उद्योग केन्द्र का ऋण प्रबन्धक, प्रमुख बैंक तथा सम्बन्धित लघु उद्योग सेवा संस्थान प्रत्येक से एक प्रतिनिधि, जिला रोजगार अधिक तथा जिले के प्रमुख बैंकों के दो प्रतिनिधि होते हैं। जिला उद्योग केन्द्र

कार्यबल निम्न के लिए उत्तरदायी है—(I) उद्यमियों को प्रेरित करना तथा उनका चयन करना, (II) व्यापार, सेवा प्रतिष्ठानों तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों में योजनाओं की शिनाख्त करना तथा उन्हें तैयार करना, (III) प्रत्येक उद्यमी के लिए व्यवसाय/कार्यकलाप निर्धारित करना, (IV) उद्यमियों के लिए सिफारिश करना, (V) सम्बन्धित प्राधिकारियों से यथावश्यक शीघ्र क्लीयरेंस प्राप्त करना। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा योजना का पर्याप्त प्रचार किया जाता है तथा आवेदन पत्र सीधे आमंत्रित किए जाते हैं। उद्यमियों को आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों इत्यादि के साथ सादे कागज पर जिला उद्योग केन्द्र को आवेदन करना चाहिए।

8. वित्त

(क) समेकित ऋण

लाभानुभोगियों की शिनाख्त के पश्चात् तथा जिला उद्योग केन्द्र कार्यबल द्वारा उनकी परियोजना व्यवहार्य/उपयुक्त होने की शर्त पर बैंक प्रत्येक उद्यमी को औद्योगिक उद्यमों के लिए 35,000/- रु० से अनधिक, सेवा उद्यमों के लिए 25,000/-रुपये से अनधिक तथा छोटे व्यापारिक उद्यमों के लिए 15,000/- से अनधिक का समेकित ऋण प्रदान करते हैं। 35,000/-तक के ऋण के लिए, बैंकों को समर्थक ऋणाधार या मार्जिन की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) सरकारी सहायता

सरकारी सहायता बैंकों से उद्यमियों द्वारा समझौता किए गए ऋण के 25% की सीमा तक पूर्णतया पूंजीगत आर्थिक सहायता के रूप में है। बैंकों को आर्थिक सहायता ऋण के संवितरण के बाद जारी की जाती है। तथापि इसे ऋणी को जारी नहीं किया जाता। आर्थिक सहायता के भाग को सावधिक जमा राशि के रूप में रखा जाता है जोकि बैंकों द्वारा ऋणी के नाम पर रखा जाता है और यह परिपक्वता की उपयुक्त शर्तं पर अनुमेय दर पर ब्याज अर्जित करता है। परियोजना की कुल वित्तीय आवश्यकता बैंकों द्वारा समेकित ऋण (आवधिक ऋण+कार्यकारी पूंजी) के रूप में दिया जाता है। जब देय ऋणराशि का तीन चौथाई वसूल कर लिया जाता है तो बैंकों द्वारा शेष एक चौथाई ऋणी के नाम पर जमाराशि में समायोजित कर दिया जाता है। बैंक द्वारा सृजित सम्पत्ति ऋण का पूर्ण भुगतान होने तक बैंक में गिरवी रखी जाती है। यदि गम्भीर चूक होती है और देय राशि वसूल नहीं होती, तो बैंक को देय राशि के भुगतान के बाद प्राप्त राशि, यदि कोई हो, सरकारी लेखे के नामे खाते डाल दी जाती है।

(ग) एस० ई० ई० यू० वाई योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण जिसमें औद्योगिक उद्यमों के लिए 35,000/- रु० तक के ऋण शामिल हैं, विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से और अन्य क्षेत्रों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अर्जित करता है।

(घ) भुगतान के क्षेत्र

भुगतान किस्तों में है जो 6 महीने और 18 महीने के बीच के आरम्भिक ऋण-स्थगन के बाद आरम्भ होगा। किस्तें 3 से 7 वर्ष के बीच में भुगतान की जाएगी जोकि उद्यम के स्वरूप और लाभकारिता पर निर्भर करता है।

(ड) वसूली

ऋण निधियों की वसूली सम्बन्धित बैंकों का उत्तरदायित्व है । स्थानीय बैंक प्रबन्धकों को चूक के मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त लचीलापन अपनाने की अनुमति दी जाती है । वास्तविक चूक के मामले में, समय सूची के पुनः निर्धारण को वरीयता दी जाती है ।

9. प्रशिक्षण

अधिकांश शिक्षित बेरोजगारों को वित्तीय प्रबंधन, लेखा सूची प्रबन्धन आदि के बारे में कुछ आधारभूत ज्ञान होता है क्योंकि सामान्यतः औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आवश्यक नहीं होते । तथापि ऐसे व्यक्तियों, जो उपकरणों के चयन और प्रयोग के बारे में कुछ आधारभूत प्रशिक्षण और परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो राज्य सरकारों को उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पोलिटेक्निकों आदि की सेवाओं का (अपने बजट से) उपयोग करना होगा । जिला उद्योग केन्द्रों और लघु उद्योग सेवा संस्थान को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का समन्वय करना चाहिए ।

10. अन्य इनपुट

व्यवसाय और सेवाओं के लिए, राज्य/निगम प्राधिकारियों से अधिमानतः स्थान प्राप्त करना पड़ सकता है । औद्योगिक क्षेत्र चाहने वालों को राज्य सरकारों द्वारा जहां भी आवश्यक हो, औद्योगिक सम्पदा और भूमि पर उपयुक्त शैड आवंटित करने में वरीयता प्रदान की जाती है । यदि मशीनरी और उपकरण अपेक्षित हैं, जहां तक व्यवहार्य हो, ये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और किराया-खरीद से सम्बन्धित राज्य एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने चाहिएं । एक शैड और मशीनरी के लिए ऋण की किस्तें पूंजीगत इनपुट का एक घटक है । इसी प्रकार, ऋण का एक भाग प्रचालन-पूर्व खर्चों के लिए उपलब्ध है ।

11. निगरानी

जिला उद्योग केन्द्र उद्यमियों के प्रत्येक क्षेत्र के अर्थात् उद्योग, सेवा और वाणिज्य के लिए जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं और जिले में बैंक शाखाओं द्वारा स्वीकृत आवेदन-पत्रों (क्षेत्र-वार) के संदर्भ में मासिक प्रगति रिपोर्ट उत्तरवर्ती द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों को भेजी जाती है । जिला उद्योग केन्द्र द्वारा विकास आयुक्त, लघु उद्योग को भेजी गई मासिक प्रगति रिपोर्टों में शिनाख्त किए गए लाभानुभोगियों की सं०, प्रायोजित मामलों की सं०, बैंकों द्वारा सिफारिश एवं स्वीकृत की गई ऋण-राशि (क्षेत्र-वार) और वास्तविक रूप से नियोजित लाभानुभोगियों की संख्या से सम्बन्धित सूचना शामिल है । इस सम्बन्ध में मासिक प्रगति रिपोर्ट की पुनरीक्षा जिला उद्योग केन्द्रों की जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा की जाती है । इस समिति द्वारा कार्यान्वयन, समन्वयन और निगरानी की समस्याओं का हल किया जाता है जिसकी बैठक महीने में एक बार आयोजित की जाती है । प्रत्येक माह के लिए जिला उद्योग केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित महाप्रबन्धक द्वारा भेजी जाती है ताकि विकास आयुक्त, लघु उद्योग को अगले माह की 10 तारीख तक अवश्य प्राप्त हो जाए ।

12. जिला उद्योग केन्द्रों, बैंकों और सभी सम्बन्धितों को इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

13. प्रगति

1983 से योजना की प्रगति निम्न प्रकार है

वर्ष	लक्ष्य (सं० लाखों में)	बैंकों द्वारा स्वीकृत मामले (स० लाखों में)	बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि (रु० करोड़ों में)
1983-84	32.50	2.42	401.54
1984-85	2.50	2.29	429.53
198[illegible]-86	2.50	2.21	429.99
1986-87	2.50	2.17	469.91
1987-88	1.25	1.20	259.76
1988-89	2.50	1.92	404.32
1989-90	1.25	1.07	224.81
1990-91	1.25	0.98	193.98 (अनन्तिम)
1991-92	1.29	———योजना प्रगति पर है———	

बीच में ही शिक्षा छोड़ देने वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा

4450. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ देने वाली बालिकाओं को पर्याप्त अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक शिक्षा योजना को कार्यान्वित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में यह योजना प्रभावी ढंग से कैसे कार्यान्वित की जा रही है अथवा करने का विचार है और गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी के कितने बच्चे लाभान्वित हुए और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) सरकार औपचारिक शिक्षा के समकक्ष कोटि की अनौपचारिक शिक्षा की एक योजना का कार्यान्वयन, शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा,

राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्कूल रहित स्थानों स्कूल बीच में छोड़ जाने वाले काम-काजी बच्चों और सारे दिन के स्कूल न जा सकने वाली बालिकाओं के लिए और साथ ही अन्य सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में शहरी गन्दी बस्तियों पहाड़ी और रेगिस्तानी तथा जनजातीय क्षेत्रों तथा कामकाजी बच्चों से भरे क्षेत्रों, के लिए कर रही है। नई शिक्षण-अध्ययन सामग्री शुरू की गई है। अनौपचारिक शिक्षा के कार्यान्वयन और उसमें प्रशिक्षण के लिए गैर-सरकारी समूहों को शामिल किया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और बालिकाओं की संख्या इस प्रकार है।

	1989-90	1990-91
1. अनुसूचित जाति की बालिकाएं	54,641	68,473
2. अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं	27,320	34,236
जोड़ :	81,961	1,02,709

विदर्भ, महाराष्ट्र की लम्बित सिंचाई परियोजनायें

[अनुवाद]

4451. श्री तेजसिंहराव भोंसले : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कितनी सिंचाई परियोजनायें केन्द्रीय सरकार के पास वन की दृष्टि से मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की मंजूरी में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी दे दिए जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ग) 31 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की लम्बित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा और उनकी मौजूदा स्थिति इस प्रकार है :

1. लोअर बुन्ना परियोजना, नागपुर (131.06 है०) 2. पकड़ीगुडम मझौली सिंचाई परियोजना, चन्द्रपुर (16.94 है०)	इन मामलों पर कारंवाई की जा रही है। प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।
3. चिनोडा लघु सिंचाई टैंक, नागपुर (41.70 है०)	—वही—

4. चपडोह मध्यम सिंचाई टैंक, यवतमाल (8.88 है०)	इन मामलों पर कारंवाई की जा रही है। प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।
5. जाम नदी मझौली सिंचाई परियोजना, नागपुर (12.83 है०)	
6. दाहीगांव लघु सिंचाई टैंक, अमरावती (4.81 है०)	—वही—

स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ाई जाने वाली अंग्रेजी और हिन्दी से इतर भाषाएं

[हिन्दी]

4452. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी और अंग्रेजी को छोड़कर स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ायी जाने वाली देश की अन्य भाषाओं के नाम क्या हैं और उन्हें किन-किन विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है;

(ख) उनमें से कौन-कौन सी भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं;

(ग) उन भाषाओं के नाम क्या हैं जो राज्य सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम हैं और हैं और तत्सम्बन्धी राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) साहित्य अकादमी से मान्यता प्राप्त भाषाओं के नाम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वि०अ०आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा उन भाषाओं के नाम, जो स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई जाती हैं, संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) अर्धमगधी, डोगरी, खासी, मैथिली, मणिपुरी, पाली और प्राकृत राजस्थानी, नेपाली और अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) उन भाषाओं के सम्बन्ध में सूचना, जिनमें राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उपलब्ध नहीं है।

(घ) साहित्य अकादमी द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अकादमी ने संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल न की गई निम्नलिखित भाषाओं को मान्यता प्रदान की है : डोगरी, अंग्रेजी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली और राजस्थानी।

विवरण

क्रम सं०	भाषा का नाम	उस विश्वविद्यालय का नाम जहां स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ाई जाती है
1	2	3
1.	अर्धमगधी	बम्बई, पूना, शिवाजी।

1	2	3
	2. असमी	डिब्रूगढ़, गोहाटी ।
	3. बंगला	बनारस, बिहार, बर्दवान, कलकत्ता, दिल्ली, गोहाटी, जादवपुर, कल्याणी, मगध, उत्तर बंगाल, पटना, रवीन्द्र भारतीय रांची, उत्कल, विश्वभारती, त्रिपुरा ।
	4. डोगरी	जम्मू ।
	5. गुजराती	एम० एस० बड़ोदा विश्वविद्यालय, भावनगर, बम्बई, गुजरात, सरदार पटेल, सौराष्ट्र, एस० एन० डी० टी०, उत्तर गुजरात ।
	6. कन्नड़	बंगलोर, कालीकट, गुलबर्ग, कर्नाटक, मद्रास, मंगलोर, मैसूर, शिवाजी ।
	7. काश्मीरी	काश्मीरी।
	8. खासी	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय।
	9. मैथिली	भागलपुर, बिहार, एल० एन० मिथिला, मगध, पटना, एम० एन० डी० टी०
	10. मलयालम	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कालीकट, केरल, मद्रास, मदुरै, कामराज ।
	11. मणिपुरी	मणिपुर ।
	12. मराठी	अमरावती, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, एम० एस० बड़ौदा, बम्बई, गोवा, गुलबर्ग, जीवाजी, कर्नाटक, मराठवाड़ा, नागपुर उस्मानिया, पूना, रानी दुर्गावती, शिवाजी विक्रम ।
	13. उड़िया	बरहामपुर, साम्बलपुर, उत्कल, विश्वभारती ।
	14. नेपाली	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, उत्तर बंगाल ।
	15. पाली और प्राकृत	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, एम० एस० बड़ौदा, बर्कतुल्ला, बम्बई, कलकत्ता, मगध, मराठवाड़ा, पटना, पूना, नागपुर, गुजरात, कर्नाटक, मैसूर, एम० एल० सुखाड़िया, उत्तर गुजरात ।
	16. पंजाबी	दिल्ली, गुरू नानक, जम्मू, कुरूक्षेत्र, पंजाब, पंजाबी ।

1	2	3
17.	राजस्थानी	एम० एल० सुखाड़िया ।
18.	संस्कृत	आगरा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, अमरावती, अन्नामलै, अवध, ए० पी० एस० रीवा, बनस्थली, विद्यापीठ, बंगलोर, एम० एस० बड़ोदा, बरहामपुर, भागलपुर, भावनगर, बर्कतुल्ला, बिहार, बम्बई, बुन्देलखंड, बर्दवान, कलकत्ता, कालीकट, दयालबाग, ई० आई० दिल्ली, डिब्रूगढ़, एच० एस० गौड़, गढ़वाल, गोहाटी, गोवा, गोरखपुर, गुलबर्ग, गुरू कासीदास, गुरूकुल कांगड़ी, हिमाचल प्रदेश, जादवपुर, जम्मू, गुरू नानक, जीवाजी, जोधपुर, के० एस० दरभंगा, कानपुर, कर्नाटक, काशी विद्यापीठ, केरल, कुमाऊं, कुरूक्षेत्र, एल० एन० मिथिला, लखनऊ, मद्रास, मगध, महर्षि दयानन्द, मराठवाड़ा, मेरठ, एम० एल० सुखाड़िया, मैसूर, नागार्जुन, नागपुर, पंजाब, पटना, पूना, पंजाबी, रवीन्द्र भारती, राजस्थान, रांची, रानी दुर्गावती, रविशंकर, रोहिलखंड, साम्बलपुर, सौराष्ट्र, शिवाजी, एस० एन० डी० टी०, श्री वेंकटेश्वर, उत्कल, विक्रम, विश्वभारती, उत्तर गुजरात, त्रिपुरा।
19.	सिन्धी	बम्बई।
20.	तमिल	अलगप्पा, अन्नामलै, भरतियार, कालीकट, दिल्ली, हैदराबाद विश्वविद्यालय, केरल, मदुरै कामराज, उस्मानिया, पांडिचेरी श्री वेंकटेश्वर।
21.	तेलुगू	बनारस, हिन्दू विश्वविद्यालय, बंगलौर, ककातिया, मद्रास, नागार्जुन, उस्मानिया, एस० के० देवराया, श्री सत्यसांई, श्री वेंकटेश्वर।
22.	उर्दू	आगरा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, अवध, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बंगलौर, एम० एस० बड़ोदा, बर्कतुल्ला, बिहार, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गोरखपुर, गुजरात, गुलबर्ग, गुरू नानक,

1	2	3
		हैदराबाद विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, जम्मू, कानपुर, कर्नाटक, कश्मीर, लखनऊ, मद्रास, मगध, मराठवाड़ा, मेरठ, मैसूर, नागपुर, उस्मानिया, पंजाब, पटना, पूना, पंजाबी, राजस्थान, रांची, रानी दुर्गावती, रोहिलखंड, शिवाजी, श्री वेंकटेश्वर, उत्कल, विक्रम ।

पूर्वी राज्यों में शहरों से सम्बन्धित अध्ययन

[अनुवाद]

4453. **श्री अमल दत्त** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी पूर्वी राज्य में शहरों से सम्बन्धित अध्ययन के लिए किसी क्षेत्रीय केन्द्र को प्रायोजित किया है अथवा उसे सहायता दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) पालिका प्रशासन प्रशिक्षण और अनुसंधान क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना 1968 में भारत सरकार की सहायता से कलकत्ता में भारतीय समान कल्याण तथा व्यवसाय प्रबन्ध संस्थान में की गई थी। इस संस्थान का अभिप्राय पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकताओं का पूरा करना था। 1982 में सरकार ने इस क्षेत्रीय केन्द्र के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का अध्ययन करने का कार्य राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान को सौंप दिया। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि केन्द्र का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं था। मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ बताया गया कि 1981-82 के दौरान केन्द्र कोई भी पाठ्यक्रम आयोजित करने में असफल रहा था। केन्द्र को फिर से चालू करने के लिए मन्त्रालय द्वारा किए गए प्रयास असफल रहे थे। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए संस्थान को आगे कोई भी सहायता न देने का निर्णय लिया गया था।

पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन

4454. **श्री अमल दत्त** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने किसी पूर्वी राज्य में पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन के लिए किसी क्षेत्रीय केन्द्र को प्रायोजित किया है या सहायता दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार

ने इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद में खनन पर्यावरण केन्द्र प्रायोजित किया है। राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने दो क्षेत्रीय केन्द्रों की अर्थात् एक नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग में तथा दूसरा जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता की स्थापना में सहायता की है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण तथा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वनस्पतिजात और प्राणीजात के सर्वेक्षण और अध्ययन के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये हैं। गोबिन्द वल्लभ पन्त हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान ने गंगटोक, सिक्कम तथा मोकोकचुंग, नागालैंड में एक-एक केन्द्र स्थापित किए हैं। मन्त्रालय ने रीजनल प्लांट रिसोर्सिज सेन्टर, भुवनेश्वर में तीन अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित की हैं।

भरतपुर स्थित कियेलाडियो नेशनल पार्क का पारिस्थितिकीय अध्ययन

4455. **श्री बलराज पासी :**
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में भरतपुर स्थित कियोलाडियो नेशनल पार्क के पारिस्थितिकीय अध्ययन से यह विदित हुआ है कि 1982 में पार्क में भैंसों पर रोक लगाने के निर्णय से पारिस्थितिकीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संघ सरकार द्वारा प्रत्येक सिफारिश पर क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिकीय अध्यय सम्बन्धी रिपोर्ट, 1980-1990 में की गई सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ये सिफारिशें मुख्य रूप से केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान के प्रबन्ध के सम्बन्ध में हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबन्ध और नियंत्रण सम्बन्धित राज्य सरकार करती है। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को राजस्थान सरकार को प्रेषित कर दिया है और इस सम्बन्ध में उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (1990) की "केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकीय अध्ययन की रिपोर्ट (1988-1990)" में दी गई सिफारिशों का सार

(1) जल प्रबन्ध

(1) चम्बल नदी के जल को उद्यान में लाया जाना चाहिए जिससे जल की कमी के समय इसका उपयोग किया जा सके।

(2) जल को छोड़े जाने के समय, छोड़ गये जल की मात्रा में वार्षिक अन्तर, भूखण्डों में जल की गहराई, बाढ़ का क्रम एवं सूखे की अवधि को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए।

(2) वासस्थल प्रबन्ध

(1) जलीय खर पतवारों का उन्मूलन

निम्नलिखित खर-पतवारों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गये हैं :

(क) पेस्पेलम डिस्टिकम

उद्यान से भैंसे को हटाए जाने के परिणामस्वरूप इस खर-पतवार की बेरोकटोक वृद्धि से पारि-विनाश हो रहा है। भैंसों की जो खर-पतवारों के प्रमुख उपभोक्ता हैं, को फिर से इस प्रणाली में लाने के लिए एक योजना तैयार करनी होगी।

(ख) साइपरस एलोपेकूरोआइडस

यह खर-पतवार जहां भी घना उगता है, इसके छोटे-छोटे पौधों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए।

(ग) वेटिलेरिया जिजानियोआइडस और डेस्मोस्टेच्या बिपाइनेट

इस खर-पतवार का उन्मूलन ग्रामीणों को इन्हें काटने की अनुमति देकर करना चाहिए।

(घ) खारापनयुक्त भूखण्ड

इन भूखण्डों में फिर से वन लगाए जाने चाहिए।

(ङ) जंगली मवेशियों पर नियंत्रण

बछड़ों को बेहोश करके पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें किसी दूसरे स्थान पर भेज दिया जाना चाहिए। सांडों को बधिया किया जाए। "बायोबुलेट्स" का भी प्रयोग किया जाए।

(3) मत्स्य आपूर्ति

ग्रीष्म काल के दौरान मछलियों के प्रजनन स्टाक को बनाये रखने के लिए अतिरिक्त क्षेत्र बनाये जाने चाहिए। मई-जून के महीने में मछलियों की नियंत्रित रूप से पकड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(4) समन्वित विकास कार्यक्रम

इस क्षेत्र के लिए एक समन्वित विकास कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए। इनमें उन्नत कूकरों की आपूर्ति, पवन चक्कियों, स्वास्थ्य रक्षा, कुटीर उद्योग, उन्नत कृषि

पद्धतियां आदि शामिल हैं जो उद्यान के प्रबन्ध के अनुकूल हैं। चम्बल नदी से स्थानीय ग्रामीणों को जल का आपूर्ति की जानी चाहिए।

(5) पर्यटन विकास

इसमें मुख्य गेट से केवल देव मन्दिर तक सस्ता परिवहन, निगरानी टावरों का निर्माण, व्याख्या केन्द्र और कम खर्च में रहने खाने की सुविधाएं होनी चाहिए।

औषध जांच सुविधाओं को बढ़ाना

4456. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत औषध जांच सुविधाओ में वृद्धि के लिए 100 प्रतिशत और प्रवर्तन स्कंध को सुदृढ़ बनाने के लिए 50 प्रतिशत सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय औषध प्रशासन की एक औषध जांच प्रयोगशाला, निदेशालय और ऐसी ही एक प्रयोगशाला आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में है;

(ग) क्या उपर्युक्त दोनों ही प्रयोगशालाओं में स्थान और कर्मचारी अपर्याप्त है तथा आधुनिक उच्च तकनीक वाले जांच उपकरणों की कमी है;

(घ) क्या राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उक्त दो जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत के औषध नियंत्रक के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) 8वीं योजनावधि में राज्य सरकारों को उनकी औषध जांच सुविधाओं एवं निरीक्षणालय स्टाफ को सुदृढ़ करने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं। हैदराबाद तथा विजयवाड़ा में स्थित औषध जांच प्रयोगशालाएं आन्ध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन है।

(ग) जी, हां। जैसाकि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है।

(घ) और (ङ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने औषध जांच प्रयोगशाला, हैदराबाद के लिए 70 लाख रुपये की सहायता तथा विजयवाड़ा में स्थित क्षेत्रीय प्रयोगशाला के लिए 50 लाख रुपये की सहायता मांगी है।

(च) विभिन्न राज्यों से ऐसी किसी स्कीम के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा जो अनुमोदित हो और जिसके लिए 8वीं योजनावधि में प्रावधान किया गया हो।

दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं

4457. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में किसी दक्षिणी राज्य में क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्रप्रदेश बल्क दवाओं के उत्पादन में अग्रणी है फिर भी राज्य में कोई परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में औषध परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और कहां पर, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन क्षेत्रीय औषध जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है।

आन्ध्र प्रदेश बल्क औषधों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है और इस राज्य में राज्य सरकार के अन्तर्गत दो औषध जांच प्रयोगशालायें हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी परिवारों को दी गई सहायता

4458. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुरादाबाद और फिरोजाबाद में वर्षवार कितने-कितने आदिवासी परिवारों को सहायता दी गई है;

(ख) क्या आदिवासियों को वास्तव में प्राप्त हुए लाभों के सम्बन्ध में कभी कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) उक्त क्षेत्रों के आदिवासियों की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी सहायता देने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या निम्न

प्रकार है :

वर्ष-वार	मध्य प्रदेश	राजस्थान	उत्तर प्रदेश
1985-86	196490	61726	4496
1986-87	241862	86616	4570
1987-88	280506	94231	4708
1988-89	281071	75713	3244
1989-90	220350	69201	3703
कुल :	1220279	387487	20721

संचयी जोड़ अप्रैल, 85
से मार्च, 1990

1981 के जनगणना आंकड़े दर्शाते हैं कि मुरादाबाद और फिरोजाबाद में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नगण्य है (क्रमशः 621 और 118)।

(ख) राज्य आदिवासी अनुसंधान संस्थानों, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और अन्य अनुसंधान संगठनों द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन किये जाते हैं। क्षेत्र के दौरे करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा मौके पर जांच के माध्यम से, आदिवासी लाभप्राप्तकर्ताओं का समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए भी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

(ग) 1991-92 के दौरान इन राज्यों के आदिवासी उप योजना क्षेत्रों लिए विशेष केन्द्रीय सहायता में से, आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित राशि निम्न प्रकार है :

क्रम सं०	राज्य	1991-92 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रस्तावित आवंटन (रु० लाखों में)
1.	मध्य प्रदेश	6566.87
2.	राजस्थान	1613.36
3.	उत्तर प्रदेश	56.10

आदिवासी कल्याण योजना की समीक्षा

4459. श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार की आदिवासी कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अनुसूचित जातियों की लड़कियों और लड़कों के लिए होस्टलों के निर्माण की योजना को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो यदि किसी होस्टल का निर्माण किया गया हो तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना करने का भी विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) विभिन्न आदिवासी कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा कल्याण मन्त्रालय तथा योजना आयोग में हर वर्ष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक आदिवासी उप-योजना पर विचार-विमर्श निर्माण में की जाती है। इन विचार-विमर्शों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को इन योजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों, यदि कोई हो, को ठीक करने का अनुरोध किया जाता है।

(ग) और (घ) होस्टलों के निर्माण की केन्द्र प्रायोजित योजना में अनुसूचित जाति की लड़कियां और लड़के भी शामिल हैं। 1990-91 के अन्त तक इस योजना के अधीन संस्वीकृत/निर्मित होस्टलों की संख्या अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए 528 और अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए 104 तथा अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए 2136 तथा अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए 177 थी।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम पहले ही स्थापित किया जा चुका है और यह फरवरी 1989 से कल्याण मन्त्रालय के अधीन काम कर रहा है। यह निगम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की, और वित्तीय सहायता के प्रवाह को बेहतर बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उनके आर्थिक विकास की योजनाओं के वित्त पोषण हेतु एक शीर्षस्थ संस्था है।

सरकारी क्षेत्र निर्मित दवाइयां

4460. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :
श्री अनादि चरण दास :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में निर्मित होने पर भी सरकारी अस्पतालों/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों में उपयोग के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्मित कतिपय दवायें खरीदी जाती हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन दवाओं को खरीदने के बारे में डाक्टरों की किसी परिषद द्वारा निर्णय लिया जाता है/मंजूरी दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डॉ० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) वे औषधियां जो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ही खरीदे जाने के लिए विनिर्दिष्ट होती हैं, को उनसे चिकित्सा भण्डार संगठन जो सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को औषधों की आपूर्ति करता है, द्वारा खरीदी जाती हैं । सार्वजनिक/निजी क्षेत्र का ध्यान किए बिना अन्य औषधियों का चिकित्सा भण्डार संगठन द्वारा प्रतियोगात्मक आधार पर खरीदा जाता है ।

(ग) और (घ) सामान्यतः औषधियां एक क्रय समिति जिसमें किसी संगठन के विभिन्न स्वास्थ्य यूनिटों के डाक्टर/विशेषज्ञ शामिल होते हैं, द्वारा तैयार की गई फार्मूलरी के आधार पर खरीदी जाती हैं । इस फार्मूलरी को लागत कारक और औषधियों इत्यादि की व्यावहारिक प्रभावकारिता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है और समय-समय पर इसे अद्यतन बनाया जाता है ।

उड़ीसा में वनों को समृद्ध करने के लिए सहायता

4461. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वनों को समृद्ध बनाने की दृष्टि से विभिन्न वृक्षारोपण परियोजनाओं हेतु उड़ीसा को कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) उड़ीसा के किन-किन जिलों में परियोजनाएं लागू की गयी हैं और अब तक उसकी क्या उपलब्धियां हैं ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के सभी जिलों मे वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं । उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता सहित धनराशि का उपयोग और वनीकरण तथा वृक्षारोपण कार्यकलापों की वास्तविक प्रगति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उपयोग (करोड़ रुपयों में)	वास्तविक प्रगति (लाख हैक्टेयर में)
1988-89	26.67	1.38
1989-90	27.19	0.84
1990-91	25.46	0.68

सम्पदा निदेशालय का वातकरण कक्ष

4462. **श्री उत्तम राव पाटिल :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान सम्पदा निदेशालय ने अपने वाद-करण कक्ष की सलाह पर बेदखली के कुछ मामले उठा लिए थे जिन्हें कुछ समय बाद पुनः चालू किया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। बेदखली के मामले मुकदमा सैल की सलाह पर वापिस लिए जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षय रोग की रोकथाम हेतु धनराशि

[हिन्दी]

4463. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार प्रत्येक राज्य सरकार को क्षय रोग की रोकथाम के लिए धनराशि आवंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार को दी गई सहायता रोग के उन्मूलन के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राजस्थान को और अधिक सहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को नगद सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, सहायता के पैटर्न के अनुसार राज्यों द्वारा चलाए जा रहे क्षयरोग केन्द्रों को क्षयरोग-रोधी औषधें/सामग्री और उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य को दी गई क्षयरोग-रोधी औषधों/सामग्री और उपकरणों की लागत इस प्रकार है :—

वर्ष	वास्तविक खर्च (लाख रुपयों में)
1988-89	52.34
1989-90	51.65
199.-91	42.01

(ग) से (ङ) इस रोग के नियंत्रण के लिए राजस्थान राज्य के क्षयरोग केन्द्रों को सहायता उनकी जरूरत के अनुसार क्षयरोग-रोधी औषधों/सामग्री और उपकरणों के रूप में दी जाती है।

राजस्थान में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

4464. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज की मूल और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अभाव वाले जिलों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में ऐसे कितने और कौन-कौन से जिले हैं;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इंधन, चारा और इमारती लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए कृषि वानिकी, विस्तार वानिकी और अल्प विकसित वनों में वृक्षारोपण किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) लोगों की इंधन, चारा तथा इमारती लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के 157 जिलों, जिनमें इंधन लकड़ी का अभाव है, में छठी योजना अवधि के दौरान "ग्रामीण इंधन लकड़ी वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी" नाम की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की गई थी। इन जिलों में राजस्थान राज्य के 10 जिले भी शामिल हैं उन्हें संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान चलाए गए सामाजिक वानिकी सहित वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप निम्नलिखित पर लक्षित हैं :—

— विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इंधन लकड़ी, चारा तथा इमारती लकड़ी की आवश्यक जरूरतों को पूरा करना।

— सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से समस्त अवक्रमित तथा अप्रयुक्त भूमि पर वनस्पति आवरण में वृद्धि करना।

— भूमि की अनुकूलतम उत्पादकता तथा उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कृषि के लिए अनुपयुक्त सीमांत फार्म भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए लोगों को प्रेरित करना।

— उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक जन-आंदोलन तैयार करना।

विवरण

"ग्रामीण इंधन लकड़ी वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी" नाम की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के कार्यान्वयन के लिए चयन किए गए राजस्थान के जिलों की सूची

क्रम सं०	जिलों के नाम
1	2
1.	जयपुर

1	2
2.	उदयपुर
3.	भरतपुर
4.	अलवर
5.	भीलवाड़ा
6.	अजमेर
7.	बांसवाड़ा
8.	झुंझुनू
9.	कोटा
10.	सवाई माधोपुर

नोट बुक और किताबों की छपाई में प्रयुक्त कागज के लिए राज्य सरकारों को अनुदान

4465. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोट बुक और स्कूली बच्चों में वितरित की जाने वाली पुस्तकों की छपाई में प्रयुक्त कागज पर राज्य सरकारों को अनुदान देने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का यह अनुदान फिर से देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) कागज की प्राप्ति के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुदान प्रदान करने की कभी कोई योजना नही थी । अत: अनुदान को फिर से चालू करने का प्रश्न नही उठता । तथापि, 31 मार्च, 1990 तक, स्कूली-पाठ्य-पुस्तकों तथा अभ्यास-पुस्तिकाओं को तैयार करने के लिए सफेद मुद्रण-कागज की आर्थिक सहायता प्राप्त सप्लाई की एक योजना थी। तत्पश्चात् यह योजना बन्द कर दी गई थी ।

धौलपुर ताप विद्युत परियोजना को स्वीकृति

4466. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की सरकार का धौलपुर ताप विद्युत परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए 1984 से लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा रहा है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, नहीं। यह प्रस्ताव पहली बार अप्रैल, 1985 में भेजा गया था जिसे स्थल के पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल न होने के कारण नामंजूर कर दिया गया। चूंकि मई, 1991 में प्रस्ताविक नए स्थल को भी उपयुक्त नहीं समझा गया इसलिए राज्य प्राधिकारियों को स्थल का अपने पर्यावरणीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप करने की सलाह दी गई है।

(ग) न तो परियोजना को और न ही आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया गया है।

औषधियों की प्रभाव क्षमता

[अनुवाद]

4467. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाजार में बाल गिरने, समय से पूर्व भूरे होने और सिर में रूसी (डेन्ड्रफ) होने को रोकने के लिए कई औषधियां उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये औषधियां सरकार से मान्यता प्राप्त है;

(ग) क्या इन औषधियों को बिक्री हेतु बाजार में लाने से पहले इनकी प्रभाव क्षमता का परीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) औषध नियंत्रण (भारत) ने बालों के गिरने और समय से पहले भूरे होने को रोकने के लिए इस्तेमाल हेतु किसी औषध का अनुमोदन नहीं किया है। बहरहाल, सिर की खाल में रूसी और फंगस के संक्रमण के उपचार के लिए विभिन्न ब्रांड नामों के अन्तर्गत सेलीनियम सल्फाइड वाले औषधीय शैम्पू बेचे जा रहे हैं।

पाइटीरियासिस केपिटिस, जिसके कारण रूसी होती है, के विरुद्ध सेलीनियम सल्फाइड की प्रभावकारिता का परीक्षण किया गया है।

आचार्य नरेन्द्र देव की स्मृति में नई दिल्ली में कालिज की स्थापना

4468. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आचार्य नरेन्द्र देव की स्मृति में नई दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कोई कालिज खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कालिज का उद्देश्य छात्रों को विशिष्ट पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है;

(घ) यदि हां, तो इन पाठ्यक्रमों के नाम क्या हैं, प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश के मानदंड क्या हैं और प्रत्येक पाठ्यक्रम में कितनी-कितनी सीटें उपलब्ध हैं;

(ङ) क्या सरकार का भविष्य में अन्य राज्यों में ऐसे ही और अधिक कालिजों की स्थापना करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्तमान शैक्षिक वर्ष से नई दिल्ली में राजोकरी में "आचार्य नरेन्द्र देव कालेज" नामक एक कालेज आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है ।

(ग) तथा (घ) विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि शुरू में कालेज में निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे जिनमें प्रत्येक के सामने अधिकतम स्थानों की संख्या नीचे दर्शाई गई हैं ।

क्रम सं०	पाठ्यक्रम का नाम	छात्रों की संख्या
1.	बी० एस० सी० सामान्य ग्रुप "ए"	60
2.	बी० ए० (पास)—अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान तथा इतिहास	60
3.	बी० काम० (आनर्स)	40

उन पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश का मानदण्ड निश्चित रूप से योग्यता के अनुसार आवेदक द्वारा अर्हकरी परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की प्रतिशतता के आधार पर होगा ।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सरकार स्वयं कोई कालेज स्थापित नहीं करती । कालेज सामान्यतः राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों अथवा निजी प्रबन्धों द्वारा क्षेत्र को शैक्षिक तथा अन्य आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर स्थापित किए जाते हैं ।

तम्बाकू के सेवन से जन स्वास्थ्य समस्याएं

4469. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में तम्बाकू के उपयोग से सम्बन्धित जन स्वास्थ्य समस्याओं में कमी करने के लिए कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम और कार्यवाही योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में किसी विदेशी संगठन को शामिल किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर कितना खर्च होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) ये ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं

4470. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण तथा गर्भवती महिलाओं, कृषि श्रमिको को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न कल्याण योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये योजनाएं सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में साथ-साथ कार्यान्वित की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नही तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशि का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पहले आरम्भ किए गए अनेक कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन जारी है। अनुसूचित जातियों के विकास की बुनियादी कार्यनीति विशेष संघटक योजना की कार्यनीति है और इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उपयोजना है जिसके अन्तर्गत अनेक कार्यक्रमों को शामिल करते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में उनके कल्याण के लिए योजना परिव्यय निर्धारित किए जाते हैं। सातवीं योजना के दौरान अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष संघटक योजना व्यय 6,916.92 करोड़ रु० था। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सातवी योजना के दौरान आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत व्यय 7,076.50 करोड़ रु० था। 1990-91 के लिए विशेष संघटक योजना परिव्यय 2,348.26 करोड़ रु० था और 1991-92 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 3270.84 करोड़ रु० है।

1990-91 के लिए आदिवासी उपयोजना परिव्यय 1991.98 करोड़ रुपए है और 1991-92 के लिए प्रस्तावित आदिवासी उपयोजना परिव्यय 2527 करोड़ रु० है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, अस्वच्छ व्यवसायों मे लगे व्यक्तियो के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां

योजना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बालक और बालिका होस्टलों की योजना, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रतियोगिता तथा प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सफाई कर्मचारियों की मुक्ति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी निकायों को सहायतानुदान की केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगमों की शेयर पूंजी का 49 प्रतिशत भी प्रदान करती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रु० की प्रदत्त पूंजी के साथ-राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास निगम की स्थापना की गई है। लघु वन उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड की स्थापना की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार विशेष संघटक योजना और आदिवासी उपयोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण खाइयों को पाटने के लिए राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता भी प्रदान करती है। सातवीं योजना के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा राज्यों को विशेष संघटक योजना के योगज के रूप में 806 करोड़ रु० विमुक्त किए गए थे। वर्ष 1991-92 के लिए प्रस्तावित राशि 225 करोड़ रु० है जिसमें से 75 करोड़ रु० पहले ही विमुक्त किए जा चुके हैं। इसी प्रकार आदिवासी उपयोजनाओं के लिए भी विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। सातवीं योजना के दौरान आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 847 करोड़ रु० की राशि दी गई। 1991-92 के दौरान विमुक्त की जाने वाली प्रस्तावित राशि 250 करोड़ रुपए है।

सातवीं योजना और वार्षिक योजना 1991-92 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों को आबंटित राशि संकलित की जा रही है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजापियों के विकास के लिए कुछ नई योजनाएं भी आरम्भ की जा सकती हैं जिनके ब्यौरे इस समय प्रकट नहीं किए जा सकते। तथापि, सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम शीघ्र ही स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

नलेटी में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

[हिन्दी]

4471. प्रो० प्रेम धूमल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कांगड़ा जिले में स्थित नलेटी में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस विद्यालय के कब से चालू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय, आवश्यक अवस्थापना अर्थात् भूमि, अस्थायी आवास और स्टाफ के लिए 50 प्रतिशत रिहायशी आवास की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने नलेटी में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का एक प्रस्ताव भेजा है। अपेक्षित तथा प्रायोजिक एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

मद	के०वि०सं० के मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं	प्रायोजक राज्य सरकार द्वारा पेशकश की गई सुविधाएं
1. भूमि	15 एकड़	10 एकड़
2. अस्थायी आवास	12 कमरे	09 कमरे
3. रिहायशी आवास	स्टाफ का 50 प्रतिशत	शून्य
4. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की संख्या	200	200

विंडसर प्लेस में होटल निर्माण के लिए भूमि

[अनुवाद]

4472. प्रो० प्रेम धूमल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विंडसर प्लेस नई दिल्ली के पास विदेशी मुद्रा में धन का भुगतान करके होटल का निर्माण करने के लिए भूमि लेने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भूमि का आवंटन कब तक करने का प्रस्ताव है और उसके भुगतान की क्या शर्तें हैं?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) विंडसर प्लेस में होटल का निर्माण करने के लिए स्थल की नीलामी करने का प्रस्ताव का पूर्व-योग्यता का नोटिस प्रमुख समाचार-पत्रों में 22 और 23 सितम्बर, 1989 को प्रकाशित किया गया था जिसमें भारतीय और विदेशी दोनों, कम्पनियों, की इच्छुक पार्टियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त हुए आवेदन पत्रों में कुछ आवेदन ऐसे विदेशी कम्पनियों से थे जो साम्य पूंजी (एक्विटि) में विदेशी मुद्रा लगाते।

बाद में सरकार द्वारा होटल के लिये इस स्थल को नीलाम न करने का निर्णय लिया गया।

अरावली पर्वत श्रृंखला का विकास

4473. श्री वसुन्धरा राजे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान और अन्य राज्यों में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के विकास के लिए योजनायें बनाई हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग निम्नलिखित विशेष परियोजनाएं शुरू की गई हैं :

(i) हरियाणा राज्य में पड़ने वाली अरावली पर्वत श्रृंखलाओं, जिनके अन्तर्गत भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांवा तथा फरीदाबाद जिले आते हैं, के लिए राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक भूमि के विकास की एक परियोजना शुरू की गई है जिसके लिए यूरोपीयन आर्थिक समुदाय (योरोपियन इकानामिक कम्यूनिटी) द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। आठ वर्ष की अवधि के लिए परियोजना का कुल परिव्यय 49 करोड़ रुपए है।

(ii) राजस्थान राज्य मे अरावली पर्वत श्रृंखलाओं जिनके अन्तर्गत अलवर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झुनझुनु, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही तथा उदयपुर जिले आते हैं, के लिए एक वनीकरण परियोजना के सम्बन्ध में ओवरसीज इकानामिक को आपरेशन फंड (जापान) के साथ बातचीत चल रही है। पांच वर्ष की अवधि में इस परियोजना पर कुल परिव्यय 162 करोड़ रुपए होने की आशा है।

(iii) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने राजस्थान में अरावली श्रृंखलाओं के सीकर, झुन्झुनू, डूंगरपुर तथा उदयपुर जिलों में समेकित परती भूमि विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए अब तक 405.61 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है।

मलेरिया से पीड़ित रोगियों की संख्या

4474. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मलेरिया से प्रति वर्ष पीड़ित होने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सारे देश में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका राज्यवार और संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मलेरिया निवारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में ज्वर के सभी रोगियों और मलेरिया रोग के फैलने की नियमित मानीटरिंग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत ढांचे के माध्यम से की जाती है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान मलेरिया के सूचित किए गए रोगियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) मलेरिया नियन्त्रण के लिए निम्नलिखित कदम जारी रखे जा रहे हैं—

—उपयुक्त कीटनाशकों का चुनिंदा तरीके से विवेकपूर्ण अवशिष्ट छिड़काव।

—रोगियों का पता लगाने और रोगियों के उपचार के लिए पाक्षिक निगरानी।

—ग्रामीण क्षेत्रों में माइनर इन्जीनियरिंग परिष्करण के माध्यम से जैव-पर्यावरणिक नियन्त्रण उपाय तथा रसायनों और लार्वाभक्षी मछलियों के द्वारा लार्वारोधी उपाय।

—अधिकतम मलेरिया वाले क्षेत्रों में विशेष साधनों को लगाना जिसमें वैयक्तिक सुरक्षा उपाय, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा सामुदायिक सहभागिता आदि हैं।

विवरण

मलेरिया की घटनाएं (1988-1990)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रोगियों की संख्या		
		1988	1989	1990
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	62535	82519	81366
2.	अरुणाचल प्रदेश	19254	20865	12370
3.	असम	56296	62274	60382
4.	बिहार	29278	40008	27227
5.	गोवा	6732	4495	4832
6.	गुजरात	460683	598653	488541
7.	हरियाणा	9237	23711	50452
8.	हिमाचल प्रदेश	10209	8599	14379
9.	जम्मू और कश्मीर	4430	3068	4478
10.	कर्नाटक	127008	106683	56980
11.	केरल	5147	6126	6411

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	306882	252886	195147
13.	महाराष्ट्र	84030	122314	109806
14.	मणिपुर	1076	9570	90
15.	मेघालय	11863	10701	7037
16.	मिजोरम	20339	18417	13823
17.	नागालैंड	3744	3051	1603
18.	उड़ीसा	206068	?60815	237994
19.	पंजाब	33342	32146	29141
20.	राजस्थान	104109	112316	85864
21.	सिक्किम	23	30	17
22.	तमिलनाडु	75953	90478	117428
23.	त्रिपुरा	6178	5991	5079
24.	उत्तर प्रदेश	135096	101815	98927
25.	पश्चिम बंगाल	36318	18827	19423
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3360	2655	2391
27.	चण्डीगढ़	14157	15407	26813
28.	दादरा और नागर हवेली	5845	4741	5015
29.	दमन और द्वीव	779	784	801
30.	दिल्ली	14423	10761	12044
31.	लक्षद्वीप	1	4	6
32.	पांडिचेरी	?09	784	801
33.	कोयला क्षेत्र	126	104	97
	कुल :	1854830	2022809	1777253

केरल को परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए सहायता

4475. **श्री कोडुकी कुनील सुरेश :**
श्री डी० के० अंबलोस :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990-91 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उपलब्धियां क्या रही;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य को कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी और इस धनराशि में से कितने प्रतिशत का उपयोग किया गया था;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने का है;

(घ) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) 1990-91 के दौरान केरल राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य और उपलब्धियां विवरण में संलग्न है ।

(ख) 1990-91 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केरल सरकार को 35.13 करोड़ रुपए (नकद और सामग्री दोनो) की धनराशि की सहायता प्रदान की गई है । केरल राज्य से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार उसी वर्ष के दौरान उनके द्वारा 35.35 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) केरल में विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत जनसंख्या परियोजना-III के अंतर्गत स्थाई कार्यकलापों पर होने वाले खर्चों को वहन करने के लिए 154.59 लाख रुपए के अतिरिक्त सहायता अनुदान रिलीज करने के लिए एक प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त हुआ । वैसे इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं हुई क्योंकि 45.30 करोड़ रु० की पूर्ण प्रतिबद्ध सहायता, जो 50.33 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत में से भारत सरकार का हिस्सा है, केरल राज्य को प्रदान कर दी गई । राज्य सरकार को भी तदनुसार सूचित कर दिया गया है ।

विवरण

1990-91 के दौरान केरल में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत रखे गए लक्ष्य और प्राप्त की गई उपलब्धियां

परिवार नियोजन के तरीके/ मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	लक्ष्य 1990-91	1990-91 की उपलब्धियां (अप्रैल, 90 से मार्च, 91 तक)
1	2	3
क. परिवार नियोजन तरीके		
1. नसबन्दियां	200,000	190,547

1	2	3
2. आई० यू० डी० निवेशन	150,000	119,747
3. प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता	297,200.	305,889
4. मुख सेव्य गोली उपयोगकर्ता	50,300	40,651
ख. मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्यकलाप		
(I) **रोग प्रतिरक्षण**		
1. बनने वाली माताओं के लिए टेटनस रोग प्रतिरक्षण	623,730	644,001
2. बच्चों के लिए डी० पी० टी० रोग-प्रतिरक्षण	581,840	591,714
3. पोलियो	581,840	607,516
4. बी० सी० जी०	581,840	656,370
5. खसरा	581,840	543,196
6. बच्चों के लिए डी० टी० रोग प्रतिरक्षण	532,840	247,646
7. टी० टी० (10 वर्ष)	507,460	290,021
8. टी० टी० (16 वर्ष)	507,460	273,623
(II) **पौषणिकल अरक्तता के विरुद्ध रोग निरोधक**		
(क) कुल महिलाएं	530,100	593,917
(ख) बच्चे (1-5 वर्ष)	1,600,000	1,008,004
(III) विटामिन "ए" की कमी के कारण दृष्टिहीनता के विरुद्ध रोग निरोधक	1,500,000	2,488,900 (खुराकों में)

@आंकड़े अनन्तिम ।

शिशु-आहार पर अनुसंधान

4476. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि बर्तानिया के चिकित्सा अनुसन्धान-कर्ताओं ने यह पाया है कि बहुत से शिशु-आहार पानी इत्यादि में घुले होने के कारण शिशु की दैनिक

पौषणिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते और शिशु के स्वास्थ्य के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'इण्डियन एकादमी ऑफ पीडियाट्रिक्स' ने भी यह पाया है कि बाजार में उपलब्ध शिशु-आहारों का आयात किया जाता है और ये शिशु के स्वस्थ विकास के लिए ठीक नहीं हैं और सरकार से देश में इनके प्रयोग को हतोत्साहित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा आहार की गुणवत्ता में सुधार करने और इनका आयात प्रतिबन्धित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विकेन्द्रीकरण

4477. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण करके इसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चार जोन केन्द्रों में विभाजित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने, आयोग के मौजूदा संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करने के लिए भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज को अध्ययन करने के लिए कहा है। इसी बीच आयोग ने सैद्धांतिक रूप से, देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों को आबंटित किए जाने वाली शक्तियों और कार्यों को ए० एस० सी० आई० की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अन्तिम रूप दिया जाएगा।

दिल्ली में प्राइवेट नर्सिंग होमों का कार्यकरण

4478. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली तथा अन्य महानगरों में उन प्राइवेट नर्सिंग होमों के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है जिन्हें कुछ शर्तों पर विशेष उपकरण आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है किन्तु वे इन शर्तों को पूरा करने में असफल रहे है;

(ख) यदि हां, तो इन उपकरणों का आयात करने के लिए निर्धारित की गई शर्तों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इन शर्तों को पूरा करने में विफल रहने वाले नर्सिंग होमों का ब्यौरा क्या है तथा ये किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(घ) इन दोषी नर्सिंग होमों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिकों को सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय की 1-3-1988 की अधिसूचना संख्या 64/88 कस्ट० के अनुसार चिकित्सा उपकरणों के आयात के लिए सीमा शुल्क छूट प्रमाणपत्र जारी करता है। राज्य सरकार इन बातों के साथ-साथ यह प्रमाणित करती है कि अस्पतालों/क्लिनिकों द्वारा बाह्य रोगी विभाग में आने वाले 40 प्रतिशत रोगियों को निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाएगा तथा 10 प्रतिशत पलंग ऐसे रोगियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे जिनकी मासिक आय 500 रुपए से कम है।

सीमा शुल्क छूट प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिए क्रिया प्रणाली की समीक्षा की गई है। शुल्क मुक्त आयात की शर्तों को पूरा करने में निगरानी व्यवस्था अपर्याप्त है, इसलिए ऐसे प्राइवेट अस्पतालों/क्लिनिकों को नजदीकी सरकारी अस्पतालों से सम्बद्ध करने के लिए कदम उठाए गए हैं जिन्होंने सीमा शुल्क छूट प्राप्त की है ताकि वे गरीब रोगियों को ऐसे अस्पतालों/क्लिनिकों में निःशुल्क नैदानिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए भेज सकें।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं किया है।

कोंडली, घड़ौली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट

4479. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सांदुल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कोंडली घड़ौली (मयूर विहार फेज-तीन) में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों को पानी, बिजली आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण अभी भी रहने के लिए उपयुक्त नहीं बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) कोंडली घड़ौली क्षेत्र में पानी और सीवर जैसी मुख्य सेवायें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। दिल्ली नगर निगम अब तक जल आपूर्ति मुहैया करने में समर्थ नहीं हुआ है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नलकूपों, भूमिगत जलाशयों एवं बूस्टिंग पम्पों के माध्यम से निवासियों का जल आपूर्ति के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध किए हैं। आवश्यकता की स्थिति में पानी के टैंकरों के माध्यम से भी निवासियों को पानी सप्लाई किया जाता है।

कभी-कभी बिजली की सप्लाई की समस्याओं के कारण पानी की सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है। सीवर लाइनों एवं बरसाती पानी की नालियों का नेटवर्क भी बिछा दिया गया है। मल व्ययन के लिए सम्पवेल और पम्पहाऊस का निर्माण करके एवं गंदे पानी को बाहर फेंकने के लिए पम्पों की स्थापना करके अन्तरिम प्रबन्ध किए गए हैं। क्षेत्र में बिजली भी उपलब्ध है, यद्यपि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण आपूर्ति अनियमित है। इस मामले पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जाती है।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रतिष्ठान

[हिन्दी]

44४0. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत वर्ष प्रदूषण फैलाने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किए गए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वित्त वर्ष 1990-91 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 28 उद्योगों को "कारण बताओ" नोटिस जारी किए हैं।

इन औद्योगिक इकाइयों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. मैसर्स कॉपरेटिव कम्पनी लि०, धारनपुर।
2. मैसर्स न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर।
3. मैसर्स भारत फील्ड एंड फर्टिलाइजर लि०, हापुड़।
4. मैसर्स स्टेन्डर्ड बोन एंड मैन्योर, हापुड़।
5. मैसर्स बी० एम० जी० बोन मैन्योर, हापुड़।
6. मैसर्स गोल्डफील्ड बोन मैन्योर, हापुड़।
7. मैसर्स कुरैशी बोन मिल, उद्योग, हापुड़।
8. मैसर्स नेशनल बोन मिल उद्योग, हापुड़।
9. मैसर्स बोन मिल उद्योग, हापुड़।
10. मैसर्स हिन्दुस्तान ग्लू फैक्टरी, हापुड़।
11. मैसर्स चौधरी ग्लू फैक्टरी, हापुड़।
12. मैसर्स नेट ग्लू फैक्टरी, हापुड़।

13. मैसर्स "कमल" ग्लू फैक्टरी, हापुड़ ।

14. मैसर्स अल ग्लू फैक्टरी, हापुड़ ।

15. मैसर्स एस० जी० ग्लू फैक्टरी, हापुड़ ।

16. मैसर्स अरेशिया ग्लू फैक्टरी, हापुड़ ।

17. मैसर्स हीरा ग्लू फैक्टरी, हापुड़ ।

18. मैसर्स ए० सी० सी० ग्लू फैक्टरी, हापुड़ ।

19. मैसर्स आर० के० ग्लू फैक्टरी, हापुड़ ।

20. मैसर्स कामर ग्लू फैक्टरी, हापुड़ ।

21. मैसर्स कालड़ा ग्लू फैक्टरी, हापुड़ ।

22. मैसर्स बतरा ग्लू उद्योग, हापुड़ ।

23. मैसर्स दीपक ग्लू उद्योग, हापुड़ ।

24. मैसर्स प्रभात मैसर्स ग्लू उद्योग, हापुड़ ।

25. मैसर्स यू० पी० ग्लू उद्योग, हापुड़ ।

26. मैसर्स राजा ग्लू उद्योग, हापुड़ ।

27. मैसर्स के० एच० ग्लू उद्योग, हापुड़ ।

28. मैसर्स हैमर ग्लू फैक्टरी, हापुड़ ।

(ख) उपर्युक्त 28 इकाइयों में 2 इकाइयों अर्थात् मैसर्स कापरेटिव कम्पनी लि०, धारनपुर तथा मैसर्स न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर को बन्द करने के निदेश जारी कर दिए गए हैं। शेष 26 इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई विचाराधीन है ।

राजस्थान में होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक प्रशिक्षण कालेज

4481. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितने सरकारी तथा गैर-सरकारी होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक रोगी-परिचर्या (नर्सिंग) तथा प्रसूति-कार्य (मिडवाइफ) प्रशिक्षण कालेज हैं;

(ख) क्या इन सभी कालेजों में सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर पूर्ण अर्हता प्राप्त अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

जम्मू और कश्मीर में तैनात कर्मचारियों के बच्चों का दाखिला

[अनुवाद]

4482. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में तैनात कर्मचारियों, जोकि इस राज्य के प्रायिक निवासी/नागरिक नहीं हैं, के बच्चों को जम्मू और कश्मीर में स्थित तकनीकी कालेजों/संस्थानों में दाखिला नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ ने माता-पिताओं का प्राथमिकता-आधार पर उन स्थानों पर स्थानांतरण करने का सुझाव दिया था, जहां उनके बच्चों को दाखिला मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) श्रीनगर स्थित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज में दाखिले के लिए, गृह कोटे के अन्तर्गत एक छात्र को जम्मू और कश्मीर से अपनी अर्हक परीक्षा आवश्य उत्तीर्ण करनी चाहिए। अभिभावकों को जम्मू और कश्मीर में तैनाती से अथवा उनके वहां बसने से उनके बच्चे क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, श्रीनगर में दाखिले के पात्र नहीं हो जाते।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अन्तर्गत अध्यापकों के स्थानांतरण और तैनाती से सम्बन्धित मार्गदर्शी रूपरेखाओं में, अध्यापकों के ऐसे स्थानों पर स्थानान्तरण के लिए प्राथमिकता देने का प्रावधान नहीं है, जहां उनके बच्चे दाखिला प्राप्त करते हैं।

जम्मू और कश्मीर में तैनात कर्मचारियों के बच्चों का दाखिला

4483. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो कर्मचारी जम्मू तथा कश्मीर राज्य के अधिवासी बाशिन्दे/नागरिक नहीं हैं किन्तु वहां पर तैनात हैं, क्या उनके बच्चे जम्मू और कश्मीर में स्थित मेडिकल कालेजों/संस्थानों में दाखिले के पात्र नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, जम्मू और कश्मीर में नियुक्त गैर-अधिवासी कर्मचारियों के बच्चों (वार्डों) को पेश आने वाली वास्तविक कठिनाइयों पर विचार करते हुए मेडिकल कालेजों मे ऐसे वार्डों

(क) उड़ीसा में ई० एस० आई० अस्पतालों/औषधालयों की संख्या कितनी है; और

(ख) उस राज्य में ई० एस० आई० के नए अस्पताल तथा औषधालय स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को मन्जूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) इस समय 4 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल तथा 51 औषधालय हैं।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम सिद्धांत रूप में दो और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, एक राउरकेला तथा एक भुवनेश्वर में स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है। राउरकेला में अस्पताल के लिए भूमि पहले ही खरीद ली गई है। तथापि, विद्यमान अस्पतालों में कतिपय सुधारों के लम्बित रहने के कारण राउरकेला में अस्पताल का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है। भुवनेश्वर में अस्पताल के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि अभी आबंटित की जानी है। फिलहाल राज्य में कोई नया औषधालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

तड़वी/लड़वी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करना

[हिन्दी]

4487. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश की तड़वी/लड़वी जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों की विद्यमान सूचियों में कोई भी संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) में की गई व्यवस्था के अनुसार केवल संसद अधिनियम के माध्यम से ही किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में चिकित्सा विज्ञान संस्थान

[अनुवाद]

4489. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली और पी० जी० डी० आई०, चण्डीगढ़ की तरह एक चिकित्सा विज्ञान संस्थान खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदे

[हिन्दी]

4490. **श्री अरविन्द नेताम**

(क) गत डेढ़ वर्षों के दौरान
नाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन

(ख) पर्यावरण और वन अधि
दिया गया है; और

(ग) शेष परियोजनाओं के बा

पर्यावरण और वन मंत्रालय के
वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत 7
थे। इन परियोजनाओं के नाम संलग्न

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम
प्रस्ताव को उनके गुणदोष के आधार पर

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम
वाई की जा रही है और 40 मामलों के
वापस भेज दिया गया है। पर्यावरणीय
मामले पर कार्रवाई की जा रही है तथा
मंगाने के लिए उसे राज्य सरकार को वा

(क) मध्य प्रदेश सरकार से
31 जुलाई 1991 की अवधि के दौरान

क्रम सं०	प्रस्ताव का नाम
1	2
1.	भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा
2.	मोहाल्ला नहर का निर्माण
3.	II के० वी० पट्ट-मोहदा ट्रां
4.	II के० वी० खुंखरी-खेड़ा ट्र

ों की संख्या कितनी है; और
था औषधालय स्थापित करने सम्बन्धी

(क) इस समय 4 कर्मचारी राज्य बीमा

और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, एक
त हो गया है। राउरकेला में अस्पताल के
तालों में कतिपय सुधारों के लम्बित रहने
र दिया गया है। भुवनेश्वर में अस्पताल
फिलहाल राज्य में कोई नया औषधालय

सूची में सम्मिलित करना

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

ों/लड़वी जाति को अनुसूचित जातियों की

(ख) अनुसूचित जातियों की विद्यमान
ों की गई व्यवस्था के अनुसार केवल संसद

न संस्थान

और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली और
ज्ञान संस्थान खोलने के प्रस्ताव पर विचार

त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) :

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में लम्बित विकास परियोजनाएं

[हिन्दी]

4490. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत डेढ़ वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से स्वीकृति के लिए कितनी विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) पर्यावरण और वन अधिनियम के अन्तर्गत इनमें से कितनी परियोजनाओं को नामंजूर कर दिया गया है; और

(ग) शेष परियोजनाओं के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत 79 मामले और पर्यावरणीय मंजूरी के लिए 5 मामले प्राप्त हुए थे। इन परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत तीन प्रस्तावों और पर्यावरणीय मंजूरी के तहत एक प्रस्ताव को उनके गुणदोष के आधार पर नामंजूर किया गया था।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत 8 मामले स्वीकृत किए गए, 28 मामलों पर कार्रवाई की जा रही है और 40 मामलों के बारे में पूरी सूचना मंगाने के लिए उन्हें राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया है। पर्यावरणीय मंजूरी के अन्तर्गत 2 मामलों को मंजूर कर दिया गया है। एक मामले पर कारवाई की जा रही है तथा एक मामले के बारे में कुछ पर्यावरणीय पहलुओं पर सूचना मंगाने के लिए उसे राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया है।

विवरण

(क) मध्य प्रदेश सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1990 से 31 जुलाई 1991 की अवधि के दौरान मंजूरी के लिए प्राप्त प्रस्तावों के नाम।

क्रम सं०	प्रस्ताव का नाम	जिला
1	2	3
1.	भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा लौह अयस्क खनन	बस्तर
2.	मोहाल्ला नहर का निर्माण	राजनन्दगांव
3.	II के० वी० पट्टू-मोहदा ट्रांसमिशन लाइन	बेतुल
4.	II के० वी० खुंखरी-खेड़ा ट्रांसमिशन लाइन	बेतुल

के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए हैं। उम्मीद है कि वार्ड इस प्रयोजन से ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे। आरक्षित स्थान वार्डों की अलग-अलग पात्र श्रेणियों में से योग्यता के आधार पर भरे जाते हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उप-प्रधानाचार्यों की तदर्थ पदोन्नति

4484. **श्री सुबास चन्द्र नायक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उप-प्रधानाचार्य के पद से प्रधानाचार्य के पद पर तदर्थ पदोन्नति का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भर्ती नियमों में तदर्थ पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि जहां तत्काल नियमित नियुक्तियां नहीं की जा सकतीं वहां प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण तदर्थ पदोन्नति की जाती है।

सरकारी भवनों में स्वचालित एलीवेटर

4485. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण भवन, शास्त्री भवन इत्यादि जैसे सरकारी भवनों में स्वचालित एलिवेटर नहीं लगाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप लिफ्ट अपने रास्ते की उन मंजिलों पर नहीं रुकती है जहां से लिफ्ट को रोकने के लिए बटन दबाया गया हो; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी भवनों में स्वचालित एलीवेटर लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1970 तक निर्मित गगनचुम्बी सरकारी कार्यालयों में वे लिफ्टें है जो पूर्णत: स्वचालित किस्म की नहीं हैं और उनमें आपरेटरों की आवश्यकता होती है।

(ख) इन भवनों में से किसी में भी जब इस प्रकार की लिफ्ट मितव्ययी मरम्मत से बाहर हो जाती है, इसके स्थान पर स्वचालित उपकरणों वाली आधुनिक डिजाइन की लिफ्ट लगा दी जाती है। नार्थ तथा साउथ ब्लाक में तीन-तीन लिफ्टें बदल दी गई हैं और 11 अतिरिक्त लिफ्टों को बदलने की कार्रवाई चालू है। विद्यमान लिफ्टों की कार्य निष्पादन और उनकी कार्य क्षमता एवं परिवर्तन, जहां कहीं आवश्यक है और निधियां उपलब्ध हैं, की समीक्षा की प्रक्रिया जारी रहेगी।

उड़ीसा में ई० एस० आई० अस्पताल

4486. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1	2	3
	5. राजस्व भूमि का हस्तांतरण	छिन्दवाड़ा
	6. बिमल लूनिया को खनन पट्टे की मंजूरी	बस्तर
	7. अवैध कब्जों को नियमित करना	सरगुजा
	8. धर्मपुरा टैंक-लघु सिंचाई परियोजना	रायपुर
	9. कीलवाड़ सिंचाई परियोजना	मारिधा
	10. अवैध कब्जों को नियमित करना	रायगढ़
	11. भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा खनन स्फटकीम	दुर्ग
	12. खनन पट्टे की मंजूरी (पैसिफिक खनिज)	बालाघाट
	13. दुर्गरवा का निर्माण-पालापुर रोड	मुरैना
	14. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० के खनन पट्टे का नवीकरण	मांडला
	15. पांडा टैंक सिंचाई परियोजना	दमोह
	16. डूमरपाली टैंक-लघु सिंचाई परियोजना	रायपुर
	17. मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र खनिजों को खनन पट्टे की मंजूरी	राजनन्दगांव
	18. पसीदा टैंक-लघु सिंचाई परियोजना	रायपुर
	19. डोकारिया नाला-टैंक सिंचाई परियोजना	बालाघाट
	20. पैसिफिक खनिजों को खनन पट्टा की मंजूरी	बालाघाट
	21. भारत यात्रा ट्रस्ट	जबलपुर
	22. एस्टो-कन्नोद मार्ग	देवास
	23. राकेश्वर सिंह द्वारा चूना पत्थर का खनन	सतना
	24. 400 के० वी० बीरसिंहपुर-कटनी-दमोह ट्रांसमिशन लाइन	शहडोल
	25. भटगांव-कालरी खुली खदान खनन (साउथ ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लिमिटेड द्वारा)	सरगुजा
	26. मेहर सीमेंट द्वारा चूना पत्थर का खनन	सतना
	27. अरविन्द मिनरल्स द्वारा ग्रेनाइट का खनन	बस्तर
	28. जयन्त खुली खदान खनन (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड)	सिधि
	29. झारिया पुल के लिए पहुंच मार्ग) अम्बिकापुर-छमबार)	सरगुजा

1	2	3
30.	परसाघोडा सिंचाई परियोजना	सरगुजा
31.	श्री दिगम्बर जैन को धर्मशाला, उद्यानों आदि के निर्माण के लिए भूमि का आबंटन (गोपाचल हिल्स)	ग्वालियर
32	रेशम उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र (केन्द्रीय रेशम बोर्ड)	बालाघाट
33.	बेरियारपुर लेफ्ट केनल प्रोजेक्ट (कुटनी)	छतरपुर
34.	बाल्को द्वारा बाक्साइट का खनन	सरगुजा
35.	झांडिया कुन्डिया टैंक परियोजना	खरगोन
36.	चूना पत्थर उत्खनन	सतना
37.	एन० डी० एम० सी० द्वारा टेलिंग बांध का निर्माण	बस्तर
38.	झारिया टैंक परियोजना	रायपुर
39.	मोहरंगा टैंक परियोजना	रायपुर
40.	मध्य भारत मिनरल्स द्वारा बाक्साइट का खनन	सतना
41.	चूना पत्थर उत्खनन	सतना
42.	डाली-राझारा रेलवे लाइन	बस्तर
43.	ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना	खंडवा
44	छारगांव सिंचाई परियोजना	बस्तर
45.	400 के० वी० बीना-मालनपुर ट्रांसमिशन लाइन	गुना और ग्वालियर
46.	400 के० वी० विंध्याचल बीना नागदा ट्रांसमिशन लाइन	सिधि और सतना
47.	पत्थर उत्खनन	शिवपुरी
48.	चूना पत्थर उत्खनन (मेहर सीमेंट्स)	सतना
49.	खामदोगरी टैंक परियोजना	बस्तर
50.	चूना पत्थर उत्खनन (मेहर सीमेंट्स)	सतना
51.	टाकू फाइरिंग रेंज (सेन्ट्रल प्रूफ इस्टेब्लिशमेंट इटारसी)	होशंगाबाद
52.	सोनपुर टैंक परियोजना	बस्तर
53.	भाटापारा ब्रांच नहर	रायपुर
54.	नरेन्द्रपुर टैंक परियोजना	सागर

1	2	3
	55. कालवीह टैंक परियोजना	रायपुर
	56. झाखर मुन्डा टैंक परियोजना	रायपुर
	57. एस० ई० सी० एल० द्वारा भूमिगत कोयला खनन	सरगुजा
	58. नवागांवा टैंक परियोजना	रायपुर
	59. वाहक पट्टी का निर्माण (मेहर सीमेंट)	सतना
	60. चूना पत्थर उत्खनन (मेहर सीमेंट)	सतना
	61. रैमा टैंक परियोजना	सरगुजा
	62. अरक्षित वन ग्राम को बेराज बनग्राम में बदलना	छिन्दवाड़ा
	63. चूना पत्थर उत्खनन	सतना
	64. 400 के० वी० कोरबा-भिलाई ट्रांसमिशन लाइन	बिलासपुर
	65. एलापुर टैंक परियोजना	ग्वालियर
	66. बाकरकाटा टैंक परियोजना	राजनन्दगांव
	67. मुन्डा नेटोला टैंक परियोजना	मुरैना
	68. मुरारी सिंचाई परियोजना	दमोह
	69. पोंडी-जेतगढ़ टैंक परियोजना	विदिशा
	70. पत्थर स्लेबों की खुदाई	बेतुल
	71. सी० डब्ल्यू० सी० द्वारा कोयले का भूमिगत खनन (पेयाखेरा)	बिलासपुर
	72. दीनदयाल बनवासी सेवा समिति को भूमिगत का हस्तांतरण	खंडवा
	73. हसनपुर सिंचाई परियोजना	रायपुर
	74. सोंदुल सिंचाई परियोजना	
	75. राजघाट नहर	टीकमगढ़
	76. सिकसोद टैंक परियोजना	बस्तर
	77. 132 के० वी० रायगढ़-पातालगांव ट्रांसमिशन लाइन	रायगढ़
	78. झिरिया टैंक परियोजना	सागर
	79. सिन्ध सिंचाई परियोजना	शिवपुरी

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से 1 जनवरी, 1990 से 31 जुलाई, 1991 की अवधि के दौरान पर्यावरणीय मन्जूरी के लिए प्राप्त प्रस्तावों के नाम।

1. बारगी बहुउद्देश्यी परियोजना।

2. चम्बल नदी पर गांधी सागर में यूनिट-2 बिजली घर की स्थापना।

3. मतनार हाइडल परियोजना।

4. मोंगरा सिंचाई परियोजना।

5. महेश्वर हाइडल परियोजना।

"अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एड्स" के उपचार की व्यवस्था न होना

[अनुवाद]

4491. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्रीमती वासव राजेश्वरी :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ए० आई० आई० एम० एस० नाट इक्विप्ड टु हैंडल एड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एड्स और एड्स के लक्षण वाले रोगियों के उपचार की व्यवस्था नहीं है;

(ग) क्या हाल ही में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने एक सभा में एड्स पीड़ित रोगियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) सरकार ने समाचार को देखा है।

(ख) जी नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एच० आई० वी० संक्रमित व्यक्तियों तथा एड्स रोगियों का उपचार करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित है।

(ग) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टिक्कू रिपोर्ट के क्रियान्वयन का विरोध

4492. श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों ने हाल ही में टिक्कू समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ सरकार टिक्कू समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पूरी तरह लागू कर दिया गया है; और

(घ) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में विवाद है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) संविम डाक्टर संगठन की संयुक्त कारंवाई परिषद ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह टिक्कू समिति की रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशों को बिना किसी कमी के समग्र रूप में लागू करें।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन ने रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों में कुछ संशोधनों के लिए अनुरोध किया है। उनके द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधन निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं : विशेषज्ञ उप-संवर्गों में समानता लाना, अपेक्षाकृत कम वर्षों की सेवा पूरी होने पर तीन समयबद्ध प्रोन्नतियां, 4500-5700 रुपए (कार्यात्मक) वेतनमान वाले पदों को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (5600-7300 रुपए) में परिवर्तित करना, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विशेषज्ञ संवर्ग में खुले चयन के आधार पर भर्ती, उच्च प्रशासनिक ग्रेड वाले पदों का परामर्शदाताओं/निदेशक प्रोफेसरों/बड़ी संस्थाओं के अध्यक्षों के लिए आरक्षण, सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को औषधालयों में और विशेषज्ञों को अस्पतालों में तैनात किया जाए, सेवा-निवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष करना।

टिक्कू समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कर्नाटक से प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन हेतु बनाई गई योजना

4493. श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कर्नाटक राज्य से प्रौढ़ निरक्षरता के वर्ष-वार उन्मूलन हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी और क्या यह धनराशि पर्याप्त थी;

(ग) क्या उपलब्ध कराई गयी धनराशियों का पूर्ण उपयोग किया गया था; और

(घ) यह योजना किस सीमा तक सफल रही है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार आयोग प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षरता दक्षताएं, कार्यात्मक दक्षताएं प्रदान करने तथा उनमें सामाजिक चेतना उत्पन्न करने और उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के जरिए इसे बनाए रखने के लिए छात्रों और अध्यापकों को गतिशील बनाने की दृष्टि से विश्वविद्यालयों और कालेजों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करता है। इस प्रयोजन के लिए, आयोग सहायक स्टाफ सहित कोर सुविधाओं के लिए और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी आयोजित करने के लिए अनुदान प्रदान करता है क्योंकि कालेजों को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए अनुदान मिलता है। अक्सर 10 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के समूह को एक यूनिट के रूप में लिया जाता है और ऐसे प्रत्येक यूनिट को अनुदेशकों के मानदेय, अध्ययन/अध्यापन सामग्री की व्यवस्था, बिजली/मिट्टी के तेल की लागत और फुटकर खर्चे इत्यादि जैसे मदों का खर्च वहन करने के लिए प्रतिवर्ष 22,000 रुपए दिए जाते हैं। उपर्युक्त पर्यवेक्षकों को मानदेय प्रदान करने की भी व्यवस्था है जिनकी संख्या किसी संस्था द्वारा खोले गए यूनिटों की संख्या से जोड़ी जाती है।

7वीं योजना के दौरान आयोग ने राज्य में प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करने के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बंगलौर विश्वविद्यालय में 235 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, कर्नाटक विश्वविद्यालय में 20 केन्द्र, और मैसूर विश्वविद्यालय में 250 केन्द्र आयोजित किए थे।

(ख) और (ग) आयोग ने इस कार्यक्रम के लिए इसके प्रथम चरण में (1984-89) उपर्युक्त विश्वविद्यालयों को 41.55 लाख रुपए की निधियां प्रदान की। ये निधियां इन विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए खर्चे के आधार पर दी गयी थीं। इन अनुदानों का पूर्ण उपयोग किया गया था।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है।

कर्नाटक में नवोदय विद्यालय स्थापित करना

4494. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कर्नाटक के ऐसे जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित करने का है जहां इस समय से विद्यालय नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक के कितने जिलों में नवोदय विद्यालय नहीं हैं; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक जिले में एक ऐसा विद्यालय कब तक खोल दिए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) नवोदय विद्यालय योजना में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय के स्थापना की परिकल्पना की गयी है। कर्नाटक राज्य के 20 जिलों में से 18 जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं।

नवोदय विद्यालय का खोलना सम्बन्धित राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकार, जिसे नि:शुल्क 30 एकड़ उपयुक्त भूमि, प्रारम्भ में 2-3 वर्षों के लिए विद्यालय चलाने हेतु उपयुक्त भवन और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं, के प्रस्ताव तथा कुल मिलाकर संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक मुद्दों पर निर्भर करता है।

दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों द्वारा जैनरेटर सेटों की खरीद

[हिन्दी]

4495. **श्री सूर्यनारायण यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के कितने अस्पतालों में गत पांच वर्षों के दौरान जैनरेटर सेट खरीदे गए हैं;

(ख) उनमें से कितने जैनरेटर ठीक से काम कर रहे हैं और कितने बेकार पड़े हैं;

(ग) उन अस्पतालों के नाम क्या हैं जिनमें ये जैनरेटर कई वर्षों से काम मे नहीं आए और उन्हें आपातकालीन स्थिति में भी नहीं चलाया गया है;

(घ) इन जैनरेटरों को नहीं चलाए जाने और उनके लिए डीजल नहीं खरीदने के कारण कितनी जानें गई हैं और कितने आपरेशनों को स्थगित करना पड़ा है;

(ङ) इन जैनरेटरों को चलाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों ने क्या कदम उठाए हैं;

(च) क्या निगम के अधिकारी इन प्रयासों से सन्तुष्ट हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (छ) दिल्ली नगर निगम ने चार जैनरेटर सेट खरीदे हैं जो कस्तूरबा अस्पताल, श्रीमती गिरधारी लाल प्रसूति अस्पताल, स्वामी दयानन्द अस्पताल और हिन्दू राव अस्पताल में एक-एक लगाए गए। कस्तूरबा अस्पताल का जैनरेटर सेट जो अभी चालू किया जाना है, को छोड़कर सभी अन्य ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। कस्तूरबा अस्पताल में भी 31.5 के० वी० ए० का एक छोटा जैनरेटर सेट कार्य कर रहा है। जैनरेटर सेट के न चलने के कारण कोई मौत नहीं हुई है अथवा किसी आपरेशन को स्थगित नहीं किया गया है। दिल्ली नगर निगम स्थिति से सन्तुष्ट है।

"उपलब्धियां" शीर्षक से विज्ञापन

[अनुवाद]

4496. **श्री राम विलास पासवान** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 1991 के "नवभारत टाइम्स" में "उपलब्धियां" शीर्षक से प्रकाशित विज्ञापन की ओर दिलाया गया है;

(ख) फ्लैटों/भूखण्डों के आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) इसमें से कुल कितने लोगों को फ्लैट/भूखण्ड, योजना-वार तथा श्रेणी-वार, आवंटित किए गए; और

(घ) भविष्य में आवासीय भूखण्डों तथा वाणिज्यिक भूखण्डों के विकास की क्या स्थिति है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

देश में नेत्र संस्थान

4497. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने नेत्र संस्थान कार्य कर रहे है;

(ख) क्या रोगियों का उपचार करने के लिए इन संस्थानों की यह संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में और अधिक संख्या में नेत्र संस्थान खोलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) देश के अन्दर राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सा संस्थान कार्य कर रहे हैं। 10 क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सा संस्थानों के अलावा नेत्र रोगों से पीड़ित मरीजों की जरूरत को बहुत से अन्य चिकित्सा/स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों पर पूरा किया जाता है ।

एक के बाद दूसरी सभी योजनाओं में नेत्र परिचर्या सेवाओं के चरणबद्ध विस्तार के लिए प्रावधान किया जाता रहा है । राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 60 मेडिकल कालेजों के नेत्र चिकित्सा विभागों का दर्जा बढ़ाया गया है । मध्यम स्तर पर जिला अस्पतालो को नेत्र चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके उन्हें सुदृढ़ किया गया है । कुछेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र परिचर्या सेवाओं का विकास किया गया है । कुछेक शिविर भी विभिन्न संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लगाए जाते हैं ।

पूर्ण साक्षरता

4498. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने जिलों में पूर्ण साक्षरता प्राप्त हो गई है;

(ख) कर्नाटक में साक्षरता का औसतन प्रतिशत क्या है;

(ग) देश में शत-प्रतिशत साक्षरता कब तक प्राप्त हो जाएगी; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) सम्पूर्ण जिले को एकक के रूप में लेते हुए और उसमें लक्षित आयु वर्ग (15-35) की सम्पूर्ण साक्षरता की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वेच्छा के आधार पर जन संसाधन को जुटाने की कार्य नीति पिछले वर्ष के दौरान विकसित की गई । इस कार्यनीति के अन्तर्गत, केरल का एरनाकुलम जिला देश में पूर्ण साक्षर घोषित किए जाने वाला पहला जिला है । इसके पश्चात् सम्पूर्ण केरल राज्य में ऐसा ही अभियान छेड़ा गया जिसकी चरम सीमा के रूप में 18-4-1991 को एक समारोह का आयोजन किया गया । पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में ऐसे ही अभियान के अन्तर्गत, 12.00 लाख साक्षर बनाने के मूल लक्ष्य की तुलना में 9.86 लाख साक्षर बनाए जाने की उपलब्धि को स्वीकार किया गया है । इस उपलब्धि के लिए 24 अगस्त, 1991 को एक समारोह का आयोजन निर्धारित किया गया ।

(ख) 1990-91 की जनगणना के अस्थाई आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक राज्य में 7 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र वाली जनसंख्या के लिए साक्षरता प्रतिशतता 55.98 है ।

(ग) निरक्षरता की समस्या का परिमाण देश के अन्दर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और यहां तक कि एक क्षेत्र के अन्दर भी भिन्न-भिन्न होता है और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में निरक्षरता की समस्या के लिए भिन्न-भिन्न कारक जिम्मेदार होते हैं जिससे भिन्न-भिन्न क्षेत्र के लिए भिन्न-भिन्न कार्यनीतियों की आवश्यकता होती है । तदनुसार, एक ऐसी समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है कि कब तक देश में निरक्षरता का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो जाएगा ।

(घ) निरक्षरता उन्मूलन के लिए अपनायी गई नीतियों में प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को स्कूलों में रोके रखने के कार्यक्रम और शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं । वर्ष 1988 में गठित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य वर्ष 1995 तक (15-35) आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लॉटों का निरसन/आबंटन

[हिन्दी]

4499. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित किए गए कितने प्लॉटों का आबंटन रद्द किया गया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्लॉटों का पंजीकरण रद्द करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों को प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ऐसे व्यक्तियों को वैकल्पिक फ्लैट आवंटित करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं में आवंटित/रद्द किए गए फ्लैटों का विवरण व संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	स्ववित्त पोषित	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता
1988-89	23	156	350	826
1989-90	89	604	817	1728
1990-91	105	525	1763	2664
कुल :	217	1285	2930	5198

(ख) और (ग) निश्चित समय के भीतर भुगतान अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर आवंटन/नियतन को स्वतः रद्द करने की व्यवस्था मांग तथा नियतन पत्र में की गई है। यह फ्लैटों में आवंटन को अनावश्यक रूप से रोके रहने से बचने के लिए किया गया है।

(घ) रद्द फ्लैटों के आवंटितियों को निरसन प्रभारों का भुगतान करने के बाद उनकी नई प्राथमिकता/वरीयता के अनुसार फिर से फ्लैट आवंटन करने पर विचार किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान को विद्यमान अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने के लिए सहायता

[अनुवाद]

4500. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का राजस्थान में विद्यमान अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार को सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) संविधान के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार का

राजस्थान सरकार को उस राज्य में अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने के लिए सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी अस्पतालों का कार्यकरण

4501. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकार द्वारा पूरे देश में संचालित अस्पतालों का निरीक्षण करने का विचार है ताकि उनके कार्यकरण के बारे में मौके पर जाकर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) चूंकि लोक स्वास्थ्य और अस्पताल संविधान के अन्तर्गत राज्य सूची में हैं, इसलिए अस्पतालों से सम्बन्धित उपयुक्त कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। तथापि, विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अनुरोध पर केन्द्रीय प्राधिकारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अस्पतालों का निरीक्षण भी करते हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का सम्बन्ध है, उनके कार्यों की स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

स्थाई मजदूर समिति

4502. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन ने स्थाई मजदूर समिति के गठन का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थाई मजदूर समिति का गठन कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) 25 एवं 26 नवम्बर, 1985 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 28वें अधिवेशन के संकल्प के अनुसार स्थाई मजदूर समिति का पुनर्गठन किया गया था और इसका 30वां अधिवेशन 22 एवं 23 सितम्बर, 1986 को हुआ था।

गुजरात में आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण

4503. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के निर्माण और बिक्री की जानकारी है, जिससे भ्रूण का लिंग परिवर्तन किए जाने का दावा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस औषधि की प्राथमिकता/प्रभाव की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का ऐसे औषधि निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) गुजरात के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन ने सूचित किया है कि इस समय किसी भी आयुर्वेदिक फर्म को उन औषधों का विनिर्माण करने की अनुमति नहीं है जो भ्रूण लिंग परिवर्तन किए जाने का दावा करती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में रेबीज के कारण मौतें

4504. **प्रो० उमारेड्डि वेंकटश्वरलु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में रेबीज के कारण कितनी मौतें हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित की गई जलातंक के कारण हुई मौतों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	जलातंक के कारण हुई मौतें
1988	23
1989	29
1990	18
1991 (जून तक)	11

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दोषपूर्ण परीक्षा मूल्यांकन

4505. **श्री पीयूष तीरकी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दोषपूर्ण परीक्षा मूल्यांकन के कारण अनेक छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हुए;

(ख) कितने छात्रों ने उत्तर-पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए विषय-वार, आवेदन किया है;

(ग) कितने मामलों में पुनर्मूल्यांकन किए जाने पर विषय-वार अंकों में सुधार हुआ; और

(घ) परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की मूल्यांकन पद्धति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि उनकी मूल्यांकन प्रणाली दोषपूर्ण नहीं है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य सभी पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है। विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 22-08-1991 तक पुनर्मूल्यांकन के लिए लगभग 4000 आवेदन पत्र प्राप्त किए गए और ऐसे आवेदन पत्र अभी तक प्राप्त हो रहे हैं। परन्तु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) ने सूचित किया है कि बोर्ड में पत्रों के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

(ग) जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, पुनर्मूल्यांकन के पूरा हो जाने के बाद ही सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। जहां तक सी० बी० एस० ई० का सम्बन्ध है सूचना मुहैया कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय ने बताया है कि उनकी मूल्यांकन पद्धति संतोषप्रद है। सी० बी० एस० ई० से प्राप्त सूचना के अनुसार बोर्ड उत्तर-पुस्तिकाओं का मौके पर ही मूल्यांकन शुरू कर चुका है और इस पद्धति को अधिक कारगर बनाने के भावी उपाय बोर्ड की परीक्षा समिति के विचाराधीन हैं।

राजस्थान में वनों की कटाई

[हिन्दी]

4506. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में बड़े पैमाने पर वन कटाई हुई;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अवैध खनन गतिविधियों के कारण त्वरित वन कटाई हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या वन क्षेत्र में से कुछ क्षेत्रों को खनन क्षेत्र घोषित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ङ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनके लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं और कब से विचाराधीन हैं; और

(च) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राज्य सरकार से पिछले पांच वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की कोई रिपोर्ट नहीं मिली हैं ।

(ग) अवैध खनन गतिविधियों के कारण वन कटाई की कोई रिपोर्ट नहीं है ।

(घ) से (च) राजस्थान सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसके तहत खनन गतिविधियों के लिए कुछ वन क्षेत्रों को घोषित किया जाना हो । फिर भी, 1986 और 1988 के दौरान जयपुर और सीकर जिलों में वन क्षेत्रों में खनन सम्बन्धित दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । इन दोनों प्रस्तावों में आवश्यक ब्यौरे नहीं दिए गए थे और इसलिए पूरे ब्यौरे भेजने के लिए इन्हें क्रमशः जून, 1986 और नवम्बर, 1988 में राज्य सरकार को वापस कर दिया गया था । ये प्रस्ताव राज्य सरकार से अभी तक वापस प्राप्त नहीं हुए हैं ।

विश्व बैंक द्वारा नयी वन नीति की घोषणा

[अनुवाद]

4507. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी नई वन नीति की घोषणा की है जिसके अंतर्गत इसने भारत को कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है कि विश्व बैंक ने अपनी नई वन नीति की घोषणा कर दी है । लेकिन सरकार को विश्व बैंक से इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

उड़ीसा में लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

4508. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की उन बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) क्या ये परियोजनाएं लम्बे समय से लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) केवल बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को ही पर्यावरण की दृष्टि से विचार करने के लिए मंत्रालय के पास भेजा जाता है । इस समय उड़ीसा से प्राप्त कोई भी सिंचाई परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी लम्बित नहीं है ।

बिना बारी के डी० डी० ए० फ्लैट आबंटित किए जाने सम्बन्धी नीति में संशोधन करना

4509. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) पंजीकृत और गैर-पंजीकृत व्यक्तियों को डी० डी० ए० फ्लैट बिना बारी से दिए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रतिपादित वर्तमान और पिछले मार्गनिर्देशों/नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मार्गनिर्देशों/नीतियों में कब संशोधन किया गया था;

(ग) क्या इन मार्गनिर्देशों/नीतियों का बिना किसी अपवाद के ईमानदारी में पालन किया गया है और किया भी जा रहा है;

(घ) इन मार्गनिर्देशों/नीतियों को किस स्तर पर स्वीकृति दी जाती है;

(ङ) क्या सांसदों ने प्राप्त सुझावों को देखते हुए इन मार्गनिर्देशों/नीतियों में पुनः संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों के बिना बारी आबंटन के लिए वर्तमान तथा गत मार्गनिर्देशों/नीतियों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) प्रत्येक मामले के औचित्य तथा सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार बिना बारी आबंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

(घ) बिना बारी आधार पर डी० डी० ए० फ्लैट आबंटित करने सम्बन्धी मार्गनिर्देश/नीति शहरी विकास मन्त्री के स्तर पर अनुमोदित की जाती है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सरकार द्वारा फरवरी, 1982 में मार्गनिर्देश जारी किए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था थी कि केवल अत्यन्त अनुकम्पा और कठिनाई के मामलों में केवल आवास योजनाओं के पंजीकृतों को बिना बारी आधार पर डी० डी० ए० फ्लैट आबंटित करने का अधिकार सिर्फ दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को होगा। तथापि, विधवाओं के मामले में पंजीकरण की इस शर्त में छूट दी जा सकती है। किसी भी कैलेंडर वर्ष में किए गए ऐसे आबंटन उस वर्ष के दौरान आबंटित फ्लैटों की कुल संख्या के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

मार्गनिर्देशों में जुलाई, 1983 में संशोधन किया गया था और 0.5% की समग्र सीमा की शर्त के साथ पंजीकृतों के सम्बन्ध में ऐसे आबंटन करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष

को भी प्राधिकृत कर दिया गया था। विधवाओं के अतिरिक्त शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में भी पंजीकरण की आवश्यकता समाप्त कर दी गई थी।

दिसम्बर, 1984 में उपर्युक्त अधिकतम सीमा को 0.5% से बढ़ाकर 1.5% कर दिया गया था।

मार्गनिर्देशों में जून 1985 में और संशोधन किया गया था और यह अपेक्षा करते हुए इस अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया कि ऐसे आबंटनों के कारण लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे और यह अत्यन्त अनुकम्पा तथा कठिनाई, शारीरिक विकलांगता और अन्य अप्रतिरोध्य कारणों व परिस्थितियों के आधार पर अपवादिक मामलों में प्रयोज्य होगी।

अप्रैल, 1989 में उपराज्यपाल, दिल्ली को $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत बिना बारी आधार पर फ्लैटों के आबंटन का लाभ ऐसे अन्य मामलों में भी प्रदान करने का और अधिकार कर दिया गया जो उनके विचार में विशेष ध्यान दिए जाने योग्य हैं। इससे यह राष्ट्रीय गरिमा को बढ़ाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उत्कृष्ट खिलाड़ियों, मातृभूमि की रक्षा के लिए शौर्य पुरस्कार जीतने वाले रक्षा कार्मिका के मामलो और राष्ट्रीय जीवन-धारा के अन्य क्षेत्रो में विशिष्ट सेवा के मामलों पर विचार कर सकेंगे।

अक्तूबर, 1989 में इस सुविधा को अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे सदस्यों के लिए भी बढ़ा दिया गया था जो अगले 5 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले हैं तथा ऐसे संवर्गों से हैं जो नियतन राज्य म मकान प्राप्त करने के लिए स्थानीय अयोग्यताओं से ग्रस्त हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में श्रम कानून

4510. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न जिलों में श्रम कानूनों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न जिलों में केन्द्रीय तथा राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से श्रम कानूनों का प्रवर्तन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्मृति वनों की स्थापना

4511. **श्री रमेश चन्द तोमर :**
श्री भगवान शंकर रावत :
श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्मृति वनों की स्थापना के लिए देशभर में 5.5 लाख स्थानों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए दिल्ली में किस-किस स्थान का चयन किया गया है; और

(घ) इस योजना को कब तक लागू किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को देश के सभी गांवों तथा शहरी क्षेत्रों में "स्मृति वनों" की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है। यहां लोग वृक्ष लगाकर दिवंगत प्रियजन की स्मृति को चिरस्थाई बना सकते हैं। यह वृक्ष एक जीवित स्मारक के सदृश्य होगा। इससे न केवल दिवगत प्रियजन की स्मृति को चिरस्थाई बनाया जा सकेगा अपितु भूमि को हरा-भरा बनाने तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के राष्ट्रीय प्रयास में भी मदद मिलेगी। जो व्यक्ति अथवा परिवार अपने दिवगत प्रियजन की स्मृति में वृक्ष लगाना चाहते हों वे तत्समय कुछ राशि जमा करके इस प्रयास में आसानी से अंशदान दे सकते हैं। यह धन-राशि भू-खण्ड के प्रति उत्तरदायी स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित की जा सकती है। इस तरह यह एक स्वपोषित प्रयास होगा। इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार और/अथवा स्थानीय निकाय द्वारा पहल करके, भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और यथावश्यक उसका अनुरक्षण किया जाएगा। राज्य वन विभागों द्वारा तकनीकी सलाह तथा सहायता और पौध उपलब्ध कराई जाएगी। स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करके स्थल का वास्तविक चयन किया जाएगा जिसमें स्थानीय समुदायों की जरूरतों तथा आस-पास की उपलब्ध भूमि को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) और (घ) दिल्ली मे निजामुद्दीन पुल के सामने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तथा महात्मा गांधी मार्ग के बीच स्थित स्थल पर दिल्ली नगर निगम द्वारा और यमुना नदी तथा निजामुद्दीन पुल के पास ही महात्मा गांधी रोड के बीच स्थित स्थल पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्मृति वनों की स्थापना की गई है। अन्य और स्थलों का पता लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक

4512. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को दिल्ली प्रशासन के स्कूलों मे शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के समतुल्य समझा जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव ससाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के स्कूलों की तरह ही केन्द्रीय विद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षा शिक्षक 1400-40-1600-50-1650-द० रो०-50-1950-द० रो०-50-2250-द० रो०-50-2300-60-2600/- रु० के वेतनमान में नियुक्त किए

जाते हैं किन्तु केन्द्रीय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के स्नातकोत्तर शिक्षकों (पी० जी० टी०) के पद नहीं हैं क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय की सीनियर माध्यमिक कक्षाओं में शारीरिक शिक्षा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता।

राजस्थान में बन्द औद्योगिक एकक

[हिन्दी]

4513. **श्री वाऊ दयाल जोशी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बन्द पड़े औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) वे कब से बन्द पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन्हें पुनः चलाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) इनको पुनः कब चलाने की संभावना है; और

(ङ) इन एककों के बंद होने के कारण कितने कर्मचारी और श्रमिक बेकार हो गए हैं और वे किस प्रकार अपनी आजीविका चला रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ङ) प्राप्त सूचना के आधार पर जनवरी, 1989 से मई, 1991 की अवधि के दौरान बन्द की गई औद्योगिक इकाइयों के नामों, उनके बन्द होने के कारण तथा इसके फलस्वरूप प्रभावित होने वाले श्रमिकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

जब एक औद्योगिक उपक्रम बंद किया जाता है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत कम से कम एक साल की लगातार सेवा पूरी कर लेने वाला श्रमिक बंदी के पूर्व की एक नियत अवधि का नोटिस या उसके स्थान पर उस अवधि का वेतन और लगातार सेवा वाले प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन की मजदूरी या छः मास से अधिक की अवधि के लिए इसके हिस्से की दर पर अनुतोष पाने का पात्र होता है। पांच साल की न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी करने वाला कर्मकार उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत सेवा का प्रत्येक वर्ष पूरा करने पर 15 दिन की मजदूरी या छः माह से अधिक की अवधि के लिए इसके हिस्से की दर से उपदान पाने का भी हकदार होता है। कर्मकार को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अन्तर्गत संचित भविष्य निधि भी वापस की जाती है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अलग-अलग मामलों के आधार पर बैंक तथा सम्बन्धित वित्तीय संस्थान संभाव्य जीवनक्षम रुग्ण इकाइयों के बारे में पुनर्वास पैकेज तैयार करते हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के प्रबन्धतंत्र द्वारा तैयार किए जाने वाले पुनर्वास पैकेजों की समय-समय पर समीक्षा करते हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं।

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) को

आवश्यक कारंवाई करने की शक्तियां दी गई हैं ताकि रुग्ण इकाइयों को ठीक करने सम्बन्धी उपायों का निर्धारण और प्रवर्तन किया जा सके।

इकाइयों को पुनः चालू करना विभिन्न बातों पर निर्भर करता है जो हर इकाई में अलग-अलग होती है अतः इस उद्देश्य के लिए कोई निर्धारित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

विवरण

(अनन्तिम)

बन्द होने वाली औद्योगिक इकाईयों के नाम तथा स्थान	बन्द होने की तारीख	प्रभावित कामगारों की संख्या	बन्द होने का कारण
1	2	3	4
मिनरवा सिनेमा, जोधपुर	11-22-89	20	अन्य
शिवा टेक्सटाइल मिल्स, अजमेर रोड़, भीलवाड़ा	14-6-90	40	वित्तीय अभाव
मैसर्स अरिभन्त टैक्सटाइल, सिरोही रोड़ (पाली)	16-8-90	26	—तदैव—
मसर्स के० बी० फार्मा, 22 गोदाम, जयपुर	13-5-90	5	अन्य
नवीन कृषि यन्त्र उद्योग: भीलवाडी, अलवर कल्पतरु सिमेमा	23-7-90	41	कारण ज्ञात नहीं
शान्ति नगर जोधपुर	12-1-90	21	वित्तीय अभाव
राकफ्रील (इन्डिया) प्रा० लि०, जोधपुर	11-4-90	21	उत्पादों की मांग की कमी (स्टाक का संचय)

1	2	3	4
प्रोजेक्ट मेनेजर देवपुरा लीड एण्ड जींक प्रोजेक्ट आफ एम० ई० एस० लि०	23-4-91	81	अन्य
पोस्ट-मंडल डिस्ट्रीक्ट, भीलवाड़ा, कोटा बाक्स मैनुफैक्चरिंग कं०, कोटा	1-2-91	29	उत्पादों की मांग की कमी स्टाक का संचय)

टिप्पणी : आंकड़े श्रम ब्यूरो में 8 जुलाई, 1991 तक प्राप्त विवरणी पर आधारित हैं।

दिल्ली की जनसंख्या

4514. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ोसी राज्यों से लोगों के आने के कारण दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रव्रजन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) दिल्ली की जनसंख्या में दिल्ली के कितने प्रतिशत मूल निवासी हैं; और

(घ) दिल्ली की जनसंख्या में विभिन्न राज्यों से आये राज्यवार कितने-कितने प्रतिशत लोग शामिल हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना 2001, जो 23-1-1989 से लागू हुई, का उद्देश्य सम सुविधा सम्पन्न और रिंग कस्बों के विकास, क्षेत्रीय अधसंरचना के विकास और दिल्ली की भीड़-भाड़ कम करने सहित विभिन्न उपायों द्वारा वर्ष 2001 तक दिल्ली की जनसंख्या को संयत रखना है।

(ग) 1991 की जनगणना में दिल्ली के "मूल वासियों" के सम्बन्ध में कोई सूचना एकत्र नहीं की गई थी। तथापि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में 1981 की जनगणना में 57.15 प्रतिशत व्यक्तियों ने अपने गत निवास स्थान के रूप में दिल्ली से बाहर के किसी स्थान की सूचना नहीं दी थी।

(घ) 1981 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से दिल्ली में आने वाले कुल प्रवासियों की तुलना में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र से दिल्ली में आने वाले प्रवासियों (गत निवास स्थान के आधार पर) का प्रतिशत संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र से दिल्ली में आये प्रवासियों की संख्या	अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से आये कुल प्रवासियों की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4
1.	समस्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों	2[illegible],99,249	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	13,828	0.60
3.	असम	6,349	0.28
4.	बिहार	91,829	3.99
5.	गुजरात	12,784	0.56
6.	हरियाणा	3,57,709	15.56
7.	हिमाचल प्रदेश	49,635	2.16
8.	जम्मू तथा कश्मीर	19,329	0.84
9.	कर्नाटक	11,328	0.49
10.	केरल	26,093	1.13
11.	मध्य प्रदेश	54,649	2.38
12.	महाराष्ट्र	40,824	1.78
13.	मणिपुर	807	0.03
14.	मेघालय	1,535	0.07
15.	नागालैंड	497	0.02
16.	उड़ीसा	6,316	0.27
17.	पंजाब	2,24,565	9.77
18.	राजस्थान	1,74,663	7.60
19.	सिक्किम	436	0.02
20.	तमिलनाडु	34,120	1.48
21.	त्रिपुरा	547	0.02
22.	उत्तर प्रदेश	11,07,680	48.18

1	2	3	4
23.	पश्चिम बंगाल	53,708	2.34
	संघ शासित क्षेत्र		
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	350	0.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	428	0.02
3.	चण्डीगढ़	7,701	0.33
4.	दादर तथा नागर हवेली	51	एन
5.	गोवा, दमन तथा द्वीव	996	0.04
6.	लक्षद्वीप	39	एन
7.	मिजोरम	163	0.01
8.	पांडिचेरी	289	0.01

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान केरल के निवासियों की परेशानी की ओर दिलाना चाहता हूं। केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सांविधिक राशनिंग की सुव्यवस्थित और सुनियोजित व्यवस्था है। अभी तक तो भारत सरकार आंध्र प्रदेश से चावल का आवंटन कर रही थी और केरल के निवासियों की आवश्यकताएं भी उसी चावल से पूरी हो जाया करती थी। परन्तु अब भारत सरकार ने अपनी नीति परिवर्तित कर दी है और चावल का आवंटन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से किया जाने लगा है। परिवहन की अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त, केरल निवासियों को तुलनात्मक रूप से इस चावल का स्वाद भी रास नहीं आ रहा है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि भारत सरकार ने यह निर्णय किस आधार पर लिया है। यह बताया गया है कि रेल के डिब्बों की अनुपलब्धता के कारण सरकार ने निर्णय लिया है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि जब सरकार को आंध्र प्रदेश से रेल के डिब्बे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से उसे वैगनों की यह सुविधा कैसे उपलब्ध हो सकती है। अतः एवं महोदय, केरल-निवासियों की ओर से, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपनी नीति पर पुनर्विचार करने और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के स्थान पर हमें अपना चावल का कोटा आंध्र प्रदेश से लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : मैं आपके माध्यम से आदरणीय गृह मन्त्री का ध्यान 'दि हिंदू' में "लिट्टे सिम्पैथाइजर्स ऑन फास्ट इन बंगलौर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। उसी दिन, गृह मन्त्री ने वक्तव्य दिया था कि 'आपरेशन शिवरासन' में विशेष

जांच दल की भूमिका और कार्य काफी संतोषजनक था। परन्तु ऐसा बताया जाता है, कि 21 अगस्त, को, लिट्टे-समर्थकों ने एक शोकसभा आयोजित करके शिवरासन के चित्र को फूल माला पहनाई और उसे एक 'हीरो' बताते हुए शिवरासन द्वारा आत्महत्या कर लेने के जिम्मेदार व्यक्तियों से बदला लेने की शपथ ली। किसी भी भारतीय के लिए यह बहुत ही शर्म की बात है। मैं आदरणीय मन्त्री से इस सूचना की सचाई के बारे में जानना चाहूंगा। और यह भी स्पष्ट किया जाये कि क्या बंगलौर में गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों के किसी राजनैतिक दल अथवा दलों के साथ कोई सम्बन्ध थे।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनीचौक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले दिनों महानगर टेलीफोन निगम के महा-प्रबन्धक की ओर से एक समाचार छपा था कि स्थानीय काल पर हर 3 मिनट के बाद दूसरा काल चार्ज किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि टेलीफोन उपभोक्ता के लिए पिछले 3 वर्ष से वृद्धि की गई है, उससे वह पिस रहा है। इसके बाद इस तरह की व्यवस्था करना उपभोक्ता पर एक बड़ा भारी अत्याचार होगा। तीन मिनट तो व्यक्ति को बुलाने में लग जाते हैं। हर आदमी के पास मिनिस्टर की तरह पी० ए० नहीं हैं कि पी० ए० ही टेलीफोन काल निपटा ले, 3 मिनट तो आदमी को बुलाने में लग जाते हैं।

इसलिए मेरा आग्रह है कि इस विषय में जो नोटीफिकेशन अभी तक नहीं निकला है, यदि इस तरह का नोटीफिकेशन निकलने वाला है और 4-5 दिन में हम लोगों की गर्दन कलम होने वाली है, तो मेरा निवेदन है कि संचार मन्त्री महोदय इस तरह के नोटीफिकेशन को न लाकर उपभोक्ताओं को बचाएं।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है। हम सब इस बात का समर्थन करते हैं। 3 मिनट तो यहां पर लोगों के आने में लग जाते हैं। हम सब इस बात से सहमत हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : यह सुझाव विशेष रूप से उन स्थान के बारे में है। जहां पर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए जा रहे हैं और जहां लाइनें बहुत अधिक व्यस्त रहती हैं। यह सरकार के विचाराधीन अन्य प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव है। हम विभिन्न माध्यमों से इस मुद्दे पर उपभोक्ताओं की राय मालूम कर रहे हैं। जैसे ही मुझे इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त होगी, मैं उसे सदन में रखूंगा और सदन की राय के अनुसार उस विषय पर कोई निर्णय लिया जाएगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : क्या आप हमारे साथ उस पर चर्चा नहीं करेंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया है कि मैं डिसकस करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, अपनी मातृभूमि के लिए साहसपूर्वक लड़ने वाले भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में सरकार की ओर से 'वन रैंक वन पेंशन" फार्मूले के क्रियान्वयन में हो रहे विलंब के विरोध में सेवानिवृत सैनिकों के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने आज से इण्डिया गेट पर धरना और अनशन आरम्भ कर दिया है। सरकार को ऐसी कटुतापूर्ण स्थिति को बचाना चाहिए था और उन्हें धरना देने और अनशन का रास्ता अपनाने पर विवश नहीं करना चाहिए था। सरकार को तत्काल ही सभी भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत कर्मचारियों के बीच फैले असंतोष को दूर करना चाहिए और 'एक पद एक पेंशन' फार्मूले को लागू करने हेतु कदम उठाने चाहिए। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, "वन रैंक वन पेंशन" के इस प्रश्न के प्रति सभी राजनैतिक दल प्रतिबद्ध हैं। यह हमारे दल के चुनावी घोषणा पत्र का भी एक भाग है। पिछली सरकार ने स्चमुच इसे लागू करने के प्रयास किए थे। पिछली सरकार द्वारा इस पर विचार करने से भी पूर्व, स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की थी। मैं स्वयं भी उस समिति का एक सदस्य था। अतएव, उक्त उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, विगत सरकार ने विचार किया, उसका फार्मूला तैयार किया गया। फार्मूला तैयार करने में मैं भी शामिल था और इस सम्बन्ध में घोषणा की गई। अत्यन्त निराशाजनक बात यह है कि घोषणा करने के पश्चात् इसे वापस ले लिया गया और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो 'वन रैंक वन पेंशन" अथवा तदर्थ वेतनवृद्धि दी गई थी, उसे वापस ले लिया गया। यह एक अत्यन्त असंतोषजनक स्थिति है। बोट क्लब पर उन लोगों द्वारा धरने आदि पर बैठ जाना इसी असंतोषप्रद स्थिति का एक पहलू है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा—आदरणीय, वित्त मन्त्री भी यहां उपस्थित है—कि हमें "वन रैंक वन पेंशन" के इस मुद्दे पर विचार अवश्य करना चाहिए जिसके कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों में देशव्यापी असंतोष फैल गया है। महोदय, इस बारे में तत्काल ही कोई निर्णय लें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हम लोग इसके समर्थन में हैं। जो चार-पांच मुद्दे हैं तो उनमें एक ही मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार सीरियसली इसको करे। यह पार्टी का मामला नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस मुद्दे पर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। अतएव, इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यह मामला काफी लम्बी अवधि से लम्बित है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : हमने इस मुद्दे को लेकर भारत के राष्ट्रपति से भी अनुरोध किया है। (व्यवधान) इसके कारण काफी असंतोष फैल रहा है।

श्री भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भी इसका समर्थन करते हैं। मेजर जनरल खंडूरी भी इसका समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान बिहार राज्य की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा, उत्तर प्रदेश को पूर्वी और दक्षिणी और मध्य प्रदेश की पूर्वी और उत्तरी सीमा पर स्थित कैमूर पहाड़ियां आजकल अपराधियों का निवास स्थान बनती जा रही हैं। अपराधी अपराध करने के बाद उसमें अपना आश्रय ले लेते हैं, जो प्रशासन के लिए बड़ी ही कठिन समस्या होती जा रही है। इससे बिहार राज्य का बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और मध्य प्रदेश का बिलासपुर जिला प्रभावित होता है। मैं, सरकार से मांग करता हूं कि जनहित के ख्याल से और प्रशासनिक दृष्टि के ख्याल से रोहतास जिला, सासाराम मुख्यालय की दक्षिणी कैमूर पहाड़ियों पर सैनिक छावनी की स्थापना की जाए जिससे बढ़ते हुए अपराध को रोका जा सके।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, हम फिर उस मसले को उठाना चाहते हैं जिसको बार-बार सदन में उठाया है। वह, मेघालय से सम्बन्धित हैं। परसों, 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया था। भारत के एटारनी जनरल, जो वैसे ही इस सदन में आकर बैठ सकते हैं। तो वे मेघालय के स्पीकर के पक्ष में खड़े हो गए थे। जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जस्टिस कुलदीप सिंह के ये शब्द हैं :

[अनुवाद]

"क्या अध्यक्ष महोदय अपनी मनमर्जी कर सकते हैं? क्या वे स्वयं अपने मामले में भी निर्णय दे सकते हैं? अब आप अध्यक्ष महोदय के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। यह उचित नहीं है।"

[हिन्दी]

यह बात जस्टिस कुलदीप सिंह जी ने कही हमारे एटारनी जनरल को, उनको अपने व्यवहार के बारे में, अध्यक्ष जी, यह मामला इसलिए बहुत गम्भीर होता जा रहा है कि बार-बार इस प्रश्न को इस सदन में उठाने के बावजूद सरकार की तरफ से, उनके दल की तरफ से हमको जो आश्वासन चाहिए, प्रधान मन्त्री से जो आश्वासन चाहिए कि मेघालय में ऐसी कोई भी बात नहीं की जाएगी जो भारत के संविधान के विपरीत होगी, जहां पर सदन के अध्यक्ष ने खुद अपने को नेता चुनवाकर उसके बाद पांच सदस्यों को सस्पेंड किया था और अब उनको हटा देने का काम भी किया है। यह प्रक्रिया यहां पर नहीं चलाई जाएगी, इस पर यहां कोई भी आश्वासन हमको नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जस्टिस कुलदीप सिंह ने···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप एक ऐसी बात कह रहे हैं जिस पर सदन में चर्चा नहीं चल रही है। कृपया इस बात को शब्दशः उद्धृत मत लीजिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम तो इतना ही कह रहे थे कि वहां पर अदालत के जो लोग मौजूद थे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे नहीं बोलिए ।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : केन्द्रीय सरकार का इस बारे में क्या रुख है । महाधिवक्ता केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना कैसे खड़े हो सकते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप शब्दशः उद्धृत कर रहे हैं । हम नहीं जानते कि वहां पर क्या कहा गया था ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, अगर मेरी बात में कोई बात गलत है तो आप उसको काट सकते हैं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उन बातों का शब्दशः उल्लेख कर रहे हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते । यदि आपको किसी कागजात अथवा कहीं और से कुछ उल्लेख करना है तो आपको वह कागजात सदन में भी प्रस्तुत करने होंगे । अतः कृपया शब्दशः उल्लेख मत करिये अपितु उसका सार ही बता दीजिए ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं अपनी जिम्मेदारी पर ये शब्द कह रहा हूं । ठीक है आप उसको "क्वोट-अनक्वोट" में न डालिएगा, लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि जब अटॉरनी जनरल ने वहां पर कहा कि अध्यक्ष अपने ढंग से काम करता रहेगा, मैं क्या करूं, तो सुप्रीम कोर्ट में वहां उनसे यह कहा गया कि···

[अनुवाद]

इन अध्यक्ष महोदय ने अध्यक्ष पद की गरिया की अवमानना की है ।

[हिन्दी]

और अध्यक्ष जी, यहां मैं आपसे भी एक प्रार्थना करना चाहता हूं । आप अध्यक्ष हैं न केवल इस सदन के बल्कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का सम्मेलन होता है, उसके भी ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इतना अधिकार मत दीजिए ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब अध्यक्ष के पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ये शब्द सुनने की नौबत आई है और अध्यक्ष के पद की गरिमा को मेघालय के अध्यक्ष ने बिल्कुल खत्म कर दिया है, धूल में मिला दिया है केवल अपने राजनैतिक स्वार्थ को लेकर । अध्यक्ष जी, मैं अगर

सरकार से यह प्रार्थना करूं, प्रधान मन्त्री से यह प्रार्थना करूं कि वह हमें स्पष्ट बताएं कि वह अदालत के दिए हुए आदेश का पालन करेंगे या इनकी सरकार करेगी। चूंकि अटारनी जनरल इसमें जुड़ा हुआ है, वह ऐसे व्यक्ति के लिए वहां पर वकालत करने गया है कि जिनकी वकालत उनको नहीं करनी चाहिए, इससे बार-बार इस मसले को यहां उठाने की नौबत नहीं आएगी और आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि अगर कोई भी आपके पास मशीनरी हो, मुझे नहीं मालूम कि जो अध्यक्षों का साल में एक-दो बार सम्मेलन बुलाते हैं उसकी कोई स्टैंडिंग कमेटी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको न केवल इस सदन के अध्यक्ष के नाते बल्कि, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो कांफ्रेंस बुलाते हैं, उसके अध्यक्ष के नाते आपकी जो नैतिक शक्ति है, उसका इस्तेमाल करके इस देश के संविधान को इस तरह से बरबाद होने के लिए मत छोड़िए।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विगत पखवाड़े में, मेघालय सम्बन्धी यह मुद्दा अनेकों बार सदन में उठाया गया है। मेरा विचार है कि मेघालय की हम छोटी-मोटी घटनाओं की ओर गृह मंत्री और सत्तारूढ़ केन्द्रीय और राज्य सरकार जोकि दोनों एक ही दल की हैं, तत्काल ध्यान देना चाहिए था। दुर्भाग्यवश, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कदम नहीं उठाया गया है और इस मामले में एक निस्संग दर्शक बने रहने का तात्पर्य वहां हो रही घटनाओं को अपना समर्थन प्रदान करना है। वहां जो भी कुछ घटित हुआ, उसके परिणामस्वरूप ही उच्चतम न्यायालय पीठासीन अधिकारी के कार्यों और पद के सन्दर्भ में इस प्रकार की टिप्पणियां देने पर बाध्य हुआ। यह बहुत ही गम्भीर बात है और मैं आशा करता हूं कि गृह मत्री हमें इस विषय पर सरकार के दृष्टिकोण से अवगत करायेंगे। इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है? इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। "आपरेशन टोपल" जारी है और इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय इसके प्रमुख नेता मालूम होते हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और आपके पास पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के सभापति की हैसियत से—भले ही कोई कार्यकारी अधिकार न हो—आप इस मामले में अपने नैतिक प्रभाव का प्रयोग कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, इस बात में पूर्णतः कोई सन्देह नहीं है कि यह एक असाधारण स्थिति है जैसाकि श्री जार्ज फर्नान्डीज और विपक्ष के नेता ने भी कहा है। हमें इस स्थिति को सुलझाने का तरीका ढूंढना है। क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृति होने से रोकने के लिए किसी प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं?

यहां मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि सत्तारूढ़ दल के नेता, को सरकार की ओर से नहीं बल्कि निष्पक्ष रूप से एक वक्तव्य देना चाहिए कि ऐसी घटनाएं निन्दनीय हैं और इससे केवल मेघालय ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश की संसदीय व्यवस्था को हानि पहुंचती है।

इस सदन से जोकि देश का उच्चतम विधान है इस प्रकार का एक वक्तव्य अवश्य जारी किया जाना चाहिए।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : आप मेघालय की बात कह रहे हैं? मणिपुर की क्या स्थिति है? गोवा में क्या हुआ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कृपया ऐसा करने में हमारी मदद कीजिए। (**व्यवधान**) यदि थोड़ा सा भी विवेक बचा हुआ है, तो हम यह प्रार्थना करने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल सारे देश को यह बताये कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी की टिप्पणियां भी संगत है। सिद्धांत के रूप में मेरा यह सुझाव है कि देश के सर्वोच्च विधानमण्डल का पीठासीन अधिकारी किस बात को हमारे देश के संसदीय तन्त्र के हित में उपयुक्त और किस बात को अनुपयुक्त समझते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जानते हैं कि आज मुझसे एक ऐसा काम करने को कहा है जो मैं नहीं कर सकता ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्यों ? मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एक सामान्य घोषणा कर सकते हैं। आप मेघालय की जनता को तो मार्गदर्शन/दिशानिर्देश नहीं दे सकते। परन्तु आप पूरे देश को यह तो बता सकते हैं कि सिद्धांतः क्या मानदण्ड होना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उन्हें प्रेरित कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : प्रमुख संस्था होने के कारण हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आज तो यह देश के एक राज्य में हुआ है, परन्तु कौन जाने कल को सत्तारूढ़ दल इस विधानमण्डल में भी कैसे-कैसे दबाव डालना आरम्भ कर देगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे अन्य विधानमण्डलों के सम्बन्ध में प्राधिकार दे रहे हैं।

(**व्यवधान**)

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : मेघालय के इस प्रश्न को कई दिनों सें सदन में उठाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेघालय सरकार के मन्त्रियों का एक समूह पिछले दस दिनों से दिल्ली में ठहरा हुआ है और विपक्षी दलों के नेताओं से भेंट करके उन्हें मेघालय की राजनैतिक स्थिति के बारे में गलत जानकारी दे रहे है। मेघालय में, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता श्री जॉन डेंग पोरमेन हैं। अध्यक्ष महोदय ने अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए दसवीं अनुसूची के बारे में एक निर्णय दिया है जिसे इस सम्माननीय सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए था ! आपको कुछ अधिकार प्राप्त हैं और भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन उन्हें भी यह अधिकार प्राप्त है जिसे सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए था। मेघालय में, कांग्रेस दल सरकार बनाने का प्रयास कर रहा है जोकि अकेले ही लोकतांत्रिक है। 1990 में, जनता दल सरकार ने कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था। (**व्यवधान**) इस उद्देश्य की पूर्ति मेघालय के राज्यपाल को रातों रात बदल दिया गया था। उस समय मैंने इस बात को उस समय सदन के ध्यान में लाया था परन्तु उस समय मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। आज केन्द्रीय सरकार को मेघालय से कोई मतलब नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त दुख के साथ आपका ध्यान वाराणसी में जो डीजल रेल इंजन कारखाना है, जो सरकार का बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, उसकी ओर ले जाना चाहूंगा। सर, रेल मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं। पिछले समय जब उस पर बहस हो रही थी, तो

मैंने कहा था कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे खराब वस्तुओं की नीलामी का मामला हो, हर चीज में वहां के उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

श्रीमान, डीजल रेल इन्जन कारखाने में परसों, 23 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार के बड़े-बड़े अधिकारियों ने छापा मारा। प्रबन्धक के कार्यालय को घेरा, वहां के अन्य अधिकारियों के कार्यालयों को घेर लिया और उनके मकानों, आवासों को घेरा। स्पीकर साहब, वहां पर 24 घण्टे तक लगातार तलाशी ली गई जिस तलाशी के अन्तर्गत अमेरिका, इंग्लैंड, बेलजियम, आस्ट्रेलिया और हालैंड की विदेशी मुद्रा नकद रूप में 20 हजार डालर की प्राप्त हुई। जब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पूछा कि यह कहां से आई, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। 200 फाइलें ऐसी पकड़ी गईं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि कई लाख पौंड विदेशी मुद्रा के और डालरों के उनके यहां कदाचार किए गए हैं। दिल्ली के कुछ बैंकों के श्रीमान लॉकरों के कागज पाए गए हैं जिनमें अवैध मनी जमा है।

अध्यक्ष महोदय . सोनकर जी, ये आपकी मालूमात हैं या आप अखबार में से पढ़कर बोल रहे हैं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्रीमान, हमारी भी मालूमात हैं और जैसा मैंने कहा था कि यह यू० पी० का दैनिक जागरण अखबार मेरे हाथ में है, इसमें भी आया है और यह देखिए इसमें फोटो दिया है, यह आदमी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा पकड़कर दफ्तर की ओर ले जाया जा रहा है...

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, जब आपने कह दिया कि मेरी मालूमात हैं, तो आप बोलिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय लोक सभा में बोल रहा हूं और वहां के उच्च अधिकारी इस समय प्रवर्तन निदेशालय के कब्जे में हैं। उनके अधिकार में, वहां के बड़े-बड़े अधिकारी हैं, तो श्रीमान, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यहां रेल मन्त्री जी बैठे हुए हैं, तो वे इस पर बयान दें। एक ग्लोबल टेंडर फर्म है। यह फर्म, श्रीमान, ठेके देती है और सामानों की आपूर्ति करते हैं उस ठेके से, आपूर्ति से इसके टेंडर से लाखों विदेशी मुद्रा और डालर की गड़बड़ी की जाती है।

श्रीमान, यहां रेल मन्त्री जी बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वे इस पर कब बयान देंगे और जो डीजल इन्जन कारखाने में छापा पड़ा है और जो वहां पर प्रवर्तन निदेशालय के 10-15 आफीसर बैठे हैं और जिन्होंने अनेकानेक अफसरों को गिरफ्तार कर रखा है, उनको अपने कब्जे में ले रखा है, वह क्या मामला है ? सरकार को इतने बड़े प्रतिष्ठान में जो इतनी बड़ी धांधली हुई है उसके बारे में यहां बताना चाहिए और मैं मांग करता हूं कि इस पर भी वक्तव्य देना चाहिए।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है। इस पर फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। यह पूर्वी जिलों में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। इस पर रेल मन्त्री जी को बयान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी, मैं उनको बयान देने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर उनकी मर्जी हो, तो वे जरूर दे दें। अब आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बताया गया है कि इस देश के इस्पात निर्माताओं का एक वर्ग इस्पात को नियंत्रण-मुक्त करने हेतु सरकार पर दबाव डाल रहा है। मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहूंगा कि यदि इस्पात को नियंत्रण-मुक्त किया गया, तो लघु उद्योगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा निर्माण उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा और मूल्यों में बहुव्यापी वृद्धि होगी। इसी कारण मैं इस बात को सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। इस्पात मन्त्री भी इस समय यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे स्पष्ट रूप से यह बताने का अनुरोध करूंगा कि इस देश में इस्पात को नियंत्रण-मुक्त नहीं किया जायेगा। अन्यथा स्थिति बेहद गम्भीर हो जायेगी। पहले ही लगभग सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो चुकी है। इसका लघु क्षेत्र के उद्योगों और रोजगार के अवसरों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतएव, मैं इस्पात मन्त्री से, जोकि यहां उपस्थित हैं, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं भी इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं। परन्तु श्री मनोरंजन भक्त द्वारा इस मुद्दे को उठाने से मुझे प्रसन्नता ही हुई। महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम जोकि विभिन्न लघु उद्योगों को इन वस्तुओं की आपूर्ति करता है, का सभापति होने के कारण मुझे इस बात की जानकारी है। केवल पश्चिमी बंगाल में ही नहीं, बल्कि सभी राज्यों मे, लघु उद्योग निगम हैं जिन्हें भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० द्वारा उचित दर पर आपूर्ति की जाती हैं। यह बहुत ही कम प्रतिशत है जिससे हमें अपने खर्च की पूर्ति करनी होती है। हम इस कच्चे माल को पंजीकृत लघु इकाईयों को वितरित कर देते हैं। इस पर भा० इ० प्रा० लि० के प्राधिकारियों द्वारा भी पूर्ण निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा, इस प्रस्ताव के कारण पूर्ण रूप से अनियंत्रण हो जाएगा। इसलिए, लघु उद्योग निगमों (ल० उ० नि०) को इस्पात प्राधिकरणों से कोई माल नहीं मिलेगा। इससे लाभ केवल टिस्को को होगा। वे अपनी मनमर्जी से दरें निर्धारित करेंगे।

इसके अलावा छोटी इकाईयां बाजार में नहीं जा सकती और बड़ी इकाईयों के साथ स्पर्धा नहीं कर सकती और वे इसके लिए लोहा और इस्पात सामग्री अथवा कच्चा लोहा नहीं खरीद सकती। हम भी लघु इकाईयों की मांगों को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। माननीय वित्त मन्त्री यहां मौजूद हैं, माननीय उद्योग मन्त्री भी यहां मौजूद हैं। लघु उद्योग निगमों के कारोबार का पचास प्रतिशत लोहे और इस्पात मदों से सम्बन्धित होगी। इससे लघु इकाईयों की आपूर्ति नहीं होगी। लघु उद्योग निगम

जोकि इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और लघु इकाईयों की सहायता कर रहा है, वे भी परिसमाप्त हो जाएगी। इसलिए. इस बारे में मेरा सरकार से गम्भीरतापूर्वक अनुरोध है। यह एक गम्भीर मामला है। मुझे यह पता नहीं है कि वे रहस्यमयी मुद्रा में क्यों बैठे हुए हैं ? उद्योग मन्त्री को इसका उत्तर देना चाहिए। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री भक्त ने यह मामला उठाया है। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी वर्ग हमारा साथ देंगे। आप चाहे जो भी नीति अपनाते हैं, लघु उद्योगों, बहुत छोटे उद्योगों, जिन्हें इस लोहे और इस्पात की वस्तुओं तथा कच्चे लोहे की अत्यधिक आवश्यकता होती है, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? मैं लघु उद्योगो और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्बन्ध में, इस नीतिगत वक्तव्य को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। लघु क्षेत्र के उद्योगों की यही कठिनाई है। इस सम्बन्ध में दो प्रमुख कठिनाईयां हैं—एक कच्चा माल प्राप्त करने की है और दूसरी धन के अलावा विपणन सम्बन्धी है। अतः, इन दोनों पहलुओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। लघु क्षेत्र के उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के सबसे अधिक अवसर प्रदान करते हैं। लघु क्षेत्र की इकाईयों से निर्यात इकाई-वार किया जाता है, जोकि इस देश में सबसे अधिक है। इसलिए, कृपया इन लघु क्षेत्र की इकाईयों को समाप्त न करें; उनके लिए कार्य करना दूभर न बनाएं। मैं सरकार से अपील करता हूं, केवल अपील ही नहीं बल्कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसे इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस मामले में 'पेरेस्ट्रोयका' के नाम पर लघु क्षेत्र की इन इकाईयों को संकट मे न डालें। इन इकाईयों को समाप्त न करें। मुझे पता है कि हमारे वित मन्त्री के अनेक सपने हैं। लेकिन अपनी कल्याण भावना के जोश में इस देश में इन इकाईयों को समाप्त न करें। (**व्यवधान**)

श्री तेजसिंह राव भोंसले (रामटेक) : आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित विषयों को उठाना चाहता हूं :

एक तो बाजार में नकली सिलेंडरों के प्रचलन से सम्बन्धित है, जिन्हें नष्ट न करके तेल कम्पनी के प्रतिनिधियों और भा० मा० सं० के प्रतिनिधियों के साथ मिलीभगत करके इन्हें पुनः उपयोग में लाया जाता है।

दूसरा विषय पश्चिम क्षेत्र में बड़ौदा और भोपाल-बड़ौदा जैसे स्थानों पर भिन्न-भिन्न मानदण्ड लागू करके पश्चिमी क्षेत्र के दो स्थानों पर वितरकों से टैरिफ और दण्ड राशि वसूल की जाती है। यह जानकारी मुझे नहीं है कि क्यों, उत्तरी क्षेत्र में वही सूत्र लागू करके, ट्रांसपोर्टरों से अच्छी वसूली की जाती है। सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, जैसे एक कहावत है करेला और नीम चढ़ा उसी तरह की कहावत महंगाई के बारे में लागू हो रही है। एक तो महंगाई बढ़ रही है और उस पर दिल्ली में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। जो आंकड़े सरकार की ओर से आए हैं उनमें पिछले आठ हफ्तों में देश में थोक मूल्यों में तेरह प्रतिशत महंगाई बढ़ी है। मैंने 21 चीजों के दाम इकट्ठे किए हैं उसमें मल्टी नेशनल्स और बड़े-बड़े धन्ना सेठों ने बजट के पहले जो दाम थे, टोपाज ब्लेड ?.75 का था वह साढ़े चार रुपए का कर दिया, सर्फ 31.50 का था वह 36.50 का कर दिया, वाशिंग सोप 12 रुपए का था वह 15 रुपए का कर दिया।

यह सारे आंकड़े हैं। एक तरफ तो यह महंगाई है जिसके कारण गरीब आदमी और बन्धी आमदनी का जो व्यक्ति है, वह पिस रहा है और दूसरी ओर दिल्ली के अन्दर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, दिल्ली के अन्दर इसमें 3610 दुकानें हैं लेकिन उनमें से 3000 दुकानें ऐसी हैं जहां न राशन है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, चीनी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जब मालूम किया जाता है तो यह कहा जाता है कि एफ० सी० आई० वालों ने वर्क टू रूल कर दिया है। वर्क टू रूल वह करते हैं लेकिन उसका परिणाम दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है। राशन की दुकान वालों ने एक-एक महीने से पैसे दिए हुए हैं, ड्राफ्ट जमा किए हुए हैं लेकिन उनकी दुकानें खाली हैं। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंदन कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं और उसी के बाद यहां, भारत की राजधानी दिल्ली के अन्दर 3600 दुकानों में 3000 दुकानों के अन्दर आज राशन नहीं है, त्यौहार के दिन आ रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सिविल सप्लाई मिनिस्टर इसकी ओर प्राथमिकता देकर ध्यान दें और महंगाई पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएं। इनका वायदा था कि 100 दिन के अन्दर हम महंगाई को कम करेंगे लेकिन महंगाई कम होने की बजाय बढ़ी है। इसकी ओर सरकार ध्यान दे और दूसरी ओर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करे। राशन की दुकानों पर माल मिलना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले लोक सभा चुनाव के पश्चात् से आदिवासियों के ऊपर अत्याचारों की संख्या बढ़ गई है, शोषण बढ़ गया है और आज वह पूरी तरह से परेशान हैं। अभी पीछे इसी माह में 9 अगस्त को खरगौन जिले में ग्राम सोमाखेड़ी में दो आदिवासियों की वहां के स्वर्ण लोगों ने हत्या कर डाली, वहां पर आतंक मचाया, उनके मकान जला दिए और उनको गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया है। पुलिस को इसकी पूर्व सूचना थी। 7 जुलाई और 15 जुलाई को भी ऐसी घटना हुई थी लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने वहां पर कोई सुरक्षा नहीं की, जिसके कारण सारे आदिवासियों में रोष फैला हुआ है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार से पता लगाकर आदिवासियों को संरक्षण प्रदान करें। (**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : आंध्र से भी मालूम किया जाय, उनसे कहें, खड़े हो जाए। (**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह : यह आवश्यक है, आदिवासियों का शोषण, अत्याचार इतना बढ़ गया है कि वहां पर उनका जीना दुश्वार हो रहा है। इसमें सदन के नेता का स्टेटमैंट आना चाहिए। (**व्यवधान**)···आप बैठिए, आपको क्या मालूम, वहां पर क्या हो रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे विषयों पर जब भी सदन का ध्यान पूर्व में आकर्षित किया गया है, चूंकि सदन सदैव आदिवासियों की, हरिजनों की, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रश्न अहम् मानता रहा है, माननीय सदस्य ने जो बात यहां यहां पर उठाई है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर माननीय गृह मन्त्री जी सदन को जरूर सूचित करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज एल० एण्ड टी० का टेकओवर होने वाला है, उसके बारे में हमारे दूसरे साथी बोलेंगे···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको फ्लड्स पर अनुमति दे रहा हूं ।

श्री राम विलास पासवान : बिहार मे और खासकर उत्तरी बिहार में और पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ की स्थिति से लोग जूझ रहे हैं । हमारी अपनी कांस्टीट्वेन्सी में, जहां से मैं आया हूं, खबर आई है कि पूरे के पूरे शहर की सड़कों पर और दूसरी जगह बाढ़ का पानी घुस गया है । इस विषय पर सदन में डिस्कशन भी हुए हैं लेकिन मैं समझता हूं कि उन डिस्कशंस का कोई परिणाम नहीं निकला । सरकार ने जो जवाब भी दिया, वह जवाब भी सरकार का उसी तरह से रहा और उसमें कोई स्पेसिफिक कदम भी नहीं उठाया जा सका है । इसलिए केन्द्रीय सरकार से हमारा आग्रह है कि वह इसको गम्भीरता से ले और देश के जिन भागों में भी बाढ़ की स्थिति आई है, केन्द्रीय सरकार जितना दूर हो सहायता करके और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए लोगों को राहत कार्य में सहयोग प्रदान करे ।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के नेता द्वारा दिए गए आश्वासन की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : एट्रोसिटीज पर आश्वासन दिया जाता है और फिर एश्योरेंस कमेटी है ।

(**व्यवधान**)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सारे नियमों को धता बता कर एल० एण्ड टी० को टेक-ओवर करने जा रहे हैं । इसलिए सदन में माननीय वित्त मन्त्री को बुलाएं और ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर सदन का कितना समय लेंगे ?

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री दिग्विजय सिंह : कृपया बड़े-बड़े सम्पन्न व्यक्तियों की बातें यहां सदन में उठाने की अनुमति न दें । इनका निपटारा न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए ।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : माननीय वित्त मन्त्री को भी वही बात कहने दें । उन्हें इस विषय पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए । वे चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट ग्रहण करें । मैं इस सदन में कहता रहा हूं कि यह बजट-सत्र है । हम 1,50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट पास करने जा रहे हैं । अब तक एक मन्त्रालय के बजट पर भी चर्चा सम्भव नहीं हो सकी है । क्या आप चाहेंगे कि इन सभी बातों पर चर्चा हो और बजट पर चर्चा न की जाये ? मैं यह नहीं समझ सकता । समय-सीमा के अंतर्गत आपको मुद्दे उठाने की अनुमति दी गई है । कृपया सदन का समय न लें । सभी बातें महत्वपूर्ण हैं; किन्तु हमें अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए । मैं आपकी उत्सुकता को समझता हूं और आप भी सही हैं; तो भी हमें अपनी वरीयता निर्धारित करनी चाहिए । कृपया सदन के साथ सहयोग करें; और स्वयं पद्धति के साथ सहयोग करें । यदि आप पद्धति के अनुरूप सहयोग नहीं करेंगे, तो मुझे डर है, कि प्रणाली में अव्यवस्था फैल जायेगी ।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में वर्षा से मकान गिर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कालका दास जी, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। कृपया बैठ जाइए।

श्री श्रीकांत जेना : एल० एण्ड टी० अधिग्रहण के बारे मे वित्त मन्त्री को वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना, हमें दूसरी मदों पर भी चर्चा करनी है। आप मेरे चेम्बर में आ जाएं और मुझे आश्वस्त करें। यदि मैं आश्वस्त हो जाता हूं तो मैं आपको कल अनुमति दे दूंगा। मैं आपको सदन का इस प्रकार समय बर्बाद नहीं करने दूंगा। आप मुझे चैम्बर में आश्वस्त करें, नोटिस दें और मैं आपको अनुमति दूंगा। आप इस सदन के बहुत ही प्रबुद्ध सदस्य हैं। आप नियमों का उपयोग करना जानते हैं। आपको यह भी जानकारी है कि आप अपने अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि आप मुझे अपने चैम्बर में आश्वस्त कर पाएंगे। वहां पर सदन का समय नष्ट नहीं होगा। मेरे समय और आपके समय का सदुपयोग किया जा सकता है। कृपया सदन के कार्य में बाधा न पहुंचाएं।

अब पटल पर पत्र रखे जाएं।

12.38 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, इलाहाबाद और व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, इलाहाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, इलाहाबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 458/91]

(3) (एक) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने के हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 459/91]

(5) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 460/91]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश 1991

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत 20 अगस्त, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का संख्या 7) की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 461/91]

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्धा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्धा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्धा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (क) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला और (ख) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्धा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की

समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 462/91]

समान पारिश्रमिक सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति नियम 1991 और श्रम मंत्रालय की वर्ष 1991-92 के लिए अनुदानों की मांगों का ब्यौरा

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत समान पारिश्रमिक सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति नियम, 1991 जो 31 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 514(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 463/91]

(2) श्रम मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 464/91]

12.40 म० प०

पंजाब बजट, 1991-92

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : महोदय, मैं पंजाब राज्य की वर्ष 1991-92 के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 465/91]

12.40½ म० प०

जम्मू कश्मीर बजट, 1991-92

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : महोदय, मैं जम्मू और कश्मीर राज्य की वर्ष 1991-92 के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 466/91]

12.41 म०प०

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : महोदय, मैं विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 1988 में संशोधन हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य समझने की बेहतर स्थिति में है क्योंकि आप भी सदन में इस पक्ष में रह चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट बिल, जिसको अभी गृह मन्त्री महोदय पेश करना चाहते हैं, मैं इसको पेश करने के विरोध में यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं यह विरोध इस आधार पर करना चाहता हूं कि संविधान के अंतर्गत यह विधेयक आना सम्भव नहीं है। यहां पर भूतपूर्व गृह राज्य मन्त्री श्री चिदम्बरम जी बैठे हैं, जब इस विधेयक को उन्होंने 11 मई 1988 को पेश किया था, तब उन्होंने पहले ही वाक्य में यह कहा था···

[अनुवाद]

"आरम्भ में मुझे एक बात स्पष्ट करने दें। इस विधेयक का उद्देश्य उस व्यक्ति की सुरक्षा करना है जो प्रधान मन्त्री के पद पर आसीन होता है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, इस कानून का जो पूरा दायरा है, उसको बदलने का सरकार की तरफ से यहां प्रस्ताव आया है और इस कानून के जो आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स हैं, उनमें यह कहा गया है कि परिवार का एक नया अर्थ लगाने की जरूरत है। यहां पर जहां पहले परिवार के लोगों का अर्थ होता था, मेंबर्स आफ दी इमीजिएट फैमली, जिसका अर्थ होता था प्राइम मिनिस्टर, उनके मां-बाप, बच्चे, वहां पर अभी बेटा-बेटी, यह नया अर्थ लगाने की बात की गई है। बात यहीं नहीं रुक जाती है, आगे जाकर इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है—

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप विधेयक की विषय-वस्तु की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं संविधान पर ही हूं, और किसी चीज पर नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : संविधान का कौन सा प्रावीजन कंट्राबाट हुआ है, उस पर जल्दी आइए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उसी पर आऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : जरा जल्दी आएं तो अच्छा होगा।

[अनुवाद]

आपके पास इस पर न भी चर्चा करने का अवसर है।

श्री फर्नांडीज : मैं तो वैधानिक बात कह रहा हूं।

[हिन्दी]

वह तो मैं तभी आपके सामने रख सकता हूं, जब मैं यह बताऊं कि प्रधानमन्त्री के प्रश्न में और उनके परिवार के लोगों, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री या मारे गए प्रधानमन्त्री, उनके परिवार के लोगों के प्रश्न में संविधान के अंतर्गत फर्क है यह मैं बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले संविधान की धारा 13 के बारे में बताना चाहता हूं—अनुच्छेद 13 का सम्बन्ध 'मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों' से है।

अनुच्छेद 13(2) में लिखा है : "राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है..."

अब, मैं अनुच्छेद 14 का उल्लेख करता हूं, जिसका सम्बन्ध "विधि के समक्ष समता से है।"

इसमें कहा गया है : "राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के सम्मान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रधानमन्त्री के पद की चर्चा की और आपने मुझे वहीं टोका है। प्रधानमन्त्री का जो पद है, वह संविधान के अंतर्गत एक पद है। उनकी सुरक्षा के लिए एक विशेष परिस्थिति में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के आयोजन की बात हो गई है। मुझे मालूम है जब वह कानून पहली बार 11 मई 1988 को पेश हुआ था, तब इस कानून के बारे में यहां पर विरोध तो नहीं हुआ था, लेकिन आपत्तियां उठाई गई थीं और आपत्तियां यह कह कर उठाई गई थीं कि इनकी सुरक्षा के लिए देश में पुलिस विभाग है, अनेक गुप्तचर विभाग हैं, अनेक ऐसी संस्थाएं हैं, जिनका इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यह जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का कानून है, यह 1985 में बना हुआ था। उस वक्त भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद जो कमेटी बनाई हुई थी, उस कमेटी की सिफारिश पर 1 अप्रैल, 1985 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाने का काम किया गया था।

इसको कानून के अंतर्गत लाने के लिए आपने 1985 से लेकर 1988 तक तीन साल लिए थे। बगैर कानून के, यह संस्था अपने काम को करती रही। मगर, 1988 में आपने इसलिए कानून किया कि इसमें विशिष्ट लोगों को भर्ती करेंगे और नियमों को छोड़कर, उसके बाहर जाकर, संविधान जो इस बात को कहता है उसके बाहर जाकर कुछ विशिष्ट लोगों को भर्ती करने का अधिकार और उसके साथ-साथ एस० पी० जी० के लोग और कोई भी कदम उठाएं जिसमें गलत आदमी मारा जाए, जिसमें ऐसी कोई भी आपत्ति हो जाए तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। उनको हर तरफ से सुरक्षा दी जायेगी। यह जुमला आपको लाना था। इसलिए, 1988 में यह कानून लाए। जैसा मैंने कहा, इस आपत्ति के बावजूद, इस सदन ने इस कानून का समर्थन किया इस आश्वासन पर और उन दिनों के गृह मन्त्री के इस आश्वासन पर :

[अनुवाद]

"आरम्भ में मुझे एक बात स्पष्ट करने दें···।"

[हिन्दी]

ये उनके शब्द हैं। श्री चिदम्बरम साहब यहां बैठे हैं।

[अनुवाद]

"···इस विधेयक का उद्देश्य उस व्यक्ति की सुरक्षा करने से है जो प्रधानमन्त्री के पद पर आसीन होता है।"

[हिन्दी]

प्रधान मन्त्री की अपनी एक औकात है। उसकी अपनी मर्यादा है, इस संविधान के अन्तर्गत। इस देश के अन्य जो लोग होते हैं तो अगर हम आज इनमें भी असमय वर्ग निर्माण करने की बात करें तो इस संविधान की धारा-14 का सीधे विरोध हो जाता है। आप वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं। जो सत्ता में रहे और लोगों के फैसलों को लेकर सत्ता में हो और अगर हम आगे बोलें तो सत्ता में आकर, सत्ता की जिम्मेदारी को निभाते हुए, मैं यहां पर संविधान की धारा-51 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

फन्डामेंटल ड्यूटी को लोग आमतौर पर याद नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 51(क)—मूल कर्त्तव्य में यह कहा गया है :

"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह—(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं······का आदर करे।"

[हिन्दी]

क्या हमारा संविधान दो प्रकार के नागरिकों की बात करेगा। मेरी जान के लिए खतरा हो तो एक कानून होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या वास्तविक वर्गीकरण की अनुमति है अथवा नहीं ?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : रीजनेबल और क्लासिफिकेशन का क्या रिजनेबलनेस है। रिलनेबलनेस की बात यहां पर आती है। 51-ए, रोमन-ए तक सीमित नहीं हैं। मैं आगे जाता हूं।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 51(ख) में कहा गया है :

"स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।"

[हिन्दी]

कौन से आइडियल्स हैं। क्या हिंदुस्तान में इस प्रकार का वर्गीकरण समाज में किया जाएगा। एक आदमी की जान की ज्यादा कीमत होगी और दूसरे की जान की कीमत कम होगी। इस देश में हर रोज लोग मारे जाते हैं। उनको क्या आप पुलिस का बन्दोबस्त देंगे। उनकी सुरक्षा के एम० एस० जी० और एस० पी० सी० काम करेंगे। क्या यह सब देने का काम करेंगे।

यह हमारे संविधान में फण्डामेंटल ड्यूटी है। मगर, मैं उससे आगे जाता हूं। कुछ बातों को स्पष्ट करना जरूरी है। कोई गलत हो तो मुझे उससे आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 51क(घ) में वर्णित मूल कर्त्तव्यों में, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह—

"देश की रक्षा करे और आवाह्न किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;"

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सेवा करते वक्त मेरी जान भी जा सकती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या हम इस प्रकार का विवाद नहीं कर रहे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं संवैधानिक सक्षमता की बात पर हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे, इस कानून के विरोध में जो बोलना है, वह आपको बोलूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके पास इन सभी सुझावों के लिए, पर्याप्त अवसर है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं केवल वैधानिक बात पर हूं।

मेरा संकेत भारत में दो श्रेणियों के पैदा किए जाने के बारे में है। भारत का संविधान आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देता।

[हिन्दी]

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पार्ट-फोर, 39-ए :

[अनुवाद]

इसमें समान न्याय के बारे में कहा गया है कि :

"राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार कार्य करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो,......"

[हिन्दी]

आप इस कानून के द्वारा क्या करने जा रहे हैं। गृह मन्त्री का कहना है कि चार करोड़ पचास लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च होगा। एक परिवार की सुरक्षा के लिए और आज इस वक्त जब यह कानून को आपने पेश किया था 1988 में, तब 85-86 में खर्च किया था मात्र (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह विधान मण्डल कानून बनाने में सक्षम है अथवा नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, इस विधान मण्डल को नागरिक और नागरिक के बीच भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। आप ऐसा कानून नहीं बना सकते, जो नागरिकों की दो श्रेणियां बना दे, चाहे यह उनकी सुरक्षा के लिए ही हो। महोदय, प्रधानमन्त्री की जिन्दगी की सुरक्षा एक बात है और कुछ विशेष व्यक्तियों को विशेष अधिकारों के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना और उनकी जिम्मेदारी लेना नागरिकता में विभिन्न वर्ग पैदा करने वाली बात है।

[हिन्दी]

और इसलिए मेरी यह मान्यता है अध्यक्ष जी, कि मैं किसी की सुरक्षा की बात यहां नहीं कर रहा हूं। मुझे हिन्दुस्तान के तमाम लोगों की सुरक्षा की चिन्ता है और मेरा अपना काम करते हुए मैंने कभी अपनी जान की सुरक्षा की बात नहीं की है। इनकी पुलिस ने हमेशा मेरा पीछा किया। मुझे गोली मारकर खत्म किया जाए, इनका आदेश था 1975 में, मगर हम बच गए, हम तो मरे नहीं और जब मैं पहली बार सरकार मे गया था और पुलिस मेरी सुरक्षा के लिए आई थी तो मैंने कहा कि "जिन्दगी भर तुम लोग मेरा पीछा करते रहे, अब क्या तुम लोग मुझे बचाने वाले हो। मुझे पुलिस का बंदोबस्त

नहीं चाहिए। मैंने नहीं लिया और न आज ले रहा हूं। सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आप और हिन्दुस्तान के नागरिकों में फर्क""""(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर जरूरी है तो आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम उसको नहीं लेंगे। हम उसको तोड़कर भोगेंगे। मैं मानता हूं कि आप जैसा व्यक्ति मुझे सुरक्षा दे सकता है, जैसे आपने पहले मुझे सुरक्षा दी थी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया भगवान के लिए ऐसा नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह आपके और हमारे बीच का मामला है। आपने मेरी एक बार जान बचाई है"""(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने बिल्कुल अलग बात की थी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा। केवल आपकी महानता और उसकी इज्जत करते हुए मैं यहां नहीं कहूंगा अध्यक्ष जी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं बिल्कुल अलग मुद्दे पर था।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगा कि मैं वह बात यहां नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यह बात कह रहा हूं कि सबको अपनी जान प्यारी है, इसलिए मैं किसी की जान की बात नहीं कह रहा हूं। मैं यहां पर कह रहा हूं कि दो प्रकार की नागरिकता लोगों को"""(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो बात मैं कहने का प्रयत्न कर रहा था वह यह कि यदि सरकार यह महसूस करती है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है तो यह सुरक्षा प्रदान करना सरकार का कर्त्तव्य है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, इसका अभिप्राय यह है कि सरकार दोहरी नागरिकता देने जा रही है। सरकार ऐसा करके संविधान की निष्ठा और भावनात्मक दोनों ही प्रकार से उल्लंघन कर रही है। यहां मैं संविधान की भावना की चर्चा नहीं कर रहा। मैं संविधान की निष्ठा और भावना की

बात कर रहा हूं। महोदय, यह इस सदन की कानून बनाने सम्बन्धी शक्ति के बाहर की बात है और इस सदन में प्रस्ताव पेश किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, कानून सम्बन्धी थोड़ी जानकारी से मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज की बातों से, जहां तक कानून बनाए जाने सम्बन्धी सक्षमता का प्रश्न है, पूर्ण रूप से उनके साथ नहीं हूं। यह सदन इस प्रकार का कानून बनाने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि यह कानून बनाना अप्रसन्नता की बात है। यद्यपि इस प्रस्ताव को आज ही प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है, मैं सरकार से इस कानून के बनाए जाने से पूर्व इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध रखूंगा क्योंकि इस कानून के बन जाने से एक भूतपूर्व प्रधानमन्त्री और अन्य भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के मध्य विभेद हो जाता है। यह एक प्रधानमन्त्री जिनकी हत्या हुई हो और दूसरे ऐसे प्रधानमन्त्री जिनकी हत्या न हुई हो में विभेद पैदा करता है जो कुछ कल्पनातीत सा है। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि विशेष परिस्थितियों में, जिनमें हम रह रहे हैं, हमें इस प्रकार के बहुत ही विशिष्ट कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कानून बनाते समय हमें ऐसे प्रधानमन्त्रियों जिनकी हत्या हुई हो और ऐसे प्रधानमन्त्रियों जिनकी हत्या न हुई हो, के रूप में नहीं सोचना चाहिए। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि यदि भूतपूर्व प्रधानमन्त्रियों और भूतपूर्व प्रधानमन्त्रियों के परिवारों को इसमें समाविष्ट करने हेतु कानून बनाया जा रहा हो तो मैं सरकार से इस विधेयक को वर्तमान रूप में पास न करके बल्कि इस पर पुनर्विचार करने, इसकी पुनरीक्षा करने और सदन के समक्ष सही रूप में लाए जाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) अध्यक्ष जी, सरकार सदन में जो विधेयक लाई है, उसके सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि वह ऐसा कहेगी कि संविधान की सातवीं अनुसूची है, उसकी यूनियन लिस्ट के भाग 2(ए) में कहा गया है :—

> "संघ के किसी सशस्त्र बल का या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का किसी राज्य में सिविल शक्तियों की सहायता में अभियोजन : ऐसे अभियोजन के समय ऐसे बलों के सदस्यों की संख्या, अधिकारिता, विस्तार और दायित्व :"

इसके तहत सरकार ने इस बिल को सदन में लाने की कोशिश की है।

आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई एक तरह का पुलिस बल नहीं है। राज्यों के अपने पुलिस बल हैं, सी० आर० पी० एफ० है, बी० एस० एफ० है और उसके बाद एन०एस०जी० है। एन० एस० जी० किसी भी रूप में कम शक्तिशाली या कम कम्पीटेंसी का बल नहीं है। उसका रोल काफी अच्छा रहा है और सबसे ऊपर अभी हमने एस० पी० जी० का निर्माण किया है। जैसा अभी हमारे एक साथी ने कहा कि जब एस० पी० जी० का गठन किया गया था तो उसके उद्देश्यों में साफ लिखा गया था कि यह केवल प्रधानमन्त्री की सुरक्षा के लिए गठित किया जा रहा है। आज सरकार उसके दायरे को और बढ़ाना चाहती है और यह बिल लाई है। जैसाकि इन्होने इस बिल के उद्देश्यों और कारणों में कहा है कि यदि किसी प्रधानमन्त्री या किसी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के कुटुम्ब के किसी सदस्य को, जिनके जीवन को भविष्य में काफी खतरा हो सकता है, अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यह कौन जज करेगा कि

गम्भीर खतरा पैदा हो गया है या गम्भीर खतरा बना हुआ है। इसीलिए आडवाणी जी ने जो बात कही, इसके स्थान पर यदि ऐसा लिखा जाता कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री या वर्तमान प्रधानमन्त्री के कुटुम्ब के किसी सदस्य को खतरा बना हुआ है तो बात समझ में आ सकती थी। उसमें भी यदि किसी प्रधानमन्त्री की हत्या होगी, उसके परिवार के किसी सदस्य के जीवन को खतरा बना हुआ है, ऐसा आप लिखेंगे तो वहां भी यही सवाल उठेगा कि इसे कौन जज करेगा, कौन ऐसा निर्णय लेगा। सरकार की नजर में यदि किसी प्रधानमन्त्री या भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के किसी सदस्य के जीवन को खतरा बना हुआ है तो उसे ये सुविधाएं मिलेंगी अगर सरकार की नजर में खतरा नहीं है तो उसे ये सुविधायें नहीं मिल पायेंगी।

इसमें आगे कहा गया है कि उनके निकटतम कुटुम्ब के सदस्यों की ऐसी सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विशेष सुरक्षा ग्रुप के अन्तर्गत लाया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान की धारा 14 स्पष्ट है जिसका उदाहरण अभी हमारे जार्ज साहब ने आपको दिया। इस बिल के पीछे मुख्य उद्देश्य समाज को दो टुकड़ों में बांट देना है, हम राजनैतिक दलों के नेताओं को दो टुकड़ों में बांट देना है। अन्ततोगत्वा सरकार की जो मंशा है, एक बार जैसा चिदम्बरम साहब ने विधेयक को पेश करते समय कहा था कि जहां इसके दायरे में वर्तमान प्रधानमन्त्री को रखा जाए, उसके बाद भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, जिनकी हत्या हुई, उन्हें भी शामिल किया जाए। अब हत्या के कारण सुरक्षा का प्रश्न उठेगा, उनके परिवार के ऊपर, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं, जो मैं समझता हूं कि सरकार की नियत बिल्कुल ही धूमिल करने वाले हैं। आप जानते हैं कि इस बिल को लाने के पीछे सरकार की नियत क्या है, मैं उसके विस्तार में यहां जाना नहीं चाहता।

सुरक्षा व्यवस्था हो, जिनके जीवन को खतरा बना हुआ है, निश्चित रूप से भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के परिवार के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की जाए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपके पास, यदि सी० आर० पी० एफ० या बी० एस० एफ० को छोड़ भी दिया जाए, तो भी जहां पुलिस बल उपलब्ध है, जिन पर हमें नाज रहा है कि हमारे पास ऐसे पुलिस बल हैं, उनके तहत आप यह व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते। क्यों आप यह विशेष प्रावधान करने जा रहे हैं। इसलिए आपकी नियत ठीक नहीं लगती है। हमारे संविधान में जो व्यवस्था है—इक्वैलिटी बिफोर लॉ—कानून के सामने सब बराबर हैं, सभी नागरिकों को सीक्योरिटी मिलनी चाहिए, इस बिल के जरिए आप जहां एक परिवार के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करने जा रहे हैं, बाकी लोगों को क्या भगवान के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि समय रहते सरकार इस बिल को वापस कर ले नहीं तो यह बिल सदन में पास होने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी विशेष परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर कोई टिप्पणी करना पसन्द नहीं करता। वर्तमान स्थिति के आधार पर निर्णय लेना होगा। लेकिन मेरा आश्चर्य केवल यही था। क्या हमें एक बहुत ही सीमित व्यक्तियों के समूह के लिए विधेयक पारित करना चाहिए? ऐसे भी अवसर हो सकते हैं, जबकि सुरक्षा की आवश्यकता, उदाहरण के लिए संसद सदस्यों के लिए भी हो सकती है। मैं आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि कई अवसरों पर उन संसद सदस्यों के लिए भी जिन्हें धमकी भरे पत्र मिल रहे हों, उसके द्वारा सदन में विशिष्ट संकल्प पेश किए जाने पर हत्या की धमकियां मिलने

पर भी हम कम से कम सुरक्षा लेने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में क्या वह सुरक्षा पाने का पात्र है अथवा नहीं ? मैं आपके पास, सदन के नेता के पास और गृह मन्त्री के पास एक बार से अधिक यह देखने के लिए क्यों जाऊं कि क्या हमारी पार्टी से सम्बन्धित संसद सदस्य को न्यूनतम सुरक्षा

1.00 म० प०

प्रदान की गई है अथवा नहीं ? मैं आपके इस विशेष पुलिस बल का गठन करने का बुरा नहीं मानता, किन्तु आपको भी लोगों के एक अथवा दो वर्गों हेतु तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, जिससे कुछ लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि कुछ व्यक्ति अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जो कठिनाई है वह यह है कि कुछ व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते है जिनके जीवन की कुछ मूल्य है और दूसरो के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। कुल मिलाकर, किसी भी सरकार का आधारभूत कार्य अपने सभी लोगों, देश की चारों दिशाओं मे सभी नागरिको को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसलिए, मैं यह जानना चाहूंगा कि लोगों की एक विशिष्ट श्रेणी बनाने के लिए यह प्रयास क्यों किया जा रहा है। मैं इस बात का बुरा नहीं मानता कि सुरक्षा किसे प्रदान की जाए, यदि यह निर्णय गृह मन्त्री पर छोड़ दिया जाए। हमें देश के गृह मन्त्री पर यह भरोसा करना होगा, कि वह किसी भी व्यक्ति को, जिसे वह आवश्यक समझे, उसे सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, वह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था करें।

इसलिए, मैं सरकार से विधेयक के बारे के स्वरूप का विस्तार करने का अनुरोध करता हू जिससे उन सभी लोगों को शामिल किया जा सके जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। उस आधार पर, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक पर एक बार फिर विचार करें।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है कि क्या देश में नागरिकों के वर्गों को जिन्हें विशेष सुरक्षा चाहिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी है अथवा नहीं। लेकिन, मैं इससे एक कदम हट कर बात कर रहा हूं जो मेरे साथी और वरिष्ठ सदस्य ने कही है। मेरी सदन के नेता और गृह मन्त्री से भी यह अपील है कि वह कृपया खण्ड 2 की वाक्य रचना पर दृष्टि डालें जिसमें कहा गया है "भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री जिसकी हत्या हुई है और भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, जिसकी हत्या हुई हो।" यह क्या शब्द रचना हुई ? वह प्रधानमन्त्री जिसकी हत्या हो चुकी हो वह पहले ही भूतपूर्व प्रधानमन्त्री होता है। तब आपके पास हत्या हुए भूतपूर्व प्रधानमन्त्री की तीसरी श्रेणी कहां से आ गई ? मुझे यह पता नहीं है कि इसका प्रारूप किसने तैयार किया है। इसलिए कृपया इसे पुनः देख लें। मैं मामले के गुणों व अवगुणों के बारे में नहीं जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसका अभिप्राय यह हुआ कि ऐसा प्रधानमन्त्री जो हत्या किए जाने के समय प्रधानमन्त्री न हो।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, आप एक बार इन वर्गों को देख लीजिए। हम हंसी का विषय नहीं बनाना चाहते। (व्यवधान) महोदय, पूरी वाक्य रचना ही ठीक नहीं है। क्या आप आगे भी हत्या की अपेक्षा करते हैं ? मैं समझ सकता हूं कि ऐसी कुछ बातें जरूरी हो सकती हैं, परन्तु केन्द्रीय गृह मन्त्रालय अपनी बुद्धिमत्ता से और सिविल कर्मचारियों, जिनकी काफी संख्या है, से जो मन्त्रालय के पास है निश्चित रूप से एक अच्छा सा प्रारूप और अच्छे शब्दों का समावेश होना चाहिए था। हम मजाक का विषय बनने जा रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, भूतपूर्व मन्त्रियों के मामले भी हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, मैंने आपकी बात आर्थिक मामलों, उद्योग के मामलों पर सुनी है पर इस मामले पर नहीं सुनी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अथवा इसमें भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जिनकी हत्या हो चुकी हो शब्द भी सम्मिलित हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री दिघे जी, मेरे विचार से यह बहुत ही साधारण सी बात है और आपके पास इस पर और अधिक कहने के लिए कुछ भी नहीं है।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर-मध्य) : महोदय, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। सभापति महोदय, श्रीमानजी, इस स्थिति में विधेयक का विरोध करने का एकमात्र आधार सदन की वैधानिक क्षमता है और यह स्थिति श्री जार्ज फर्नान्डीज ने बनाई है। जहां तक जहां तक अन्य माननीय संसद सदस्यों का सम्बन्ध है, उन्होंने विधेयक की वाक्यरचना अथवा हत्या किए गये प्रधानमन्त्री के परिवारों आदि के सम्बन्ध में ही अप्रसन्नता व्यक्त की है। इसलिए, मेरा कहना यह है कि इस अवस्था में अन्य तर्कसंगत नहीं हैं और उन पर कोई विचार नहीं किया जा सकता।

जहां तक वैधानिक सभ्यता का सम्बन्ध है, श्री जार्ज फर्नान्डीज अपना पक्ष रखने में अधिक सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 14 का सन्दर्भ दिया है जिसमें कानून के समक्ष समानता की बात कहीं गई है। जैसाकि आपने ठीक ही कहा है कि, जहां तक अनुच्छेद 14 का सम्बन्ध है न्यायोचित वर्गीकरण की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

यदि प्रधान मन्त्री, जिनकी हत्या की गई है, उनके परिवार के सदस्यों को विशेष संरक्षाग्रुप के द्वारा विशेष संरक्षा देने के उद्देश्य से इस परिभाषा में शामिल किया जाता है तो जहां तक इस अनुच्छेद का सम्बन्ध है, अनुच्छेद 14 किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहरता है।

इस प्रकार, केवल प्रधान मन्त्री की ही सुरक्षा क्यों? आप कह सकते हैं कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तो फिर यह वर्गीकरण क्यों? केवल प्रधान मन्त्री की ही विशेष सुरक्षा क्यों दी जा रही है? यह मेरे विद्वान मित्र की तार्किक दलील हो सकती है। इसलिए यह तर्क अपनी जगह उचित नहीं ठहरता है। जहां तक कानून का सम्बन्ध है विशेष वर्गीकरण किया जा सकता है और संरक्षा ग्रुप दिया जा सकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने मूलभूत कर्तव्यों का भी उल्लेख किया था। मैं नहीं जानता कि वे कहां तक प्रासंगिक है। मूलभूत कर्तव्य नागरिक के कर्तव्य हैं। वे किस प्रकार इस कानून पर प्रहार करते हैं? अनुच्छेद 15( ) में मूलभूत कर्तव्य कोट प्रावधानों का, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है इस कानून से कैसे उल्लंघन होता है? यदि मैंने उसको सही रूप में समझ लिया है तो उन्होंने अनुच्छेद 39(क) में का भी उल्लेख किया है अनुच्छेद 39(क) पूर्वतः समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे है। आप अनुच्छेद 39(क) का उल्लेख कर रहे हैं अथवा अनुच्छेद 39क का।

जहां तक अनुच्छेद 39क का सम्बन्ध है, उसमें कहा गया है : "4 राज्य अपनी नीति का,

विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से (क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो" उसकी किसी भी प्रकार से कोई प्रासांगिकता नहीं है।

अतः जहां तक विधायी क्षमता के तर्क की बात है, विपक्ष का यह तर्क भी बिल्कुल उचित नहीं ठहरता।

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह समझने का प्रयास कर रहा था कि मेरे विद्वान् मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज का इस सदन की विधायी क्षमता के बारे में क्या कहना है। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि इस तथ्य के बावजूद कि इस समय भी कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था परन्तु अधिनियम तो पहले से ही बना हुआ है ......।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह ठीक है। परन्तु विरोध के बावजूद विधेयक पारित हुआ और उस पर कानून बनाया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : विधेय को पारित करने अथवा उस पर कानून बनाने का किसी ने भी विरोध नहीं किया था। लोगों के अपने विचार हो सकते हैं परन्तु जहां तक प्रधान मन्त्री का सम्बन्ध है उस पर एकमत था।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं आशा करता हूं कि इस समय भी माननीय सदस्यों में सर्वसम्मति होना चाहिए (व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह देश भूतपूर्व प्रधान मन्त्रियों के परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा हेतु प्रतिवर्ष 4.5 करोड़ रु० का खर्च वहन नहीं कर सकता। मैं इस बारे में स्पष्ट कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम बगल में हैं, उनकी बहुत पावर है, किसी को भी गोली मार सकते हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं विपक्ष के नेता के इस तर्क से सहमत हूं कि विधेयक की शब्दावली बेहतर होनी चाहिए थी। मैं इन मामले पर गहराई से विचार करके यह देखूंगा कि इसमें किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन यहां मैं यह कह सकता हूं कि यह विधेयक संभावित खतरे को देखते हुए लाया गया है। यदि किसी प्रकार का वर्गीकरण अपेक्षित है और सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के मामले में उसी प्रकार का खतरा है तब हम इस बारे में विचार कर सकते हैं कि क्या विधेयक में संशोधन करना आवश्यक है। परन्तु वर्तमान स्थिति में सरकार की धारणा यह है कि इस समय भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के परिवार के सदस्यों को वास्तव में खतरा है और इसलिए इस विधेयक को आवश्यक समझा गया है। यह समुचित रूप सें सीमित है और न्यायालय की छूट को भी माना गया है। अतः यही कारण है कि मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज से इसके पुरःस्थापन का विरोध न करने का अनुरोध करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने अपने मुद्दे उठाए हैं।

प्रश्न यह है :

"कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

1.10 म० प०

नियम 337 के अधीन मामले

अध्यक्ष महोदय : अब सभा के नियम 337 के अधीन मामलों को लिया जायेगा। श्री पी० सी० चाक्को।

(एक) केरल को उनकी सम्पत्तियों के 'हक विलेख' वितरित करने की आवश्यकता

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : केरल में बहुत सारे किसानों के पास 1977 से पहले की वन भूमि है लेकिन उन्हें उसकी सम्पत्ति के मालिकाना अधिकार नहीं मिले हैं। इन किसानों ने कठिन परिश्रम करके अधिक कृषि उत्पादन किया है और निर्यात के लिए नकद फसलें उत्पन्न करके बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित की है। केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों ने उन्हें मालिकाना अधिकार देने का बार-बार वायदा किया था। केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन किसानों को केन्द्रीय वन अधिनियम के उपबन्धों से छूट देने का अनुरोध किया था लेकिन वह छूट अभी तक नहीं दी गई है। अतः पर्यावरण और वन मन्त्रालय को इन किसानों को मालिकाना हक देने के लिए त्वरित उदम उठाने चाहिए।

(दो) उड़ीसा के कोरापुट जिले में नौरंगपुर में दूरदर्शन केन्द्र खोलने की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : नवरंगपुर संसदीय क्षेत्र भारत में पिछड़ी जाति के लोगों की बहुलता वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र देश के कई राज्यों की तुलना में बड़ा है। और इसकी जनसंख्या मेघालय से अधिक है। इलैक्ट्रानिक माध्यम अर्थात् दूरदर्शन केन्द्र लोगों को शिक्षित करने की नवीनतम प्रणाली है। लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र में कोई दूरदर्शन केन्द्र नहीं है।

अतः मेरा सूचना और प्रसारण मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में शीघ्र ही एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करें।

(तीन) ट्रैक्टर (वितरण और बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1991 की समीक्षा करने और उसे पुनः लागू करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर (कपड़वंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वाजिब कीमत पर किसानों

को ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक सितम्बर, 1971 को दि ट्रैक्टर (डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड सेल) कण्ट्रोल आर्डर जारी किया था किन्तु यह कन्ट्रोल आर्डर 29 जनवरी, 1988 को समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त करने से डीलर अपनी मनमानी करने लग गये हैं। जब कोई किसान अपना ट्रैक्टर बुक कराने के लिए जाता है तो उससे ट्रैक्टर की पूरी कीमत एडवांस मांगी जाती है और उसका ट्रैक्टर आने तक उस पैसे पर ब्याज भी नहीं दिया जाता।

किसानों को ज्यादा ब्याज देना पड़ता है और राष्ट्रीयकृत बैंकों से उन्हें कर्ज अपनी कीमती जमीन गिरवी रखे बिना नहीं मिलता। बगैर ब्याज के उनको ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा जमा कराना पड़ता है, उस पर भी उनको अपनी बारी पर ट्रैक्टर नहीं मिलता।

आपके माध्यम से या माननीय उद्योग मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि इस ट्रैक्टर कण्ट्रोल आर्डर पर पुनः विचार करें और इसे लागू कराने की चेष्टा करें ताकि गरीब किसानों को न्याय मिल सके।

(चार) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड के अन्तर्गत दुर्गापुर में सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्र को शीघ्र सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक (दुर्गापुर) : हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० के अधीन दुर्गापुर स्थित सरकारी क्षेत्र का उर्वरक संयंत्र 18 वर्ष पूर्व 1972-73 में चालू किया गया था। इस संयंत्र की तकनीकी जानकारी इटली के मोनटीकेटिन कम्पनी से प्राप्त की गई थी और देश में पहली बार विस्तृत रूप से इंजीनियरिंग कार्य किया गया। मोनटीकेटीन ने पहली बार ऐसे संयंत्रों के लिए डिजाइन तैयार किया था जो इस संयंत्रों के अनुरूप नहीं था क्योंकि उसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग और सप्लाई सम्बन्धी कमियां थी।

उन कमियों के कारण संयंत्र को आरम्भ से ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था और उत्पादन के सम्बन्ध में इससे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे और न ही इसे लगातार चलाया जा सकेगा। उपकरणों की असफलता की समस्या का मुख्य कारण इस संयंत्र के प्रबंधकों की निरन्तर और बढ़ती हुई लापरवाही है। भारत सरकार ने 1987 तथा 1988 में डेनमार्क की कम्पनी मैसर्स हाल्दर टोप्सो को नियुक्त किया था जिसने इसकी पुनः स्थापना के लिए सिफारिशें की थीं लेकिन सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है।

महोदय, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए। मैं सम्बन्धित मन्त्रालय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि वह पूंजीनिवेश के सम्बन्ध में अविलम्ब निर्णय ले।

(पांच) विद्युत और उद्योग के क्षेत्र में उपयोग करने के लिए बम्बई हाई से गैस दक्षिणी राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु को भेजने की आवश्यकता

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम (तिरुचेंगोड) : बम्बई हाई से प्रतिदिन 61 मिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन हो सकता है। हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर (एच० बी० जे०) पाइपलाइन की बम्बई हाई से उत्तर की तरफ गैस ले जाने की प्रतिदिन निर्धारित क्षमता 39.5 मिलियन घन मीटर है।

21.6 मिलियन घन मीतर अतिरिक्त गैस को एक पाइप लाइन के माध्यम से दक्षिणी राज्यों विशेष रूप से तमिलनाडु से जा सकता था जिसका वहां ऊर्जा तथा उद्योग क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने भारत सरकार को अप्रैल, 1990 में एक अन्तमंत्रालयीय समिति बनाने का सुझाव दिया था। इस समिति की रिपोर्ट और उस पर केन्द्र सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है।

यदि बम्बई हाई से अतिरिक्त गैस को शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाए तो तमिलनाडु सरकार बिजली उत्पादन करने के लिए नये बिजलीघर और गैस-आधारित रासायनिक काम्लैक्सों की स्थापना के लिए योजना बना सकती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस परियोजना को पूरा करने के लिए शीघ्र कदम उठाए।

(छः)　1984 के दंगा-पीड़ितों को दिए गए ऋण माफ करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 1984 दिल्ली के दंगापीड़ितों को राहत देने हेतु गृहविहीनों को घर दिए, उन्हें पुनः बसाने हेतु बैंकों से कर्ज दिलवाए और अनेकों को आर्थिक सहायता भी दी। उस समय चूंकि दंगा पीड़ितों को धन की आवश्यकता थी इसलिए उन्होंने सरकारी शर्तों पर कर्ज लिया।

अब उनके लिए यह बहुत कठिन है कि इन कर्जों पर जो ब्याज लग रहा है, उसका भुगतान भी किया जा सके। दंगा पीड़ितों से ब्याज समेत धन वसूलने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7-11-89 के आदेश में बैंकों को यह आदेश दिया कि जब तक धन वसूलने की नई नीति न हो जाए तब तक कर्ज वसूल न किया जाए। हमारी सरकार से मांग है कि 1974 के दंगों के अन्तर्गत जिन गरीब लोगों जिन्होंने ट्रक, टैक्सी और छोटी-छोटी दुकानों में कार्य करने के लिए धन लिया उनके कर्जे और ब्याज माफ किए जायें तथा 1984 के दंगे में जो लोग दोषी पाए गए हैं, उन्हें सजा दी जाए।

(सात)　भारतीय स्टेट बैंक, विदेश विभाग, कलकत्ता का "ग्राहक केन्द्र" खोलने की नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं भारतीय स्टेट बैंक का विदेशी विभाग अपनी स्थापना के समय से ही विदेशी मुद्रा के निपटान सम्बन्धी कार्य कर रहा है परन्तु प्रबंधकों ने विकेन्द्रीकरण के तर्क के आधार पर अन्य स्थानों पर डीलिंग केन्द्र खोलकर इस कार्य को वहां भेज दिया है। ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी विदेशी मुद्रा दरें बताने के उद्देश्य से यह—

विभिन्न स्थानों पर एक ही प्रकार के कार्य के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करना सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है। सरकार ने 1960 से कलकत्ता से अनेक कार्य दूसरी जगह स्थानांतरित कर रही है और अभी यह प्रक्रिया जारी है।

इस तरह के कार्य करने के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक को धन के अपव्यय से बचने के लिए डीलर के पद को समाप्त करते हुए अन्य स्थानों पर केन्द्र को बन्द कर देना चाहिए, और सभी कार्य कलकत्ता के कार्यालय में वापस लाया जाना चाहिए ताकि प्रबन्ध में कार्यकुशलता आ सके।

मैं वित्त मन्त्री जी से इस मामले पर विचार करने और तदनुसार उचित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध करता हूं।

1.20 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92

उद्योग मन्त्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब हम उद्योग मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए 8 घण्टे का समय आबंटित किया गया है और 14 घण्टे 44 मिनट का समय लिया गया है। श्री निर्मल कांति चटर्जी बोल रहे हैं। वह कुछ समय के लिए ही बोल सकते हैं। इसके बाद, माननीय प्रधान मन्त्री बहस का उत्तर देंगे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : मैं वास्तव में जानता हूं कि समय सीमा नहीं है। किसी भी विशिष्ट मामले में यह था तो बहुत सीमित होता है या कुछ मामलों में यह बहुत ही गम्भीर होता है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां कहीं भी मुझे असंगति मिलती है मैं वहां पर बोलने के लिए मजबूर हो जाता हूं। अतः मैं माननीय प्रधान मन्त्री और उद्योग राज्य मन्त्री से इसे जारी रखने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सोचता कि आप असीमित समय के लिए कह रहे हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : नहीं, महोदय किसी अन्य दिन मैं योजना बनाने के दायरे को सीमित करने के लिए उठाए गए प्रारम्भिक कदमों का उल्लेख कर रहा था। मैंने कुछ आंकड़े दिए हैं। संभवतः मैं केवल रेलवे के बारे में आंकड़े देकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। रेलवे के सम्बन्ध में संशोधित योजनागत निदेश 4916 करोड़ रु० थे। वर्तमान बजट में उसे बढ़ाकर 5,325 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मैंने रेलवे का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि रेलवे ही ऐसा क्षेत्र है जो रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करता है।

हमारे एक युवा मित्र श्री मुकुल वासनिक ने बताया कि अल्प शासन को अर्थ है सुधरा हुआ शासन। दुर्भाग्यवश हम पुराने विचारों को नहीं मान सकते। उस समय जब राज्य और सरकारें व्यस्त थी तो वे केवल कानून और व्यवस्था का कार्य ही करती थीं। जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया तो सरकार के कृत्यों में बढ़ोतरी हुई। मुगल शासन काल या उससे पूर्व भी इमारतों और सड़कों का निर्माण व सिंचाई कार्य सरकार की तरफ से किए जाते थे। किन्तु धीरे-धीरे हमारे आर्थिक क्षेत्र में उद्योगों का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया और उद्योगों मे निवेश किया जाने लगा। यदि अल्प शासन स्थापित करना है तो मैं सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सरकार के कानून और व्यवस्था सम्बन्धी कार्य कम किए जाएं, न कि सरकार के कल्याणकारी कार्यों में कटौती की जाए।

मैं इस तथ्य पर विचार नहीं करूंगा कि हम योजना बनाने में गर्व महसूस करते है। माननीय प्रधान मन्त्री जी इस बात को निश्चित रूप से समझेंगे कि मानव और जानवर में अन्तर सिर्फ इतना

है कि मनुष्य योजना बना सकता है और जानवर में ऐसी क्षमता नहीं होती। मनुष्य अपने लक्ष्य का निर्धारण करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है। अतः या तो इसके लिए प्रयास किए जाएं या योजना बनाने के दायरे को सीमित किया जाए किन्तु यू० एस० एस० आर० के अनुभवों के बावजूद भी इसे मानव की प्रगति के लिए उठाया गया कदम नहीं माना जा सकता।

औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। उन लक्ष्यों में से एक लक्ष्य तीव्र गति से औद्योगीकरण करने के बारे में है। हम सभी जानते हैं कि यह तीव्रता किसलिए है। हम इस लक्ष्य को एक दशक में पूरा करना चाहते हैं जबकि पश्चिमी देशों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक शताब्दी लगी। इसलिए उन सभी की उस पर सर्वसम्मति थी। यह केवल इसका एक भाग है।

जैसाकि मैंने अपने बजट भाषण में भी बताया है कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हमारा देश पीछे रह गया है। विश्व के पहले दस देशों में एक स्थान हमारे देश का था। अब हमारा स्थान विश्व के पहले पन्द्रह देशों में से एक है। मैंने उस समय बताया था कि आजादी के समय हम विश्व व्यापार में 1 प्रतिशत के हिस्सेदार थे जो वर्तमान में घटकर 0.65 प्रतिशत हो गया है और जो यह दर्शाता है कि यह तेजी भी ज्यादा तेज नहीं थी। अपने देश को औद्योगिक बनाने के कारणों में से एक कारण था कि केवल कृषि पर निर्भर लोगों को रोजगार और आवास दिलाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में लगाना था क्योंकि वह हमारी आबादी का भार अब और नहीं सह सकती थी। पिछले दस वर्षों में बहुत कम लोग कृषि को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में गए। उद्योग में 25 प्रतिशत से ज्यादा श्रमिक शक्ति नहीं लगी। इसीलिए, तेजी को हम भूल जाएं। औद्योगीकरण करने का एक कारण रोजगार प्रदान करना भी था। जब हम निजी क्षेत्र के उपक्रम की बात करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि निजी क्षेत्र के उपक्रम में रोजगार के अवसर ज्यादा हैं। मैं आपको सिर्फ आंकड़े बताता हूं। वित्त मन्त्री यहां हैं, वह जानते हैं। माननीय प्रधान मन्त्री यहां हैं और उन्हें भी जानना चाहिए। 1983 में निजी क्षेत्र के उपक्रमों ने 75.52 लाख लोगों को रोजगार दिया। 1989 में निजी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार अवसर घटकर 74.70 लाख हो गए। जब आप यह कहते हैं कि निजी क्षेत्र के उपक्रम परिपक्व हो गए हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि औद्योगीकरण के लक्ष्यों के अन्तर्गत रोजगार भी उल्लिखित था। किन्तु निजी क्षेत्र के उपक्रमों में क्या हुआ? हम यह भी कहते हैं कि औद्योगीकरण से हमने केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नहीं चाहे थे—निश्चय रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम एक यन्त्र था—परन्तु इसके साथ मूलभूत उद्योग, भारी उद्योग भी चाहे थे। हमें यह बात को याद रखना चाहिए। जब हमें स्वतन्त्रता मिली, उस समय देश में कोई खास व्यापार नहीं हो रहा था। हमें उसे बढ़ाना होगा। इनमें से एक तरीका भूमि सुधार था। हमने सोचा था कि भूमि सुधार से औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मण्डी का विस्तार होगा। दूसरी बात उन मूलभूत गैर-उपभोज्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को महत्व देना था जिनसे अधिक आय होगी, जो औद्योगीकरण के लिए मण्डी का विस्तार करेगी।

निश्चय ही कुछ माननीय सदस्य यह अवश्य जानते होंगे कि इस्पात उद्योग ऐसे भारी उद्योग हैं जो उन वस्तुओं से भी पैसा कमा लेते हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए, उपभोज्य वस्तुओं की मण्डी का विस्तार होता है। अब पिछले दस वर्षों में क्या हुआ है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि निवेश करने वाले माल के उद्योगों में सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं हुआ। उपभोक्ता वस्तुओं में सबसे ज्यादा उत्पादन 1980-81 में 100 था। सूची 296 की थी। और जिन लोगों के लिए हम

औद्योगीकरण लाना चाहते हैं—वह है हमारे समाज का गरीब वर्ग। 90% हमारी जनसंख्या उपभोग्य चालू माल को पसन्द करती है—उनकी सूची सिर्फ 158 है—हमारी टिकाऊ उपभोज्य वस्तुओं के उद्योग की लगभग आधी। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको प्रभावी रोजगार का भी एक उदाहरण देता हूं। हम कपड़े धोने की मशीन बना रहे हैं। इसकी लागत 10,000 रुपए के लगभग है। न केवल प्रत्यक्ष रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार कैसे प्रभावित होता है, हम इस पर विचार करें। यदि कोई 10,000 रुपए फिक्स्ड डिपोजिट कराता है तो वह हर महीने 100 रुपए कमा सकता है। उन 100 रुपए प्रति मांह से कोई भी परिवार कपड़ों की धुलाई के लिए किसी को भी अंशकालिक रोजगार प्रदान कर सकता है···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सही नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैंने कपड़ों की धुलाई के लिए अंशकालिक रोजगार की बात कही है ··(व्यवधान) मैं कलकत्ता का हूं। मैं इतना धनी नहीं हूं कि दिल्ली अथवा बम्बई में रह सकूं। मैं जानता हूं कि अंशकालिक रूप से कपड़ों की धुलाई के लिए महिलाएं केवल 40 या 50 रुपए लेंगी।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : महोदय, मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि पिछले दो महीनों से हम कपड़े धोने वाली औरत को ढूंढ़ रहे हैं और उसे हर महीने 100 रुपए से भी अधिक देने को तैयार हैं, पर हमें अभी तक कोई नहीं मिली है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं माफी चाहूंगा, यह दिल्ली है, यह भारत नहीं है। मैं साफ रूप से बताता हूं कि आइए हम कल्पना करें कि देश में अगर एक लाख कपड़े धोने की मशीनें हैं, तो उसका मतलब है कि हम देश में एक लाख लोगों को अंशकालिक रोजगार से वंचित कर रहे हैं। न केवल प्रत्यक्ष रूप से अपितु अप्रत्यक्ष रूप से भी इस तरह के सामान बनाने से रोजगार प्रभावित होता है। इसी तरह, डस्ट-क्लीनर का उदाहरण लीजिए। इन चीजों के विकास ने हमें पिछले दस वर्षों के अन्तराल में काफी आगे ला दिया है···(व्यवधान)

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : हमें टाइपराइटर से भी काम लेना चाहिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हां, यदि आप कर सकें।

महोदय, जब पण्डित नेहरू जीवित थे और जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गयी, तब उसका प्रस्ताव क्या था? क्या हमारी प्रौद्योगिकी में रुचि नहीं थी? बिल्कुल थी। हम केवल उन्हीं स्थानों पर उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी लगाने के इच्छुक थे जहां से या तो हम निर्यात कर सकते थे अथवा जहां देश के और विकास के लिए वास्तव में आवश्यकता थी। वस्तुतः हम अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिए लघु और अन्य उपक्रमों में संसाधनों का आबंटन चाहते थे। जो है हमें उसी में सन्तुष्ट रहना चाहिए और टेक्नोलोजी के साथ अतिरिक्त रूप से विकसित होना चाहिए, चाहे धीरे ही क्यों न हो। वस्तुतः नेहरू और गांधी जी उच्चस्तरीय टेक्नोलोजी को अपनाते हुए एक सुदृढ़ औद्योगिक देश की रचना करना चाहते थे जिससे हमारी घरेलू उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित टेक्नोलोजी का विकास हो कपड़े धोने की मशीन बनाने का प्रस्ताव हमने नहीं रखा था। वह गांधी और नेहरू दोनों का विरोधी

था। यह बात हम याद रखें। इसी प्वांइट पर हमने उन्हें राजी कराया था। पर वैसा हुआ नहीं। आज जब हम इस औद्योगिक पथ को अपनाते हैं तो हम जानते हैं कि अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में हमारे पास साधनों का होना आवश्यक है। क्या साधन हैं ? हम उन्हें तीन तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं। कि उनमें से एक है—वित्तीय तरीका जिसके द्वारा पुरुषों एवं क्षेत्रों के बीच पूंजी और आय की विषमता को दूर करना होगा। इसलिए यह है वित्तीय तरीका। नियन्त्रण करने के और भी तरीके है ताकि निजी क्षेत्र के उपक्रमों को आगे बढ़ाया जा सके। हम निजी क्षेत्र के उपक्रमों की सफलता के खिलाफ नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। अगर कहीं ऐसा कोई विचार है, तो उसे निकाल देना चाहिए। किन्तु उन्हें सही राह दिखाने के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, हमारे पास कुछ खास अधिनियम हैं, नियन्त्रण रखने के तरीके हैं। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम आदि कुछ अधिनियम हैं। विदेशी पूंजी प्रभुत्व के अनुभव के कारण हमारे पास विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम भी है। तीसरा तरीका जिसने औद्योगीकरण को सही दिशा दिखानी थी—वह है सरकारी क्षेत्र के उपक्रम। यह औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण इन क्षेत्रो को भी छूता है और मुझे खुशी है कि यह ऐसा करता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप और कितना समय लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कांति जी, आप पहले ही लगभग 25 मिनट तक बोल चुके हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करने का प्रयत्न कीजिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आप मुझे और कितना समय बोलने की अनुमति देंगे ? मुझे यह बात समाप्त करने दीजिए।

मुझे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका के बारे में बताने दीजिए। इसकी समीक्षा कई कोणों से की जा सकती है। एक यह कि वे अयोग्य और नुकसान करने वाले हैं। इन्हें सभी क्षेत्रों यथा खाद्य-तेल और ऐसी ही अन्य वस्तुओं के क्षेत्र में घुसने की अनुमति कैसे दी गई। मैं यह पेश करना चाहता हूं। अगर आप अर्थव्यवस्था की सक्षमता की बात करते हैं, तो भाड़े के सामान्यीकरण करने में आपको क्या बाधाएं हैं ? आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि भाड़े का सामान्यीकरण कीरत को बढ़ाता है। औसत न्यूनतम से हमेशा ज्यादा होता है। अगर हम चाहते हैं कि भारतीय उद्योग विश्व व्यापार में भाग लें—अगर एकदम से नहीं तो धीरे-धीरे सही—तब आपको भाड़े के सामान्यीकरण को कम करना होगा जिसको किसी मूर्खतापूर्ण क्षण में हमने प्रस्तुत किया। अगर सक्षमता ही मानदण्ड है तो आप उस बात को क्यों नहीं देखते और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते ?

दूसरी बात यह कि जब आप घाटों के बारे में बात करते हैं, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सम्पूर्ण रूप में देखना होगा न कि अकेली ईकाई के रूप में। पिछड़े क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के उपक्रम लगाने और लोगों को वहां आकृष्ट करने के लिए हम वित्तीय छूट देते हैं। क्या यह घाटा नहीं है ? क्या इससे बजट में घाटा नहीं होता ? इसलिए, कुछ मामलों में जब यह विफल हो जाता है तब सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को वहां लगाया जाता है। उन पिछड़े क्षेत्रों में, जहां इसका बुनियादी ढांचा नहीं है, इकाई सथापित करनी होगी। यह सब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को करना है, चाहे इससे हानि ही क्यों न हो। हमें जिस पर विचार करना है, वह कोई छोटा मसला नहीं है। हमें विषय को संपूर्ण रूप से देखना होगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की यही भूमिका आवश्यक है।

यह आरोप लगाया गया है कि इसने खपत के लिए तेल उत्पादन करना क्यों शुरू किया; क्या ऐसा केवल धन कमाने के लिए था ? उन्होंने राज्य व्यापार निगम के विषय में बताया है। इसे हमें विखंडित करना चाहिए अथवा नहीं ? धारा तेल के उत्पादन में हमें हस्तक्षेप करना चाहिए अथवा नहीं ? क्या उस समय हमें कुछ खास उपयोगी वस्तुओं का निर्माण/उत्पादन करना चाहिए जबकि निजी क्षेत्र के उपक्रम उनसे लाभ कमा रहे हों ? हमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को सम्पूर्ण रूप में लाभ कमाते रहने देना चाहिए अथवा नहीं जिससे उसके घाटे, और धारा कारखाने वाली इकाइयां भी शामिल हो जाएं ? यह बृहत प्रस्ताव अवश्य होना चाहिए। वे, जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पूर्णत: दोषी मानते हैं, उस बात को ध्यान से निकाल दें।

महोदय, एक और बात। यह कहा गया है कि निजी क्षेत्र के उपक्रम पूर्णता पर हैं। हिन्दुस्तान मोटर्स पिछले चालीस वर्षों से मोटर कार बना रहा है। क्या इससे कोई प्रमाण मिलता है। हम कई कारणों से मारुति उद्योग से नाखुश हैं। पर याद रखिए कि यही सरकारी क्षेत्र का उपक्रम मारुति उद्योग लिलिटेड था जिसने कुछ शिल्पविज्ञानीय नवीनता लाने के लिए नई ईकाइयों की स्थापना की और कुछ को समाप्त किया। हम जानते हैं कि वह कितनी प्राथमिकता देते हैं। हम जानते है, कि अगर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को हटा दिया जाए तो निजी क्षेत्र के उपक्रम के पास न तो टेक्नोलॉजी रहेगी और न ही मण्डी, निजी क्षेत्र के उपक्रमों में भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आवश्यकता है। अगर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम धन खर्च नहीं करें, तो निजी क्षेत्र के उपक्रम फल-फूल नहीं सकेंगे। यह पिछले 40 वर्षों का अनुभव है। ऐसा रुख अपनाना आवश्यक था। मैं और ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता। पहले ही आज सुबह प्रश्नकाल के दौरान हमने यह जाना कि नियन्त्रणों को हटाने से कैसे लघु उपक्रम भी प्रभावित होंगे। मैं अब विदेशी पूंजी के बारे में बताऊंगा। मैं जानता हूं कि विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में चीन में भी यही हो रहा है। उन्हें सन्दर्भ दिए गए हैं। केवल एक अन्तर है। चीन में विदेशी पूंजी निवेश की यह स्थिति है कि या तो वे रायल्टी भेजने के साथ ही आयात से ज्यादा निर्यात करते हैं अथवा उन्हें अनुमति नहीं मिलती। क्या आप यह कर सकते हैं ? मेरा प्रश्न यहीं से उठता है। निर्यात व्यापार में भी विदेशी पूंजी की मांग है। (व्यवधान) अब, हमारी क्षमता की कल्पना कीजिए। हमारे वित्त मन्त्री उन भारतीय निर्यातकों को रोते रहते हैं जिन्होंने विदेशों को सामान बेचा है। हम उनसे वहां कमाई गई विदेशी मुद्रा वापस लाने के लिए नहीं कह सकते। यह हमारी पहुंच के बाहर है, और हमें आशा है कि अगर विभिन्न देशों को हमारे साथ निर्यात व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए तो व्यापार क्षेत्र में हम उन पर जोर डाल सकेंगे। यही अन्तर हम पाते हैं जब चीन के अनुभव, भारत और चीन के अनुभव के बीच तुलना की बात जब उठती है (व्यवधान) "महोदय, अवश्य ही मैं प्रधान मन्त्री जी को और इन्तजार नहीं करवा सकता।" (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से लाभ कमाना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं है ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हां, सम्पूर्ण रूप में। मुझे इस बात में बिल्कुल सन्देह नहीं है कि सम्पूर्ण रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लाभदायक बनाया जाना चाहिए। इसलिए, सम्पूर्ण रूप में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऐसे क्षेत्रों की अनुमति दी जानी चाहिए जहां से लाभ हो सके, उन्हें केवल निजी क्षेत्र के उपक्रमों के भरोसे नहीं रखना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि यहां सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र के उपक्रम के बीच होड़ है जो आंतरिक निजी क्षेत्र के उपक्रम से सम्बद्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बस कीजिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ठीक है, महोदय। मैं कुछ सन्दर्भों के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

महोदय, नौकरशाही की समस्या तो है। स्थाई सिविल सर्विस कुछ इस तरह की है जिससे हमारा देश बच नहीं सकता। प्रश्न यह है कि इसे कैसे नियन्त्रित किया जाए। सिविल सर्विस को या तो विघटित करके या गैर सरकारी करके या लोगों के हस्तक्षेप द्वारा नियन्त्रित किया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत : यह फिर संवर्गों द्वारा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लेकिन आपकी तरह का मेजर (संगठन) नहीं।

महोदय, मैं लघु क्षेत्र का उल्लेख करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं सभी मामलों के सम्बन्ध में कुछ तथ्य देना चाहता हूं। ये औद्योगिक नीति में दिए गए हैं। आखिरकार क्या हम सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों पर नियंत्रण नहीं रखते है? ऐसा कहा गया है। यह बात लघु क्षत्र की इकाईयों पर भी लागू होती है। सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान, थोड़े बहुत संशोधनों के अतिरिक्त, निजी क्षेत्र के कोषों को भी इजाजत देनी चाहिए जैसाकि बजट में बताया गया है, क्या आप जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों का कार्यनिष्पादन क्या है? हम औद्योगिक खनिजों में 1000 करोड़ रु० खर्च कर रहे हैं। निजी क्षेत्र की रुग्ण इकाईयों में 7,700 करोड़ रु० से अधिक की पूंजी लगी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। सच तो यह है कि सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों ने हमारे देश में सबसे बड़े 20 व्यापारिक घरानों को ऊपर उठाया है। और जैसा कि जे० एम० केन्स ने कहा है कि यही तो आर्थिक नियम है कि यदि गरीब व्यक्ति बैंक में जाता है तो बैंक का उस पर नियन्त्रण होता है और यदि एक अमीर व्यक्ति बैंक में जाता है तो वह बैंक पर नियन्त्रण कर लेता है। आपने इनके लिए लघु क्षेत्र खोल दिए हैं; ऋण की अपलब्धता के नाम पर बड़ी फर्में 24 प्रतिशत का निवेश कर सकती हैं और इसी बीच आपने देश में ब्याज की अनुमति भी दे दी है। क्या आपको यह दावे करने पर शर्मिन्दगी नहीं है कि इससे लघु क्षेत्र की इकाईयों को मदद मिलेगी? जब बैंक अथवा वित्तीय संस्थान ऋण देते हैं तो वे साख को देखते हैं। यदि टाटा ऋण लेने जाता है तो उसे दस प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है और यदि कोई लघु उद्योपति जाता है तो उससे 20 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता हैं। यह बाजार का नियम है। जब आप सभी कुछ बाजार पर छोड़ देते हैं तो आप भूल जाते हैं कि दुर्बल और शक्तिशाली दोनों ही मार्केट में उपस्थित हैं। एम० आर० टी० पी० आयोग को कार्य ही नहीं करने दिया गया है। हम जानते है कि एम० आर० टी० पी० होते हुए भी सबसे बड़े 20 औद्योगिक घराने पिछले 10 या 15 वर्षों में सबसे अधिक पनपे हैं। क्या ऐसा अधिनियम की वजह से है? यदि ऐसा है तो हमें इस पर पुनः ध्यान देना चाहिए। ऐसा सरकार के रूझान की वजह से हुआ है। जोकि सिवाय हमारे पश्चिम बंगाल से, पिछले 20 वर्षों में लाइसेंसिंग नीति के संचालन के बारे में ज्यादा समझता है। लाइसेंस दिए जाने से इन्कार कर दिया जाता था यदि उद्योगपति यह कहता था कि ईकाई पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत ज्यादा विस्तार में बोल रहे हैं। बिना विस्तार में गए भी हम आपके मुद्दे को समझ रहे है। कृपया अपना भाषण समाप्त करिये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, अब मैं समाप्त कर रहा हूं। हम उत्तर प्रदेश में डल्ला सीमेंट फैक्ट्री का अनुभव है। सरकार इसे निजी क्षेत्र को देना चाहती थी परन्तु उसे इसमे सफलता नहीं मिली। श्रमिकों ने इसका विरोध किया। उन्होंने अपना जीवन दे दिया और उसी प्रकार से यहां भी इतिहास का निर्माण होगा। इस देश के श्रमिक लोग चाहेंगे कि उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकारी क्षेत्र को एक माध्यम के रूप में परिसमापन की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि उन्हें तत्स्थानिक नहीं दिया जाता है तो वे सड़कों पर होंगे। जो लोग आपका समर्थन करते हैं और जो यह कहते है कि स्वतन्त्रता सर्वोत्तम है व्यक्तिगत रूप से आपके पास आ रहे हैं और कहते हैं कि उन क्षेत्रों में मत छूट दीजिए जहां दूसरे लोग हैं। जो लोग आज आपका समर्थन कर रहे हैं वही कल आपके पास आकर कहेंगे कि आपने बहुत कुछ कर दिया और उनके हितो की उपेक्षा की है। यहां तक कि उनसे कोष की आपकी आशाएं इन सरलीकरण प्रयासों की प्रक्रिया में खो आएंगी। वास्तव में आप हमारे देश को गिरवी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझते नहीं हैं। मैं आपके देश प्रेम पर भी शक नहीं करता। परन्तु पिछले 10 वर्षों इस सरलीकरण को आपके इस निरन्तरता के अग के रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय विश्व कोष की आवश्यकताओं को देखते हुए बदलना होगा। हम इस आलोचना को कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसको हल करने का कोई तरीका है?

हम देखते हैं कि आज भी ज्यादातर माल रेलवे की बजाय बैलगाड़ियों से उठाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अब आपको समाप्त करना ही पड़ेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : देश में प्रयोग होने वाला ईंधन आणविक ऊर्जा से नहीं अपितु गोबर से मिलता है। हम अभी भी उस जमाने में जी रहे है।

अब हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की बात करते हैं जब आप सोवियत संघ के अनुभवों को बताते हैं, मैं आपको यह बात याद दिला दूं कि यदि विश्व अभी भी मात्र किसी एक बल से जुड़ा है तो वह है बहुराष्ट्र। आप स्वयं को विश्व को बहुराष्ट्र ताकत के साथ जोड़ रहे हैं जोकि वास्तव में विश्व के संसाधनों पर नियन्त्रण रखता है। 67 से 70 प्रतिशत तक औद्योगिक उत्पादन पर आपका नियन्त्रण होता है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विश्व के 80 प्रतिशत से भी अधिक उद्योगों पर वर्चस्व है। आपको उनसे संघर्ष करना होगा। उनके समक्ष घुटने नहीं टेकने होंगे। यदि आप उनसे संघर्ष करते हैं तो हम संघर्ष में हम आपके साथ हैं। यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमारी तरफ से भाड़ में जाइये।

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं उन माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सम्भवतः उद्योग मंत्रालय की मांगों पर आज तक की सबसे लम्बी चर्चा में भाग लिया।

श्री इन्द्रजीत : यह बहुत लम्बी चर्चा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह बहुत ही लम्बी चर्चा थी एवं इसमें अनेक मुद्दों को दोहराया भी गया था। परन्तु तत्कालीन माननीय सदस्य मुद्दों की पुनरावृति करने के उतने ही हकदार हैं जितने कि नये मुद्दे उठाने के। अतः मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं।

मैं प्रत्येक माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए मुद्दों पर अलग-अलग उल्लेख करने के बजाय उनके द्वारा औद्योगिक नीति के बारे में कही गई कतिपय मुख्य बातों तक ही अपना भाषण सीमित रखूंगा और मेरे विचार में यह पूर्ण चर्चा को कवर करने में पर्याप्त रहेगा।

कुछ सदस्यों ने अपने सम्बन्धित क्षेत्रों की कतिपय औद्योगिक समस्याओं के बारे में भी उल्लेख किया है। प्रत्येक सदस्य अथवा उनमें से कईयों का यह वैध मुद्दा है।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि उनके भाषणों, चर्चाओं का अध्ययन किया जाएगा और उनके द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों के बारे में सरकार की ओर से उन्हें उत्तर दिया जाएगा। ताकि कोई भी सदस्य यह न समझे कि उसके अपने क्षेत्र अथवा उसके द्वारा उठाये गए विशिष्ट मुद्दे पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारी ऐसी मंशा नहीं है।

नई औद्योगिक नीति के बारे में सबसे प्रथम यह आलोचना की गई है कि इस नीति का निर्माण बाहरी ताकतों के दबाव में किया गया है अथवा यह पुरानी औद्योगिक नीति से एकदम अलग है।

मैं नम्रपूर्वक यह कहना चाहूंगा कि इनमें से कोई भी आरोप सच नहीं है यह औद्योगिक नीति कांग्रेस के हाल के चुनाव घोषणापत्र पर आधारित है। औद्योगिक नीति में तो कुछ है उसी का वायदा किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने समस्या का समाधान निर्यात संवर्द्धन, कारगर आयात प्रतिस्थापन करके तथा उत्पादकता को बढ़ाकर करने का वायदा किया था। औद्योगिक क्षेत्र में विशेषतः एक अच्छी नीति के ढांचे को बनाने का वायदा किया गया था जिससे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने विनियमन प्रणाली का सरलीकरण, नई प्रौद्योगिकी का ईजाद करने एवं आम व्यक्ति के फायदे के लिए व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी।

महोदय, यह घोषणापत्र अचानक नहीं बनाया गया है। यह चालीस वर्षों के लम्बे अनुभव के तर्कसंगत परिणाम से उत्पन्न हुआ है। नीति सम्बन्धी वक्तव्य समय-समय पर, दशकों से सम्भवतः एक ही दशक में एक से अधिक बार दिए गए हैं। अतः एक निरन्तरता है, सभी वक्तव्यों के पीछे एक तर्कसंगत सिलसिला है और यह कहना सही नहीं है कि इस नीति में अचानक से कुछ लाया गया है जोकि पहले नहीं था। यह तो मात्र एक विस्तरण है। यह भी विगत के अनुभवों से ही बनाई गई है। यदि किन्हीं क्षेत्रों के प्रति हम अनिश्चित रहे, और किन्हीं क्षेत्रों में यदि आधा कार्य कर पाये और हमें आशानुरूप लाभ नहीं मिला तो हमने इसी दिशा में कुछ और तेजी लाने तथा कुछ कठिनाईयों को कम करने एवं कार्य में विघ्न डालने वाली कुछ और समस्याओं को हल करने की आवश्यकता को साबित कर दिया है। अतः साधारणतयः यह पुरानी नीतियों का ही विस्तार है इसमें कुछ भी नया नहीं है। अतः यह कहना कि बाहरी ताकतों के दबाव से ऐसा किया गया है, एकदम गलत होगा।

एक और आरोप यह लगाया गया है कि पंडित नेहरू जी की औद्योगिक नीति को तिलांजलि दे दी गई है। मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं और फिर से कहूंगा कि यह सच नहीं है। यह आरोप भी सच्चाई से कोसों दूर है।

मैं 1956 की औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प का उल्लेख करूंगा जिसने देश में एक मजबूत और विविध औद्योगिक आधार की नींव रखी थी और जो हमारी औद्योगिक नीतियों और प्रक्रियाओं में मार्गदर्शक का काम करती रही है। यह पण्डित नेहरू जी को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है 1956 की औद्योगिक नीति में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे वे आज भी सही तथा प्रासंगिक हैं। इस नीति का मूल उद्देश्य देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बुनियादी तथा महत्वपूर्ण उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के जिम्मे सौंपा गया था। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। उस समय जो नीति थी, उसमें जो आधारभूत था उसे सरकारी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। यह भी स्पष्ट था कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनमें सरकार के अतिरिक्त पूंजी निवेश के लिए कोई भी तैयार नहीं था। यह एकदम साफ है। हमने विश्व की नीतियों को देखा है। इन्दिराजी ने इस पर अनेकों बार बोला है। भिलाई इस्पात योजना कैसे बनी ? हम अन्य देशों के सहयोग से इस्पात संयंत्र बनाना चाहते थे ? उन्होंने कहा : "आपको इस्पात संयंत्र की क्या आवश्यकता है ? आपको इस्पात संयंत्र की जरूरत नहीं है। हम हैं, हम आपको इस्पात की आपूर्ति करेंगे।" परन्तु हम आत्म-निर्भर होना चाहते हैं, हम इस्पात संयन्त्र चाहते हैं। हम इन प्रमुख उद्योगों को स्थापित करना चाहते हैं और उस समय सोवियत संघ के अतिरिक्त कोई भी हमारे साथ काम नहीं करना चाहता था। इसीलिए हम इस्पात संयन्त्र की स्थापना करनी पड़ी थी क्योंकि हम देख सकते थे कि उनके इंकार में एक योजना थी। यह न सिर्फ कहना मात्र ही था : "नहीं, हम इसे नहीं कर सकते। हम आपको नहीं दे सकते।' परन्तु यह कहा गया था : "हम इसे आपको नहीं देंगे।" इस इन्कार के पीछे एक योजना थी इसीलिए हमने इसे करने का निश्चय कर लिया। अब समय बदल गया है। आज फिर से सरकारी क्षेत्र उन क्षेत्रों में जा सकता है जहां निजी क्षेत्र नहीं जाएगा।

2.00 म० प०

जहां अत्यधिक मात्रा में पूंजी निवेश करना आवश्यक है, नीति मे स्पष्ट रूप से यह दिया गया है कि वहां सरकारी क्षेत्र पूंजी निवेश करेंगे। आज हम सरकारी क्षेत्र के विस्तार की बात कर रहे हैं। लेकिन धन कहां से आयेगा ? मुझे बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र में पहले ही एक लाख करोड़ रुपये के लगभग का पूंजी निवेश किया है। इससे वास्तव में वह लाभ नहीं हुआ है जोकि सरकारी क्षेत्र के लिए इससे अपेक्षित था। अब राज्य और सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि उतने संसाधन जुटा पाये जिनके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र का उपयुक्त विस्तार हो सके। आज यह एक कटु सत्य है। इसलिए हम यह नहीं सकते कि सरकारी क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। हम जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। हमने पाया है कि यह लाभदायक है और कई तरीके से लाभदायक है। हम कुछ क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र और इसके कार्यनिष्पादन से खुश हैं लेकिन इसके अपने विस्तार के लिए भुगतान किए जाने के अत्यधिक जटिल क्षेत्र में हम इसके कार्यनिष्पादन से बिल्कुल खुश नहीं हैं। इसलिए आज हमें दूसरे रास्तों का पता लगाना पड़ेगा क्योंकि जो कुछ भी आप सरकारी क्षेत्र मे उत्पादन करते हैं वह पर्याप्त नहीं है। आप कितना उत्पादन कर लेंगे ? इस देश में उर्वरकों का 36 या 37 प्रतिशत। यही इस्पात के मामले में है, यही प्रत्येक इस चीज के बारे में जिसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में किया जाता है। और जब तक आप सरकारी क्षेत्र का विस्तार नहीं करेंगे जिसके लिये धन नहीं है, आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी। इसलिए या तो हमें आयात करना पड़ेगा या विविधता लानी पड़ेगी और यह उन क्षेत्रों को सौंपना पड़ेगा जहां उसी मात्रा में उसी तरह का उत्पादन करना सम्भव हो। इसलिए यह प्रश्न के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण है। कोई सैद्धान्तिक दृष्टिकोण नहीं है। यदि कार्यकुशलता को लेते हैं, तो चाहे यह गैर-सरकारी अथवा सरकारी, कोई भी अकार्यकुशल उद्योग नष्ट हो जाएगा। वह टिक

नहीं पायेगा। आज हमारा सम्पूर्ण विश्व के साथ मुकाबला है। भारत का इन्जिनियरिंग ग्रेजुएट भारत के नान-इन्जिनियरिंग ग्रेजुएट से बहुत अधिक अच्छा है। लेकिन उसे अन्य देशों के इन्जिनियरों के साथ मुकाबला करना पड़ता है।

भारत के उद्योग को अन्य देशों के उद्योगों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। और यदि हम यह सोचते हैं कि इस देश में हम अकेले रह सकते हैं या हम अलग रह सकते हैं, मेरे विचार से यह उचित नहीं है और यह सम्भव भी नहीं है। सभी अन्य देश जिनकी केन्द्रित अर्थव्यवस्था हैं, परस्पर सम्बन्ध रखते हुए बड़े जोर-शोर से विश्व अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। हमने पहले ही बड़े जोर-शोर से विश्व अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। हमने पहले ही बड़े जोर-शोर से विश्व अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर लिया है। लेकिन वास्तव में हमें विश्व अर्थव्यवस्था में अपने लिए स्थान बनाने के लिए अपने आपको तैयार करना पड़ेगा। और यही समय की मांग है। यही कारण है कि हमें प्रतियोगी होना पड़ेगा। यही कारण है कि हमें लागत प्रभावकारिता के बारे में सोचना पड़ेगा। यही कारण है कि हमें नवीनतम टेक्नोलाजी के बारे में सोचना पड़ेगा।

टेक्नोलाजी की बात पर आते हुए, निर्मल बाबू ने हमें उपयुक्त टेक्नोलाजी के बारे में कुछ बताया है। यदि आपके पास वाशिंग मशीन है, तो आप कितने व्यक्तियों को रोजगार से बाहर कर रहे हैं? एक बात यह है, दूसरी तरफ यदि आपके पास बनाई हुई एक लाख वाशिंग मशीनें हैं, तो आप कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कितने व्यक्तियों को?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमें गिनती करनी चाहिए। आप किस तरह का रोजगार दे रहे हैं, आप रोजगार में किस तरह की विविधता ला रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कपड़े धोने की मशीन के उत्पादन पर जो संसाधन प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यही बात है। यदि आप उसे एक मापदण्ड के रूप में लेते हैं तब आप एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जिसमें केवल नोकर ही रहते हों। यही बात है। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह आपका विचार है··· (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप हमारे महिला समाज को दुखपूर्ण जीवन की ओर ले जाना चाह रहे हैं। यही विविधता आवश्यक है। यही कारण है कि हमने अब तक उन्हें कोई शिक्षा नहीं दी है।

उसे शिक्षित होने दो। जिस क्षण आप उसे शिक्षित कर देंगे उसी क्षण वह वाशिंग का कार्य करने से इन्कार कर देगी। आज हम एक समाज की बात कर रहे हैं जो स्वयं शीघ्रता से बदल रहा है। और यदि आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि परिवर्तन हो रहा है, तब आप घटनाओं से मात खायेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। यह कहना बहुत आसान है कि "आप व्यक्तियों को रोजगार से बाहर कर रहे हैं।" लेकिन किस तरह का रोजगार? (**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : उपभोक्ता की टिकाऊ वस्तुओं की उत्पादन दर बहुत कम हो गई है। मैं आपको चैलेंज करता हूं। क्यों ? इसे बेचा नहीं जा सकता। **(व्यवधान)**

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्री निर्मल बासु द्वारा उठाया गया प्रश्न पूर्णतया भिन्न है। हम आधुनिकता चाहते हैं; हम आधुनिक समाज चाहते हैं, हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें प्रत्येक सदस्य का कुछ जीवन हो। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उत्पादन माईनस रोजगार ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : आप केवल तीन प्रतिशत की बात कर रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं तीन प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूं। यहां एक उदाहरण है। मैं केवल एक विशेष उदाहरण के बारे में कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। मैं एक भारत की बात कर रहा हूं जो अन्य राष्ट्रों के समान होना चाहता है। भारत हमेशा के लिए पीछे नहीं रहना चाहता। भारत सदा के लिए पिछड़ा हुआ नहीं रहना चाहता। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : व्यक्तियों का कौनसा सैक्शन उन वाशिंग मशीनों का उपयोग करेगा ? हमारे देश के उन 50 प्रतिशत व्यक्तियों का क्या होगा जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्री आचार्य, मैं इसको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह किसी के लिए सम्भव नहीं है कि वह भारतीय समाज को हमेशा पिछड़ा हुआ रखे। किसी भी कीमत पर हमें आधुनिक होना पड़ेगा, हमें प्रतियोगी होना पड़ेगा, हमें अन्य व्यक्तियों के साथ सम्पर्क बनाना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस बारे में हमें अत्यधिक स्पष्ट होना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : गरीब व्यक्तियों की कीमत पर। **(व्यवधान)**

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित कुमार पांजा) : पश्चिम बंगाल में बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है। 187 बड़े उद्योग पड़े हैं। और लगभग 7000 छोटे और माध्यमिक उद्योग बन्द पड़े हैं **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : यह आपकी नीति के कारण है। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आधुनिकीकरण के उद्देश्य से, करघा क्षेत्र को तत्काल ही समाप्त कर दिया जाएगा और केवल उच्च टेक्नोलाजी की यूनिटें ही रहेंगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : करघा क्षेत्र को कभी समाप्त नहीं किया गया है। यह कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। आगे बताया गया कि हमारे पास आठ तकली वाला अम्बर चरखा है जो अब बाजार में आ गया है और अगले कुछ दिनों में इसका उद्‌घाटन होने वाला है। **(व्यवधान)** इस देश में ये सभी समावस्थित होने जा रहे हैं और इनमें से प्रत्येक को पनपने की अनुमति दी जाएगी। यही औद्योगिक नीति है। इनमें से किसी को समाप्त होने की अनुमति देने का प्रश्न नहीं है। प्रत्येक विशेष क्षेत्र के अन्दर मुकाबला होना है। बड़े और छोटे और माध्यमिक क्षेत्रों के बीच मुकाबला नहीं होना है। उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि यह नीति का सार है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह आंखों देखा विवरण है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं निहायत प्रशंसा करता हूं, उन्होंने कहा कि भारत पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा। आधुनिकता के उनके अपने विचार हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के कितने प्रतिशत लोगों को इस उन्नति का लाभ मिलेगा। उनकी अभिगणना क्या है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वर्द्धमान संख्या, इस देश की वर्द्धमान संख्या को लाभ होगा। उनकी आय में वृद्धि होगी। उनके जीवन में सुधार होगा और यही औद्योगिक नीति का उद्देश्य है। यह कहना सत्य नहीं है कि इस औद्योगिक नीति से केवल छोटी श्रेणी के लोगों को लाभ होगा। वो दिन लद गए हैं और यह सम्भव नहीं है। गांवों से शुरू होकर महानगरों तक पूरे देश में उद्योग फैल जाएंगे। किसी भी चीज को केवल महानगरों, शहरों में स्थित करने का प्रश्न ही नहीं है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में बाहर से उद्योग क्यों आ रहे हैं ? वे उदारभाव से नहीं आ रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : सस्ते मजदूर ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वे उदारभाव से नहीं आना चाहते। उन्हें यहां कतिपय सुविधाएं मिलती हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य : शोषण करने की ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम उन्हें शोषण करने की अनुमति नहीं देंगे ।'

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसका प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि यहां तक कि भारत का पहले पांच प्रतिशत का व्यापार इतना बड़ा है जितना कि फ्रांस का ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इन सभी पुरानी रूढ़िवादिनाओं को बदलना पड़ेगा। उन्होंने हर जगह परिवर्तन किया है और आप और मैं वर्षों से उन्हें केवल देख रहे हैं। हमें अपने आप को देखना चाहिए। हमें हमारी अपनी सम्भावनाओं और हमारे अपने क्षेत्र को देखमा चाहिए। पुरानी बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं। उससे हमें किसी तरह की सहायता नहीं मिलने वाली। हमें हमारे अपने हालातों के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें यह सोचना पड़ेगा कि भारत के लिए क्या अच्छा है। यह महत्वपूर्ण है। जो इसमें है वह इन अर्थों में महत्वपूर्ण है कि इससे भारत और भारत की औद्योगिक रूपरेखा का नक्शा बदल जाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं और विनाश के लिए नीतियों को क्रियान्वित कर रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमने अपने समक्ष एक माडल रखा हैं। (**व्यवधान**) हमें समझना चाहिए। हमें अपनी पुरानी गलती स्वीकार करनी चाहिए। हमें विकृतियों को स्वीकार करना चाहिए। केवल तभी हम कुछ उन्नति कर पाएंगे। यह संभव नहीं है कि जो कुछ हुआ है या जो कुछ होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं या जो कुछ नहीं हुआ, इनकी तरफ से हम अपनी आंखें बन्द रखें और सैद्धान्तिक

रहें। यह प्रगति का रास्ता नहीं है। हमें फलमूलक होना चाहिए, हमें यह देखना पड़ेगा कि हमने कहां गलती की है और हमें उन गलतियों को ठीक करना पड़ेगा।

सरकारी क्षेत्र के बारे में, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि उन क्षेत्रों में सरकारी उपक्रम के विस्तार की बहुत ही कम गुंजाइश है जहां पर इसका अभी तक प्रभुत्व रहा है। इसे तो अब नये क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के उन अद्यतन क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा जिनके लिए अधिक पूंजी निवेश और उच्च प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता है। अगर यह उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाता है तब हमारा देश पुन: पिछड़ जाएगा और यह पिछड़ा हुआ ही रहेगा।

यह सत्य है कि गैर-सरकारी क्षेत्र अग्रणी न बने। गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुसरण करना चाहिए और मैं निर्मल बाबू की बात से सहमत हूं कि सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह बात तो हम कहते रहे हैं, कि राजीवगांधी ने यह कहा, इन्दिरागांधी ने यह बात कही थी, सरकारी क्षेत्र का भी यह मान्य सिद्धान्त रहा है; यही एक कारण है कि सरकारी क्षेत्र अस्तित्व में रहा है और यह आगे भी रहेगा। अत: सरकारी क्षेत्र को समेटने अथवा इसे समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है। इसे नए क्षेत्रों में प्रवेश करना है; यह नए क्षेत्रों में अग्रगामी बनेगा; इसे देश में उद्योगों में अग्रणी की भूमिका निभाता रहेगा।

जहां तक लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि सभी कठिनाईयों को समाप्त कर देने लाइसेंस देने की प्रक्रिया, आदि और उद्योग तथा औद्योगिकरण को पहले से और अधिक सरल बना देने में कोई आपत्ति है।

मेरे विचार से इस पर कोई गम्भीर आपत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि इसका कारण यह है कि उद्योग शुरू करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति संसद, संसद से बाहर और सभी जगह शिकायत करता है।

युवाओं को जगह-जगह की खाक छाननी पड़ती है और वे इन बातों की बड़ी कटु शिकायतें करते रहते हैं। आज यदि हम इन शिकायतों को दूर कर रहे हैं, तो किसी को भी शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूंगा कि ये सब बातें विगत की हो जाएगी। मानवीय स्वभाव के कारण कुछ कठिनाइयां तो पैदा होती ही रहती हैं। लेकिन विभिन्न कारणों से हमने जो बाधाएं खड़ी की थी, वे तो समाप्त हो जाएंगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसका अर्थ यह हुआ कि कोई नियन्त्रण नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : निर्मल जी माननीय प्रधान मन्त्री जी सभा को सम्बोधित कर रहे हैं। वह केवल आपको ही सम्बोधित नहीं कर रहे हैं। अत: वह जो कुछ कहते हैं, कृपया प्रत्येक बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त मत कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यही तो मैंने सोचा था। वह न तो हमें और न ही देश को सम्बोधित कर रहे हैं।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : वह मेरा ध्यान केवल अपने तक ही सीमित करना चाहते हैं क्योंकि वह कह रहे थे कि वह अपना भाषण समाप्त करके मुझे अनुग्रहित कर रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़ गढ़) : इन सभी प्रक्रियाओं की बाधाओं को समाप्त करने और नौकरशाही सम्बन्धी आवश्यकताओं आदि के सम्बन्ध में माननीय प्रधान मन्त्री जी ने जो कुछ कहा है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन जैसे ही वह दूसरे प्रश्न पर बात कर रहे हैं, मुझे उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तीन नए उपायों की घोषणा की गई है—नई व्यापार नीति, नई वित्तीय नीति और नई औद्योगिक नीति। लेकिन साकल्पवादी स्तर पर जो समनुरूपी परिवर्तन किए जाने चाहिए थे, उदाहरणार्थ कह सकते हैं कि सीमाशुल्क अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों अथवा विनियमों में जब तक साथ-साथ परिवर्तन नहीं किए जाते, प्रधान मन्त्री महोदय, जिस तेजी से और जो परिवर्तन आप लाना चाहते हैं, वह नहीं हो पाएगा—क्योंकि नीति में साकल्पवादी परिवर्तन और सभी कानूनों में साथ-साथ परिवर्तन जब तक सरकार द्वारा नहीं किए जाते हैं, परिवर्तन में व्यवधान पड़ेगा और इसे हमें भुगतना पड़ेगा। यह बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था, महोदय।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, यह बात हमारे ध्यान में है, माननीय सदस्य महोदय का धन्यवाद। अब हम नियमों, विनियमों में परिणामी परिवर्तन करने और जहां वे समाप्त करने हैं, उन्हें करने के काम में लगे हुए हैं, जिन्हें समाप्त करना है, और जिनमें संशोधन करना है, उसे किया जा रहा है।

कल ही एक प्रस्ताव आया था कि पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की एक गतिविधि को न्यूनाधिक रूप से बन्द कर दिया जाए। हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं। हमें यह देखने के लिए कुछेक दिन और लगेंगे कि क्या किसी कार्य को चलते रहने दिया जा सकता है। अतः इस प्रकार इन सभी मामलों में जांच की जा रही है। कुछ के सम्बन्ध में आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मैं आपको पूरी सूची नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इस तथ्य के प्रति हम पूरे सचेत हैं कि कोई भी नीति अनुवर्ती कार्यवाही—नौकरशाही, नियमों, विनियमों में सभी तरह की अनुवर्ती कार्यवाही के बिना कोई नीति नहीं रहती इससे हम अधिक आगे नहीं बढ़ सकते। इस पर कार्यवाही की जा रही है, मैं इस सम्बन्ध में सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा।

जहां तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सम्बन्ध है, मुझे वास्तव में यह मालूम नहीं है कि अभी भी उनका भय क्यों हमारा पीछा करता रहता है। मैं सभा से निवेदन करना चाहूंगा कि हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में जो यह सोचते थे कि वह बाहर से आने वाला एक महाकाय दैत्य है, आज हमें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भारतीय उद्योग किसी भी मानक से किसी भी क्षेत्र से होने वाली प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकता है। इसने अपनी सामर्थ्यता सिद्ध की है। इसने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता सिद्ध कर दी है।

जहां तक कतिपय क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं जहां हमारे उद्योग अन्य उद्योग से मुकाबला करने की स्थिति में है। जब तक आपके पास अपनी अनुसंधान और विकास की सुविधा नहीं है, आप मुकाबला नहीं कर सकते। पहली बार आप बाहर से प्रौद्योगिकी ले सकते हैं। लेकिन भारत साल दर साल बाहर से प्रौद्योगिकी का आयात नहीं कर सकता। जैसे ही वे प्रगति करते हैं, आपको भी अपनी प्रौद्योगिकीय का विकास करना होगा। ये नए सुधार नई नीति के अन्तर्गत ही सम्भव है। पहले यह सम्भव नहीं था क्योंकि हम हर समय प्रौद्योगिकी का आयात करते रहते थे। शुरू में हम तैयार माल का आयात करते थे। बाद में हमने केवल प्रौद्योगिकी का ही आयात करना शुरू कर दिया था। अब समय आ गया है कि जबकि आप प्रौद्योगिकी का निरन्तर आयात नहीं कर सकते। आपको देश में ही प्रौद्योगिकी का स्तर और ऊंचा करना पड़ेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : इसीलिए आप बहुराष्ट्रीय निगमों को आमंत्रित कर रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : बहुराष्ट्रीय निगमों को हम उनकी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने हेतु, रोजगार हेतु और अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। यह पहले भी हुआ है। भारतीय उद्योग में बाहर जहां कहीं से भी हमें प्रौद्योगिकी प्राप्त हुई है, हमने उसे विकसित किया है। हमने अपने अनुसंधान और विकास को विकसित करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। और यह पर्याप्त नहीं है। मुझे पता है कि इस प्रक्रिया में अभी भी तेजी लाई जानी है।

हमें प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास कार्यक्रम में अधिक पूंजीनिवेश करना होगा। केवल तभी हम प्रतियोगी बन पाएंगे। लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं। आप अपनी प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास कार्यक्रम में अकारण ही प्रतिस्पर्धात्मकता नहीं रख सकते। (व्यवधान) यह जानबूझकर करना होगा। यह सर्वत्र ही करना होगा। यह एक सतत प्रक्रिया है।

अतः हम यह समझें कि यह एक नया युग है। हम एक नए युग में जी रहे हैं। भविष्य का पूरा नक्शा हमारे सामने नहीं है। हमें राह से हटकर चलना होगा। हमें नई राहें बनानी होंगी और आवश्यक हुआ तो बाधाएं हटानी होंगी। नए रास्ते अपनाने होंगे। इस देश के प्रत्येक गांव में दस्तकारों को बेहतर औजार उपलब्ध कराने होंगे, भारत के जो परम्परागत उत्पादक हैं, पैदा करने वाले हैं, उन्हें और अच्छी सुविधाएं देनी होंगी। वे नए औद्योगिकरण में हिस्सेदार बन कर आएंगे। यह केवल बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में ही नहीं है, यह केवल बाहर से आने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में ही नहीं है, बल्कि जो देश के अन्दर पैदा होता है, उसके सम्बन्ध में भी होगा। यदि हमारे क्षेत्र लघु और छोटे हैं, हम उनके साथ सहायक इकाईयां लगाना चाहते हैं। यदि हम सहायक/अनुषंगी इकाईयां नहीं लगाएंगे तो लघु क्षेत्र का विकास नहीं होगा। अब वह समय आ गया जब हम केवल गांव में बनी चीजें ही इस्तेमाल करते थे। हम गांव में बनी हुई चप्पलें ही इस्तेमाल करते थे। हम गांव में बनाई हुई रस्सियां ही प्रयोग करते थे। आज एक ग्रामीण उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हमें यह समझना चाहिए। वह बाटा के जूते/चप्पलें प्रयोग करता है। शहर से नाइलान की रस्सी खरीदता है। इस तरह से सभी चीजों में परिवर्तन आ रहा है।

इस बदलती हुई दुनिया में, यदि आप प्रत्येक स्तर पर औद्योगिकरण का ढांचा नहीं बदलते, तो मुझे डर है कि ग्रामीण समाज में बिल्कुल प्रगति नहीं होगी। इस तरह से, औद्योगीकरण गांव से ही शुरू करना है। एक ग्रामीण होने के नाते, मैं समझता हूं कि प्रत्येक गांव में बेहतर आधार और प्रौद्योगिकी के साथ नए उद्योग लगाने होंगे। (व्यवधान)

एक बड़े उद्योग को बने रहने के लिए सैंकड़ों, हजारों लोगों की सहायता लेनी होगी। जहां कहीं भी हमारे बड़े-बड़े उद्योग हैं, उनमें यही हो रहा है। इससे लोग बेरोजगार नहीं हो रहे हैं, इनसे तो लोगों को रोजगार मिल रहा है।

इसके पश्चात् सर्विसेज के बारे मे क्या विचार है? यह कोई विनिर्माण/उत्पादन का क्षेत्र नहीं है। सेवा क्षेत्र के बारे में क्या स्थिति है? यदि कोई उद्योग है तो उसमें काम करने के लिए कितने लोगों को रोजगार मिलता है? यह एक विस्तृत होने वाली गतिविधि है जिसका नित्य फैलाव होता रहता है।

इसी तरह से बढ़ती रहती है। जैसाकि मैंने कहा कि मेरे पास तैयार नक्शा नहीं है। लेकिन मैं देख सकता हूं कि इस औद्योगिक नीति का परिणाम वे समूचे देश के लिए अच्छा होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : समूची जनसंख्या के लिए ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी, हां।

हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का स्वागत करते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ? हमने देखा है कि प्रथमतः इस देश में पर्याप्त निवेश नहीं किया गया है। दूसरे, इसके साथ प्रौद्योगिकी भी नहीं लाई जाती। हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान, बाहर-विदेशों से प्रत्यक्ष निवेश कम होता रहा है। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। लेकिन इसकी किंचित ही आवश्यकता होगी। यह तो ऐसा तथ्य है जो सिद्ध हो चुका है। जबकि अन्य देशों में विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि हो रही है। यह कोरिया में बढ़ रहा है और मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे अन्य विकासशील देशों में निवेश में वृद्धि हो रही है। इन सभी देशों में तेजी से विदेशी पूंजी निवेश हो रहा है। मैं केवल यह बात नहीं समझ सकता कि भारत में यह पूंजी निवेश तेजी से कम क्यों हो रहा है और हम विदेशी पूंजी निवेश को आमन्त्रित करने में क्यों सकुचा रहे हैं। इसका कारण हमारी अपनी हीनभावना के सिवाय कुछ नहीं है। हम उन लोगों से अपने को हीन महसूस करने लगते है जो यहां आ रहे हैं अथवा जिन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं। महोदय, इस प्रकार की ग्रंथि पालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसाकि मैंने कहा है कि हमने दूसरो के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा की है और हम भविष्य में भी प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। और किसी भी स्थिति में हमें हीनभावना के आधार पर अपनी नीति नहीं बनानी, बल्कि इसका आधार राष्ट्रीय आत्मविश्वास होना चाहिए। इसीलिए, जो नीति है, वह इसी आधार पर बनाई गई है, और मैं माननीय सदस्यों से नीति के इन्हीं पहलुओं की ओर गौर करवाना चाहता हूं।

महोदय, (एम० आर० टी० पी०) एकाधिकार तथा निर्बंधनकारी व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों के सम्बन्ध में भी कतिपय टिप्पणियां की गई हैं। इसके अलावा, हमने एम० आर० टी० पी० सम्बन्धी विचार अब से 20 से 30 वर्ष पूर्व सम्भवतः 1964 में अपना लिया था। आज इसका परिणाम क्या रहा है ? हमने इसका कार्यान्वयन जिस एक तरीके से हो सकता था, करने का प्रयास किया। किसी ने भी हमें नहीं बताया कि इसे कार्यान्वित करने का दूसरा ढंग भी होता है। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसका विशुद्ध परिणाम यह रहा है कि इसे कार्यान्वित ही नहीं किया गया। एम० आर० टी० पी० आयोग के किसी भी चेयरमैन की रिपोर्ट पढ़िए और उसके द्वारा की गई आलोचना को देखिए। (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार के सम्बन्ध में काफी व्यापक कानून है। हम इसे केवल उसी तरीके से कार्यान्वित करते हैं जैसे कानून हमें इसे कार्यान्वित करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। इसे कार्यान्वित करने का कोई दूसरा तरीका नहीं रहा है। बात केवल यह है कि इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। कोई भी प्रवेश-पूर्व प्रतिबन्ध कार्य नहीं कर सकता और इससे केवल उद्योग को सीमित कर दिया जाएगा। इनसे उद्योग को कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा यदि आपके समक्ष उद्योग शुरू करने से पहले ही प्रतिबन्ध हो। अतः पिछले 25 से 28 वर्षों के अनुभवों के पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि पूर्व-प्रवेश प्रतिबन्ध वांछनीय नहीं है। हम प्रतिबन्धों

से छुटकारा भी दिलाते हैं जबकि हम यह भी देखते हैं कि उद्योगों में लगे व्यक्ति अनुचित व्यवहार, प्रतिबन्धात्मक व्यवहार में संलग्न न हो। इस प्रकार, इस बात पर हम काफी कठोर हैं और नीति को अधिक कठोर बनाया गया है। प्रवेश-पूर्व चरण में नीति उदार हो गई है। यह परिवर्तन जानबूझकर किया गया है और मुझे विश्वास है कि इसे सभी तरह के पक्ष और विपक्ष को सोचकर उदार किया गया है। हमें आशा है कि इस नीति से अधिक स्वतन्त्रता आएगी और उद्योगों के विकास में अधिक आजादी मिलेगी और समय की मांग आज यही है। इस तरह से इन सभी मामलों पर हमारे मत भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मुझे इसका कोई विकल्प नहीं मिला है। हां, आपको किसी कार्यवाही विशेष के बारे में सन्देह हो सकता है। लेकिन इस बारे में कोई सुझाव नहीं है कि इसमें क्या किया जाए। यदि यह नहीं किया जाए, तो फिर क्या किया जाए? मैं यही बात उनसे पूछना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि हमने···(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमने आपको एक विकल्प सुझाया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमने उस सब पर विचार कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, हम ऐसे चरण पर आ खड़े हुए हैं जहां, इस देश का बगैर विकल्पों के कार्य नहीं चलेगा। हर चीज के दोष पूर्ण होने के कारण नकारात्मक पहलू को नहीं अपनाया जा सकता और यह भी नहीं हो सकता कि जिस चीज की हम आलोचना कर रहे हैं, उसका विकल्प भी न खोजें। अब यह बात सम्भव नहीं है। हमें जोखिम उठाने होंगे। हमें कोई आधार लेना होगा। हमें अपनी समझ के अनुसार चलना होगा। यदि हम लड़खड़ाते हैं, यदि कोई गलतियां होती हैं, तो हम उन्हें सुधारेंगे।

बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनके सम्बन्ध में कतिपय प्रश्न किए गए हैं जैसे कि लघु क्षेत्र में 24 प्रतिशत निवेश करना। ठीक है, यह भी एक पुनः परीक्षण होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अभी कुछ भी अन्तिम नहीं है। यदि हम देखते हैं कि लघु क्षेत्र को 24 प्रतिशत देकर बड़े क्षेत्रों की झोली में डाला जा रहा है तो मैं सभा को आश्वस्त करूंगा कि इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। हम यह महसूस करते हैं कि लघुतर क्षेत्र में सहायक इकाईयों को भागीदारी देकर सहायक उद्योग लगाना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी विचार से प्रेरित होकर यह किया गया है। लेकिन यह अन्तिम नहीं है। यदि किसी बात से लघु क्षेत्र को हानि होती है तो हम सदैव परिवर्तन करने और इसे पुनः उस अवस्था में लाने को तैयार हैं जहां यह सब नहीं होगा। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें नए साधन/उपाय अपनाने होंगे। हमारा इरादा उदारीकरण का है, विकास को बढ़ावा देने का है और इस देश में सर्वत्र सभी लोगों के लिए सम्पत्ति पैदा करने का है।

एक बात जिस पर हम सभी को सतर्क होना पड़ेगा। मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाना है, जो न केवल उद्योग के लिए लाभ अर्जित करने के लिए ही हो। हमें उन श्रमिकों के बारे में सोचना होगा जोकि इस देश के सभी उद्योगों की रीढ़ हैं और किसी भी हालत में भारत जैसे विकासशील देश में हम मात्र लाभ अर्जित करने की ही सोचकर नहीं रह सकते। हमें प्रथमतः लोगों के कल्याण के बारे में सोचना होगा। मैं एक स्पष्ट बयान देना चाहूंगा कि चाहे यह निर्गम नीति है या कोई अन्य नीति, हम कामगारों के हितों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचने देंगे। इस बात पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा।

श्री हन्नान मोल्लाह (अलुबेरिया) : क्या आप प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी की अनुमति देंगे?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कामगारों की प्रबन्ध में भागीदारी को पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा। वास्तव में, मुझे इस देश के एक मजदूर नेता से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें कानपुर स्थित एक कारखाने को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने का अनुरोध किया गया है। यह कारखाना रुग्ण था तथा घाटे में चल रहा था। यह बेच दिया गया होता अथवा हो सकता था कि यह समाप्त कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि "आप ऐसा मत कीजिए। मजदूर इसे चलाएंगे।" और हम उनकी इस बात से सहमत हो गए। तथापि यदि उद्देश्य यही हो कि "हम कारखाने को बन्द करने की अनुमति नहीं देंगे लेकिन हम इसे चलाएंगे भी नहीं और इस तरह हानियों का अम्बार लगने दो, तब ऐसा करना मुश्किल होगा।

श्री हन्नान मोल्लाह : यह किसी मुर्दे को हस्तांतरित करने की तरह है **(व्यवधान)**···

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमने यह सारी बातें देखी हैं। कृपया हमें सुनिए। यदि प्रवृत्ति यही है कि 'हम इसे नहीं चलाएंगे, और हानियों का अम्बार लगने दो, हम आपको कारखाना बन्द करने की अनुमति नहीं देंगे और काम जारी रहेगा', तो इस तरह की बातों को, यहां तक कि मजदूर भी, कल इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको यह बता रहा हूं क्योंकि अन्ततोगत्वा, यह हानि स्वयं मजदूरों को उठानी पड़ती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत अच्छी धारणा है। यदि मजदूर इसे चलाने में सक्षम होते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी लेकिन आप उन्हें सुविधाएं एवं वित्त मुहैया कराएंगे? मेरे पास प्रस्ताव के ऊपर प्रस्ताव आए हैं कि हमें धन तथा अन्य प्रकार की सहायता दीजिए। हमें इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री जी की उपस्थिति में स्वीकृति मिली है। बहुत अच्छी बात है। उस आधार पर, हम इसे स्वीकार करते हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह एक ऐसा मामला है जिस पर मजदूरों के साथ चर्चा की जानी चाहिए, न कि संसद के भीतर। हम मजदूरों के साथ चर्चा में किसी मध्यस्थ को शामिल नहीं करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप मजदूरों की भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह नई नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। हम पहले ही उनके साथ बैठकें कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री जी ने उनके साथ एक या दो बैठकें की थीं और मैं उनमें से एक बैठ में उपस्थित था। हम इस बात से सहमत हैं कि इन सारी कठिनाइयों, जो औद्योगीकरण तथा उद्योगों के बन्द होने अथवा उनके बन्द होने की आशंका से उत्पन्न हो रही हैं और मजदूरों के भविष्य तथा ऐसे सभी मामलों का निराकरण करना होगा। सरकार को सभी राज्यों के व्यापार संघ के नेताओं से बातचीत करने में बहुत-बहुत प्रसन्नता होगी। उन्होंने इस बात पर अपनी सहमति जताई है और मुझे यह कहते हुए काफी खुशी हो रही है कि यह प्रक्रिया सही वक्त पर प्रारम्भ की गई है। यह रुकेगी नहीं क्योंकि अन्ततोगत्वा, औद्योगीकरण को सभी सम्बन्धित शाखाओं का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि, अन्ततोगत्वा औद्योगीकरण को सभी सम्बन्धित शाखाओं का ध्यान रखना होगा तथा हम किसी एक शाखा के हितों की अवहेलना करते हुए एक पक्षीय रूप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अतः इस देश में इस प्रक्रिया का बन्द होना सम्भव नहीं होने जा रहा है।

यहां तक कि प्रौद्योगिकी के मामले में भी, यह असीमित रूप से आयात पर ही निर्भर नहीं करती है। मैंने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है। हमें यह बात समझनी चाहिए कि जिस प्रौद्योगिकी का हम इस समय प्रयोग करते हैं उसके भी कतिपय सामाजिक लक्ष्य हैं तथा इस अवस्था में हम उसे अपनी सामाजिक प्रगति के रूप में देखते हैं। अतः हर चीज परस्पर रूप से एक-दूसरे पर निर्भर है। हम इन सभी तथ्यों के सारे पहलुओं पर विचार करेंगे तथा हम यह देखेंगे कि नई नीति के अनुसार औद्योगीकरण कतिपय बहुत ही स्वस्थ मार्ग से आगे बढ़े तथा इसमें किसी भी प्रकार की जटिलताओं को उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा जोकि अभी तथा उत्पन्न रहती थीं।

महोदय मैं कहना चाहूंगा कि दूसरे देशों के साथ हम जो भी बातचीत कर रहे हैं, विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण अथवा प्रौद्योगिकी का आयात, दोनों के बारे में, वे मैत्रीपूर्ण आधार पर हो रही हैं। मैं इस बात से पूर्णरूपेण इस बात से निश्चित नहीं हूं कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उन सब में ही हमें सफलता प्राप्त होगी क्योंकि इस प्रक्रिया के कई अतिसूक्ष्म पहलू हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि इस दिशा में मेरा सबसे पहला प्रयास तब होगा जब मैं कुछ दिनों के बाद जर्मनी की यात्रा पर जाऊंगा। उस तरफ से काफी उत्साह दिखाया गया है। हमें कतिपय संकेत दिए गए हैं जिससे हम औद्योगीकरण, निवेश तथा प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण के मामले में काफी आशान्वित है। हमारे पास अपने अतीत की तुलना में अब काफी बेहतर सम्भावनाएं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि नई नीति की सब जगह, देश और विदेश दोनो में प्रशंसा की गई है। यह कोई सांयोगिक बात नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : किसके द्वारा प्रशंसा की गई है ?

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशनगर) : आप इस देश की आंतरिक बाजार का विस्तार करने के लिए प्रभावकारी भूमि सुधारों के प्रश्न पर क्यों बिल्कुल मौन हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, श्री निर्मल बाबू ने अभी-अभी कहा है कि "जब भी मैं विषय से परे बोलूं आप मुझे रोक सकते हैं।" मैं भूमि सुधार की चर्चा शुरू करके आपसे वही चीज नहीं कहना चाहता।

श्री अजय मुखोपाध्याय : मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि भूमि सुधार से आंतरिक बाजार का विस्तार होगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं चाहूंगा कि उस विषय को अभी छोड़ दिया जाए क्योंकि मुझे उस विषय पर बोलने में घण्टों लगेंगे। मेरे पास स्वयं भूमि सुधार से सम्बन्धित कुछ अनुभव हैं।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा उद्योग पर हो रही है, न कि भूमि सुधार पर।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं समझता हूं कि जो मुख्य विषय उठाए गए थे, उन पर मैं बोल चुका हूं। हमारे कुछ मित्रों के पास केवल यही कठिनाई है कि वे अविश्वासी हैं। मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि मैं उनके संशयों को दूर कर सकूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप स्वयं कह रहे हैं कि यह एक प्रायोगिक नीति है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ऐसा नहीं हैं। यह प्रायोगिक नीति नहीं है। उस दृष्टिकोण से तो जीवन स्वयं एक प्रयोग है। मैं जो कह रहा हूं वह यह कि हमें इस नीति को सही महत्व प्रदान करते

हुए लागू करना है तथा यह सरकार का निर्णय है कि हम इसे क्रियान्वित करें। जब हम इसे क्रियान्वित करेंगे और यदि कोई कठिनाई सामने आएगी तो हम उसे दूर करेंगे। मुझे इतना ही कहना है। यह मात्र एक प्रयोग है। यह कोई निश्चित नीति नहीं है जिसे रखने की, कुछ अन्य स्थानों पर हमारी आदत है। यह उस तरह की नीति नहीं है। इस नीति की रूपरेखा काफी विस्तृत है तथा इसकी दिशा बहुत स्पष्ट है। इस नीति के कतिपय उद्देश्य है। इन सब तथ्यों के रहते हुए इसे सफल होना ही है तथा हम इसे सफल बनाएंगे।

मैं सदन के सभी भागों, देश के समस्त लोगों—कामगारों, उद्योगपतियों, उद्यमियों, सभी से चाहूंगा कि वे यह समझें कि सरकार की नीति कतिपय उद्देश्यों पर आधारित है जो लाभदायक है और जो भारत की सारी जनसंख्या के लिए लाभदायक हैं और जो भारत की सारी जनसंख्या के लिए लाभदायक है न कि केवल किसी एक विशेष वर्ग के लिए। मैं इस बात पर बार-बार जोर देना चाहूंगा। इस कथन के साथ, महोदय, मैं एक बार फिर सभी सदस्यों को उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) अध्यक्ष। महोदय, अभी प्रधानमन्त्री जी ने वर्कर्स के सम्बन्ध में कहा। मैं जानना चाहूंगा कि वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी हो, इस सम्बन्ध में दूसरे हाउस मे एक बिल पेंडिंग है वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में वह बिल हम लोग लाए थे और उसको तमाम राजनीतिक पार्टियों का, इन्क्लूडिंग कांग्रेस समर्थन था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, उस वक्त तमाम पोलीटिकल पार्टीज के लोग, इन्क्लूडिंग कांग्रेस पार्टी के एमपीज, ट्रेड यूनियन लीडर्स, सब की सहमति से वह बिल लाया गया था, सब लोग तैयार थे। दूसरे हाउस में वह बिल आलरेडी पेंडिंग है। हम जानना चाहते हैं कि क्या आप उस बिल को पास करवाने जा रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अध्यक्ष महोदय, फिर एक बार देखेंगे, अगर सब ठीक है तो पास करवाएंगे, यदि उसमें कुछ खराबी है तो उस खराबी को निकाल देंगे।

श्री राम विलास पासवान : यह चीज आप कब तक देख लेंगे, वह बताइए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं आशा करता हूं, वह इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करेंगे तथा उसमें जो खराबी होंगी उसे निकाल देंगे तथा अच्छाइयों को स्वीकार कर लेंगे। कम से कम इसे कुछ समय के लिए देखिए तो सही।

महोदय, दो पहलुओं पर मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी से स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता था।

प्रथम का सम्बन्ध मालभाड़ा को एक समान बनाने की योजना से था। मुझे पता है कि कुछ रिपोर्टें आई थीं जिनका उल्लेख किया गया है और प्रधानमन्त्री जी निश्चित रूप से उनसे विदित हैं लेकिन उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में क्या सोचती है ? यह देश, विशेष रूप से पूर्वी भारत, से सम्बन्धित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

दूसरी बात का सम्बन्ध लघु स्तरीय उद्योगों से है। इसे श्री मनोरंजन भक्त द्वारा आज ही सुबह सदन में उठाया गया था। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर मौन नहीं धारण करेंगे। प्रधानमन्त्री जी का संकोच मत कीजिए। वह बहुत अच्छे इंसान हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपरोक्ष या खुले रूप से मत उकसाइये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने विशेष रूप से, लौह एवं इस्पात सामग्री की नियंत्रण नीति को खतरे के परिणामस्वरूप कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता का प्रश्न उठाया था। मैं जानना चाहूंगा कि इस पर सरकार का फैसला क्या है ? क्या लघु स्तरीय उद्योगों को यह झटका बर्दाश्त करने के लिए बड़े उद्योगों से संघर्ष करना पड़ेगा अथवा क्या लघु स्तरीय उद्योगों को बचाने के लिए भी कोई न्यूनतम सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : बिना किसी विशिष्ट विवरण का अध्ययन किए, मैं कहूंगा कि लघु स्तरीय उद्योग रहेंगे और मैं महसूस करता हूं तथा मुझे पक्का यकीन है कि इसे जीवित रखा जाएगा तथा यह फले-फूलेगा। समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसे जरूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माल भाड़े को एक समान बनाने के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उस विशेष पहलू पर अभी हमने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। हम इस पर अभी भी विचार कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं प्रधान मन्त्री जी से दो सार्वजनिक बयानों के बारे में जानना चाहूंगा जो प्रकाशित हुए थे जिसके बारे में मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने इसे देखा है और उनमें से कोई भी वामपंथी दलों या कम्यूनिस्टों का नहीं है। एक का सम्बन्ध फिक्की के चेयरमैन श्री एस० के० बिरला से है जिन्होंने हमारे स्वदेशी उद्योगों में बहुराष्ट्रीय निगमों के हर प्रकार के हमारे प्रोत्साहन तथा सुविधाओं के साथ इस प्रस्तावित प्रवेश पर अपनी आशंका व्यक्त की है। दूसरे का सम्बन्ध उस बयान से है जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा जारी किया गया था, जिसमें प्रौद्योगिकी को इस अनियन्त्रित आयात, जिसकी अभिकल्पना अब इस प्रस्ताव में की जा रही है, का हमारे स्वदेशी अनुसंधानों और विकास तथा हमारी वैज्ञानिक खोजों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आशंका व्यक्त की गई है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने अभी-अभी बताया है कि प्रौद्योगिकी का आयात को सीमित है तथा इस देश में प्रौद्योगिकी के आयात को सीमित किया भी जा रहा है। जब तक हमारा अपना अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) मजबूत नहीं होगा हम अपना अस्तित्व बरकरार नहीं रख सकते, हम प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि कोई कहता है कि हम इसे मजबूत नहीं बनाएंगे और आप बाहर से कोई चीज आयात भी नहीं करते हैं तो यह बात तार्किक रूप से ठीक नहीं कही जाएगी। अतः, हम कहेंगे कि जबकि हम हर तरह का प्रोत्साहन देंगे—इस देश में हम अनुसंधान एवं विकास को पहले से भी ज्यादा प्रोत्साहन प्रदान करेंगे—चाहे यह कोई एक क्षेत्र हो अथवा कोई दूसरा, हम निश्चित रूप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के अन्य देशों के साथ बातचीत करेंगे भले ही यह कार्य, यदि आवश्यक हो तो, आयात के जरिए क्यों न करना पड़े लेकिन ऐसा हम अधिकांशतः देश के भीतर स्वयं अपने विकास के जरिए करेंगे। यही नीति है और यही हमारी नीति बनने जा रही है।

और अपने एक उद्योगपति के बहु-राष्ट्रीय निगमों के बारे में आशंकित होने के सम्बन्ध में मैं किसी एक व्यक्तिगत बयान पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सामान्यतः हमारा विचार यही है कि इस देश के उद्योग बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश पर प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं। वास्तव में,

उन्हें इन बहु-राष्ट्रीय उद्योगों में काफी लाभ नजर आता है। कुछ भी हो, हम अपनी आंखों और कानों को खोलकर रखा हुआ है।

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : विगत में हमारा मुख्य विचार यह रहा है कि हमने प्रादेशिक असंतुलन को समाप्त करने पर ध्यान दिया है जोकि न केवल आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है अपितु राष्ट्रीय एकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। किन्तु इसके बावजूद हमारी व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है, जहां उद्योग शहरी क्षेत्रों तथा महानगरों की ओर जा रहे। किन्तु नियमित कार्य प्रणाली के समाप्त होने और लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से आपने जो रियायतें दी हैं, वे स्पष्ट रूप से लुप्त हो जाएंगी जो आप उद्योगों को देते हैं वे भी लुप्त हो जाएंगी और नए उद्यमी चाहे वे विदेशी बहुराष्ट्रिक हों अथवा देश के एकाधिकारी हों अथवा उद्योगपति हों, वे निश्चित रूप से उसी स्थान को चुनेंगे जो उनके लिए उपयुक्त हो, जब तक कि उन पर यह दबाव न डाला जाए कि वे पिछड़े क्षेत्रों में जाएं अथवा ऐसे क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करें जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हों। इसका दूरगामी प्रभाव होगा और इससे न केवल असमान विकास होगा बल्कि शहरी क्षेत्रों में लोगों के बसने की सम्भावना भी बढ़ेगी जैसे बड़े शहर जैसे बम्बई शहर आदि जिनकी स्थिति भयावह बन चुकी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमारे ऊपर अनेक प्रतिबन्ध हैं, उनके दबाव हैं, यद्यपि मैं यह नहीं मानता कि दबाव पिछड़े क्षेत्रों पर पड़ता है। मैं जानना चाहूंगा कि कितने पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण किया गया है। अतः हमें अपनी नीति के नए पहलू का आश्रय लेना होगा। किसी को प्रोत्साहन देने से रोकने के लिए कुछ नहीं है। यदि राज्यों के मुख्य मन्त्री आकर अपने राज्यों के लिए उद्योग मांगते हैं—यदि वहां कोई बड़ा उद्योग है, छः दर्जन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के छः दर्जन पत्र हैं—यह अच्छी बात है, किन्तु कई बार ये पत्र प्रतिस्पर्धा में आते हैं। हम कहते हैं कि मुझे कौन मुफ्त भूमि, मुफ्त जल देगा, तथा वे प्रस्ताव लेकर आते हैं। जिलों के मामले में भी ऐसा क्यों नहीं होता ? यदि एक जिले की जिला परिषद एक प्रस्ताव के साथ आती है तो हमारे पास प्रणाली है जिससे उनके प्रस्ताव पर विचार किया जाए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम वहां न जाएं। केवल एक बात यही होती है कि वे उद्योग आरम्भ करते हैं, वे पिछड़े राज्य के नाम पर आशय पत्र लेते हैं किन्तु बाद में कुछ चालबाजी से वे इसे विकसित जिले में परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसा हो रहा है। हम इसका सामना करना है। हम जिस नीति का अनुसरण कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। हम किसी दूसरी प्रणाली पर विचार करना है। तथा प्रोत्साहन जो राज्य के सम्बन्ध में दिए जा सकते हैं, वे राज्य के एक भाग को भी दिए जा सकते हैं, यदि वह पिछड़ा क्षेत्र है, यदि उस पिछड़े क्षेत्र में कोई प्राधिकारी है, यदि उस जिले के लोग कोई ऐसा प्रस्ताव दे सकते हैं जोकि वहां के उद्योग को आकर्षित कर सकें। मुझे विश्वास है कि यह किया जा सकता है। मुझे लोगों ने काफी चीजें मुफ्त देने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने भूमि मुफ्त देने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने इसके लिए भूमि दी है किन्तु हमने उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। आज प्रश्न यह है कि राज्य सरकार इन जिला परिषदों की ओर से कार्य कर रही है। किन्तु कल यदि कोई विकेन्द्रीकरण होता है, तो फिर ऐसा ही होगा। मुझे लगता है ऐसा ही होगा क्योंकि हम देखते हैं कि लोग जिलों से आ रहे हैं तथा कह रहे हैं "कृपया हमारे जिले में एक फैक्टरी लगवाइये। हमारा जिला पिछड़ा जिला है, किन्तु कोई नहीं देता।" यह मुद्दा है। अतः हमें पिछड़े क्षेत्रों में जिला स्तर पर लोगों को प्रोत्साहन देना होगा। राज्य सरकारों के पास भी यह नीति होनी चाहिए।

मुझे विश्वास है कि नई नीति में पिछड़े क्षेत्रों को जाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देते के लिए पर्याप्त गुंजाइश है।

मैं नहीं सोचता कि वे केवल शहरों तक ही सीमित रहेंगे। इस विचार के साथ इन्हें शुरू करना ठीक नहीं है। मैं उद्योगों के पिछड़े क्षेत्रों में वापिस जाने की बहुत कम सम्भावनाएं देखता हूं। हम ब्यौरों पर कार्य करेंगे। हमने इसके सम्बन्ध में चर्चा की है। वास्तव में नीति पर विचार करते समय हमने यह मुद्दा उठाया था। हमने इसके प्रत्येक पहलू को देखा है; हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम अब तक जो कुछ कर रहे हैं उस पर वास्तव में कोई कार्य नहीं हुआ है। लाइसेंसिंग तंत्र द्वारा उद्योगों के स्थान को नियंत्रित करने से कोई कार्य नहीं बना है, जैसाकि हम चाहते थे कि यह कार्य करेगा। अतः हमें कुछ विकास सम्बन्धी प्रणाली के सम्बन्ध में सोचना होगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : नया तन्त्र क्या है? **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : (मुम्बई उत्तर) : उद्योगों के विकास में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यह बहुत सी नौकरियां भी प्रदान कर रहा था। नई नीति में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की क्या भूमिका है? क्या यह जारी रहेगी या आप इसके पर्यावरण में कुछ प्रत्याशित परिवर्तन करने जा रहे हैं। कई उद्योग केवल इसी प्रयोजन के लिए हैं। सरकार का खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तथा इसके पर्यावरण के प्रति क्या रवैया रहेगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, खादी आयोग तथा इसका कार्यकरण जारी रहेगा। वास्तव में हम इसके पहलुओं को देखेंगे कि खादी आयोग तथा ग्रामोद्योग में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है।

श्री अजीत पांजा : महोदय······**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मन्त्री किस प्रकार प्रधानमन्त्री से स्पष्टीकरण मांग सकता है? **(व्यवधान)**

श्री अजित पांजा : मैं प्रधानमन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल सदस्यों का एक अध्ययन दल नई औद्योगिक नीति के अध्ययन के लिए मास्को भेज रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि वे हमारी नई नीति का समर्थन नहीं करते हैं···**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं सदन में इस ढिठाई के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा······**(व्यवधान)**

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, इस पर चर्चा करने के लिए एक अन्य मंच है। चिन्ता मत करिए।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं व्यवस्था की बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री राम नाईक : मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है। यह मन्त्रीमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। यदि मन्त्री महोदय कोई स्पष्टीकरण चाहिए, वे प्रधानमन्त्री से उनके मन्त्रीमण्डल में पूछ सकते

हैं। यह वह मंच नहीं है जहां मन्त्री प्रधानमन्त्री से कोई स्पष्टीकरण अथवा जानकारी मांग सकता है···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं आशा करता हूं कि आप इस पर अपना अनानुमोदन देंगे।

श्री राम नाईक : महोदय, मन्त्री द्वारा प्रधानमंत्री से कोई जानकारी मांगना उचित नहीं है तथा यह व्यवस्था से बाहर है। मेरा यही व्यवस्था क्या प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करता हूं। मन्त्रियों को एक-दूसरे से प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। किन्तु यदि कोई मन्त्री किसी अन्य सदस्य से प्रश्न के रूप में कोई मुद्दा पूछना चाहता है तो इसकी अनुमति दी जा सकती है, किन्तु यह भी उचित नहीं है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैं अपने मन्त्री को अच्छी तरह समझता हूं। यह स्पष्टीकरण के लिए नहीं था। यह तो एक छोटी-सी छेड़छाड़ थी···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं प्रधान मन्त्री के उत्तर से पूर्णतः असन्तुष्ट हूं। वे सदन में उठाए गए मूल प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। महोदय, यह और कुछ नहीं है बल्कि इस देश को बेचना है। उन्होंने लघु क्षेत्र के उद्योग, मालभाड़ा बराबर करने तथा इसी प्रकार के अन्य मूलभूत महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रबन्धक वर्ग में श्रमिकों की भागीदारी सम्बन्धी विधेयक को पारित करने के प्रश्न पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई है। अतः हम इसका विरोध करते हैं तथा विरोध में सदन से बाहर जा रहे हैं।

2.56 म० प०

[तत्पश्चात् श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं उद्योग मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में सभी कटौती प्रस्ताव सभा में इकट्ठे मतदान के लिए रखता हूं, यदि कोई सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव अलग से रखना न चाहता हो।

[सभी कटौती प्रस्ताव रखे गए तथा अस्वीकृत हुए]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं उद्योग मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में उद्योग मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 51 से 54 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के

लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	29 जुलाई, 1991 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3		4	
उद्योग मंत्रालय					
51.	औद्योगिक विकास विभाग	73,47,00,000	6,00,000	73,48,00,000	6,00,000
52.	भारी उद्योग विभाग	15,05,00,000	137,72,00,000	15,05,00,000	137,72,00,000
53.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	71,00,000		70,00,000	
54.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	157,74,00,000	141,43,00,000	157,74,00,000	141,43,00,000

2.57 म० प०

जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को और अधिक अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सदन जम्मू और कश्मीर के बारे में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 सितम्बर, 1991 से छः महीने और आगे की अवधि तक जारी रखने की स्वीकृति देता है।"

जैसाकि सदन को जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर की उस समय फैली हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में राज्यपाल की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को एक उद्घोषणा जारी की गई थी। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने पहले ही 19-1-1990 को जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य विधान सभा को स्थगित करके राज्य कार्यपालिका और विधान मण्डल के अधिकार स्वयं ले लिए थे। एक महीने पश्चात् राज्य संविधान के अन्तर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा 19-2-1990 को राज्य विधान सभा भंग कर दी गई थी।

जैसाकि जम्मू-कश्मीर राज्य में कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा की स्थिति असन्तोषजनक बनी हुई थी।

2.59 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अतः 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा को 3 मार्च, 1991 से और छः महीने की अवधि के लिए जारी रखने के सम्बन्ध में संसद की दोनों सभाओं का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि 2-9-1991 को समाप्त हो जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने 22 जुलाई, 1991 की अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति से कहा है कि वर्तमान सुरक्षा और राजनीति की स्थिति ऐसी नहीं है कि 2 सितम्बर, 1991 को उद्घोषणा के समाप्त होने पर राज्य सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर सके। राज्यपाल ने जानकारी दी है कि यद्यपि सुरक्षा बलों ने विध्वंसकारी और अलगाववादी ताकतों पर निरन्तर दबाव रखकर स्थिति को संभाल रखा है और विभिन्न संगठनों से सम्बन्ध रखने वाले अनेक उच्च स्तर के नेताओं और 'एरिया कमाण्डरों' सहित काफी संख्या में उग्रवादियों को पकड़ने और अत्यधिक मात्रा में हथियार और गोला बारूद की वसूली करने में प्रमुख सफलता प्राप्त की है, फिर भी सुरक्षा की स्थिति जटिल है। कश्मीर घाटी में हजारों की संख्या में प्रशिक्षित उग्रवादी अपने शस्त्रों और विस्फोटक पदार्थों के साथ सक्रिय हैं और अन्य कई हजार कश्मीर में घुसने के लिए नियन्त्रण रेखा पर तैयार बैठे हैं। सीमा पार से एजेन्सियां यथासंभव अधिक से अधिक प्रशिक्षित कश्मीरी युवाओं द्वारा घाटी में सर्दी के मौसम में मार्ग बर्फ से आच्छादित होने से पूर्व गर्मी और बसन्त ऋतु के महीनों के दौरान आतंकवादी गतिविधियों के विस्तार हेतु दृढ़ निश्चय के साथ घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें आधुनिकतम हथियारों का व्यापक प्रशिक्षण देने और गुरिल्ला युद्ध और बेतार संचार में प्रशिक्षण देने का भी प्रयास कर रही है।

3.00 म० प०

राज्यपाल ने यह भी जानकारी दी है कि इस बात को अत्यधिक समझने के कारण कि सशस्त्र हिंसा द्वारा पृथकतावाद के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान के प्रति इस कारण से मोहभंग में वृद्धि कि उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, को ध्यान में रखते हुए लोगों के मन में और आतंकवादियों के समूहों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ है।

राज्यपाल ने यह भी बताया है कि विगत 8 महीनों के दौरान पाकिस्तान में प्रशिक्षित 450 से अधिक आतंकवादियों ने शस्त्रों सहित आत्मसमर्पण किया है। तथापि लोग बन्दूक के निरन्तर डर के कारण आतंकवादियों का खुले रूप में विरोध करने में हिचकिचाते हैं। राज्यपाल ने यह भी जानकारी दी है कि लोगों के मन में आए परिवर्तन को यद्यपि दिशा और बल नहीं मिला है क्योंकि घाटी में लम्बे अरसे से राजनैतिक रिक्तता जारी है और मुख्य राजनैतिक दलों के नेताओं और संवर्गों द्वारा कोई भी अर्थपूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा।

राज्यपाल ने कहा है कि स्थिति गम्भीर तथा चुनौतीपूर्ण है। आतंकवादियों के पास सुरक्षा बलों तथा अन्य निशानों पर प्रहार करने की पर्याप्त क्षमता है। अभी हाल में आतंकवादियों ने छोटे-छोटे निशानों पर भी प्रहार करना शुरू कर दिया है, जिनमें स्वीडिश इन्जीनियरों का अपहरण, ईजरायली पर्यटकों के एक दल का अपहरण तथा उन पर हमला तथा भारतीय तेल निगम में कार्यकारी निदेशक श्री के० दोराईस्वामी का अपहरण शामिल है। राज्यपाल का यह मत है कि वहां उग्रवादियों पर निरन्तर दबाव बनाए रखना जरूरी है।

राज्यपाल ने आगे यह भी बताया कि वहां चुनाव कराने के लिए राजनैतिक प्रक्रिया फिर से स्थापित करने की निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त 1981 की मतगणना के पश्चात् स्थापित परिसीमा आयोग ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। इस कार्य में अभी कुछ और महीने लगने की संभावना है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए राज्यपाल ने सिफारिश की है कि जम्मू तथा कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 3-9-1991 से 6 माह की अवधि के लिए और बढ़ा दिया जाए।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के उपबन्धों के अनुसार जैसे कि वह जम्मू-कश्मीर राज्य के मामले में लागू होते हैं, अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की उद्‌घोषणा वहां पर तीन वर्ष तक जारी रह सकती है लेकिन इसमें शर्त यह है कि वह संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति से 6-6 महीने की अवधि के लिए लागू की जाए।

राज्य में जो स्थिति फैली हुई है उसको देखते हुए तथा सभी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता कि वहां 18-7-1990 को की गई राष्ट्रपति की घोषणा को जारी रखा जाए। अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि ज.मू और कश्मीर में 3-9-1991 से राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि के लिए और जारी रखा जाए।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए मैं सम्मान्य सदन से संकल्प को स्वीकृति देने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सदन जम्मू और कश्मीर के बारे में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 सितम्बर, 1991 से छः महीने और आगे की अवधि तक जारी रखने की स्वीकृति देता है।"

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"संकल्प में 'छः महीने' के स्थान पर 'तीन महीने' किया जाए।" (1)

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर राज्य में फिर से राष्ट्रपति-शासन को छः महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार की ओर से यहां प्रस्तुत किया गया है। इस पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्रीमान, हर बार, जब भी यह प्रस्ताव आता है, केन्द्र सरकार की ओर से हमेशा यही कहा जाता है कि इन छः महीने में स्थिति सुधर जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति-शासन का समय और नहीं बढ़ाया जाएगा। आज जम्मू-कश्मीर से जो रिपोर्ट आ रही हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि वहां पर देशद्रोही शक्तियां और अधिक सक्रिय हैं। जो राष्ट्र भक्त लोग हैं उनको कश्मीर घाटी से मजबूर होकर निकलना पड़ा है। सरकार उन्हें घाटी में सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकी और जब वे अपना घर-बार छोड़कर, सम्पत्ति, जायदाद छोड़कर दिल्ली और देश के अन्य नगरों में पहुंचे तो वहां पर भी इस सरकार का रवैया, इस सरकार का दृष्टिकोण उन लोगों के प्रति अवहेलनापूर्ण है। दिल्ली में जो लोग कश्मीर घाटी से उजड़कर आए, अपनी मांगों के लिए धरना दिया तो उन पर लाठी चार्ज हुआ। उनका कसूर क्या है। केवल मात्र इतना कि वे भारत के साथ कश्मीर के विलय को सम्पूर्ण मानते हैं, वे भारत मां की जय बोलना चाहते हैं, वे आतंकवादी शक्तियों को समर्थन नहीं देते और इस कारण वे वहां से उजड़े। वहां उग्रवादी मारते हैं तो दिल्ली में पुलिस लाठी चार्ज करती है।

कल के अखबारों में एक रिपोर्ट छपी है। हमारी सरकार पाकिस्तान के प्रोपगंडा के विरोध में अपना पक्ष रखने में कितनी निष्क्रिय है। पाकिस्तान विदेशों में तो हमारे विरोध में प्रचार कर रहा है, कश्मीर घाटी में भी ऐसे कैसेट्स दिखाए जा रहे हैं जिनमें भारत की सेना के सिपाहियों की ओर से औरतों पर, बच्चों पर अत्याचार करते हुए दिखाया है। वे कैसेट्स फेक हैं, गलत बनते हैं इसका एक और उदाहरण है कि एक सिपाही को दिखाया गया है कि उसको अपनी बन्दूक ठीक नहीं करनी आ रही है और फिर एक छोटा-सा बच्चा आकर उस बन्दूक को ठीक करता है। पाकिस्तान का टेलीविजन, पाकिस्तान का रेडियो हमारे खिलाफ इतना प्रचार कर रहा है लेकिन हम जो अपना प्रचार इलेक्ट्रोनिक मीडिया से कर सकते हैं वह प्रचार पूरा वहां पर नहीं आ रहा है। स्पष्ट कहा गया है कि आपका रेडियो न्यूज रूम जम्मू में है, दूरदर्शन का न्यूज यहां से होता है। अब वहां पर आपकी शक्ति

नहीं चलती है, जो देशभक्त हैं, जो आपका साथ देना चाहते हैं उनको आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते तो फिर वहां के देशभक्त लोग आपके साथ क्यों चलें। विदेशों से हजारों उग्रवादी प्रशिक्षण लेकर यहां आते हैं। पिछली बार भी जब मैंने यह मामला संसद में उठाया था तो गृह मन्त्री जी ने कहा था हमें सूचना दीजिए। आपका सी० आई० डी० विभाग क्या करता है। क्या यह सत्य नहीं है कि सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए, उनको वेतन मिलता रहा, क्या आपके सी० आई० डी० विभाग ने रिपोर्ट नहीं दी ? क्या यह सत्य नहीं है कि बहुत से अधिकारी आज भी उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं ? आपके पास रिपोर्ट है तो फिर एक्शन लेने में झुंझलाहट क्यों है। जब आप आईडेन्टीफाई कर सकते हैं, उन लोगों की पहचान कर सकते हैं जो देशद्रोही शक्तियों का समर्थन कर रहे हैं, आपके प्रशासन में, आपकी पुलिस में ऐसे लोग वहां बैठे हैं जो आतंकवादी शक्तियों का समर्थन करते हैं लेकिन आपकी तो परिभाषाएं ही बदल जाती हैं। जब आपकी बात मानकर नेशनल कांफ्रेंस के लोग साथ चलें तो आप कहते हैं कि ये देशभक्त हैं। फारुख अब्दुल्ला के साथ आपका समझौता था तो वे देशभक्त थे, जब आपका मन गुल मोहम्मद पर आ गया तो फारुख अब्दुल्ला देशद्रोही हो गया। कुछ लोगों ने गुल मोहम्मद का डिफैक्शन करवाया और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। वही लोग जो कल तक देशभक्त थे देशद्रोही हो गए अतः फिर फारुख अब्दुल्ला देशभक्त लगने लगे। इसी तरह से पार्टी के इन्ट्रस्ट को, पार्टी के हितों को जब राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखकर फिर राष्ट्रीय सरकार के निर्णय लेंगे तो उसमें नुकसान होगा।

हानि होगी, उससे राष्ट्रीय हितों को खतरा पहुंचेगा। आज आप फिर बात करना चाहते हैं, किन लोगों से, आखिर कौन-सी वहां राजनैतिक शक्तियां हैं, किस तरह के पिछली बार चुनाव हुए, वह आप जानते हैं। अभी वहां पर आपके जो गवर्नर महोदय हैं, उनका एक इण्टरव्यू छपा है, उन्होंने कहा है कि एक राजनैतिक प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं तो क्या आप इस हाउस में यह स्वीकृति लेने से पहले, मंजूरी लेने से पहले कि आप राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा दें, क्या यहां हमसे बात करना चाहेंगे, संसद को बताना चाहेंगे कि राजनैतिक प्रक्रिया क्या शुरू करने जा रहे हैं ? किस तरह से आप लोगों को राजनैतिक तौर पर उस समस्या को हल करने के लिए जोड़ने का प्रयत्न करेंगे ?

जब भी पंजाब और कश्मीर का प्रश्न इस संसद में आया है, हमने एक बात बार-बार आपके ध्यान में अवश्य लाई है, जिसकी ओर मैं फिर से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कृपया प्रशासनिक कदमों के साथ-साथ राजनैतिक कदम उठाइए। आप अपने इस इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को कुछ तेज करिए। जो प्रचार हमारे खिलाफ पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है, आपका वहां अपना रेडियो स्टेशन है, दूरदर्शन के स्टेशन हैं, उनको अच्छे ढंग से अच्छे कार्यक्रम देने होंगे। अभी एक खबर छपी है, जम्मू में जेल के अन्दर झगड़ा हो गया। जो आतंकवादी थे, वह पाकिस्तान टेलीविजन पर एक सीरियल आता है, उसको देखना चाहते थे और दूसरे कैदी हिन्दुस्तान के दूरदर्शन का कार्यक्रम देखना चाहते थे। आपके कार्यक्रम इतने बढ़िया क्यों नहीं बनते जिनसे यहां जम्मू में जो लोग देखें, कश्मीर में जो लोग देखें, वहां आपके कार्यक्रमों को पसन्द किया जाए।

यदि वहां पर हर व्यक्ति को आप शक की नजर से देखेंगे तब भी काम नहीं चलेगा। वहां पर हमारे जो सैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बल काम कर रहे हैं, वह बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इस समय

काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति के साथ उनका व्यवहार कैसा हो, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहां पर खतरे बहुत हैं।

हमें सूचना मिली है, हमारी पार्टी के जो देशभक्त लोग वहां से हमें बता रहे हैं, बहुत से आतंकवादी सैंकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, हथियार लेकर आ रहे हैं तो उनको आप किस तरह से चैक करेंगे ? उसके लिए आपने कोई एक्शन प्लान बनाया है ? मात्र 6 महीने राष्ट्रपति शासन बढ़ाने से जम्मू और कश्मीर की समस्या हल नहीं हो सकती। इसके साथ-साथ आपको ऐसे एक्शन प्लान बनाने होंगे कि जो आफिसर, चाहे बड़े से बड़ा आफिसर हो, रिपोर्ट्स आपके पास हैं, भारत सरकार को सारी सूचनाएं मिलती हैं कि जो आफिसर्स आज भी आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ आप सख्ती से कार्रवाई करिए और जो देशभक्त लोग हैं, उनको सम्मान दीजिए। जो व्यक्ति वहां लड़ रहे हैं, उन उग्रवादियों के साथ अपनी जान और माल के खतरे में डालकर उनको ऐसा लगे कि भारत सरकार उनके साथ है।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा। केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जो शुरू से कहती रही है कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। हमें पता है, आज राजनैतिक कारणों से आप भी नहीं मानेंगे, हमारे दूसरे मित्र भी नहीं मानते। इसमें मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में जब तक धारा 370 को खत्म नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से आप जम्मू और कश्मीर की समस्या को हल नहीं कर सकते। जब आप एक कारण उसका दे देते है, कहते हैं कि उनकी संस्कृति अलग है, उस संस्कृति को बचाकर रखना है तो कौन-सा प्रदेश है जिसकी संस्कृति अलग नहीं है और कौन-सा प्रदेश है जहां धारा 370 नहीं है तो उसकी संस्कृति बदल गई, हिन्दुस्तान से। हम एक ऐसा आभास देते हैं, एक सिगनल देते हैं कि नहीं आप कुछ विशेष है, आप अलग हैं, आपका पूरी तरह से हमारे साथ विलय नहीं हुआ है इसलिए धारा 370 आपके लिए हमने अलग से बना रखी है।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस सारे परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इस समय आज जो जम्मू-कश्मीर की स्थिति है, वह दिन प्रति दिन और खराब होती जा रही है। पिछले साल बर्फ के दिनों में ऐसा लगता था कि बर्फ पड़ गई है, जिन दर्रों से आतंकवादी आते थे, वे दर्रे बन्द हुए थे, तब थोड़ी आशा बन्ध गई थी कि आतंकवादी नहीं आयेंगे। उस समय कुछ महीनों का आपके पास समय था, उस समय जो आतंकवादी यहां थे, उनके साथ आप कुछ ऐसा व्यवहार करते कि वे शांत होकर के अपना मन बदलते, नहीं तो फिर शक्ति के साथ उनको दबाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बर्फ पिघली और उग्रवादियों की संख्या और हो गई तथा और लोग आने लगे। आज दिन पर दिन संख्या बढ़ती जा रही है।

एक बात जो मेरे मन को कचोटती है, आपसे कहना चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले एक बिल सदन में आया हैं, हम भारतवर्ष के नागरिकों की दो कैटेगरीज बना रहे हैं, दो श्रेणियां बना रहे हैं। एक श्रेणी में वे नागरिक आयेंगे, जिनके लिए आप विशेष सुविधायें देंगे, जिनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और दूसरी श्रेणी में वे लोग हैं, जिनकी जान की कोई कीमत नही है। हमें प्रसन्नता है कि आपने दुरईस्वामी को छुड़ा लिया है और उन से पहले भूतपूर्व गृह मन्त्री जी की बेटी को उठा लिया गया

था, तो उनको भी छुड़ा लिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं—किस कीमत पर ? क्या एच० एम० टी० के श्री खेड़ा का जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं था या श्रीनगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का जीवन, जो मारे गए हैं, महत्वपूर्ण नहीं था ? हमारी अपनी पार्टी के काफी लोग वहां शहीद हुए हैं। टिप्पलू हमारे काश्मीर के बहुत बड़े नेता थे...(व्यवधान)...सुन लीजिए। अगर हिन्दी समझ में नहीं आता है, तो ईअरफोन लगा लें।...(व्यवधान)...फैसला करना पड़ेगा कि कौन-कौन लोग हैं, वे कौन-कौन से नागरिक हैं, किस को उग्रवादियों से छुड़वाया जा सकता है और किन को मरने दिया जा सकता है। सवाल यह है कि आम हिन्दुस्तान के नागरिक की जान की कीमत कम है और जिस को आप चाहें, उसकी जान की कीमत ज्यादा हो सकती है। क्या केवल एक आदमी को अगुवा किया गया ?

[अनुवाद]

मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले को स्पष्ट करे और कतिपय मार्गनिर्देश निर्धारित करे। हमें यह पता होना चाहिए कि वे कौन से व्यक्ति हैं जिनके लिए कोई कुर्बान करने को तैयार है, जिनके लिए आप बहुत से उग्रवादियों को छोड़ सकते हैं और अब कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बकरियों की तरह कुर्बान किया जाता है और आपको कोई चिन्ता नहीं है। वही मैं कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

ऐसा क्यों है ? हिन्दुस्तान का कोई व्यक्ति यदि अगुवा होता है, तो क्या उसके लिए आपको वही चिन्ता है, जो दूसरों के लिए है ? हम सिलैक्टिव क्यों हो गए हैं ? इस बात पर मैं जोर देना चाहती हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में नीति को स्पष्ट करे। जो लोग वहां से उजड़ कर आए हैं, इस बारे में नौवीं लोक सभा में बहस हुई थी। आप लोग उस समय विपक्ष में बैठे थे और हम लोग नेशनल फ्रन्ट की सरकार को समर्थन दे रहे थे। उस वक्त भी आपके बहुत सीनियर नेता थे, जो इस वक्त लोक सभा में नहीं आए हैं, उन्होंने कहा था—जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित आए हैं, उनको वापिस भेजिए और टैंट्स में ठहरा दीजिए। उनके बाद उस समय मुझे बोलने का मौका मिला था। मैंने कहा—श्रीमान, उनको पक्के कंकरीट के मकान में आप सुरक्षा नहीं दे सके, तो काश्मीर के उजड़े हुए लोगों को टैंट्स में बैठा कर आप कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए माननीय गृह मन्त्री जी अगर उनको यह आभास मिलता रहा, चाहे पंजाब के हों या काश्मीर के हों, कि जो लोग देश के हितों के लिए लड़ते हैं, चाहे वे दिल्ली आएं या श्रीनगर में या पंजाब के किसी भी भाग में मारे जायें, सरकार को कोई चिंता नहीं होती है। जो केवल इस कारण से वहां से उजड़ते हैं कि वे राष्ट्र भक्त हैं, उनके लिए सरकार कोई परवाह नहीं करती है तो आप किसी दिन अपने आपको अकेला पायेंगे। राष्ट्रभक्त लोग लगातार उस वक्त तक ही आपका साथ देंगे, जब तक उनको यह पता होगा कि अगर कश्मीर में हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो दिल्ली वाली सरकार हमारे साथ है और वह न्याय करेगी। लेकिन अगर यह आभास हो गया कि हमारी कोई परवाह करने वाला नहीं है, घाटी में जायें जो उग्रवादी मार दें और दिल्ली आए तो शूरबीर पुलिस, जो किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती हैं, वह विस्थापितों को लाठीचार्ज कर सकती है उनको मार सकती है, तो फिर राष्ट्रभक्त शक्तियां पीछे हटेंगी और जब लोगों का साथ न हो तो कोई सरकार हो, वह टिक नहीं सकती। रशिया (रूस) में आपने देख लिया, जब लोग सड़कों पर उतर आए तो इतनी बड़ी क्रांति जिसको कहा जा रहा था, वह फेल हो गयी। जहां लोग साथ हों, आपका

कोई भी कदम होगा, उसमें जब लोग आपके साथ होंगे, जम्मू-कश्मीर के और भारत के सम्पूर्ण लोग आपके साथ होंगे, तो वह कदम अवश्य कामयाब होगा। विशेषकर आप जम्मू-कश्मीर के लोगों का विश्वास प्राप्त करिए, उनको कहिए कि आप देश के लिए लड़ रहे हैं, हम आपका साथ देंगे, तो जम्मू-कश्मीर में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, सायलेंट मेजारटी है जो खामोश है, क्योंकि आपकी पूरी सुरक्षा उनको प्राप्त नहीं है, आतंकवादियों का डर उन पर है, इसलिए वे खामोश हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए और बढ़ाने के अलावा और आपके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए मेरी पार्टी इसका समर्थन करती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाया जाए, वहीं यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी अभी भी शायद दांव-पेच मार रही होगी कि कितने हमारे मन्त्री बन जाएंगे, यदि असेंबली रिवाइव कर दी जाए, कृपया इस बात से ऊपर उठिए, पार्टी इंट्रेस्ट को नेशनल इंट्रेस्ट से ऊपर मत गिनिए। राष्ट्रहित में नीति बनाइए, तभी जाकर जम्मू-कश्मीर की समस्या हल हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि इस चर्चा के लिए आबंटित समय 1 घण्टा और 30 मिनट हैं। इसमें से कांग्रेस पार्टी के लिए 36 मिन्ट, भा० ज० पा० के लिए 19 मिनट, जनता दल के लिए 9 मिनट, भा० क० पा० (मा०) के लिए 6 मिनट, भा० क० पा० के लिए 2 मिनट, ते० दे० पा० के लिए 2 मिनट अन्ना द्रमुक के लिए 2 मिनट, जे० एम० एम० के लिए एक मिनट और जनता दल के लिए एक मिनट का समय है। फिर छोटी पार्टियों को समय आबंटित किया जाएगा यदि वे भी इस चर्चा में हिस्सा लेना चाहेंगी। यह आपकी सूचना के लिए है।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्री द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। कश्मीर घाटी अत्यन्त संवेदनशील है और दुर्भाग्यवश राजनैतिक बलों ने घाटी को पूर्णत अलग कर दिया है या उन्होंने उसे कश्मीरी मुसलमानों और अर्द्धसैनिक बलों अथवा सेना के सहारे छोड़ दिया है कि वे अपने तरीके से जैसा वे ठीक समझे, समया से निपटें। आज अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जब तक भारत सरकार द्वारा राजनैतिक प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी, मुझे निकट भविष्य में आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती। यद्यपि वहां आतंकवादी गतिविधियां थी फिर भी वर्ष 1989 के पर्यटन के मौसम में पर्यटकों की अत्यधिक संख्या घाटी में गई थी। यह एक रिकार्ड है और इसको कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन 1½ वर्ष के अन्दर, परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं कि घाटी पूर्णतया पर्यटकों से रिक्त हो गई है। और घाटी के अकेले उद्योग को भी कश्मीरियों से दूर कर दिया गया है। राज्य की तत्कालीन निर्वाचित सरकार श्री फारुक अब्दुल्ला के नेतृत्व में घाटी की आतंकवादी गतिविधियों से निपट रही थी। मैं नहीं जानता कि कितनी गम्भीरता से और कितने प्रभावी रूप से वह निपट रही थी लेकिन कम से कम घाटी में एक निर्वाचित सरकार तो थी जो भारत सरकार और कश्मीर के लोगों के बीच मध्यवर्ती का कार्य कर रही थी। दुर्भाग्य से, भा० ज० पा० से हमारे मित्रों के स्पष्ट दबाव में आकर तथा तत्कालीन मुख्य मन्त्री से क्रोधित होकर तत्कालीन प्रधान मन्त्री

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुख्य मन्त्री के अनुरोध के बावजूद श्री जगमोहन को जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त करना बुद्धिमता का कार्य समझा।

घाटी में जो सन्देश प्राप्त हुआ वह यह था कि भारत सरकार कश्मीर के व्यक्तियों से केवल टकराव का रास्ता अपनाना चाहती है जिससे कश्मीरी मुसलमानों यहां तक कि उदारवादी कश्मीरी मुसलमानों जो आतंकवादियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री फारुक अब्दुल्ला की लड़ाई का समर्थन कर रहे थे, वे अपने आपको अलग महसूस किया जिसके परिणामस्वरूप कश्मीरी मुसलमान भारत सरकार से बिलकुल अलग हो गए।

यद्यपि अब श्री जार्ज फर्नान्डीज को कश्मीर के लिए मन्त्री नियुक्त किया गया, कुछ प्रयास किए गए थे, लेकिन उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था जैसाकि उन्हें करना चाहिए था और तत्कालीन गृह मन्त्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिसका समस्या से निपटने का अपना ही रास्ता है, और उस घाटी में उनका अपना हित है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए मन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीज को एक प्रभावी मन्त्री के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जिसके परिणामस्वरूप राजनैतिक प्रक्रिया के लिए शुरू किए गए प्रयास पुनः असफल हो गए। स्वयं विपक्ष के नेता श्री राजीव गांधी श्री जार्ज फर्नान्डीज के साथ श्रीनगर गए और वे यह देखने के लिए गए कि तत्कालीन सरकार को सभी सम्भव सहयोग दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से यह प्रक्रिया भी अधिक दिन तक नहीं चली।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत हमारे सशस्त्र बल इस असाधारण स्थिति में अत्यन्त प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

घाटी में हमारे पास अर्द्ध-सैनिक बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, यह कहते हुए मुझे अत्यन्त खेद है कि घाटी से इन अर्द्धसैनिक बलों द्वारा तंग किए जाने की और भ्रष्टाचार की अनगिनत शिकायतें मिलती हैं। बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं जहां व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उदारवादियों को गिरफ्तार किया गया है और टी० ए० डी० ए० के अन्तर्गत उनसे बलपूर्वक धन छीना गया है। इसकी जांच अवश्य की जानी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी शिकायतें सही हैं लेकिन जो शिकायतें घाटी में हमारे व्यक्तियों के माध्यम से माननीय मन्त्री जी के पास आती हैं उनकी जांच की जानी चाहिए और माननीय मन्त्री या उनके प्रतिनिधि को कश्मीर घाटी में जाना चाहिए, राज्यपाल से राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा जाना चाहिए और उन्हें इस तरह की सभी शिकायतों को जांच करने के लिए विशिष्ट रूप से कहा जाना चाहिए जहां स्त्री, बच्चे और निर्दोष व्यक्तियों को या तो तंग किया जाता है या अनावश्यक रूप से सताया जाता है।

सचिवालय में उच्च स्तरीय प्रशासन कश्मीरी मुसलमानों या कश्मीरी हिन्दुओं से बिल्कुल रहित है। वरिष्ठ अधिकारियों में से अधिकांश का जम्मू और कश्मीर के साथ कोई किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं है।

जम्मू और कश्मीर केडर में काफी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी हैं। उनकी सेवाएं ली जानी चाहिए और उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए। आप मात्र एक उदाहरण से यह नहीं

कह सकते कि जम्मू और कश्मीर के हिन्दु और मुसलमानों का आतंकवादियों से सम्बन्ध है। वहां जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू और कश्मीर में किसी भी सरकारी सचिव या किसी भी विभाग के मुखिया का जम्मू और कश्मीर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

जब तक आप इन लोगों को विश्वास में नहीं लेंगे, आप कश्मीरियों की भावनाओं को कैसे जीत सकते हैं और कैसे आप जम्मू और कश्मीर के व्यक्तियों पर विजय पा सकते हैं? इसका बहुत महत्व है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिससे आज जम्मू और कश्मीर में यह स्थिति उत्पन्न हुई है, की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमें याद रखना चाहिए कि स्वयं जम्मू को तीनों हिस्सों में सुगमता से बांटा जा सकता था; हिन्दू बहुल क्षेत्र जम्मू, बौद्ध बहुल क्षेत्र लेह और मुस्लिम बहुल क्षेत्र घाटी। पहले के ऐतिहासिक कारणों के कारण यह एक सुसम्बद्ध यूनिट थी। लेकिन जब कश्मीर के महाराजा ने अपने पहले के राज्य को भारतीय संघ में मिलाने का निर्णय किया, कश्मीरी मुसलमान अपने भाग को पाकिस्तान के इस्लामिक गणराज्य के साथ जोड़ सकते थे। लेकिन महोदय, उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह बात हमारे दिमाग में अवश्य होनी चाहिए जब हम कश्मीर समस्या के बारे में सोचते हैं। कश्मीर घाटी के वे व्यक्ति जिनका 95 प्रतिशत मुसलमान हैं पाकिस्तान के इस्लामिक गणराज्य में क्यों नहीं गए? वास्तव में उन्होंने भारतीय सेनाओं का स्वागत किया था जो उनके बचाव के लिए गई थी। यह मामले का गूढ़ विषय है जिसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता।

महोदय, अन्य देशीय कश्मीरी मुसलमानों का सम्बन्ध ऐतिहासिक कारणों के कारण पाकिस्तान के लोगों की अपेक्षा भारत के लोगों से अधिक है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। संस्कृत शिक्षण केन्द्र कश्मीर में है, राजतरंगनी जो आज इस देश में हमारे पास सबसे पुराने दस्तावेजों में से एक है, कश्मीरी ब्राह्मण द्वारा लिखा गया था। अतः इन सभी बातों को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। यदि आप कश्मीर पर शासन करना चाहते हैं, आप कश्मीरियों की भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। यह दुर्भाग्य है कि भा० ज० पा० को संविधान के अनुच्छेद 370 से दुख है। आपको यह समझना चाहिए कि जब हमने संविधान का निर्माण किया था तो किन परिस्थितियों के अन्तर्गत अनुच्छेद 370 को लाया गया था। हमें यह समझना चाहिए कि उस समय हमारे देश की राजनैतिक स्थिति क्या थी। इसका श्रेय पं० जवाहरलाल नेहरू को जाता है जिन्होंने कश्मीरी मुसलमानों की भावनाओं पर विजय पाई।

(व्यवधान)

कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। जब आप बोल रहे थे मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। मैं इस विषय पर आपसे किसी भी समय बहस करने को तैयार हूं। मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : धारणा यह है कि मान लो अध्यक्ष महोदय मान जाते हैं, तब कोई भी सदस्य कोई भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है। यदि वे नहीं मानते, तब आप उनको बीच में नहीं रोक सकते।

श्री दिग्विजय सिंह : भा० ज० पा० संविधान के अनुच्छेद 370 से परेशान है। और अपने शब्दों से वह कश्मीरी मुसलमानों को अनावश्यक रूप से अलग कर रही है। उन्हें समझना चाहिए कि कश्मीरी मुसलमानों का इस देश के साथ सम्बन्ध केवल उस सुरक्षा के कारण है जो हमने उन्हें अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत दी है। कश्मीर के लोगों को अनुच्छेद 370 वापिस करने का अधिकार है। भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। उनके संविधान में एक अनुच्छेद है जिसके बारे में भारत सरकार अनुच्छेद की वापिसी आदि के लिए इस ससद के समक्ष नहीं आ सकती। सिर्फ कश्मीर की निर्वाचिय सभा को एक संकल्प पास करना होता है और राष्ट्रपति की उद्घोषणा से अनुच्छेद 370 को वापिस किया जा सकता है। मुसलमानों को सताने वाली भा० ज० पा० हमेशा मुसलमानों के विरुद्ध वक्तव्य देती है, हमेशा आप उन पर राष्ट्र विरोधी का लेबल लगा देते हैं, आप पाकिस्तान के मामले को बढ़ावा दे रहे हैं। आप कश्मीरी मुसलमानों को पाकिस्तान में धकेल रहे हैं। आपको यह तथ्य समझना चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : आप कश्मीर के लोगों की भावनाओं को नहीं समझते।

श्री दिग्विजय सिंह : उमा भारती जी, आप कभी बैठ कर बात करेंगी, तो मैं आपको बताऊंगा।

कुमारी उमा भारती : मैं भी आपको बता दूंगी।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, भा० जा० पा० हमेशा मन्दिर या मस्जिद का मामला उठाती है, वह मुसलमानों को फिर से पाकिस्तान में धकेल रही है। मैं भा० जा० पा० के अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि उन्हें सहानुभूति से कार्य करना चाहिए। उन्हें एक विचारधारा से कार्य करना चाहिए। वे विचारधारा रहित नहीं हो सकते। उन्हें यह अवश्य समझना चाहिए कि किन ऐतिहासिक मजबूरियों के अन्तर्गत अनुच्छेद 370 को लाया गया था। अनुच्छेद 370 की वापसी के पश्चात् जो होगा वह यह है कि कश्मीर घाटी का भारत सरकार और भारत के लोगों के साथ जो सम्बन्ध है, वह टूट जाएगा। आप उसी सम्बन्ध को तोड़ रहे हैं। महोदय, आज हम संसार में सार्वभौम घटनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते जो तेजी से बदल रहा है। बेलटीक राज्यों ने अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर लिया है। यूरोप में, युगोस्लेविया की कुछ समस्याएं हैं अतः वहां सुस्पष्ट अभिक्रम किए जाने की आवश्यकता है। मैं सुस्पष्ट अभिक्रम के लिए माननीय गृहमन्त्री पर दबाव डालना चाहता हूं। किसी भी तरह के समाधान का पता लगाया जाना चाहिए और कुछ मुद्दों को भी देखा जाना चाहिए चाहे कि क्या उन्हें भारतीय सविधान के भीतर लाया जा सकता है और यह भी देखना चाहिए कि क्या इस देश में जम्मू और कश्मीर या किसी अन्य राज्य को और अधिक अधिकार दिए जा सकते हैं। इस विखंडन प्रक्रिया को जो सम्पूर्ण संसार में शुरू हो गई है, ध्यान में रखा जाना चाहिए और हम उन घटनाओं से दूर नहीं जा सकते जो आज सम्पूर्ण संसार में हो रही हैं।

हमें उन मजबूरियों/पैरामीटरों को समझना चाहिए जिनके अन्तर्गत हम कार्य कर रहे हैं। केवल

तभी हम कश्मीर की समस्या का हल ढूंढ़ सकते हैं। इसलिए मैं सुस्पष्ट अभिक्रम करने, उन लोगों और उदारवादियों जो भारत सरकार से बात करने के इच्छुक हैं, से बात करने के लिए माननीय गृह मन्त्री पर दबाव डालना चाहता हूं। मैं गृहमन्त्री पर दबाव डालना चाहता हूं कि वह उन सभी राजनैतिक कैदियों को रिहा करे जिनका हिंसा में कोई हाथ नहीं है। मैं माननीय गृह मन्त्री पर जम्मू और कश्मीर के लोगों से बात करने और उन्हें प्रशासन प्रक्रिया में लेने के लिए दबाव डालना चाहता हूं। केवल तभी हम कश्मीर समस्या के समाधान पर विचार कर सकते हैं।

इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, हम अत्यन्त संवेदनशील विषय पर विचार कर रहे हैं और हमने विगत न कुछ महीने के दौरान कश्मीर की स्थिति पर कई बार वाद-विवाद किया है ? मुझे पता चला है कि गृह मन्त्री के वक्तव्य के अनुसार सुरक्षा स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसा लगता है कि घाटी में सरकार की हकूमत नहीं चल रही है बल्कि उग्रवादियों, आतंकवादियों, अलगाववादियों और घुसपैठियों की हकूमत चल रही है ? हमें बताया गया है कि वहां राजनैतिक रिक्तता है। यह कहा जाता है कि स्थिति में कोई अच्छा परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन से स्थिति बदतर हो गई है।

इस अवधि के दौरान हमने स्वयं गृह मन्त्री से काफी संख्या में वक्तव्य, दृढ़ निश्चय के धर्म-परायण वक्तव्य, अत्यन्त प्रभावशाली वक्तव्य सुने हैं कि बन्दूकों से समस्या नहीं सुलझेगी। लेकिन मुझे डर है कि बन्दूकें शब्दों से ऊंची आवाज में बोल रही हैं। और काले कानूनों का जो ढांचा हमने वहां स्थापित किया है, वह वैसा ही हो और यहां तक कि राज्यपाल श्री सक्सेना को यह स्वीकार करना पड़ा है कि अत्याचार हो रहे हैं और उनसे उन्हें धक्का लगता है। हमारे पास प्रबल भ्रष्टाचार की बहुत-सी रिपोर्टें हैं। वास्तव में, शायद बहुत-से मामलों में कुछ वित्तीय लाभ के लिए लोगों को हवालात में रखा जाता है, और तंग किया जाता है। और इसलिए मुझे यह बात हैरानगी वाली नहीं लगती कि कश्मीर में स्थिति उस दिशा में नहीं बदल रही जिसकी हमे आशा थी। सतर्कता में कोई परिवर्तन नहीं है, तरीकों में कोई परिवर्तन नहीं है, दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं है और प्रशासकीय स्टाईल में भी कोई परिवर्तन नहीं हैं।

माननीय गृह मन्त्री मुझे यह कहने के लिए क्षमा करेंगे कि यह लगभग औपनिवेशिक स्टाईल है और सभापति महोदय इसलिए यह हैरानगी वाली बात नहीं है कि लोगों के अपहरण, उनकी कुण्ठा और निराशा, उनके तनाव और डर तथा हिंसा जो घाटी में व्याप्त है, में कोई परिवर्तन नहीं आया है और यही कारण है कि हम अपने आपको असहाय पाते हैं। सरकार समय-समय पर यह प्रकाशित करती है कि वे राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने की सोच रहे हैं। हम असेम्बली के पुनः चालू किए जाने के बारे में कभी-कभी सुनते या पढ़ते हैं। एक मृत शरीर को पुनः जीवन कैसे दिया जा सकता है। यह मैं नहीं समझ सकता। एक मृतक को कुर्सी पर बिठाकर एक देश या राज्य को कैसे चलाया जा सकता है। यह भी, मैं नहीं समझ सकता।

हमें बताया गया है कि इस बात का कभी-कभी संकेत मिलता है कि अवांछित राजनीतिज्ञ

जिसने अपने स्वार्थ के कारण या अपने तरीके से ऐसी स्थिति में घाटी को छोड़ा है तो उसे यदि मुख्य-मन्त्री नहीं तो राज्यपाल बनाकर के नए सलाहकार दे दिए जाते है। मैं कहता हूं कि इससे काम नहीं चलेगा। इससे स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। इससे कश्मीर के व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं होंगे। इससे राजनैतिक प्रक्रिया पुनः चालू नहीं होगी। और कभी-कभी हम सुनते हैं कि कुछ प्रसिद्ध कमेटियां नियुक्त की जा रही हैं। वास्तव में हमें ऐसा राष्ट्रपति ने बताया था। परन्तु उसको भी लगभग 1½ महीना बीत चुका है, हम उन समितियों के गठन के बारे में नहीं जान पाए हैं, उनके ऊपर कौन होगा, किस उद्देश्य के लिए गठित की जाएगी, उनका कार्य क्या होगा। ऐसा लगता है कि योजनाओं का पूर्णतया दिवाला निकल गया है। ऐसा लगता है कि मानो सरकार पूर्णतया चकरा गई है। कुछ समय पहले हमने माननीय प्रधानमन्त्री से व्यावहारिकता के सुसमाचार सुने थे। लेकिन उनमें कश्मीर के बारे में व्यावहारिकता का कोई चिह्न नहीं दिखाई दिया। मुझे उनमें केवल गड़बड़ का चिह्न दिखाई दिया। कभी-कभी सरकार राष्ट्रीय सर्वसम्मति बनाने की बात करती है। मैं उनकी मजबूरियां समझ सकता हूं। न केवल इसलिए कि वह एक अल्पमत की सरकार है बल्कि इसलिए भी कि कश्मीर का एक संवेदनशील मामला है। और किसी भी सरकार को चाहे वह बहुमत की है या अल्पमत की, देश को साथ लेना पड़ता है। कश्मीर जैसे प्रश्न पर राष्ट्र को एक दिलो-दिमाग से कार्य करना चाहिए लेकिन पुनः मैं पूर्ण निष्क्रियता देखता हूं। हम इस सदन के पटल पर बार-बार प्रस्ताव रखते हैं कि राजनैतिक दलों की एक बैठक होने दो। मैं नहीं जानता कि सरकार इस प्रश्न पर चर्चा करने हेतु राजनैतिक दलों की बैठक बुलाने के लिए क्यों टाल रही है। वे इस बारे में बात कर रहे हैं। वे उस प्रशासन जिसका लोगों में विश्वास नहीं है और उन लोगों जिनका उस प्रशासन में विश्वास नहीं है, के बीच हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? किसी भी तरह की सक्रियता दिखाई नहीं देती है। अतः, केवल यह बयान देने कि सरकार का इरादा नेक है, राष्ट्रीय सहमति की बात करने, अथवा राजनीतिक प्रक्रिया पुनः शुरू करने की पुरानी घिसी-पिटी सूक्ति को बार-बार दोहराने के अतिरिक्त हमें सरकार में समस्या पर नए सिरे से सोचने का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। सरकार संविधान के ढांचे के अन्तर्गत बातचीत करने की भी बात कहती है। लेकिन, क्या सरकार ने अपना गृह-कार्य पूरा कर लिया है? क्या सरकार ने अपना मन बना लिया है कि वह क्या कुछ पेश कर सकती है? क्या सरकार ने कश्मीर के भविष्य के बारे में क्या किए जाने की आवश्यकता है, इस बारे में कोई दीर्घकालीन योजना तैयार की है? क्योंकि पुरानी तो अतीत में खो चुकी है और मर गई है। पुरानी को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। अतः, नए सिरे कुछ सोचा जाना आवश्यक है और मैं सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं पाता कि वह अपने मस्तिष्क का प्रयोग कोई सांविधानिक ढांचा तैयार करने, भारत की प्रभुसत्ता के अन्तर्गत, संविधान के ढांचे के अन्दर कोई वैधानिक रास्ता निकालने के लिए कर रही हो जो कम-से-कम कुछ हद तक कश्मीर घाटी के लोगों की आकांक्षाओं और हितों को सन्तुष्टि प्रदान करेगा।

महोदय, इन तीन महीनों अथवा छः महीनों से कोई बदलाव नहीं आने वाला है। महीने वर्षों में बदल जाएंगे और हम हिंसा तथा तनाव के इस दलदल में गहराई के बाद गहराई तक डूबते चले जाएंगे जहां से शायद ही हम वापस हट सकें। हम अपनी ऊर्जा क्षीण करते जाएंगे तथा बिना कोई स्थाई परिणाम हासिल किए हुए अपनी शक्ति बरबाद करते चले जाएंगे।

सरकार इस संकल्प को उस वक्त लाई है जब वाकई हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें

उन्हें कुछ समय देना होगा अन्यथा 3 सितम्बर से एक प्रकार की सांविधानिक रिक्तता उत्पन्न हो जाएगी। चाहे यह तीन माह हों या छः माह, मुझे डर है, हम अभी तक कहीं भी समाधान के आसपास नहीं हैं। जब तक हम उन वैभवशाली दिनों को पुनः प्राप्त करने के लिए सही मायने में प्रयास नहीं करेंगे, जब कश्मीर के लोग आक्रमणकारियों के खिलाफ घाटी की रक्षा करने के लिए हमारे साथ उठ खड़े हुए थे, तब तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। हमें कश्मीरी लोगों के दिलोदिमाग पर राज करना है। हम केवल उनके निर्बल शरीर—चाहे मृत हो अथवा जीवित पर राज नहीं कर सकते है। हमें गृह मन्त्री जी को यदि वह चाहते हैं तो छः माह देने में भी, खुशी होगी लेकिन क्या वह हमें इस बात से आश्वस्त करेंगे कि छः माह के बाद अथवा इन छः महीनों के दौरान वह अपना गृह कार्य पूरा कर लेंगे? क्या वह घाटी की भंग शांति को वापस लाने तथा हम सबको तेजी से निगल रही आग को ठण्डा करने हेतु राष्ट्रीय सहमति तैयार कर कोई कारगर समाधान ढूंढ़ लेंगे?

इन शब्दों के साथ, मैं यहां खड़ा होकर सरकार द्वारा घाटी की स्थिति के प्रति अपर्याप्त रूप से ध्यान देने, अपर्याप्त रूप से अभिमुख होने के लिए उसकी आलोचना करता हूं तथा आशा करता हूं कि गृह मन्त्री जी सदन को इस बात से अवगत कराएंगे कि कश्मीरी जनता का दिल और दिमाग जीतने के लिए उनके मस्तिष्क में क्या विचार है, अथवा इस छः माह के दौरान वह क्या करना चाहते हैं?

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति बड़ी डरावनी है और यह बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान पहले ही युद्ध का होवा खड़ा कर चुका है कि वह आतंकवादियों को हर सम्भव सहायता प्रदान करेगा।

करीब दो माह पूर्व इस सरकार ने सत्ता संभाली है तथा कश्मीर की समस्या पर पहले ही दो बार इस भव्य सदन में चर्चा हो चुकी है। मुझे सरकार की ओर से कोई पहल दिखाई नहीं देती है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कम से कम सर्वदलीय समिति तो गठित की थी। उस सर्वदलीय समिति के सदस्यों ने कश्मीर का दौरा किया, उन्होंने भिन्न-भिन्न लोगों से बातचीत की, स्थिति को महसूस किया और तत्पश्चात् उन्होंने अपनी सलाह सरकार को दी। लेकिन इस सरकार द्वारा हमें कोई पहल नहीं दिखाई पड़ती है। हम पुराने तरीकों का सहारा लेते है, जो बाहुबल को प्रदर्शित करती है। लेकिन लोगों को बाहुबल के जरिए नहीं दबाया जा सकता।

हमें अतीत का इतिहास याद करना चाहिए। हम जानते हैं कि महाराजा हरीसिंह ने कश्मीर को एक स्वतन्त्र राज्य घोषित करने का प्रयास किया था। उनके प्रधानमन्त्री श्री रामचन्द्र काक उनके कार्यों के महान सहयोगी थे। पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी पर आक्रमण कर दिया लेकिन कश्मीर के लोग शेख अब्दुल्ला के साहसी नेतृत्व में भारत में शामिल होना चाहते थे। वे भारत में क्यों शामिल हुए? क्योंकि भारत ने स्वयं को एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया था। इसीलिए अनुच्छेद 370 को संविधान में लाया गया। कश्मीर अपनी पहचान को पुनःप्राप्त करना चाहता है। आज हम विश्व में वास्तव में देखते हैं कि सभी संघीय ढांचे में इकाईयां अधिक शक्ति चाहती है, अधिक स्वतन्त्रता चाहती हैं। अतः मेरी समझ में नहीं आता कि अनुच्छेद 370 के निःशेषण पर इतना होहल्ला क्यों खड़ा किया जा रहा है। हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों, नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम में इनर लाइन परमिट, आदि जैसे कई प्रकार के उपबन्ध हैं जो अनुच्छेद 370 के समान हैं। तो अनुच्छेद 370 के

ऊपर ही यह हंगामा क्यों खड़ा किया जा रहा है ? यह अनुच्छेद 370 ही है जो कश्मीर के लोगों को हमारे साथ रखने में सहायक सिद्ध हुई है। कश्मीर के लोग, जो 85% मुस्लिम हैं, हमारे साथ हैं। वे इस बात को महसूस करते हैं कि कश्मीर को न्याय भारत के अन्दर ही मिलेगा। अतः, मैं सरकार से विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करने का आग्रह करूंगा। सरकार को कश्मीर की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए अवश्य ही एक समिति गठित करनी चाहिए। केवल बन्दूक से अथवा केवल निष्ठुर कानूनों से कश्मीर की समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता।

केवल यही नहीं, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक सम्भव हो उपद्रवग्रस्त क्षेत्र को सीमित किया जाना चाहिए क्योंकि जम्मू और लद्दाख, लगभग शांत हैं। अतः, उन दो क्षेत्रों में राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिए। इसके लिए परामर्शदात्री परिषद् हो सकती है। सरकार को विभिन्न राजनीतिक अथवा क्षेत्रीय दलों से बातचीत शुरू करनी चाहिए।

अब मैं उन कश्मीरी शरणार्थियों का उल्लेख करना चाहूंगा जो घाटी को छोड़कर बाहर आ गए हैं। मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि इन विस्थापितों को हर सम्भव सहायता प्रदान की जाएगी जिससे कि किसी न किसी दिन वे घाटी में वापस जा सकें।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कर्मचारियों को आश्वासन दें कि उनके साथ किए गए करारों को सम्मान दिया जाएगा। उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। अतः उन कर्मचारियों को उनके कार्यों के बदले में पूरा वेतन दिया जाना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा प्रचार तन्त्र काफी कमजोर है। मैंने सुना कि कश्मीर में आल इंडिया रेडियो ने अपनी गतिविधियों को ठप्प कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन गतिविधियों को पुनः शुरू किया जा चुका है अथवा नहीं ? केवल यही नहीं, अगले दिन, लेबर पार्टी के एक संसद् सदस्य ने कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने वहां कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जो भारत के खिलाफ थी। यह प्रदर्शित करता है कि भारत का प्रचार तन्त्र पर्याप्त नहीं है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए और इसे पर्याप्त भी होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सुधीर राय : इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी बहुत-बहुत प्रशंसा की जाती है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपसभाध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर में बार-बार चुनाव को स्थगित कर खुशी नहीं होती पर वहां जो हालात हैं, उसमें इसके अतिरिक्त और कोई चारा भी नहीं है।

मुझे एक बात जरूर कहनी है कि यह जो समय मिलता है, पाकिस्तान तो इस सारे समय का

लाभ उठाकर कश्मीर की समस्या में अपने ढंग से, अपने मकसद की तरफ पूरा हो रहा है, उदाहरण के लिए पाकिस्तान द्वारा कश्मीर समस्या को इस्लामी कांफ्रेंस अथवा यूनाइटेड नेशंस के सब-कमीशन जैसे मंचों पर उठाकर इस समस्या को इंटरनेशनलाइज करने और पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री द्वारा इस तरह से भाषा बदली जा रही है, वह तो अपने मकसद के अन्दर पूरे हो रहे हैं लेकिन इस समय का सदुपयोग करके कश्मीर समस्या हमारी है क्या, हमें उसमें किस डायरेक्शन में बढ़ना है, सरकार अभी तक अपनी उस डायरेक्शन को तय नहीं कर पाई है, जिसका परिणाम यह है कि हम घाटे में जा रहे हैं, अपने कामों के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा। मैं केवल दो एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, अभी पिछले दिनों, जैसा मैंने पहले भी कहा था, सारे देश के अन्दर सेन्सस होता है, जनगणना होती है लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं होती। अभी परसों, दो दिन पहले यहां पर 15 अगस्त, 1947 के बारे में धर्मस्थलों का एक बिल आया, उसमें साफ लिखा है कि यह बिल जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार से जानना चाहता हूं इस तरह के एक्शन करके क्या वह पाकिस्तान को यह कहने का मौका नहीं देते कि देखिए जब हिन्दुस्तान ही उस एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करना चाहता, जब हिन्दुस्तान ही वहां सेन्सस नहीं कराना चाहता······

इसका साफ मतलब यह है कि कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है। मेरा यह कहना है कि हमें कश्मीर के बारे में कुछ निश्चित नीति तय करके, उसको एक राष्ट्रीय समस्या समझ करके, उसको केवल वोटों की राजनीति न समझ करके, उस समस्या को अपनाना चाहिए। काश्मीर के हालात आज क्या हैं, मैं उनको बार-बार दोहराना नहीं चाहता हूं। आज कश्मीर के अन्दर हालात यह हैं कि भारत सरकार की कोई अथारिटी नाम की चीज वहां नहीं हैं, राज्य प्रशासन को पूरी तरह से पाकिस्तानी समर्थकों ने जकड़ लिया है। इसका उदाहरण मैंने आपको पिछली बार दिया था। पिछला 26 जनवरी का गणतन्त्र दिवस जब मनाया गया तो उसमें आपका कोई अधिकारी शामिल नहीं हुआ। पन्द्रह अगस्त से एक दिन पहले चौदह अगस्त को वहां पाकिस्तान के झण्डे फहराए जाते हैं। यह कश्मीर की स्थिति है। पाकिस्तान में कश्मीर के सरकारी कार्यालयों के सरकारी कर्मचारी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। अभी पिछले दिन मैं यहां उपस्थित नहीं था, होम मिनिस्टर ने कहा, आपके रिकार्ड में है, कि किस तरह से कश्मीर के दफ्तरों से लोग पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रूफ चाहते हैं, तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। आप जगमोहन जी को बुला लीजिए, वे आपको सारे नाम और लिस्ट्स दे देंगे कि किस तरह से लोग पाकिस्तान गए और कैसे उनको ट्रेनिंग के लिए छोड़ते थे। यह सारी सूची होम मिनिस्ट्री के अन्दर है।

अभी रेडियो-टी वी का जिक्र हुआ, मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तानी रेडियो-टी वी इस समस्या की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी रेडियो-टीवी कश्मीर की जनता में अपना प्रसार और प्रचार कर रहा है, उसकी तुलना में भारतीय रेडियो-टीवी पूरी तरह से फेल हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस दिशा में कोई भी सख्त कदम उठाकर, कोई भी प्रभावी कदम उठाकर रेडियो-टीवी को काश्मीरी जनता के बीच में हम कैसे पोपूलर करें, कैसे वहां की जनता हमारा रेडियो-टीवी सुने, जिससे उनको सही स्थिति मालूम पड़ सके, इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कांग्रेस के अभी एक मित्र ने बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दे दिया कि हमें आतंकवादियों से बात करनी चाहिए, हमें सबको छोड़ देना चाहिए। इस बात को कहकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी सीमा के ऊपर हमारे अर्द्धसैनिक बल और सैनिक बल जो जान हथेली पर रखकर लड़ रहे हैं उनसे, अगर उनको यह मालूम पड़ गया, जैसे कि इंगित किया जा रहा है, उनसे बात की जाए, उनको छोड़ दिया जाए, तो वे अपनी जानें क्यों देंगे और वे क्यों लड़ेंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग बन्द करना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैंने यह विशेष रूप से कहा है कि मैं खाडकुओं के बारे में बात नहीं कर रहा था। मैंने कहा है कि ऐसे अन्य लोग हैं जो राजनैतिक बन्दी हैं और उनका सम्बन्ध हिंसा से नहीं है। मैंने केवल ऐसे लोगों के बारे में बात की है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि ऐसे कितने लोग हैं?

श्री दिग्विजय सिंह : जितने हों।

श्री मदनलाल खुराना : मैं कहना चाहता हूं, आप केवल हवा में बात मत करिए। आप अपनी सरकार से कहिए। मैं यही कहना चाहता हूं, यह सरकार अपने सदस्यों से कुछ और कहलवाती है और करती कुछ और है। इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है।···(व्यवधान)···पिछली बार भी यहां माननीय सदस्य, श्री अयूब खां ने कहा था, वे सामने बैठे हुए हैं, कि वहां से जो कश्मीरी विस्थापित होकर आ रहे हैं, वे अपने आप आए हैं, उनको बीजेपी के लोग लेकर आए हैं। मैं आज ये चिट्ठियां लेकर आया हूं (व्यवधान)

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा था। मैंने यह कहा था बीजेपी की बदौलत श्री जगमोहन, गवर्नर के पद से डिटेन हुए। उन्होंने यह साजिश घड़ी की कि वहां से हिन्दुओं को यहां लाया जाए। वहां ऐसे कोई भी हालात नहीं है, काश्मीर में। किसी हिन्दु और मुसलमान में फर्क यहां है और न कहीं हिन्दुस्तान में है। यह सिर्फ मनगढ़न्त साजिश खड़ी की गई है···(व्यवधान) ···बीजेपी ने पॉलिसी बनाई कि जगमोहन के द्वारा तमाम हिन्दु काश्मीर से इधर ले आओ। यह कैसे हो सकता है। एक जगह से तमाम आबादी को शिफ्ट कर दिया गया है।

4.00 म० प०

श्री मदन लाल खुराना : यही मेरा कहना है कि आपने यह कहा कि बीजेपी और जगमोहन साजिश करके हिन्दू माइग्रेंट्स को यहां लाए, क्या यह उनके जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हर सदस्य को अपनी बात कहने के लिए, जो कुछ भी उसे कहना है, एक अवसर दिया जाना है। जब कोई विशेष व्यक्ति बोल रहा हो तो जब तक वह अपनी बात समाप्त नहीं कर लेता है तब तक उसमें व्यवधान उत्पन्न करना उचित नहीं होगा।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : लेकिन उस समय क्या किया जाए, जब एक माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य की बात को गलत ढंग से उद्धृत कर रहा हो ?

उपाध्यक्ष महोदय : गलत रूप से उद्धृत करना भी उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : उपाध्यक्ष जी, मैंने नाम लिया था, लेकिन जो बात मैं कह रहा था, उसी बात को उन्होंने दोहराया है कि बीजेपी और जगमोहन साजिश करके कश्मीरी माइग्रेंट्स हिंदुओं को कश्मीर से निकालकर यहां लाए हैं। (व्यवधान)

हिन्दू माइग्रेंट्स निकलवाए, यह बात मुस्लिम लीग तो कह सकती है, लेकिन कांग्रेस को यह नहीं कहना चाहिए। मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब इस बात को स्पष्ट कर दें, क्या वे भी इसी मत के हैं। मेरा कहना यह है कि क्या यह कह करके आप उनके जख्मों पर नमक नहीं छिड़क रहे हैं। लाखों लोग अपना घरबार छोड़कर, बरबाद होकर के किसी के कहने पर इस तरह से आ सकते हैं ? यदि वे अपनी इज्जत को छोड़कर भारत माता जिंदाबाद की बजाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, तो वे भी वहां रह सकते थे।

श्री अयूब खां : कश्मीर भी तो भारत में है।

श्री मदनलाल खुराना : आप कहां मानते हैं, यदि मानते हैं तो फिर सेंसस क्यों नही करवाते।

(व्यवधान)

मैं कश्मीर होकर आया हूं, वहां रह कर आया हूं। कश्मीरी माइग्रेंट्स के बारे में अभी बोलने वाले कांग्रेस के माननीय सदस्य और जनता दल के माननीय सदस्य ने एक शब्द भी नहीं कहा। दो ढ़ाई लाख लोग, दो ढ़ाई साल से यहां पड़े हुए हैं। ये लोग अपने घरबार छोड़कर यहां पड़े हैं, परिवार तबाह हो गए हैं, फैमिली लाइफ खत्म हो गई है, एक एक कमरे में 12-12 परिवार रह रहे हैं, एक एक टेंट में 3-3 परिवार रह रहे हैं। उनकी समस्याओं को हल करने की बजाए उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये किसी की साजिश से आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, उनकी क्या हालत है, इसके बारे में 3 दिन पहले दिल्ली से ही छपने वाले एक अखबार में विस्तार से आया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह लू से लोग मर रहे हैं, सांपों के डसने से मर रहे हैं, किस तरह से नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सारा विवरण इसके अन्दर दिया गया है।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं। अभी कश्मीरी मुसलमानों के बारे में कहा गया, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। मैं बार-बार यह कहना चाहता हूं कि सारे के सारे कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान समर्थक नहीं हैं, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि केवल कश्मीर को ही जम्मू-कश्मीर का हिस्सा मत मानिए, कश्मीर के अलावा जम्मू भी है, लद्दाख भी है, वहां की समस्याएं हैं। उन समस्याओं की तरफ भी देखना चाहिए। कश्मीर के बारे में सरकार की जिस तरह की ढुलमुल की नीति रही है, इससे समस्या और बढ़ेगी।

इसलिए मेरा निवेदन है कि 6 महीने का समय और मिल रहा है, जब तक वहां पर फ्री चुनाव होने की पूरी सम्भावना न हो, हालांकि आज तक वहां कभी फ्री चुनाव हुए नहीं हैं, 1852 से इतिहास बताता है और उसी का यह परिणाम है।

उसी का परिणाम यह है कि आतंकवादी हुए हैं। पिछले चुनाव में श्री फारूक अब्दुल्ला ने धांधलियां की थी। कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाएं जाएं तो वहां जम्मू और लद्दाख के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसकी तरफ देखा जाए और कश्मीर में जल्दी से जल्दी स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव हों। इसके लिए सरकार केवल हमसे बिल पास करा ले और फिर हाथ पर हाथ रखकर बैठे तो उसके लिए छह महीने की कोई एक नीति लेकर इस सदन में आए। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्री द्वारा जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए लाए गए सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं।

सरकार के पास राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के सिवाए और कोई विकल्प नहीं है। जम्मू एवं कश्मीर में व्याप्त परिस्थितियों की गम्भीरता के बारे में किसी भी तरह का दो मत नहीं है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ही गम्भीर है। आतंकवाद की समस्या कहां है। उच्च अधिकारियों का अपहरण, आदि करना वहां रोजमर्रा की चीज बन गई है। ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत, स्वीकार्य रूप से, वहां स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। और यदि हम निकट भविष्य में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा सकते हैं तो वहां राष्ट्रपति शासन जारी रखने के सिवाए और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन, मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह हम कितनी दूरी तय कर सकते हैं।

मुझे यह देखकर पीड़ा होती है कि वहां जनवरी-फरवरी, 1990 में राष्ट्रपति शासन लागू घोषित किए जाने के बाद प्रजातन्त्र का गला उस समय घोंटा गया जब वहां विधान सभा को भंग कर दिया गया। मैं समझता हूं कि वहां विधान सभा को केवल राजनीतिक तर्कों के आधार पर ही भंग किया गया। लेकिन, उस समय इससे हुई क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। अब, हम सभी अतीत को भूल जाने और वहां स्थिति में सुधार लाने की बात कर रहे हैं। सरकार के समक्ष सबसे बड़ा कार्य—न केवल सरकार के सामने, बल्कि यह विस्तृत रूप में पूरे देश के सामने है—स्वयं को इस समस्या से अवगत कराना और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में कुछ सुधार लाना है। हमारा मुख्य काम वहां सबसे पहले भाईचारे का माहौल पैदा करना है।

कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति घाटी में कोई भी भूमिका नहीं अदा कर रही है। वहां पर कोई भी बड़ी राजनीतिक गतिविधियां नहीं हो रही हैं। राजनीतिक दलों को विश्वास और भरोसे का वातावरण तैयार करने की पहल करनी है। इस सम्बन्ध में, भंग की गई विधान सभा का चुनाव फिर से कराने के सुझाव का परीक्षण किया जाना चाहिए।

विधान सभा का दुबारा प्रावधान करने के कतिपय फायदे तो होंगे। इसकी जांच की जानी चाहिए। यदि यह प्रश्न व्यवहार्य न पाया जाए, तो एक सलाहकार बोर्ड होना चाहिए जिसमें राज्यपाल की सहायता करने के लिए गैर-सरकारी व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए।

4.10 म० प०

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

इससे सम्बन्धित एक और बात है। राज्यपाल किस प्रकार का व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए। हम सेना, नौकरशाही, और अन्य क्षेत्रों के एक के बाद दूसरे व्यक्ति को आजमा रहे हैं। वह व्यक्ति कोई भी हो, उसे लोगों द्वारा झेले जाने वाली समस्याओं को समझने अथवा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ मिलने-जुलने की कोशिश करनी चाहिए और इसके बाद, हमें उसको छेड़ना नहीं चाहिए। यदि वह अपेक्षित कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे वहां बने रहने देना चाहिए।

इस विषय में भी मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा—वस्तुतः उन्होंने इस सभा में जम्मू कश्मीर की अपनी प्रस्तावित यात्रा के बारे में पहले संकेत दिया था—कि उन्हें शीघ्र ही वहां का दौरा करना चाहिए। उन्हें यथासम्भव शीघ्र घाटी का दौरा करना चाहिए। मुझे भरोसा है कि यह दौरा नैमित्तिक नहीं होगा। उन्हें वहां रुकना चाहिए और वहां काफी समय लगाना चाहिए तथा अलग-अलग क्षेत्रों के यथासम्भव अधिक से अधिक लोगों जैसे वकील, व्यापारी और सांस्कृतिक संगठनों आदि के प्रतिनिधियों से मिलने-जुलने की कोशिश करनी चाहिए।

उन्हें वहां की स्थिति का भी आकलन करना चाहिए। उसके बाद सभी दलों की बैठक होनी चाहिए। सभी दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन होना चाहिए। जब तक आपसी सम्बन्धों की एक व्यापक भावना पैदा नहीं की जाती, तब तक स्थिति में सुधार करना मुश्किल है।

कश्मीर भारत का एक विभिन्न अंग है। भारत की एकता पर कभी भी सौदेबाजी नहीं की जा सकती चाहे इंगलैंड के छाया विदेश सचिव कुछ भी कहते हों। उन्होंने यहां और अत्यन्त गैर-जिम्मेवार, अनपेक्षित टिप्पणियां की थीं।

अतः जो कुछ भी अपेक्षित है, वह हमारे संविधान के ढांचे में किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के विभिन्न दलों के नेताओं आदि से विचार-विमर्श करके एक समाधान निकालना होगा। एक बहुत ही सुलझे हुए दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

अब मैं, आर्थिक फायदों की बात करता हूं। आतंकवादी की हिंसा के और सुरक्षा बलों की गैर-जिम्मेदाराना कार्यवाही के शिकारलोगों को भी शीघ्र राहत दी जानी चाहिए। वे भी काफी नुक्सान कर

रहे हैं। यह निश्चित है कि घाटी में सुरक्षा बलों पर ही आश्रित नौकरशाही से शासन नहीं किया जा सकता। सैनिकों और सुरक्षाबलों की सहायता से हम क्या, कोई भी जम्मू कश्मीर पर शासन करने की सोच नहीं सकता। इसी के साथ ही, यह भी एक मान्य तथ्य है कि सामान्य राजनैतिक प्रक्रिया के रुक जाने से आतंकवाद प्रायः आसानी से जड़े जमा लेता है। घाटी में ठीक यही घट रहा लगता है।

आज भी एम०यू०एफ० को भी पाकिस्तान के संरक्षण में कार्यवाही कर रहे एक सशस्त्र ग्रुप ने एक तरफ कर दिया है। जैसाकि हमें जानकारी है 'समस्या यह है कि हर बार माननीय गृह मन्त्री जी से हमें' यह उत्तर मिलता है कि सीमापार से पाकिस्तान बड़े पैमाने पर आतंकवाद को उकसा रहा है। गुमराह युवकों को प्रशिक्षण, देश में समस्या खड़ी करने के लिए उन्हें अत्याधुनिक शस्त्र और गोला-बारूद की सप्लाई, यह सब कब तक चलता रहना चाहिए; सीमा पार के अन्य देश से भी इस समस्या को भड़काया जाता है ? हम यह कब तक सहन कर सकते हैं ?

पाकिस्तान उसी भाषा के समझ सकता है जो भारत सरकार को बोलनी होगी। अपना विरोध जाहिर करना या दर्ज कराने से ही काम नहीं चलेगा। इसीलिए, पाकिस्तान जिस भाषा को भी समझ सकता है, भारत को वह भाषा बोलनी ही पड़ेगी।

एक और दुःखदायी पहलु यह है कि कश्मीर के सम्बन्ध में, वहां पर प्रतिदिन मानव अधिकार हनन और इसी तरह की अन्य बातों के सम्बन्ध में पूरे विश्व में गलत जानकारी का एक अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रकार से, हमारे दूतावासों को जवाबी कार्यवाही करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए; हमारे दूतावासों को उपयुक्त रूप से अनुदेश दिए जाने चाहिए, और उन्हें भारत के सम्बन्ध में इस तरह की गलत जानकारी का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसका जवाब देने के लिए समुचित रूप से तैयार रहना चाहिए।

इन कतिपय सुझावों के साथ, मैं यह कहना चाहूंगा कि यही समय है जब राजनैतिक पहल करनी होगी और राजनैतिक दलों को पुनः सक्रिय करना होगा; और राजनैतिक दलों को इस सम्बन्ध में मिल-जुल कर पुनः कार्य शुरू करना चाहिए।

मुझे खुशी है कि श्री मदन लाल खुराना—जो मेरे से पहले बोल चुके हैं—ने कम से कम अनुच्छेद 370 का जिक्र नहीं किया—मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने यह जिक्र जान बूझकर नहीं किया —मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। तथापि, भा० ज० पा० के पहले वक्ता ने इसका जिक्र किया था। (व्यवधान) आज भी हम विश्व पर नजर डालें तो विश्व भर में जो कुछ हो रहा है वह दृष्टिगोचर होगा। एक दिन, श्री रंगराजन कुमारमंगलम ने भी अपने उत्तर में इस सम्बन्ध में कुछ कहा था। कतिपय स्वायत्तशासी विकास परिषद आदि स्थापित करके हमारे देश में कुछ राज्यों में अनुच्छेद 371 भी प्रवर्तन में है। और जम्मू कश्मीर में जो घटा है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखे और फिर भी आग्रह करे कि अनुच्छेद 370 खत्म किया जाये, तो मैं क्या कह सकता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, चूंकि मेरा नाम लिया गया है, मुझे स्पष्टीकरण देने दीजिये। बेशक मेरा नाम नहीं भी लिया गया हो तो भी भले ही आर्टिकल 370 के जो दो···

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैंने तो आपको कान्ग्रेचुलेट किया है ।

मैंने और क्या कहा है ।

श्री मदन लाल खुराना : मैं एक मिनट में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं क्योंकि मेरा नाम लिया गया है ।

सभापति महोदय : बैठिए । ए प्वाइंट ऑफ आर्डर पर हैं ।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरे विचार से हमारे लिए शिष्टाचार का एक तरीका अपनाना शुरू करना आवश्यक है । आमतौर पर, जब आप करना चाहते हैं तो आप वक्तव्य दे रहे सदस्य विशेष से विराम के लिए कह सकते हैं । अगर श्री खुराना मान जाते हैं, तो हम अनुगृहीत होंगे ।

सभापति महोदय : यह श्रीमान खुराना के लिए प्यार है ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, जब कुमारमंगलम साहब यहां बैठते थे, इस तरफ, उस समय इनका रवैया क्या होता था ।

प्रो० प्रेम धूमल : तब बार-बार जाकर कुएं में गिरते थे ।

श्री मदन लाल खुराना : वे कुएं में गिरते थे, हम तो नहीं गिरते हैं ।

सभापति महोदय : आप पाणिग्रही जी को बोल लेने दीजिये ।

श्री मदन लाल खुराना : चूंकि इन्होंने मेरा नाम लिया है, अतः मुझे स्पष्टीकरण देने दीजिये । मैं बस एक मिनट में आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : दुनिया तो अपना नाम लिखाने के लिए पता नहीं क्या-क्या कर रही है और जब वे आपका नाम ले रहे हैं तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं । अब पहले पाणिग्रही जी को बोलने दीजिए ।

[अनुवाद]

आपका समय पूरा हो गया है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं उन्हें बधाई देता हूं । मैं अपने समय के प्रति सतर्क हूं । स्थिति यहां

पर काफी गम्भीर है, और यह भी कि यह कोई दलगत मामला नहीं है। अतः राजनैतिक सम्बद्धताओं को छोड़कर हम सभी को साथ मिलकर बैठना चाहिए, इस समस्या पर विचार करके इसका कोई हल निकालना चाहिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री को इस दिशा में पहलकारी कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैंने एक संशोधन पेश किया है, इस संशोधन के समर्थन में और इस प्रस्ताव के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। इस प्रस्ताव पर जो बहस चल रही है, उससे हम कोई बहुत आशावान नहीं हैं, क्योंकि हमारी राय है कि जिस पार्टी की तरफ से यह प्रस्ताव लाया गया है, यह दो बातों को लेकर ऐसी गलतियां कर रही है कि मैं नहीं मानता हूं कि इनके बस की है कि कश्मीर के मसले को हल कर लें। पहली गलती यह कर रहे हैं कि जो मौजूदा स्थिति है जमीन पर, उस स्थिति को नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसे अभी जो हमारे गृह मन्त्री ने अपना बयान दिया, उसकी कॉपी तो हमें नहीं मिली, लेकिन उनके बहुत तेजी से बोलते वक्त जो दो-चार जुमले मैंने लिख लिए, उनमें उन्होंने कहा कि···

[अनुवाद]

सुरक्षाबलों को क्षेत्रीय कमान्डरों को गिरफ्तार करने में और इसी तरह की अन्य बातों में काफी सफलता मिली है। उसने बाद वे कह रहे हैं कि लोगों का दिमाग भी बदला है।

[हिन्दी]

यानी, वहां कश्मीरी लोगों की सोच में बहुत जबर्दस्त फर्क आ रहा है और फर्क हमारे लिए अनुकूल है। फिर ये बोले कि······

[अनुवाद]

पाकिस्तान से उनकी विरक्ति होती जा रही है।

[हिन्दी]

फिर वे बोले कि अभी तो वे इतने परेशान हैं, आतंकवादी कहें, मिलिटेंड कहें, इनसरजेंस कहें, मैं, तो उन्हें इनसरजेंस कहता हूं—

[अनुवाद]

वे विद्रोही हैं। वहां पर विद्रोह हो रहा है।

[हिन्दी]

उसको नजरअंदाज करने से गलती होगी और कभी इस मसले को हल करना सम्भव नहीं होगा।

[अनुवाद]

वे हल्के फुल्के लक्ष्यों को बेध रहे हैं।

[हिन्दी]

यानी अभी वे कोई बड़ी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं और अन्त में वे बोले।

[अनुवाद]

निकट भविष्य में राजनैतिक प्रक्रिया के शुरू होने की सम्भावना नहीं है।

[हिन्दी]

अब उपाध्यक्ष जी, मुझे नहीं मालूम कि गृह मन्त्री इस बात को जानते हैं कि नहीं 14-15 अगस्त को श्रीनगर में क्या हुआ। 14-15 अगस्त की बात छोड़ें, पिछले एक हफ्ते में श्रीनगर में क्या हुआ? एक तो आपने वहां ऐसे पत्रकारों को बैठाया है, वे असलियत को यहां पर कभी भेजते ही नहीं हैं। जब मैं कुछ दिन के लिए कश्मीर का कामकाज देखता था तब मैंने इसको सबसे ज्यादा अनुभव किया। जम्मू में बैठकर वे खबर भेजते थे। ये उनके मन की चीजें हैं। यहां दिल्ली में बैठे हुए किसी बड़े आदमी के लिए जो पसन्द है, वह चीज है और यह नयी बात नहीं हैं। एक जमाने से बनी हुई बात है कि कश्मीर में कुछ पत्रकार, आपका गुप्तचर विभाग कहिए, चाहे जो विभाग कहिए, उसके जरिये जो खबर भिजवाने की जरूरत है, उसको भिजवाने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा अन्याय कश्मीर के लोगों के साथ इनकी तरफ से होता रहा है और इस स्थिति को निर्माण करने में उनका भी अपना योगदान हैं, क्योंकि सच्चाई देश के लोगों तक कभी जाती नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या गृह मन्त्री इस बात से इंकार करेंगे कि अभी पिछले हफ्ते में श्रीनगर में जामा मस्जिद पर 20 हजार लोगों ने एक बहुत बड़ी सभा की, जे० के० एल० एफ० के तत्वावधान में, और उस सभा को सम्बोधित करने का काम किया जावेद मुनीर ने, जो जे० के० एल० एफ० का एक्टिंग कमाण्डर इन चीफ है, चूंकि कमाण्डर इन चीफ अभी जेल में बन्द हैं। तो क्या जावेद मुनीर ने उसको सम्बोधित नहीं किया? यानी सारी जे० के० एल० एफ० अपनी पूरी शक्ति के साथ, श्रीनगर की जामा मस्जिद के आंगन में 20 हजार लोगों को लेकर बैठती और जो भी उसको कहना है वह अपनी बात कहती है। फिर क्या गृह मन्त्री जी इस बात से इन्कार करेंगे कि उसके दो दिन के बाद अल अजहर मुजाहिदीन की तरह से उसी जगह पर एक और सभा की गई जिसमे अल अजहर मुजाहिदीन के मुश्ताक जरगर मौजूद रहने वाले थे, लेकिन वे मौजूद नहीं रहे. उनके लैफ्टिनेंट हाजिर रहे, मगर 14 अगस्त को यानी पाकिस्तान की आजादी के दिन मुश्ताक जरगर ने एक बहुत आलीशान प्रदर्शन श्रीनगर की मुख्य सड़कों पर किया, जहां हथियारों को लेकर छः सितारे लगाए हुए एक जीप गाड़ी में बैठकर उनकी सेना का प्रदर्शन क्या उन्होंने नहीं किया।

[अनुवाद]

हम यहां पर कह रहे हैं कि क्षेत्रीय कमण्डरों को गिरफ्तार करने में विशेष सफलता मिली है।

[हिन्दी]

क्या यह बात सही नहीं है कि उसी के बराबर हिजबुल मुजाहीदीन ने उसी 14 तारीख को समूचे श्रीनगर की हर गली में, हर सड़क पर अपने सबसे आधुनिक हथियारों को प्रदर्शित करके, कहां

उनकी ताकत है, इसका प्रदर्शन किया। अगर हम यहां पर गृह मन्त्री जी के मुंह से सुनें कि भाग रहे हैं, दब रहे हैं, लोग अपनी तरफ आ रहे हैं, हम लोगों को जबरदस्त कामयाबी मिल रही है आदि, तो यहां पर जो विचार होगा, जो चर्चा होगी वह समस्या के हल की दिशा में जाने वाली चर्चा नहीं होगी। इसलिए हमको परेशानी है, सरकार का जो रुख है तथ्यों को इंकार करना, यह हमें भारी पड़ रहा है।

कश्मीर की आज की स्थिति को लेकर हमारे पूर्व वक्ता यहां हर जो बोले, उन्होंने कहा कि जनता दल की सरकार ने जो कुछ भी गड़बड़ी की थी उसके चलते यह धांधली है। हम बहस नहीं चाहते हैं, बहुत अफसोस है लेकिन कहना पड़ता है। हम इस बहस को ऐसे ही इस सदन में नहीं चलाना चाहते हैं। अभी टैरोरिस्ट एण्ड ऐंटी डिसरपटिव ऐक्टीविटीज बिल को लेकर इस सदन में बहस हुई। तब कांग्रेस के बहुत बुद्धिजीवी, सम्माननीय सदस्य श्री मणि शंकर अय्यर ने कश्मीर पर अपना भाषण दिया था। मैं उनके भाषण को लाया हूं। उनका ऐबोरशन का बहुत ही प्यारा शब्द है। उन्होंने कहा कि :

[अनुवाद]

"राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति इस हद तक खराब हो चुकी है कि एक समुदाय के अधिकतर लोग राज्य को छोड़कर चले गए हैं, जहां पर कानून के शासन की बजाय बन्दूक का शासन है और यह स्थिति उस समय शुरू हुई थी जब राजनैतिक प्रक्रिया समाप्त हो गई थी ... कश्मीर के एक राज्यपाल ने राजनैतिक प्रक्रिया को तत्काल रोक दिया था और जो राजनैतिक और राष्ट्रवादी तत्व थे, उन्हें घाटी में लोगों से सम्पर्क करने की अनुमति नहीं दी।"

[हिन्दी]

यह भी कांग्रेस की एक सोच है। आगे जाकर उन्होंने कहा है कि अब वहां पर जो राजनैतिक तत्व हैं, जिसमें फारूख अब्दुल्ला का नाम उन्होंने बार-बार लिया, उसके साथ कांग्रेस पार्टी, जैसे कांग्रेस वहां पर अभी सब कुछ करेगी, इस बात को बार-बार बताया। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, उसके बारे में शिकायत करना हमारा वक्त बरबाद करना है। जब वे बोलते हैं, हम मानते हैं कि वे सरकारी पार्टी की नीति, सोच को कहते हैं। मेरे हाथ में किताब है, मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के सदस्य इसका अध्ययन करके इसको पढ़ने का काम करें। यह किताब फारूख अब्दुल्ला ने लिखी है, इसका नाम है 'माई डिसमिसल'। जिस फारूख अब्दुल्ला के हाथ में आज गद्दी देने की बात करते हैं और जिसके ऊपर इतना प्यार उमड़ रहा है, इस किताब में उनका जो कहना है उसको जरा सुन लीजिए क्योंकि इतिहास को हम कम से कम समझ लें। यह 1985 की किताब है और इस किताब में फारूख अब्दुल्ला कहते हैं :

[अनुवाद]

"कश्मीर में कांग्रेस और इसके मित्रों, शाह गुट (शाह से यहां गुल मोहम्मद शाह से अभिप्राय है) ने मुझे राष्ट्र-विरोधी कहना और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा करार देना बन्द नहीं किया है।

मेरी बर्खास्तगी और जम्मू तथा कश्मीर में आज जो स्थिति है, उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कांग्रेस है।"

[हिन्दी]

लेकिन बात यही नहीं है, इतनी बात कहकर हम चुप नहीं रहना चाहेंगे, हम यह बताना चाहेंगे कि वे साजिश की चर्चा करते हैं।

[अनुवाद]

इन्हें सत्ताच्युत करने का षडयन्त्र करते हैं।

[अनुवाद]

कांग्रेस (इ) और श्रीमती इन्दिरा गांधी राज्यों में विपक्षी सत्ता केन्द्रों के साथ सह-अस्तित्व के लिए तैयार नहीं थी। जम्मू और कश्मीर और आन्ध्र प्रदेश में उनके जोड़तोड़ से यह बात प्रकट होती है। जून, 1983 में आम चुनाव के पश्चात् अपनी सरकार बनने के बाद से मुझे क्षण प्रतिक्षण यही लगता रहा कि दिल्ली (कांग्रेस) देर सवेर मेरी सरकार को गिराएगी; चूंकि वे इसके लिए कटिबद्ध थे।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : 1985 में, श्री वी० पी० सिंह भी मन्त्रिमण्डल को बर्खास्त करने के जिम्मेदार थे। अब वे किस तरफ हैं? (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री आर्कार फर्नान्डीज : सभापति जी, इनको एक बार समझा दीजिए, वह बार-बार ऐसा टोकते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन जम्मू और कश्मीर में राजनैतिक किस्सा कहानी की बात कांग्रेस से पहले ही सुनकर आए थे। आपने उन्हें भेजा, चूंकि आप कर्ताधर्ता थे। आपने उन्हें सरकार को अस्थिर करने, इसे गिराने के लिए भेजा था···(**व्यवधान**) आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी।

[हिन्दी]

और जिस गवर्नर की परेशानी है, जिस गवर्नर की इन लोगों को परेशानी है, फारुख अब्दुल्ला की बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : यह बात असंगत है।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालिए।

(**व्यवधान**)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : कश्मीर मामले पर अपने अध्ययन के लिए बहु मार्गनिर्देश दे रहे हैं।

[हिन्दी]

और अगर इन चीजों का ये ख्याल नहीं रखना चाहेंगे, सरकारी पार्टी के लोग, अगर हकीकतों को ये लोग भूल जाएंगे, मैं राजनीति की बहस नहीं कर रहा हूं।

मैं केवल तथ्यों को रख रहा हूं, क्योंकि, अगर आप कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं तो फिर इन चीजों को नजरअन्दाज करके आप हल नहीं खोज सकते हैं। इसको समझे बगैर कि क्या हुआ, कहां बिगाड़ हुआ, कैसे हुआ, इसको समझने से जब आप इन्कार करेंगे तब कैसे हल निकल सकता है। ...(व्यवधान)...यही मेरी शिकायत है, आप इसी बात को बार-बार यहां कह रहे हैं।

[अनुवाद]

इस नाटक के मुख्य अदाकार थे श्री अरुण नेहरू, माखन लाल फोतेदार, गुलाम नबी आजाद, आरिफ खां, मुफ्ती मोहम्मद सईद (प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसीडेन्ट) मौलवी इफ्तीखार, हुसैन अन्सारी (कांग्रेस विधान सभा दल के नेता) पण्डित मंगत राम शर्मा (प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव), श्री डी० डी० ठाकुर और हां, वास्तव में, श्री गुलाम मोहम्मद शाह। इन अभिनेताओं को अभिनय कराने वाली निर्देशिका और निर्मात्री थीं श्रीमती इन्दिरा गांधी जिन्होंने इसका नेतृत्व किया।

सभापति जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस तथ्य को इस सदन में रख रहा हूं कि अगर सदन के सामने कश्मीर का यह सारा काण्ड कहां शुरू हुआ, उसकी बात न हो और 1989 में क्या हुआ, मेरी यह मान्यता है कि 1984 में जब फारुख अब्दुल्ला की चुनी हुई सरकार को, फारुख जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कांस्परेसी, लोगों के नाम ले रहे हैं, वह किस पार्टी में हैं, मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे लेना देना है कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर के मसले को कैसे हल करेंगे, तथ्यों को समझकर अगर आप कदम नहीं बढ़ाएगे तो आप हल नहीं कर पाएगे, हमें मतलब है केवल इन बातों से। तो 1984 में चुनी हुई सरकार को आपने गिरा दिया। फारुख अब्दुल्ला उस वक्त सड़क पर आ गए, उन्होंने सब चीजों की मुखालफत की, सारी हरकतों की मुखालफत की। राष्ट्रद्रोही, गद्दार, पाकिस्तानी दलाल यह सारी बातें आपने उन लोगों के नाम से कहीं, उस सारी चीज को उगने पीने का काम किया।

हिन्दुस्तान के गैर-कांग्रेसी दलों ने, इस तरफ आज बैठे हुए 1-1 दल ने, किसी अपवाद के बगैर एक-एक दल ने वहां जाकर उसको समर्थन देने का काम किया और फिर फारुख अब्दुल्ला अपने ही शब्दों पर खड़े नहीं हो पाए। उन्होंने इस बात को कहा है कि कैसे 1983 में बुलाया गया, बुलाकर कहा गया कि कांग्रेस नेशनल कांफ्रेंस के साथ चुनावी गठजोड़ करे और जब उन्होंने गठजोड़ करने से इन्कार किया, तब कैसे उसको बताया गया कि अब तुम्हारे लिए कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा, अब यही रास्ता है। यह इन्होंने कहा है—

[अनुवाद]

"मार्च, 1983 में उन्होंने आने वाले चुनावों के लिए चुनाव सम्बन्धी सूझबूझ पर बातचीत आरम्भ की। इसके लिए श्री राजीव गांधी और श्री कृष्ण चन्द्र पन्त से प्रारम्भिक बातचीत करने के लिए दिल्ली गया। जब मुझे योजना बताई गई तो मैंने महसूस किया कि ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय मुझे अकेले नहीं लेना चाहिए बल्कि दल व अन्य नेताओं से परामर्श किया जाना चाहिए। मैं नेशनल कांफ्रेंस की कार्यकारिणी समिति से परामर्श करना चाहता था···"

इसके पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो कुछ भी प्रस्तुत किया जा रहा था पर्याप्त नहीं था। वे जो कुछ भी प्रस्तुत कर रहे थे वह नेशनल कांफ्रेंस के व्यापक हित में नहीं था।

और आगे उनका कहना है कि :

"यह आरम्भिक मुद्दा था। इसके लिए कांग्रेस ने मुझे कभी भी क्षमा नहीं किया। कांग्रेस हमारे समर्थन से कश्मीर में चुनाव जीतना चाहती थी·· कश्मीर में कांग्रेस अपनी चालबाजियों के लिए जानी जाती है। कांग्रेस अपनी पार्टी के मुख्यालय कांग्रेस भवन में आग लगाने में सफल रही और इसका दोष हमें दिया गया। बाद में जब प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इकबाल पार्क में एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया तो उस सभा में बहुत कम लोग उपस्थित थे। कांग्रेस के स्थानीय सदस्य उन्हें (श्रीमती गांधी) यह बताने में सफल रहे कि फारूख अब्दुल्ला और उसकी पार्टी के व्यक्तियों ने लोगों को उनकी (श्रीमती गांधी) सभा में आने से रोका था···यदि कांग्रेस इस बात को सिद्ध कर सकती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा··· हमारा इसमें कोई हाथ नहीं था और मैंने उनसे (श्रीमती गांधी) व्यक्तिगत रूप से इस बारे में बातचीत की थी। बाद में जब श्री राजीव गांधी श्रीनगर आए और उन्होंने इकबाल पार्क में एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया, तो मेरी सरकार ने किसी भी प्रकार के अप्रिय घटना अथवा हिंसा से बचने के लिए पूर्वोपाय किए। पुलिस ने पत्थरों, चाकू, एसिड की बोतलों और इसी प्रकार की वस्तुओं के साथ घटना स्थल पर काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस के सदस्यों को गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया और उनकी जमानत कांग्रेस के बाकी सदस्यों ने दी थी। मैंने उस बारे में श्रीमती गांधी को बताया था कि इन सभी चीजों की व्यवस्था उनके दल के सदस्यों ने की थी ताकि लोगों के समक्ष हमारी छवि खराब हो।"

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : इसकी क्या प्रासंगिकता है··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : जब उन्होंने उस समय किया तो कुछ नहीं लगा, अब क्यों लगता है ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज, अब आप कृपया करके अपना भाषण समाप्त करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : परन्तु उन्होंने मेरा इतना सारा समय लिया है। यह इस बात का सबूत है, महोदय।

सभापति महोदय : नहीं, उन्होंने आपको इसे जारी रखने की अनुमति दी है···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

आप दया कीजिए, कश्मीर का मामला है। इसमें और डैमेजेज चीजें हैं, लेकिन मैं समाप्त कर रहा हूं और कोट नहीं करूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने किताब से बहुत ज्यादा उदाहरण दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं और कोट नहीं कर रहा हूं। मैं इनको और अगली बार के लिए बकिया रख दूंगा। मेरा सुझाव विशेष कर जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनसे है कि इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ समझ लीजिएगा, कुछ अध्ययन करिएगा। केवल अपने ही मामलों में जो कुछ बोलें, उसका··· **(व्यवधान)**···मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूं, पता नहीं वे क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं। हम तो किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं। हम तो जो पढ़े-लिखे, पढ़ने-लिखने वाले जो लोग हैं, उनके लिए कह रहे हैं। ये पता नहीं अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं।···**(व्यवधान)**···1984 की जो गलतियां रहीं, उनको आप कैसे दुरुस्त करेंगे। 1984 के बाद फारुख अब्दुल्ला की जो गलती है, वे आपके दबाव में आ गए। 1983 में उनमें मुखालिफत करने की हिम्मत रही। 1984 में जब सरकार हटाई गई, तो देश के विपक्ष ने उनका साथ दिया। वे विपक्ष के साथ रहे, लेकिन फिर आपने उनको दबाकर उनसे समझौता कराया और उस दिन वह फारुख अब्दुल्ला, जो कश्मीर के लोगों का प्यारा था, वह उस दिन उनका प्यारा नहीं रह गया। इस तथ्य से आप लोग इन्कार क्यों कर रहे हैं। फारुख इसको कबूल करते हैं, लेकिन फारुख के दलाल लोग क्यों इससे इन्कार करते हैं। फारुख इस बात को कबूल करते हैं और कहते हैं कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी और उसके बाद 1987 के चुनाव में तो सौदा हो ही चुका था, क्योंकि येनकेन प्रकारेण सरकार में जाना था। 1984 में हटा दिए गए, फिर समझौता करा दिया, सरकार में गए और फिर 1987 के चुनाव में सबको साथ लेकर अपना और नेशनल कांफ्रेंस का समझौता करा करके चुनाव लड़ा और···

एक माननीय सदस्य : इलैक्शन रिग किया···**(व्यवधान)**···

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस किताब में फारुख अब्दुल्ला के शब्द हैं। ये शब्द कश्मीर में किसी भी गली में जा करके किसी भी बुजुर्ग से बात करेंगे, तो वह कहेगा कि हमने जीवन में दो बार वोट दिया एक 1977 में जब मोरारजी देसाई प्रधान मन्त्री थे और 1984 में···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज मेरे विचार से आपने समुचित भूमिका दी है। इस समय यह प्रस्ताव राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के बारे में है। मेरे विचार में यह भूमिका काफी विस्तृत होती जा रही है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इस मसले को हल करने की बात है, इस समस्या का हल सरकार की इस तरह की गलत सोच से होने वाला नहीं है। इसलिए जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम तो यहां उदास और निराश खड़े हैं, कश्मीर की जो स्थिति है, उस स्थिति का जो इतिहास है, जिसने इस परिस्थिति का निर्माण किया है, आज की परिस्थिति के जो तथ्य हैं, उनसे इन्कार करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसलिए मन्त्री जी ने जब 6 महीने की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा तो मैंने कहा कि 6 महीने के बजाए, 3 महीने का समय दिया जाए। इसमें मेरा उद्देश्य यह है, जिसको सरकारी पार्टी की तरफ से सदन के भीतर और सदन के बाहर बार-बार दोहराया जा रहा है कि हम पोलीटिकल एक्शन शुरू करेंगे और पोलीटिकल एक्शन के बाद पोलीटिकल प्रासेस शुरू करेंगे, तो हम चाहते हैं कि यह हिम्मत दिखाने का काम किया जाए। इनके कहने के अनुसार कश्मीर में इनका एकमेव दल है जो सरकार बना सकता है, सरकार का निर्माण कर सकता है, तो हिम्मत करके वहां चुनाव करवाने का काम करिए। पुलिस के हाथो में सारा राज देने का जो सिलसिला चला रखा है, उसको समाप्त करिए।

सभापति महोदय, चन्द दिन पहले गृह मन्त्री जी ने कहा था कि वे कश्मीर जा रहे हैं, लेकिन वे नहीं गए। इसके लिए कारण दिए जा सकते हैं, लेकिन क्या इस समय देश में कश्मीर से बढ़कर और कोई समस्या हो सकती है। गृह मन्त्री महोदय को कश्मीर जाना चाहिए। सरकार को बने हुए काफी समय हो चुका है लेकिन गृह मन्त्री महोदय कश्मीर नहीं गए हैं। हिन्दुस्तान के गृह मन्त्री को आज की परिस्थिति में कश्मीर जाना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया था। हमने उस समय को पहले ही बढ़ा दिया है। यदि सदन की इच्छा हुई तो हम 1 घंटे 30 मिनट का समय और बढ़ा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, मेरा पहला सुझाव है कि गृह मन्त्री महोदय कश्मीर के प्रश्न को प्राथमिकता दें और कश्मीर जाकर वहां के लोगों से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तीनों

जगहों पर जाकर लोगों से बात करें और परिस्थिति को समझ लें, तथ्यों को जान लें और उसके बाद सदन के सामने कोई ठोस बात लाने का काम करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर में लोगों के नागरिक अधिकारों का प्रश्न है। आज वहां पर एक तरफ बन्दूकधारी लोग हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो आतंक का शिकार बन रहे हैं, निर्दोष हैं, निरपराध हैं। यदि हम दोनों तरह के लोगों को एक ही खेमे में रखेंगे, इनका विभाजन करने की नीति नहीं बनाएंगे तो समस्या हल नहीं हो सकेगी। किस तरह से जम्मू-कश्मीर के लोगों को हिन्दुस्तान की जनता माना जाएगा यदि बन्दूक को छोड़कर आपको और कोई हथियार दिखाई नहीं देता कश्मीर के लोगों से बात करने के लिए। (व्यवधान)

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद) : आप हल बता दीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब फिर हमारी सरकार आएगी तो हम बता देंगे, अभी सरकार आपके हाथ में है, आप करिए। क्या मैं आपका घोषणा पत्र आपको निकालकर दिखाऊं, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हम से क्यों पूछ रहे हैं? (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं अंतिम 6 वाक्यों में अपनी बात समाप्त करूंगा। आज वहां पर जो ह्यूमन राइट्स और नागरिक स्वतन्त्रता का सवाल है, उस सवाल पर आपकी जो नीति है, उसको आप बदल दीजिए और हिन्दुस्तान भर के, देश के अनेक सूबों से नागरिक आजादी से जुड़े हुए लोगों को, सिविल लिबरटी से जुड़े लोगों को वहां जाकर वहां के लोगों से मिलने दीजिए और वहां की समस्याओं को समझने का मौका दीजिए।

तीसरा जो कश्मीरी पंडितों का सवाल है, इस पर जो धारा 370 की बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो बात है, उनसे हम इस मामले में कभी सहमत नहीं रहे।

मैं, उसके ऊपर नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि आप समय नहीं देंगे। दिल्ली, जम्मू और देश के अन्य हिस्सों में आज पण्डित बिखरे हुए हैं, उनको राहत की जरूरत है। जो निर्णय 1990 में लिए गए थे यानी 1990 के मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई तो सवा साल के बाद भी सरकार ने उसका अमल नहीं किया। हम लोगो ने उसको देखते हुए जो कुछ काम किया और जो प्रक्रिया शुरू की तो सारी चीजे इन लोगों ने ठप्प की है। आज, वे पुरानी बातों को लेकर आते हैं तो उनको लाठियों के सिवाय किसी प्रकार का जवाब नहीं मिल रहा है। हमारी प्रार्थना है कि कश्मीरी पण्डितों की समस्याओं और सहानुभूमि के संबध मे जो विशेष राहत की आवश्यकता की जरूरत है तो वह राहत का काम हो। कश्मीर को हिन्दुस्तान का अविभाज्य अंग करके मानते हैं तो यह भी आवश्यक होता है तो अपने अविभाज्य अंग पर इस प्रकार का दमन नहीं चलाएं जिससे वे महसूस करने में मजबूर करें और कहें कि शायद हमें यहां पर लोग पसन्द नहीं करते।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : सभापति महोदय, मैं अपनी गले की स्थिति के लिए

माफी चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि हमारे ध्वनि इन्जीनियर मेरी आवाज को आप तक पहुंच पाएंगे क्योंकि मेरे गले से मेरी आवाज आप तक पहुंचनी मुश्किल है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्री द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं जो जम्मू और काश्मीर में व्याप्त वर्तमान संवैधानिक स्थिति को 6 महीने और आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में है। इस सांविधिक संकल्प पर गृह मन्त्री जी का समर्थन करते हुए मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए हुए अभी लगभग 65 दिन हो गए हैं और जो काश्मीर की समस्या के लिए उत्तरदायी है उसने इन 65 दिनों में कश्मीर समस्या के समाधान के लिए कुछ भी नहीं किया है बल्कि पिछली दो सरकारों की गलत नीतियों को जारी रखे हुए हैं और--इस सरकार ने विद्यमान परिस्थितियों में परिवर्तन करने के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है। (व्यवधान)

मैं अपने मित्र सैयद शाहबुद्दीन और जार्ज फर्नान्डीज से पूरी तरह सहमत हूं—यदि आप मुझे मेरे मित्र जार्ज फर्नान्डीज के लिए अपील करने की अनुमति दें—काश्मीर घाटी की स्थिति ऐसी है कि इससे इस सदन के किसी भी सदस्य को श्री सन्तोष नहीं मिलेगा। श्री जार्ज फर्नान्डीज का विचार है कि वर्ष 1991 की स्थिति के लिए 7 वर्ष पहले की गई कार्यवाही उत्तरदायी हैं। मैंने गर्भपात और विवाह में 'सात वर्ष की पीड़ा' सुनी है परन्तु मैंने यह पहली बार सुना है कि सरकारी कार्यों को पूरा करने में सात वर्ष लगे। वस्तुस्थिति यह है कि यद्यपि हमें 1984, 1985 और 1987 में हुई घटनाओं के बारे में बताया गया है लेकिन श्री फर्नान्डीज ने वर्ष 1989-90 में जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। नम्बर 1989 में जब कांग्रेस पार्टी काश्मीर घाटी के लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं थी तो हमें हमारे मित्र श्री दिग्विजय सिंह ने बताया है कि हम अभी-अभी कश्मीर में शरद ऋतु का आनन्द लेकर आए हैं। नवम्बर, 1989 में जम्मू व कश्मीर राज्य में एक लोकप्रिय निर्वाचित विधान सभा थी। नवम्बर 1989 में श्रीनगर में राज्यपाल की नियुक्ति हुई जिसका आना-जाना श्रीनगर और जम्मू के बीच होता था। घाटी के लोग उसका सम्मान करते थे और उसको एक ऐसा उदाहरण मानते थे कि एक संवैधानिक राज्यपाल को किस प्रकार कार्य करना चाहिए। जैसाकि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम पर वाद-विवाद करते समय हमें स्मरण कराया है कि वहां आतंकवाद था, उनके शब्दों में वहां घुसपैठ हो रही थी परन्तु उतनी घुसपैठ नहीं हो रही थी जितनी इस समय हो रही है। इस घुसपैठ को निश्चय ही नियन्त्रित करने की आवश्यकता है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि घुसपैठ के कारण घाटी में सामान्य जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया था घाटी में स्थिति ऐसी थी कि वहां पर राष्ट्रवादी राजनैतिक तत्व गतिशील थे। इसके विपरीत जार्ज फर्नान्डीज सरकार के गृह मन्त्री जो इस घाटी के ही हैं उनमें इतना साहस नहीं था कि वे घाटी में अपने निर्वाचन क्षेत्र से 1989 के चुनाव लड़ सकें। (व्यवधान) इस क्षेत्र में काफी अधिक संख्या में सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ कार्य कर रहे हैं।

उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी के सत्ता छोड़ने के तीन महीने के बाद ही श्री फर्नान्डीज की सरकार ने एक सर्वदलीय शिष्टमण्डल श्रीनगर भेजा जिसमें मैं भी अपने दल के अध्यक्ष के साथ उस शिष्टमण्डल में सरकारी हैसियत से शामिल था। परन्तु मुझे सर्वदलीय शिष्टमण्डल के सदस्य होने पर उतना सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जितना सम्मान श्री फर्नान्डीज को मिला था। हमने देखा कि

कश्मीर घाटी में भारी परिवर्तन हुआ है। उस समय वहां लोकप्रिय निर्वाचित विधान सभा नहीं थी। क्योंकि राज्यपाल के माध्यम से भारत सरकार को यह ज्ञात हुआ था कि विधान सभा को भंग करना उचित था और हमारी एक संवैधानिक चूक यह है कि राज्यपाल प्रधानमन्त्री से भी परामर्श नहीं करता अतः भारत सरकार को इस बात का निर्णय स्वयं करना होता है कि वह निलंबित विधान सभा को भंग विधान सभा घोषित कर दे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राजनैतिक प्रक्रिया का पूर्ण समापन हो गया।

महोदय, हमने यह भी देखा था कि उस समय सरकार श्रीनगर में कैद थी, यहां तक कि तथा अथित बहादुर राज्यपाल ने निर्णय किया कि वह भारत के उप प्रधानमन्त्री का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे नहीं जाएंगे क्योंकि हवाई अड्डे तक जाने के लिए उनके पास कोई उपयुक्त कार नहीं थी। स्थिति ऐसी हो गई थी कि जब कांग्रेस के नेता कश्मीर की जानता से मिलने के लिए गए तो राज्य का संचालन करने वाले पुलिस अधिकारी इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उन्हें किसी भी व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं दी यहां तक कि जनता दल सरकार के मन्त्री भी जो हमारे साथ थे उन्हें भी भागकर **'स्कारलेट पिंपरनल'** का कार्य करना पड़ा है, जिसे हम में से बहुत सारे लोग कई वर्षों से जानते हैं कि वे कुछ ही लोगों को मिलते हैं। स्थिति ऐसी थी कि जम्मू व कश्मीर राज्य के राज्यपाल ने एक भी जन संगठन का नाम बताने से इन्कार कर दिया कि उनके अपने होटल में ही यह शिष्टमण्डल उनसे बातचीत कर सके। स्थिति ऐसी थी कि वी० पी० सिंह, जार्ज फर्नान्डीज और मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार ने वहां पूर्ण रूप से सैनिक शासन लागू किया था, कश्मीर की जनता में अलगावपूर्ण रूप से चालू हो गया था और राज्यपाल, जिसने एक बार कांग्रेस के कार्यकारी की भांति कार्य किया था—उसने अपने आपको केसरिया रंग के कपड़ों में भारतीय जनता पार्टी का सच्चा प्रतिनिधि के रूप से दर्शाया और उसने घाटी में पूरे मुस्लिम समुदाय (मत) का अलगाव कर दिया।

हमारे सामने स्थिति यह थी कि हमने फिर से लोगों को एकजुट करना आरंभ कर दिया कश्मीर की फिर भावनात्मक, प्रशासकीय और राजनैतिक दृष्टि से भारत के साथ मिलाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

इस सम्बन्ध में वी० पी० सिंह सरकार ने जो एक जो प्रमुख कदम उठाया वह यह था कि मैंने कश्मीर मामलों अपने मित्र श्री फर्नान्डीज के प्रभारी मन्त्री हैं का नाम लेने की गुस्ताखी की है। और इसके बाद सरकार का शासन समाप्त हो गया। मैं समाप्त, शब्द को पुनः प्रयोग करता हूं। समन्वय स्थापित करने के लिए मेरे मित्र श्री जार्ज ने सभी प्रयत्न किए। हमारे सामने स्थिति ऐसी थी जिसमें निर्णय लिया गया था। मैं पुनः कहूंगा कि मैं उस बैठक का सरकारी सदस्य नहीं था परन्तु मुझसे कार्यवाही सरांश का रिकार्ड करने के लिए कहा गया था, इससे जार्ज फर्नान्डीज उत्तेजित हो गए क्योंकि मेरे लेखों में कई बार उनके विरुद्ध इसका प्रयोग किया गया था। मैंने निर्णय रिकार्ड किया था जिसे श्री वी० पी० सिंह ने अनुमति दी थी। अभी सरकार इस बात का पता चला रही है कि कोई ऐसा कानून है। जिससे हम विधान सभा का भंग किए जाने को रोक सकें और कम से कम स्थगन की स्थिति लायी जाए। उन्होंने जो गलती की उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी बीच उस राज्य-

पाल को जिसने अनेक गलत कार्य किए उसे भारतीय जनता पार्टी ने जार्ज फर्नान्डीज से भी ऊपर स्थान दिया, मई, 1990 में छुटकारा पाना चाहा।

अब मैं वर्तमान स्थिति पर आता हूं जहां मुझे इस सांविधिक संकल्प का समर्थन करते हुए गृह मन्त्री के समक्ष पांच विशेष अनुरोध करने हैं।

पहला, हमारे पास कश्मीर प्रशासन के प्रधान के लिए राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील व्यक्ति नहीं है। हमारे पास एक पुलिस कर्मी की सहायता के लिए दो पुलिसकर्मी हैं। यह गलत बात है। यह एक भारी गलती है जो जनता दल सरकार द्वारा की गई थी, चन्द्रशेखर सरकार द्वारा जारी रखी गई और आज भी हम ऐसा ही कर रहे हैं।

महोदय, मैं आप की ओर से गृह मन्त्री से यह निवेदन करता हूं कि अति आवश्यकता के कारण हमें ऐसे व्यक्ति को कश्मीर का राज्यपाल बनाना चाहिए जिसको राजनीति का गहरा अनुभव हो। वर्ष 1989 और 1991 में चुनाव हुए। सौभाग्य से मेरे कई पुराने जाने माने मित्र जो वर्ष 1957 में थे, इस सदन में जार्ज फर्नान्डीज के सहयोगी रह चुके हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं यहां नया हूं। यद्यपि, जार्ज यह सोचते हैं कि नया होना मेरी ओर से किया गया कोई पाप है, फिर भी मैं यह कहता हूं कि, इस सदन में कई प्रतिष्ठित और अनुभवी सदस्य हैं, भारत सरकार के उच्च पदों पर आसीन रहे व्यक्ति हैं, जो आज बेरोजगार हैं, उनमें से किसी एक को तत्काल जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त क्यों नहीं कर दिया जाता।ताकि पिछले 6 महीनों के दौरान जगमोहन के रूप में साम्प्रदायिक राज्यपाल और पुलिसकर्मियों के समूह के बाद हमें एक सशक्त राजनेता मिल जाए जो इस राज्य के कार्यभार को संभाल सके।

दूसरा, यह अत्यन्त आवश्यक है कि गृह मन्त्री को इस संभावना का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि क्या भंग विधान सभा को निलम्बित अवस्था में लाया जा सकता है। यदि ऐसा सम्भव है तो उस विधान सभा को पुन: जीवित रूप देकर राजनैतिक प्रक्रिया को आरम्भ किया जा सकता है। मैं इस तथ्य से पूरी तरह परिचित हूं कि उस विधान सभा का कार्यकाल मार्च, 1992 में समाप्त होने वाला था। उस समय हम इस विधान सभा को आसानी से भंग कर सकते हैं और चुनाव करवा कर उस राज्य की जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्रदान कर सकते हैं।

तीसरा, गृह मन्त्री से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक समय सभी राजनैतिक दलों में जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति-निर्माण के लिए वार्ता आरम्भ की गई थी। जब यह मार्च 1990 में आरम्भ हुई तो मैं स्वयं को सबसे छोटा और गैर-सरकारी सदस्य समझता था जो हवाई जहाज में बैठ गया हो और इसे असम्भव समझता था परन्तु मुझे आश्चर्य हुआ कि श्रीनगर कश्मीर होटल में एक दिन रहने के फलस्वरूप और श्री वी० पी० सिंह के साथ इस बैठक में बातचीत के बाद (संयोग से, उस बैठक को काफी खर्च करके दोबारा से सजाया गया था। इतना खर्च किया गया जितना पिछले पांच वर्षों में श्री राजीव गांधी के घर की मरम्मत के लिए लो० नि० वि० के द्वारा खर्च नहीं की गया)। परन्तु यह एक अलग मामला है।

5.00 म० प०

चूंकि वार्ता करना सम्भव था, तो मैंने सोचा कि हम इस सम्बन्ध में फिर प्रयास कर सकते हैं।

चौथा, मैं गृह मन्त्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कश्मीर घाटी में डा० फारुख अब्दुल्ला के नेतृत्व में राष्ट्रवादी राजनैतिक तत्वों को प्रोत्साहन देना चाहिए। डा० फारुख अब्दुल्ला की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह कश्मीर की जनता की नब्ज पहचानते हैं। उनके माध्यम से घाटी में राजनैतिक प्रक्रिया आरम्भ की जानी चाहिए। जब भी डा० फारुख अब्दुल्ला, श्री जार्ज फर्नान्डीज के दल में शामिल होते हैं तो वह उनके हीरो बन जाते हैं और जब हमारे खेमे में शामिल होते हैं तो वह शैतान बन जाते हैं। उनके माध्यम से घाटी में राजनैतिक प्रक्रिया आरंभ की जानी चाहिए। मैं खासतौर पर कई लोगों का लेना चाहूंगा जिसका जिक्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने किया उनमें मौलवी इफ्तिकारुद्दीन अंसारी हैं। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग निज्जामुद्दीन में लिप्त रहने के बजाय सक्रिय होते हैं।

माननीय गृह मन्त्री से मेरा अंतिम अनुरोध है कि घाटी के प्रशासन को मानवीय रूप दिया जाना चाहिए जिसका अर्थ है कि हमें मानवीय अधिकारों की बात करनी चाहिए। मानवीय अधिकारों पर हमारे नेता श्री राजीव गांधी हमेशा जोर दिया करते थे और हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी इसके बारे में चर्चा की गई है। कुछ निश्चित पक्ष हैं जिन पर हमें विचार करना है। पहला पक्ष मानवीय अधिकारों का है। दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा सामाजिक न्याय और चौथा घाटी में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जाएं जिससे कश्मीरी पंडित जो पिछले एक हजार वर्षों से कश्मीरी मुसलमानों के साथ रह रहे हैं। और अब पिछले 1000 दिनों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता दल पर थोपे साम्प्रदायिक राज्यपाल के कारण घाटी छोड़ रहे हैं। जैसे ही जगमोहन का चेहरा देखा है वैसे ही वहां से चले गए।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, जैसाकि आपने अपने कथन में यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बहस के लिए समय बहुत कम है और हमें जो निर्धारित समय दिया गया था उसे हम समाप्त कर चुके हैं। फिर भी, सभापति अपने विवेक से कई दलों के एक से अधिक वक्ता को पहले ही बोलने की अनुमति दे चुके जबकि कई अन्य दलों की शायद बारी नहीं आ रही, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है।

श्री चित बसु (बारसाट) : उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसी के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आप बहुत अच्छी तरह उनका प्रतिनिधित्व कर रहे है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपने दल के सिवाय किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता। चूंकि आपने पहले ही कहा कि आधे घण्टे के लिए समय बढ़ाया गया है। मुझे अपने यहां मौजूद साथियों के भाग्य पर कुछ आशंका है। फिर भी, निर्णय आप पर निर्भर है।

सभापति महोदय : इसका निर्णय पूर्ण रूप से सदन पर निर्भर है। बात केवल इतनी है कि गृह मन्त्री के उत्तर के लिए समय तो देना ही है। उससे पहले ही हमें बहस पूरी कर लेनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारे पास केवल एक हफ्ते का समय है। राष्ट्रपति शासनकाल समाप्त होने में एक हफ्ता है। अब इस प्रस्ताव को विचाराधीन के लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

महोदय, मुझे इस बात की आशंका है कि कश्मीर की स्थिति उस बिन्दु पर पहुंच गई है जहां से उसे वापस नहीं लाया जा सकता। यहां कई सदस्यों ने पहले ही बताया कि वहां क्या हो रहा है। वहां दूर-दूर तक आशा की किरण दिखाई नहीं देती। यह प्रस्ताव, इस देश की अखण्डता और एकता के लिए खतरा बन गए पूर्ण गतिरोध और इसी प्रकार के हालात को जारी रखने से अधिक कुछ नहीं कर रहा है। जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है उसकी मन्शा बिल्कुल स्पष्ट है और यह इसे खासतौर पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है, यदि ऐसा कर सका। 20 वर्ष पहले जब बंगलादेश अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था और परिस्थितिवश हमें बंगलादेश के लोगों की ओर उन्हें आजादी दिलाने में सहायता करने के लिए कुछ कार्यवाही करनी पड़ी उसी दिन से पाकिस्तान में ऐसे लोगों का वर्ग है, खासतौर पर सेना में, जो पूर्व बंगाल को पाकिस्तान से अलग किए जाने का बदला लेने के लिए दृढ़संकल्प हैं। वह राजनीति से प्रेरित होकर इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है। कम से कम वी० पी० सिंह की सरकार ने एमनेस्टी इन्टरनेशनल को यहां आने से रोका है। एमनेस्टी इन्टरनेशनल जहां का जायजा लेने के लिए अपने दल को भेजने के लिए भारत से बहुत आग्रह व दबाव डाल रहा था। उन्हें यहां आने की अनुमति नहीं दी गयी। परन्तु श्री कॉफमैन को अनुमति दे दी गई है। श्री कॉफमैन को कश्मीर के बहुत से लोगों से मिलने, बातचीत करने और सभी तरह के विवरण जारी करने की अनुमति दे दी गई है। यह केवल कश्मीर मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रूप करने की चाल है। मुझे डर है कि जितने लम्बे समय तक कश्मीर में यह गतिरोध रहेगा उतने लम्बे समय तक यह भारत का ही अहित करेगा, पाकिस्तान का नहीं। यद्यपि, इस जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए कुछ कारंवाई और कदम उठाने पड़ेंगे जोकि कठिन कार्य है। परन्तु यह हमारे हित में और राष्ट्रीय हित में है क्योंकि हम कश्मीर को भारत का एक अंग मानते हैं और उन्हें भारतीय समझते हैं। हम जानते हैं कि बन्दूक के बल पर हम कश्मीर की मिट्टी की रक्षा कर सकते हैं। हमारे पास वहां सेना है और इस माने में हमें पाकिस्तान से डर नहीं है। हम कश्मीर की मिट्टी की रक्षा कर सकते हैं परन्तु आत्माओं का क्या होगा। यदि वह हमसे गुम हो गई, तो हमें यह कहने में सुख नहीं मिलेगा कि हमारे पास अभी भी वह क्षेत्र है। मैं यह भौगोलिक तौर पर कह रहा हूं। अब वहां क्या स्थिति है? इसके बारे में कई सदस्यों ने कहा है। मै शरणार्थियो के बारे मे नहीं कह रहा हूं। लाखों लोगों को कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा है। निसंदेह उनमें ज्यादातर हिन्दु कश्मीरी पण्डित हैं। उनमें कुछ मुसलमान भी हैं। किन्तु आपने नहीं कहा कि अनेक मुस्लिम परिवारों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। वह सभी को दयनीय स्थिति में शरणार्थी के रूप में रह रहे है। यह सरकार पर है कि वह इस प्रश्न पर गौर करे जिसे सदन में कई बार अलग-अलग रूप में उठाया गया है कि किस प्रकार हम उन्हें जीने के लिए, मानवीय स्थिति, उचित मुआवजा और कई अन्य वस्तुए जिनकी उन्हें आवश्यकता है, दे सकते हैं। कश्मीर घाटी में जो लोग रह गए हैं और जो लम्बे अर्से से हिंसा और आतंक में जी रहे हैं यदि उन्हें कोई ऐसा रास्ता दिखाया जाए जिससे इस समस्या का शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान हो सकता

हो तो घाटी में कई ऐसे लोग होंगे जो इस प्रकार के समाधान के लिए उत्सुक होंगे। यद्यपि इसमें गोलियों का डर है। यह एक सत्य है। परन्तु यह भी समय आएगा, जैसाकि पंजाब में भी आया है, जब आम आदमी जिसकी जिन्दगी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गयी है, जो अपनी जीविका का मुश्किल से भी निर्वाह नहीं कर पा रहा वह इस प्रकार के सहानुभूतिपूर्ण शुरूआत का स्वागत करेंगे जिसे कि उनका जीवन फिर व्यवस्थित हो सके। मुझे आशंका है कि इस मुद्दे पर भारत सरकार पूर्ण रूप से दिवालिया प्रतीत होती लग रही है। उनके पास 6 महीने के लिए गोली के बदले गोली और बन्दूक के बदले बन्दूक की नीति के अलावा अन्य प्रस्ताव नहीं है। निसंदेह, आपको बन्दूक का इस्तेमाल करना चाहिए परन्तु तब जब दूसरी ओर से हिंसा हो रही हो। परन्तु क्या यही एक तरीका आपके पास है? अन्ततः यह कोई समाधान नहीं है। जितने अधिक हम अपने अर्धसैनिक बल इस तरफ तैनात करते हैं उतना ही उस तरफ हिंसा बढ़ती जाती है और हमें सीमा पार से घुसपैठ को रोकने में सफल नहीं हो रहे हैं। जो आंकड़े मैंने दिए हैं वह ऐसे हजारों नवयुवकों के हैं जिन्हें सीमा पार प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और हथियार प्राप्त करने के बाद वह दोबारा घाटी में आ गए। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ है कि हम सीमा पार से घुसपैठ और प्रतिघुसपैठ रोकने में सक्षम नहीं हैं।

क्यों नहीं? मुझे नहीं मालूम। हमें यह बताया जाना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी करने वाली हमारी सेना— भारतीय सेना विश्व की सर्वोत्तम सेनाओं में से एक है—सीमा के उस पार से आने वाले प्रशिक्षित और सशस्त्र युवाओं की निरन्तर घुसपैठ को रोक पाने में प्रभावी क्यों नहीं हो पा रही है। यह घुसपैठ निरन्तर जारी है। इसका क्या समाधान है। सभ्य शब्दावली में तो इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। आप किसी भी दृष्टिकोण से इस पर विचार कीजिए, यह जितना लंबा खिंचेगा, हमें उतना ही नुकसान होता रहेगा। भारत के किसी एक भाग में चल रहे सशस्त्र विद्रोह का नजारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी छवि को हानि पहुंचाता है भले ही हम उन्हें पाकिस्तान से मिलने वाली मदद और प्रोत्साहन का राग अलापते रहें। यह एक तथ्य है कि कश्मीर घाटी में सशस्त्र विद्रोह जारी है और अब यह व्यापक स्तर पर फैल गया है। वे हमारी सुरक्षा सेनाओं के आक्रमण का प्रत्युत्तर आक्रमण से देते हैं; वे घात लगाकर हमला करने में सक्षम हैं; उनके पास सभी प्रकार के आधुनिक हथियार मौजूद हैं। अतएव, वहां पर एक प्रकार का लघु युद्ध जारी है। और यहां, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति हमारी सेना के अनिच्छापूर्वक राजनीति के उद्देश्यों की सिद्धि हेतु प्रयोग का समर्थन करेगा। जहां तक मुझे याद है, रक्षा मन्त्री ने भी एक अन्य सन्दर्भ में इस तथ्य पर जोर दिया था। सेना का कार्य उद्देश्यों की सिद्धि नहीं होता है।

सेना का कार्य देश की सीमाओं की चौकसी करना और यदि कोई विदेशी हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करे तो उसे दो टूक जवाब देना है। परन्तु कश्मीर के मामले में सेना का प्रयोग नीतिगत उद्देश्यों के लिए हो रहा है जोकि सेना के निर्माण के मूलभूत उद्देश्य से भिन्न है। श्रीनगर के कतिपय क्षेत्रों का घेरा डालने और फिर उस क्षेत्र में घर-घर की तलाशी लेने का काम सेना के द्वारा नहीं कराया जाना चाहिए। परन्तु बार-बार ऐसा ही किया जा रहा है और अपरिहार्य रूप से सेना द्वारा ज्यादतियां की जाने की ये शिकायतें और आरोप प्राप्त हो रहे हैं। यह सब बढ़ा-चढ़ा कर कहा जा रहा हो सकता है। मैं मैं यह नहीं कहता। सभी लोग तरह-तरह की कहानियां बना रहे हैं। वे बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे होंगे। परन्तु, इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि अर्धसैनिक अथवा सैनिक बल के किसी व्यक्ति, जो

कि आम जनता पर अत्याचार करने का दोषी पाया जाए, के विरुद्ध कोई उचित जांच अथवा कार्यवाही नहीं की जाए। यह जनता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है तो इससे खाडकुओं को मदद ही मिलती है। ठीक उसी प्रकार श्री खुराना, अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने सम्बन्धी प्रचार से केवल खाडकुओं और अलगाववादियों का काम और आसान होगा। इस समय पर ऐसी मांग करने से अधिक घातक कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। इस समय हमारे पास इतिहास के पन्ने उलटने का अवकाश नहीं है परन्तु यदि हम उन परिस्थितियों को याद करें जिनके अधीन अनुच्छेद 370 को लागू किया गया था; उस समय एक हिन्दू महाराजा कश्मीर का भारत में विलय न होने देकर उसे स्वतन्त्र बनाए रखने के इच्छुक थे; तब श्री शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में कश्मीर की मुस्लिम जनता ने हिन्दू राजा के विरोध में खड़े होकर देश की एकता का समर्थन किया।

5.12 म० प०

[श्री शरद दीघे पीठासीन हुए।]

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : नेहरू जी ने क्या कहा था ? सरजू पाण्डे ने क्या कहा था ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरजू पाण्डे बेचारा इस दुनिया में ही नहीं है, अब उसको बीच में क्यों टांग कर रखना चाहते हैं ? उसको छोड़िए इन बातों में।

[अनुवाद]

उस समय एक अजीब स्थिति पैदा हो गई थी और अन्य बातों के साथ-साथ इस अनुच्छेद 370 को लागू करने के अतिरिक्त कश्मीर को भारत के साथ मिलाए रखने का और कोई रास्ता नहीं था। और अब यदि आप देश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर,यह अभियान चलाएं कि अनुच्छेद 370 को अभी इसी वक्त समाप्त किया जाए—यह उनके चुनावी घोषणा-पत्र का एक भाग था—और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने अधिसंख्य लोगों में इच्छा उत्पन्न कर दी है, ऐसे समय में जबकि यह संघर्ष जारी है, यह मांग करने से सबसे अधिक लाभ खाडकुओं और अलगाववादियों को होगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : 40 साल में कभी समय नहीं आया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब भी कभी नहीं आएगा और आप जो समय चाहते हैं।

[अनुवाद]

जिस समय तक स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाना सम्भव नहीं हो, राष्ट्रपति शासन लागू रहना चाहिए। मैं इस बात का विरोध करता हूं। ऐसा दिन भी कभी नहीं आएगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : किसने कहा है ? जो बात मैंने नहीं कहीं है, वह मत कहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने कहा है। बिलकुल कहा है।

[अनुवाद]

जहां तक मैं समझता हूं, आंतरिक रूप से कश्मीर की मुख्य समस्या यह है कि वहां समूचा प्रशासन तन्त्र नौकरशाह है जिनका जनता के साथ कोई संप्रेषण नहीं है। हमारी सरकार के नाम पर कश्मीर या शासन कर रहे इसे नौकरशाह शीर्ष तन्त्र के पास अपनी शिकायत अथवा विचार पहुंचाने का आम जनता के पास कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से वहां कोई परिवर्तन ला पाना असम्भव है।

अतएव, जैसाकि अनेक मित्रों ने सुझाव दिया है—मैं उस सबको दोहराना नहीं चाहता—आपको इस पूर्ण नौकरशाह, सैनिक पुलिस व्यवस्था को बदलने का कोई राजनैतिक प्रयास करना चाहिए जिससे कश्मीर की जनता को यह अहसास हो कि उनके पास भी अपनी बात को, अपनी शिकायतों को शासन तन्त्र के पास तक पहुंचाने का कोई माध्यम उपलब्ध है और शासनतन्त्र उनकी बात सुनने को और उसके आधार पर कार्यवाही करने को तत्पर है।

यह आश्चर्यजनक बात है कि आपने इन मुद्दों के बारे में राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श करना भी उपयुक्त नहीं समझा। उन दिनों सभी राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया जाता था। परन्तु, आजकल वह प्रचलन कम हो गया है। परन्तु कुछ समय पहले भी ऐसा किया गया था और उसका परिणाम नकारात्मक नहीं था बल्कि सकारात्मक ही था। श्री राजीव गांधी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित सभी वहां उपस्थित थे और प्रधान मन्त्री भी वहां उपस्थित थे। हम लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते थे, सुझाव देते थे और अन्य नेताओं के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। यह तरीका हमेशा ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। केवल इसी तरह से हम किसी प्रकार की आम सहमति बना सकते हैं।

परन्तु सत्ता में आने के पश्चात् इस सरकार ने विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ संयुक्त रूप से अनेक बार विचार-विमर्श करने का कोई उल्लेख नहीं किया है। यदि आप उन्हें संयुक्त रूप से बुलाकर बातचीत नहीं करना चाहते तो विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं को अलग-अलग बुलाइये, उनके विचार सुनिये, उनके साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान कीजिए, उनके सुझाव मांगिए। परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

मैं आपको याद दिला दूं कि जहां तक हम समझते हैं, कश्मीर घाटी के सभी खाड़कू कश्मीर के पाकिस्तान में विलय होने का समर्थन नहीं करते। जमायते-इस्लामी कश्मीर के पाकिस्तान में विलय होने का समर्थन करते हैं। परन्तु उदारणार्थ, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कश्मीर के पाकिस्तान के विलय का एकदम विरोधी है। उनका कहना है कि हां, हम स्वतन्त्र होना चाहते हैं—भारत से भी और पाकिस्तान से भी। हमें मालूम नहीं है कि वे क्या चाहते हैं। वास्तव में उनकी मांग क्या है? क्या

कोई ऐसा तरीका या ऐसा तन्त्र है जिसके माध्यम से उन्हें अपनी मांग स्पष्ट करने पर बाध्य किया जा सकता है ? हम यह नहीं जानते। सीमा के दूसरी ओर पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है जहां, हमें बताया गया है कि सभी प्रकार की आंतरिक समस्याएं जन्म ले रही हैं। हाल ही में, वहां काफी अशांति रही है और सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। परन्तु हमारे पास उनसे संपर्क साधने का कोई माध्यम नहीं है।

मैं मानता हूं कि जमायते-इस्लामी एक ऐसा संगठन है जिसके साथ कोई शांति संधि अथवा लाभप्रद वार्ता नहीं की जा सकती। परन्तु घाटी में और भी लोग मौजूद हैं। उनकी खोज कैसे की जाए ? क्या राज्यपाल और उनके पुलिस सलाहकार उन लोगों के साथ उनके साथ संपर्क साधने में सफल हो पायेंगे और आपको इस बारे में जानकारी देंगे ? मुझे इसमें पूरा संदेह है। अतःएव हमें अपने वर्तमान सम्पूर्ण तंत्र को पूर्णव्यवस्थित और पुनर्गठित करने पर विचार करना चाहिए जिसकी बदनामी हो रही है और जो तमाम जनता पर अत्याचार करने और बन्दूक और गोली का राज्य स्थापित करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहा है। इसको समाप्त किया जाना आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी बदनामी हो रही है। हमारे यथासम्भव प्रयास करने के बावजूद हमारी बदनामी हो रही है। क्योंकि, जैसाकि हमें भलीभांति मालूम है, अन्तर्राष्ट्रीय समाचार-माध्यम भारत के प्रति अच्छी राय नहीं रखते और यहां घटित होने वाली छोटी से छोटी घटना को बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य तौर पर लोग यह सोचते हैं कि कश्मीरी जनता विद्रोह पर उतारू है, वे लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते। वे लोग हमें पसन्द नहीं करते। वे स्वतन्त्रता चाहते हैं, वे आज़ाद होना चाहते हैं। जैसाकि किसी ने अभी-अभी कहा, अब ऐसी घटनायें विश्व के अनेक भागों में घटित हो रही हैं। आप हमें किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं ? क्या आप यह कहना चाहते है कि लाटविया इास्टोनिया, तिलुआनिया स्वतन्त्र होना चाहते हैं ? उन्हें स्वतन्त्र होने का अधिकार है। हम उनकी स्वतन्त्रता का समर्थन करते हैं। परन्तु जब कश्मीर का प्रश्न आता है, तो विश्व के अन्य लोग भी कश्मीर में होने वाली घटनाओं को उनके द्वारा लड़ी जाने वाली स्वतन्त्रता की लड़ाई के रूप में देखते हैं तो इसमें गलत क्या है ? हमारी मदद न तो हमारे समाचार माध्यम न हमारा प्रचार और न ही उस क्षेत्र में हमारा प्रशासन तंत्र कर पा रहा है। अतएव मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे कुछ उदाहरण भी दिखाए जाने चाहिए जिनमें हम यह मानते हैं कि अत्याचार और ज्यादतियां हुई थीं। मुझे विश्वास है कि अर्द्धसैनिक और सैनिक बलों में ऐसे कुछ व्यक्ति अवश्य होंगे जो इस प्रकार के अत्याचार करके अपने बलों के लिए बदनामी अर्जित करने के दोषी हों। उन्हें दण्डित अवश्य किया जाना चाहिए। कश्मीर की जनता और इस देश को यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे गलत काम करने वाले व्यक्तियों को सजा दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें उचित दण्ड अवश्य मिलेगा। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। पंजाब में भी ऐसा नहीं किया जा रहा है जिसके कारण, मैं समझता हूं कि पंजाब को घातक परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं।

दूसरे, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति का पहले पुलिस अथवा सेना से सम्बन्ध होना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसे एक मंत्र के रूप में क्यों प्रयोग किया जाने लगा है कि राज्यपाल के पद पर सेना अथवा पुलिस से सम्बद्ध किसी व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे अनेक सार्वजनिक रूप से विशिष्ट व्यक्ति

हैं जिनके पास काफी अनुभव है, जो सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जिन्होंने अनेक कठिन और पेचीदा स्थितियों का सामना किया है। आप उनमें से किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति नहीं करते जोकि जनता में विश्वास पैदा करने में सेना अथवा पुलिस से सम्बद्ध किसी व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक सफल होंगे।

मुझे श्री सक्सेना से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। मेरा यह कहना नहीं है। परन्तु मैंने उन्हें कुछ महीने पूर्व राष्ट्रीय विकास परिषद् की मद्रास में आयोजित पिछली बैठक में भी बोलते हुए सुना था। परन्तु वहां उन्होंने जो विचार व्यक्त किए थे वे उम्मीद अथवा आशा जगाने में अधिक सफल नहीं रहे। स्थिति के बारे में उनका दृष्टिकोण पुलिस वाला था। उस दृष्टिकोण में वे एक अनुशासन प्रिय और बेहद पाबंदी पसन्द व्यक्ति हो सकते हैं परन्तु अब उससे समस्या को सुलझा पाना सम्भव नहीं है। अतएव, हमें घाटी की कश्मीरी जनता के विभिन्न वर्गों के मध्य कोई विभेद करना चाहिए। हमें उन सभी को अपने साथ संघर्ष और विवाद की स्थिति करने वाले लोग नहीं समझना चाहिए। सभी तरह के लोग होते हैं। कश्मीर में अनेक प्रकार के भूतपूर्व नेता हुए हैं जो शायद अब कश्मीर में नहीं रहते—बल्कि कहीं बाहर जाकर बस गए हैं, मुझे ठीक-ठीक नहीं मालूम। मैं श्री फारूख अब्दुल्ला की बात नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि श्री फारूख अब्दुल्ला अपने प्रधान मन्त्रित्व काल में किए गए अनेक दुष्कर्मों के शिकार हुए हैं। मुझे इस बारे में जरा भी सन्देह नहीं है। परन्तु वे जिस प्रकार कश्मीर की जनता को मंझधार में छोड़कर विदेश चले गए थे, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। उनके पिता और उनके द्वारा स्थापित की गई नेशनल कान्फ्रेंस विशेषकर कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे ताकतवर राजनैतिक शक्ति थी। प्रत्येक गांव में, नेशनल कान्फ्रेंस की एक इकाई होती थी। उनके पास अपने प्रशिक्षित स्वयंसेवक थे। उनमें अपने काडर थे जो अपना संदेश घर-घर फैलाते थे। लेकिन यदि नेता अदृश्य हो जाता है और विदेश चला जाता है और महीनों विदेश में रहता है और अलगाववादियों और आतंकवादियों की इस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं, तो आप जनसाधारण से अपना नैतिक बल बनाये रखने की आशा कैसे कर सकते हैं? धीरे-धीरे वह नेशनल कांफ्रेंस और संगठन और उसके काडर विघटित हो गये हैं। उनमें से कई अब भी हैं, जिन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। मैं नहीं जानता। मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं। परन्तु तथ्य यह है कि न ही कांग्रेस दल और न ही वह नेशनल कांफ्रेंस और न ही यहां का कोई अन्य दल इस समस्त अवधि में घाटी में अपनी गतिविधियों, राजनैतिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में सक्षम रहे हैं।

हमें राजनैतिक दलों के रूप में इकट्ठा होना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। मेरा ऐसा विश्वास नहीं है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। यदि इसे दलगत सीमाओं से बाहर एक राष्ट्रीय समस्या समझा जाना है तो कुछ शुरुआत की जा सकती है और की जानी है। इसलिए, यह मेरा अनुरोध है। हालांकि, हमारे पास इस प्रस्ताव का समर्थन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। राष्ट्रपति शासन 2 सितम्बर को समाप्त हो रहा है। यदि इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया, यदि यह गिर जाता है, तो 3 सितम्बर से क्या होगा? हम उस सम्भावना के बारे में बिल्कुल विचार नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की आदत अथवा प्रथा जो प्रारम्भ हो गई है, इस प्रथा से अन्ततः राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए नया प्रस्ताव लाना

पड़ेगा और तब इसी रास्ते पर चलना ही संकट को केवल गम्भीरतर करना ही होगा। यह भारत के लिए अलाभकारी होगा, इसमें हमारा भला नहीं होगा।

इसलिए, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कम से कम हमें कुछ आशा और कुछ आत्मविश्वास प्रदान करें कि सरकार गोली और बन्दूक के अलावा किसी दूसरे तरीके से सोच रही है, ताकि हम सहयोग करने और यह देखने का प्रयास कर सके कि कोई समाधान निकले।

सभापति महोदय : यदि हम इस बहस को सांय 6 बजे तक समाप्त करना चाहते हैं तो मेरे विचार से मुझे अब मन्त्री को उत्तर देने के लिए कहना चाहिए।

श्री चित्त बसु : महोदय, यह एक राष्ट्रीय मसला है। हमें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : लेकिन हमें बहस को 6 बजे तक समाप्त करना है या नहीं? यदि यह 6 बजे समाप्त होनी है, तो मुझे माननीय मन्त्री को उत्तर देने के लिए अनुमति प्रदान करनी चाहिए।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं 6 से 7 मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है, आप बोल सकते हैं।

श्री चित्त बसु : महोदय, मुझे सरकार के कार्य की प्रशंसा करनी होगी क्योंकि उसके पास जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं था। मैं अन्य सदस्यों के साथ सरकार के कार्यों की सराहना करूंगा जिन कठिनाईयों का भारत सरकार को आज सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति बहुत हद तक बिगड़ चुकी है। केन्द्र की सरकार के मन में किसी प्रकार की अतिशिष्टता का विचार नहीं होना चाहिए। असल बात तो यह है कि, जम्मू और कश्मीर में सरकार का आदेश चलता ही नहीं है। श्रीनगर और इसके साथ-साथ कश्मीर के अन्य भाग के लोगों पर विभिन्न रूप से सम्बद्ध जंगजुओं का ही शासन चलता है। पाकिस्तान ने हमेशा ही इन जंगजुओं और बागियों को सहायता प्रदान की है। और उनके द्वारा सरकारी तौर पर यह स्वीकार किया जा रहा है कि उन्होंने 10,000 से भी अधिक जंगजुओं को बहुत ही घातक प्रकार का प्रशिक्षण, हथियार और गोला-बारूद दिया है। पाकिस्तान भी, जैसा उसने पूर्व में किया है, इस मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास कर रहा है। महोदय, सरकार भी एक ही मार्ग पर चल रही है। इस एक मार्ग का पालन करके केवल सैनिक शक्ति की तैनाती और जम्मू और कश्मीर के लोगों के मनोबल को गिराना है। जब जनता दल की सरकार थी, मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती थी जब श्री चिदम्बरम हमेशा यह पूछते थे कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की क्या नीति है आज कश्मीर के बारे में नीति क्या है।

मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि सरकार की कश्मीर के संबंध में व्यापक नीति, सामान्य दृष्टिकोण, अथवा ठोस कार्यक्रम क्या है। कश्मीर के संबंध में ठोस और व्यापक नीति बनाने के मामले में सरकार निराशापूर्ण ढंग से असफल हुई है। महोदय, नीति यदि कोई है तो वह है बंदूक की, उग्रवादियों के फैलाव की, न कि उनकी पहचान करने की, मुझे कश्मीरियों की सुन्दर संस्कृति व्यक्तित्व, उनकी भाषा, उनके जीने का ढंग और संस्कृति के बारे में अवश्य कुछ कहूंगा। आप एक प्रदेश से जीत सकते हैं। आप कश्मीर

के एक भाग की जांच पड़ताल कर सकते हैं। लेकिन आप कश्मीर के लोगों के दिलों और उनकी आत्माओं पर विजय नहीं पा सकते। कश्मीर के लोगों को यह बताना होगा कि वे भारत का एक अंग है और उनकी सुन्दर संस्कृति, उनकी भाषा की पहचान बनाकर रखी जाएगी और उनके अधिकार भारत के नागरिकों के समान हैं। असल बात, तो यह है कि भारत सरकार की नीति, भारत के नागरिकों के रूप में उनके मूल-अधिकारों की अनदेखी करने की रही है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या आप कश्मीर के लोगों को अधिकारों और उनकी भावनाओं की आधारभूत, मूलभूत रूप से पहचान कराने के लिए जब आपको वहां केन्द्रीय शासन की अवधि बढ़ाने का अवसर मिलेगा क्या अपनी स्थिति में संशोधन करने के इच्छुक हैं। जब तक आप अपनी नीति को इस विचारधारा के अनुरूप नहीं बना लेते, जब तक आप अपनी नीति को इस अनुभूति के अनुरूप नहीं बना लेते, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि कश्मीर प्रदेश के रूप में भारत का अंग हो सकता है, किन्तु इसकी आत्मा भारत के साथ नहीं होगी। इसका दूसरा मतलब न निकालें, लेकिन मुझे यह कहना ही है। असल बात तो यह है कि उन्हें भारत के साथ मिलने में बहुत बड़ी आशाएं थीं किन्तु आपने उनकी आशाओं के झुठला दिया है।

इस पृष्ठभूमि में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हालांकि इस समय जम्मू और कश्मीर को सेना के सुपुर्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, पहले एक अवसर पर भाजपा के कुछ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि कश्मीर को सेना के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए।

श्री राम नाईक : (मुम्बई उत्तर) : ऐसा किसने कहा है?

श्री चित्त बसु : आपके कुछ नेताओं ने कहा था।

श्री राम नाईक : यह कैसे हो सकता है। मुझे पता नहीं है कि आपने किसे पढ़ा है। क्या आप कृपया एक नेता का नाम बता सकते हैं?

श्री चित्त बसु : आपके उपाध्यक्ष श्री कृष्ण लाल ने कहा था। कोई बात नहीं, यदि आप इस बात से मना करते हैं, तो यह ठीक है। यह वही बात है जो हम चाहते हैं। आपने अनुच्छेद 3̇70 का विरोध किया है।

आप सेना की तैनाती नहीं चाहते। आप ऐसा कहते हैं कि कश्मीर समस्या का राजनीतिक समाधान निकालने की आवश्यकता है। यह बहुत अच्छा है, लेकिन आपके कुछ नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कश्मीर घाटी को सेना के सुपुर्द कर दिया जाए। यदि आप इस बात से मना करते हैं, तो हम प्रसन्न होंगे ⋯ (व्यवधान)

श्री राम नाईक : यदि आप कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया हैं कि इसे सेना के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए, तब उत्तर 'हां' में है। लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि इसे जंगजुओं के सुपुर्द कर दिया जाए तब उत्तर है बिलकुल नहीं।

श्री चित्त बसु : भाजपा के कुछ नेता रिकार्ड में चले गए हैं। मैंने एक नेता का नाम लिया है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने जोर दिया, मैंने उनका नाम लिया। उसने कहा कि कश्मीर घाटी सेना के सुपुर्द कर दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो चुका है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री चित्त बसु : मुझे व्यवधान पहुंचाया गया है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैंने घाटी को सुपुर्द करने की बात का विरोध किया है क्योंकि सेना से समाधान करना सम्भव नहीं है। इसलिए इस समस्या का राजनीतिक समाधान निकालना चाहिए। इस राजनीतिक समाधान के लिए, मेरा विचार से किसी ने कहा है कि विधान सभा का गठन कर देना चाहिए। मुझे यह कहना चाहिए कि वह समस्या का समाधान नहीं करने जा रहे। इससे तो मामला और अधिक उलझ जाएगा। इसलिए हमारे पास जो एकमात्र विकल्प शेष है वह यह कि जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक दलों की सहायता से राजनीतिक दबाव डालना चाहिए। मेरा विचार है कि वहां राजनीतिक शक्तियों को कार्य करने हेतु सरकार कुछ निश्चित कदम उठाए। दूसरे, जंगजुओं के एक दल के दूसरे दल के बीच विभेद करना भी आवश्यक है, जैसी कि सूचना प्राप्त हुई है, हम जानते हैं कि सभी उग्रवादी संगठन पाकिस्तान के लिए नहीं हैं। यदि आपकी नीति का आधार यह है कि प्रत्येक कश्मीरी पाकिस्तानी है अथवा प्रत्येक कश्मीरी पाकिस्तान जाना चाहता है, तो आपका यह सोचना गलत है। इस गलत विचार पर आधारित नीति का असफल होना स्वाभाविक है। विभिन्न उग्रवादी गुटों और बागियों की मांगों में भी भिन्नताएं हैं। बगावत के लिए आधारभूत कारण हैं। मेरे पास जम्मू और कश्मीर में बगावत के विभिन्न कारणों पर स्पष्टीकरण देने हेतु समय नहीं है लेकिन सरकार को इसे समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और जांच करनी चाहिए और एक उपयुक्त रणनीति तैयार करनी चाहिए।

अन्त में, महोदय अपना भाषण समाप्त करते समय, मैं कश्मीर के पलायनकर्ताओं; हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को उचित और पर्याप्त सहायता उपायों की मांग का समर्थन भी करता हूं। हमें यह सोचना चाहिए कि कश्मीरी पलायनकर्ताओं की समस्याएं केवल हिन्दुओं की समस्याएं हैं। अन्य पलयनकर्ता भी हैं। इसलिए सरकार को दोनों समुदायों क कश्मीरी पलायनकर्ताओं को सहायता पहुंचाने, संकट में मदद करने और उनके पुनर्वास हेतु एक उपयुक्त नीति बनानी चाहिए जो अपने जीवन के दिन के घोर संकट में व्यतीत कर रहे हैं।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : महोदय, मुझे उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने जम्मू और कश्मीर की समस्या का समाधान करने हेतु क्या किया जाना चाहिए, के सम्बन्ध में अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए हैं।

आरम्भ में, मैं यह यह मानता हूं कि हालांकि मैंने यह कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर जाऊंगा, परन्तु दोनों सदनों में व्यस्त होने के कारण मेरे लिए एक दिन के लिए भी बाहर जाना असम्भव था मैं इस बात को फिर दोहराना चाहूंगा कि मैं जम्मू और कश्मीर निश्चित रूप से जाऊंगा, बड़ी संख्या में लोगों से मिलूंगा और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करूंगा। मैं यह जोर देकर कहता हूं कि जहां तक जम्मू और कश्मीर राज्य का सम्बन्ध है, सरकार के पास एक निश्चित नीति है।

श्री चित्त बसु : वह नीति क्या है ?

श्री एस० बी० चह्वाण : आह कुछ मिनट प्रतिक्षा करें। मैं इसका वर्णन करूंगा। हमारे पास

जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में एक निश्चित नीति है और हमारा इस प्रकार की स्थिति के अधिक समय तक जारी रहने की अनुमति देने का विचार नहीं है। उस क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति को जारी रहने देना न तो देश के हित में है और न ही यह जम्मू और कश्मीर के लोगों के हितों में है। आपको विश्वास नहीं होगा कि जम्मू और कश्मीर के लोग, जम्मू और कश्मीर की स्वतंत्रता की घोषणा किए जाने के इच्छुक हैं। बड़ी संख्या में लोगों को दबाव डालकर राज्य के बाहर घसीटा गया है; सीमा के पार ले जाया गया है; प्रशिक्षण दिया गया है; और उन्हें बन्दूक की नोक पर एक विशेष लक्ष्य को आघात पहुंचाने के लिए कहा गया है। हमें कुछ ऐसे लोगों से जो पकड़े जा चुके हैं यह जानकारी मिली है कि इसमें पाकिस्तान की भी मिलीभगत है। हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान इस बात से इंकार कर चुका है कि इसमें उसका हाथ नहीं है, फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान इसमें गहन रूप से सम्मिलित है और जैसा मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि उसकी इच्छा मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना है और इस प्रकार का वातावरण पैदा करना है कि जिससे जहां तक जम्मू और कश्मीर का सम्बन्ध है, ऐसा लगे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है।

श्री भुट्टो और श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीच हुए शिमला समझौते पर इस विचार से हस्ताक्षर किए गए थे कि समस्या का हल बातचीत से निकाला जाए। कुछ ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो स्थिति का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने और लाभ उठाने का प्रयास कर रही हैं। वे ऐसा कुछ चाहते हैं कि इस प्रकार की अशान्ति बनी रहे और अधिकारी तथा स्थानीय लोग भारत सरकार के विरोधी बन जाए। हमें इस मामले की गहराई तक जाना होगा और यह पता लगाना होगा कि वे कौन लोग हैं। दुर्भाग्य से, मुझे यह तथ्य स्वीकार करना पड़ रहा है कि जम्मू और कश्मीर में विद्यमान राजनीतिक दलों का इस स्थिति से कोई लेना-देना नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में कोई भी नहीं जाएगा। वहां पार्टी के कामों के लिए भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति बन गई है, मैंने जो वक्तव्य आरम्भ में दिया है उसमें मैंने स्पष्ट रूप से यह बात बताई है।

इसके लिए नए प्रयास आरम्भ करने होंगे और मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि सभी राजनीतिक दलों को इसमें शामिल करना होगा। हम सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएंगे और इस बात का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि इसका उत्तम समाधान कैसे निकल सकता है जिससे जम्मू और कश्मीर के लोगों को यह विश्वास हो सके कि वे भारत का ही भाग और अंश हैं। उन्हें पूर्णतः उपेक्षित और अपने को भिन्न समझने की आवश्यकता नहीं है।

दुर्भाग्य से वर्तमान में दशा यह है कि भारत सरकार उन्हें बहुत बड़ी राशि दे रही है परन्तु यह ज्यादा कमजोर वर्गों तक पहुंचती है अथवा नहीं, इस बात का अधिक गहराई में जाकर पता लगाना होगा, कम से कम, मैं तो यह महसूस करता हूं कि उनमें से अधिकतर लोगों को इस धन का लाभ नहीं पहुंचा जो जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए दी गई थी।

उस क्षेत्र में जो बड़ी पन-बिजली परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। हमारा छोटी परियोजनाएं स्थापित करने का विचार भी है।

बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है पर उन्हें यह मालूम होना

चाहिए कि जिस तरह देश के अन्य भागों में परियोजनाएं स्थापित हैं, उसी तरह जम्मू-कश्मीर में भी कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें स्थापित किया जा रहा है। युवा वर्ग यह जान जाये कि उस क्षेत्र में प्रशासन का प्रभुत्व है। मैं इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा कि वे कौन से अधिकारी थे जो वहां गए और वापस आकर जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ये मसले ऐसे हैं जो मेरे विचार से प्रमाणनीय हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री मदन लाल खुराना जी ने सुझाया कि इस ब्यौरे के विषय में जानकारी एक खास व्यक्ति से मिल सकती है। परन्तु वह भी उस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल थे।

श्री मदन लाल खुराना : आप गृह मन्त्री हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए।

श्री एस० बी० चह्वाण : हां, इसीलिए, मुझे खेद है कि श्री खुराना जी को मुझे ऐसे व्यक्ति से साक्ष्य लेने के लिए कहना पड़ा जो अब वहां के राज्यपाल नहीं हैं और वह समझते हैं कि उन्हें उन सब बातों की जानकारी है जो मुझे दी जानी चाहिए थी।

श्री मदन लाल खुराना : वह आपका आदमी था।

श्री एस० बी० चह्वाण : खैर, इस समय यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय, मैं स्थानीय लोगों की शिकायतें बताना चाहता हूं? मैं इस सच्चाई को झुठला नहीं सकता कि स्थानीय प्रशासन—यहां तक कि अर्द्ध-सैन्य बल और कुछ मामलों में सेना ने भी कुछ काम तो किया होगा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि हर व्यक्ति फरिश्ता है और उसने कोई गलती नहीं की है। फिर भी, वे सब यहीं हैं। वे अपने काम कठिन परिस्थितियों में भी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ तो किया है और हम नहीं मानते कि उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। निश्चय ही वे उत्तरदायी हैं। यहां तक कि हमें उस क्षेत्र में कोई प्रमाण नहीं मिला। यह भी उतना ही कठिन है। अगर आप वहां जा सकते हैं तो मैं राज्य स्तर पर समितियों का गठन और भूतपूर्व संसद सदस्यों, स्थानीय प्रतिनिधियों आदि लोगों को नियुक्त करने को तैयार हूं। जिला स्तर पर राज्यपाल को और उसके अन्य सहयोगीगणों को भी परामर्श देने के लिए हम उस क्षेत्र में समिति का गठन कर सकते हैं।

वहां ऐसी ही समिति थी जो शिकायतें सुनती थी और सच्चाई जानने का प्रयत्न करती थी और फिर राज्यपाल को बताती थी कि क्या-क्या किए जाने की आवश्यकता है।

मैं समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने पद का इस्तेमाल करते हुए उन व्यक्तियों के नामों की सूची दें जो उस समिति के लिए वहां जाने और काम करने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि वे लोग भी समिति की बैठक में उपस्थित नहीं होंगे। इन्हीं परिस्थितियों में हम रह रहे हैं।

जहां तक अतिशयोक्ति अंश का सम्बन्ध है, हर व्यक्ति को कुछ भी करने और कहने की छूट है। श्री जार्ज फर्नान्डीज जी का कहना है कि उनके पास इस समस्या का हल है परन्तु वह तभी बताएंगे जब वह सत्ता में आएंगे।

बहुत अच्छा है। यह ऐसा प्रस्ताव है जिसे हमें राष्ट्रीय मुद्दा बनाना होगा। अगर आप सोचें

कि हमारे पास कुछ ठोस सुझाव हैं तो आप सरकार को सहयोग नहीं देंगे और हल निकालने की कोशिश करेंगे अगर आपके पास कुछ होगा तो। मुझे पक्का विश्वास है कि यदि सभी राजनैतिक दलों की बैठक बुलाई जाये, अगर यह नहीं तो वह इसे राजनीतिक अथवा पार्टी का मुद्दा न मानकर पूरे रूप में पुन: विचार करेंगे। जम्मू एवं कश्मीर एक अशान्त क्षेत्र है। वस्तुतः, मैं सदन में कुछ और भी कहना चाहूंगा। यह एक मुद्दा बन गया है जिसका हल निकालना लगभग असंभव हो जाएगा। क्या हम इस तरह की स्थिति का सामना करने के लिए अथवा चेतावनी झेलने के लिए, हम ढूंढने के लिए और विषय की गहराई तक जाने के लिए तैयार हैं ?

कभी-कभी अपनी जान को जोखिम में डालकर आपको यह जानने के लिए जाना पड़ता है कि क्या सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है अथवा नहीं। हमें वहां जाकर अपने साथ लाना होगा ताकि वे यह अनुभव करें कि वे हमारे जीवन का ही एक अंश है। वास्तव में अन्त मे केवल यही एक मात्र लक्ष्य रह जाता है जिसे हमें प्राप्त करना है, हम उन्हें वापस सामने लाएंगे जिससे उनमें भी हमारे साथ चलने की इच्छा जगे और उनमें इस भावना का भी विकास हो कि यदि उनसे कोई भूल हो जाती है तो वे अकेले नहीं होंगे; वहां जाने के लिए और सर्वाधिक उपयुक्त हल ढूंढने के लिए सरकार है। ऐसी परिस्थिति ढूंढनी होगी।

अगर आप छ: महीने बाद मुझसे पूछेंगे कि क्या आप इस सदन में पुनः आने के लिए जा नहीं रहे, तो सम्भवतः इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर हम समग्र रूप से हल ढूंढने का प्रयत्न करें तो यह कठिन कार्य नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। किन्तु, साथ ही, यदि श्री जार्ज फर्नान्डीज यह सोचें कि उन्होंने पहले ही तीन महीने का समय दिया था और वह तीन महीने पूरे हो गए हैं, और इन तीन महीनों में हमने क्या विकल्प ढूंढा है, तो मैं समझता हूं कि वह गलत हैं। अततः छ: महीने के अन्दर हमने इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये हैं, उससे हमें बहुत सहायता मिली है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस नीति को अपनाने में वास्तव में इच्छुक हैं जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधीजी ने हम लोगो के लिए बनाई थी। और हम उसी पथ पर चल रहे हैं और हम देखेंगे कि सरकार और उन कार्यों में सम्बन्धित व्यक्ति उन नीतियों को कार्यान्वित कर रही है। अगर वह नीति अपनाई जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि तो कोई व्यक्ति इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना सकेगा और इसका सौहार्दपूर्ण हल ढूंढा जा सकता है।

आपने दूसरे जो भी सुझाव दिये है, कि वही चीज दोहराई जाए अथवा डा० फारुख अब्दुल्ला को लाया जाये अथवा नहीं, मेरे विचार से ये ऐसे मसले है जिन पर गम्भीरता से विचार करना होगा। उस समय स्थिति कैसी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है।

डा० फारुख अब्दुल्ला के बारे में, उन्होंने उन्हीं की किताब का गहराई से अध्ययन करके उद्धरित किया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि श्री जार्ज फर्नान्डीज डा० फारुख अब्दुल्ला के अनुयायी थे। उन्होंने काफी विस्तार से यह बताया है कि वह कैसे काम कर रहे थे और कांग्रेस कैसे गलत थी। अब मैं सोचता हूं कि अगर मैं डा० फारुख अब्दुल्ला को ले आता तो सफल प्रशासन के लिए मुझे उनका पूर्ण सहयोग और समर्थन मिल सकता था। मैं नहीं जानता कि उन्हें लाया जाएगा या नहीं। किन्तु कम से कम मुझे इस बात से यह तो पता चल गया है कि आपने उनकी किताब का सहारा लिया है—मैं नहीं

जानता कि यह आपकी राय है या डा० फारुख अब्दुल्ला की—अगर किसी भी कारण से डा० फारुख अब्दुल्ला को वापस लाने की आवश्यकता पड़े तो उन्हें कोशिश करने दीजिए, क्योंकि इस स्थिति में मुझे और कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। हम भी कोशिश करें और देखें कि उन समस्याग्रस्त क्षेत्रों में प्रसन्नता लाई जा रही है, और देखें कि हम स्थानीय जनों में आत्मविश्वास ला सकते हैं, यही भारत सरकार का प्रयास रहेगा, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम काम करने जा रहे हैं, और इसीलिए, मैंने भाषणों का ब्यौरा नहीं दिया है। मुझे पूरी जानकारी है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें उन सभी बातों की विस्तृत जानकारी देने को तैयार हूं जो उन्होंने उठाई हैं।

मैं उन कश्मीरी प्रवासियों की समस्याओं पर भी विचार करने को तैयार हूं जो या तो दिल्ली में है अथवा जम्मू में। मैं देख रहा हूं कि इन्हें और अधिक सुविधाएं देनी होंगी।

पर साथ ही, ऐसी स्थिति उत्पन्न मत कीजिए जिससे उनके मन में यह धारणा बन जाए कि वे यहीं रहेंगे और वापस नहीं जाएंगे। वस्तुतः हमें एक यह बात करनी है कि उनके मन में यह धारणा बनानी होगी कि यदि ऐसी परिस्थिति आये कि उन्हें वापस जाना पड़े तो, जो कुछ भी उन्हें चाहिए वह जरूर मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि पूरा सदन उस क्षेत्र में प्रसन्नता लाने में सरकार की सहायता करेगा।

श्री राम नाईक : सभापति महोदय, मैं गृह मन्त्री जी से एक बात का स्पष्टीकरण चाहूंगा। गृह मन्त्री जी जब तब यही कहते रहते हैं कि पाकिस्तानी तत्व आतंकवादियों की सहायता कर रहे है। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस मुद्दे को दोनों देशों के गृह मन्त्री स्तर पर ले रही है अथवा रक्षा मन्त्री स्तर पर अथवा विदेश मन्त्री स्तर पर, और किस स्तर पर सरकार इस मुद्दे को ले रही है? क्या सरकार इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास कर रही है?

श्री एस० बी० चह्वाण : महोदय, हमने इस मुद्दे को राजनायिक स्तर पर लिया है। पाकिस्तान और उसकी सहाहता करने वाले अन्य देशों को प्रभावित करने के लिए, उन्हें यह अहसास दिलाने के लिए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सप्लाई किये जा रहे इन अत्याधुनिक शस्त्रों का प्रयोग अन्ततः आतंकवादियों द्वारा भारत के विरुद्ध किया जा रहा है। हमने इस मुद्दे को पहले ही राजनयिक स्तर पर लिया है। मुझे यह कहने पर प्रसन्नता हो रही है कि दोनों राजदूत, जो पहले विक्षुब्ध थे, मुझसे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि वे उन सभी को प्रभावित करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं जो यह समझते थे कि पाकिस्तान इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहता है और वे देश पाकिस्तान की सहायता न करें, इसका भी प्रयत्न कर रहे हैं। वे अपनी बात काफी हद तक स्पष्ट करने में सफल हुए हैं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा प्रस्तावित संशोधन सं०-1 को सदन के मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन सं०-1 सदन में रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सदन जम्मू-कश्मीर के बारे में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 सितम्बर, 1991 से छह महीने और आगे की अवधि तक के लिए जारी रखने की स्वीकृति देता है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.53 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92

कृषि मंत्रालय

खाद्य मंत्रालय और

ग्रामीण विकास मंत्रालय

सभापति महोदय : अब सदन में इस पर विचार किया जाएगा और (i) कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग सं० 1 से चार तक, (ii) खाद्य मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग सं० 38; और (iii) ग्रामीण विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग सं० 69 पर मतदान किया जाएगा जिसके लिए 10 घंटे का समय दिया गया है।

सदन में उपस्थित माननीय सदस्य जिनका कृषि मन्त्रालय, खाद्य मन्त्रालय और ग्रामीण विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों के लिए कटौती प्रस्ताव परिचालित कर दिया गया है, यदि वे अपना कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो वे 15 मिनट के अन्दर सभा पटल पर प्रत्येक मन्त्रालय के लिए अलग-2 पर्चियां भेजें जिसमें उस कटौती प्रस्ताव का क्रमांक लिखा होना चाहिए जिसे वे रखना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तावित माना जाएगा।

इन मन्त्रालयों के सम्बन्ध में प्रस्तावित कटौती प्रस्तावों के क्रमांक दर्शाती तीन अलग सूचियों को सूचना पट पर शीघ्र ही लगाया जाएगा। यदि किसी सदस्य को सूचियों में कोई विसंगति दृष्टिगोचर हो तो वह बिना विलम्ब किए सभा पटल पर उपस्थित अधिकारियों के ध्यान में लाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में कृषि; खाद्य और ग्रामीण विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 1 से 4, 38 और 69 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1991-92 के लिए
कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	29 जुलाई, 1991 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1		2		3	
कृषि मंत्रालय					
1.	कृषि	1731,23,00,000	2,24,00,000	406,43,00,000	9,56,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	47,47,00,000	60,06,00,000	90,65,00.000	111,90,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	182,00,00,000	...	182,00,00,000	...
4.	पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	102,62,00,000	24,45,00,000	119,47,00,000	29,03,00,000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1991-92 के लिए खाद्य मंत्रालय से
सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	29 जुलाई, 1991 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1		2		3	
खाद्य मंत्रालय					
38.	खाद्य मंत्रालय	1374,87,00,000	68,20,00,000	1374,86,00,000	68,20,00,00

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1991-92 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	29 जुलाई, 1991 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1		2		3	
ग्रामीण विकास मंत्रालय					
69.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	1760,01,00,000	25,00,000	1761,03,00,000	25,00,000

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज्जफरपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है ।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, आपने कहा है कि 15 मिनट के अन्दर कटौती प्रस्ताव रखा जाए । और अब दिन की कार्रवाई समाप्त होने में केवल 6 मिनट बचे हैं ।

सभापति महोदय : शेष समय अगले दिन ।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह जानना चाहती हूं कि आज कितने समय तक मैं बोल सकती हूं ?

सभापति महोदय : छः बजे तक ।

कुमारी उमा भारती : सभापति महोदय, हमारे बीच में जब अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज जब हमारे देश को छोड़कर गये थे, उस समय अंग्रेज हमारे देश में 3,453 करोड़ रुपए की सम्पत्ति छोड़कर गए थे । आज उस दिन से हमारी स्थिति में हम 1,250 करोड़ रुपए के कर्जदार हो गए हैं । इसके लिए हमने जो पिछले 44 वर्षों में लगातार नीतियां अपनाई, खास कर कृषि नीति, उसके बारे में बहुत गहराई से विचार करना होगा कि किन कारणों से आज हम इस खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं । हमारा देश जब आजाद हुआ, आजादी के तत्काल बाद जिन लोगों ने देश के लिए नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निश्चित रूप से नए भारत के निर्माण के लिए उनके मन में उत्साह था और वे चाहते थे कि देश जल्दी से जल्दी तरक्की करे और तरक्की करके इस स्तर पर पहुंच जाए कि दुनिया के सम्पन्नतम देशों में भारत की गणना होने लग जाए । लेकिन नीतियों के बारे में विचार करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि भारत की मनोवैज्ञानिकता क्या है और भारत किस प्रकार से तथा किस रूप में तरक्की कर सकता है । मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि राष्ट्रीय विकास परिषद

की एक बैठक में, उस समय के हमारे प्रधानमन्त्री, पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 1956 में उद्योगों के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था—उद्योग अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इसके अलावा जो कुछ भी है, वह उद्योगों का सम्पूर्ण बनाने के लिए हैं। लेकिन 1963 के आते-आते पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को लगने लगा कि उद्योगों के बारे में जो उनका विचार था कि बड़े उद्योगों के बल पर यह देश तरक्की कर जाएगा, उसमें उनको लगा कि सुधार करना होगा और फिर से उसी राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में उन्हीं पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने 1963 में कहा था—मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कृषि अधिक महत्वपूर्ण है और यदि हम कृषि की उपेक्षा करेंगे तो उद्योगों के क्षेत्र में भी भारत आगे नहीं बढ़ पायेगा। जब तक उनका यह सोच विकसित हुआ, उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। पण्डित जी बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और इस बात की स्वीकारोक्ति के बाद वे बहुत समय के लिए इस दुनिया में रहे भी नहीं। प्रारम्भ से ही इस बात पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया कि कितने लोग गांवों में हैं और गांवों के लोग कितने शहरों की ओर भाग रहे हैं। जिस प्रकार से विस्फोटक रूप से लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि यदि गांवों के आदमी गांवों में ही रोक लेने की व्यवस्था नहीं की गई, तो शहरों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। यूरोप और अमरीका में अगर गांव का आदमी शहरों की तरफ जाता है, तो अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि वह हायर जाब के लिए आता है, लेकिन भारत जैसे देश में, जोकि एक गरीब देश है, जब गांव का कोई आदमी शहर की तरफ आता है तो उससे यह बात साबित नहीं होती है कि वह आदमी कोई कलैक्टर बनकर, एस० पी० बन कर या बड़े-बड़े अधिकारी बन कर ही शहर की तरफ भागते हैं। उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं तो कला-कौशल से रहित, मजदूर के रूप में शहरों में आते हैं। इससे यहां स्लम्स बढ़ते हैं और इधर उधर वे सड़कों पर काम करते हुए और लोगों के भवन बनाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैं यह मानती हूं कि हमारी समस्त नीतियों की सफलता की कसौटी यह होगी कि हम गांवों से शहरों की तरफ पलायन को किस हद रोक पाए हैं और कि मात्रा तक रोक पाये हैं। यह बात बड़ी आश्चर्यजनक है कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें से गांव में रहने वाले लोगों का कृषि के ऊपर से जन का दबाव······

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं। सभा कल म० पू० 11 पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 27 अगस्त, 1991/5 भाद्र, 1913 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : दि इण्डियन प्रैस, देहली।